# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

**अंक: 10| चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का बाईसवां दिवस |संख्या: 15**

**सोमवार,**

**26 फरवरी 2018**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**

**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष**: नमस्कार, नमस्कार। जय रामजी की सा।

प्रश्नकाल। श्री धीरज गुर्जर - स्थगित।

**प्रश्न संख्या-259**

**(स्थगित)**

श्री बनवारीलाल सिंघल।

### अलवर जिले में दो पुलिस अधीक्षक लगाने की योजना

**260. श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में पूर्व में दो पुलिस अधीक्षक लगाये जाने की मांग की गई है? यदि हां, तो कब व किस-किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में दो पुलिस अधीक्षक लगाये जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो दो पुलिस अधीक्षक कब तक लगा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): (1) अलवर जिले में कानून व्यवस्था हेतु दो पुलिस अधीक्षक लगाये जाने के संबंध में माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा, विधायक, रामगढ़, (अलवर-राजस्थान) द्वारा वर्ष 2015 एवं 2016 में पुलिस विभाग को पत्र लिखकर मांग की गई थी।

(2) अलवर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी बड़ा है। जिला स्तर पर अपराध पंजीयन भी राज्य में अलवर में सर्वाधिक है। वर्ष 2017 में 17405

(गृह मंत्री)

प्रकरण दर्ज हैं। इस दृष्टि से अलवर जिले में दो पुलिस अधीक्षक लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नं. एक।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे प्रश्न के माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण है, अभी पिछले दिनों मेरा एक अतारांकित प्रश्न इसी सदन में 19.2.2018 को लिस्टेड था, उसमें भी माननीय गृह मंत्रीजी के माध्यम से सरकार ने जवाब दिया है जिसमें जयपुर के बाद जयपुर जिला राजस्थान में अपराधों की दृष्टि से नंबर एक-एक पर है और अलवर जिले में अपराध दो नंबर पर रहे और इसके पीछे कारण है माननीय गृह मंत्रीजी, अपराध की दृष्टि से हमारा भिवाड़ी, नीमराणा, खुशखेड़ा, बहरोड़ ये जो क्षेत्र हैं, अपराध की दृष्टि से बहुत ऊपर हो गये और उसके कारण से पूरे जिले को बदनामी झेलनी पड़ रही है। जब अपराध का आंकड़ा हम लोग विधान सभा के माध्यम से मांगते हैं माननीय गृह मंत्रीजी, तो आप पूरे जिले का देते हैं और जिले को शर्मसार होना पड़ता है।

मेरा आपसे यह निवेदन है, पूरक प्रश्न संख्या एक मैं पूछ रहा हूं, जैसा आपने उत्तर में भी बताया, ज्ञानदेव जी ने भी और मैंने प्रश्नों के माध्यम से और ज्ञानदेव जी ने पत्रों के माध्यम से पूछा है, लंबे समय से यहां दो एसपी लगाये जाने की व्यवस्था विभाग क्यों नहीं कर रहा है? हर बार यह जवाब दिया जाता है कि यह विचाराधीन है। 2015 और 2016 के ज्ञानदेव जी के पत्रों का हवाला आपने दिया है तो तीन साल पुराने ये भी हो गये और मैं भी लगातार पिछले पांच-छह साल से यह प्रयास कर रहा हूं कि दो एसपी अलवर जिले में लगाये जायें अपराध को नियंत्रित करने की दृष्टि से तो ऐसी क्या मजबूरी है जो अब तक, पिछले पांच-छह वर्ष से लगातार मांग करने के बाद भी आज तक दो एसपी लगाये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मजबूरी कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज का निर्णय लेने से पहले संसाधन उपलब्ध हों, उसके बाद ही किया जा सकता है। नेगेटिव बात नहीं की। मैंने इस बात को माना है कि निश्चित रूप से अलवर में अपराधों की संख्या जो दस हजार से अधिक अपराध वाले जिले हैं उसमें जयपुर है, जोधपुर, अलवर, उदयपुर। धीरे-धीरे इन वर्षों में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अपराध घटे हैं फिर भी अलवर में आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपराध हैं और इसलिए मैंने इस बात को कहा है कि यह सरकार के विचाराधीन है कि दो एसपी बनाये जायें, लेकिन जब बजट और संसाधन उपलब्ध होंगे, उसके बाद ही निर्णय किया जा सकता है। इतना ही मैंने कहा। मैंने कोई न नहीं कहा है। आपकी बात को मैंने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के साथ ही मैं सदन में इस बात को कह रहा हूं। संसाधन उपलब्ध होने के साथ कानून-व्यवस्था की दृष्टि से, औद्योगिक डवलपमेंट की दृष्टि से और उस जिले में जिस प्रकार का क्राइम है और जिस प्रकार का बार्डर हरियाणा से है निश्चित रूप से वहां होना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से अलवर में दो एसपी बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि एक गौ-तस्कर कल भी राजगढ़ के रेणी क्षेत्र में...

**श्री अध्यक्ष**: वो तो आ गया।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न ही पूछिये आप।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): कल भी एक गौ-तस्कर मारा गया है। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद और इससे पहले भी मारे गये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: वो मान लिया इन्होंने।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): मेरा आपसे इस प्रश्न के माध्यम से यह निवेदन है कि गौ-तस्करों को पूर्णतया, राजस्थान की बार्डर जो अपने अलवर जिले की बार्डर है, जयपुर से दौसा से इधर से गौ-तस्करी होकर जो गायें जा रही हैं और उसके बाद ये ऐसे पहुंच रही हैं और पुलिस पर फायरिंग करने की, आम जन पर फायरिंग करने की स्थिति हो रही है तो इसके क्या प्रभावी, आपने गौ-चौकियां भी खोली हैं, लेकिन उन गौ-चौकियों के पास से भी होकर अगर ये गौ-तस्कर गायों को लेकर निकल जा रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों को लेकर निकल जा रहे हैं, तो ऐसे कौनसे प्रभावी नियंत्रण करने की दृष्टि से आप उपाय करना चाहते हैं?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): गौ-तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए हमने भरतपुर और अलवर में स्पेशली गौ-तस्करी को रोकने के लिए चौकियां स्थापित की हैं और ये जो आप कह रहे हैं कि आये दिन कहीं न कहीं फायरिंग हो रही है, लेकिन गौ-तस्कर ले जाने में सफल नहीं हो रहा है। हमारी इस सारी पुख्ता व्यवस्था के कारण से, हमने हर दृष्टि से उसको रोकने का प्रयत्न किया है और आप सब अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य इस बारे में अच्छी प्रकार से कह सकते हैं कि पहले जिस प्रकार से गौ-तस्करी बेरोकटोक होती थी, आज की तारीख में हण्ड्रेड परसेंट रुक गया है, ऐसा अभिमान तो मैं नहीं करता हूं, पर मैं अधिकांश रोकने में सफल हुआ हूं। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री रामहेत सिंह। यह दो अधीक्षक लगाने का मामला है, उससे इधर-उधर तो नहीं है न?

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): बिलकुल इधर-उधर नहीं है, साहब। बिलकुल अलवर जिले का है और अलवर जिले का पुलिस से संबंधित ही पूछूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: पूछिये।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने 2017 के आंकड़े दिये कि 17405 प्रकरण दर्ज हैं। इन 17405 प्रकरणों में नंबर-1, - गौ-तस्करी के कितने मुकदमे हैं? नंबर-2, राजकीय सम्पत्ति लूटने जैसे टू-व्हीलर, बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर चोरी के और तीसरा, मोटरसाइकिल, टू-व्हीलर चोरी के कितने मुकदमे हैं? और इसमें मेरी जानकारी में है कि 90 परसेंट प्रकरणों में एफआर लगी है मोटरसाइकिल चोरी में और ट्रांसफार्मर चोरी में। ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का चोरी होता है उसमें और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में एफआर लगाने का क्या कारण होता है? कभी आप रिव्यू करते हैं क्या इसमें और रिव्यू के आधार पर आपने क्या कोई डाइरेक्शन दिये हैं पुलिस को? आगे से यह एफआर नहीं लगे, चोरी का मामला है, ट्रांसफार्मर का हो, चाहे टू-व्हीलर का हो, उसमें भी रिकवरी हो, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना डिटेल तो मैं लेकर नहीं आ पाया समय के अभाव के कारण, पर निश्चित रूप से हमने उस जिले में अगर आप सारे आंकड़ों को देखने की कोशिश करेंगे और विश्लेषण करेंगे तो पिछले तीन साल में लगातार इसकी चोरी में भी और इसकी बरामदगी में भी एक तरह से हमारी सफलता बढ़ रही है। यह बात सही है कि जो पहले आपके अलवर जिले में एवरेज एक महीने में दो सौ टू-व्हीलर की चोरी आती थी, अब वो चार-पांच पर जाकर के टिकी है, लेकिन है इसमें कोई दो राय नहीं है।

गौ-तस्करी की दृष्टि से भी मैंने पहले भी कहा कि हण्ड्रेड परसेंट रोक दी, यह अभिमान मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अधिकांश गौ-तस्करी को ले जाने वाले लोगों को कंट्रोल किया है इसीलिए आये दिन फायरिंग भी हो रही है और हम उनको रोक करके गायों को उतारने में भी सफल हुए हैं। मैं सोचता हूं कि ये जो आईपीसी के जो 17 हजार अपराध हैं, इसमें सभी प्रकार के अधिनियम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अलवर में 2015 में जो आईपीसी के अपराध थे वो 11923 थे, 2016 में 11814 हैं और अभी हमारे आईपीसी के अपराध 12267 हैं। सभी प्रकार के अपराध मिलाकर 17405 हैं। मैं स्वयं मान रहा हूं कि अन्य जिलों की तुलना में यहां अपराध की संख्या अधिक है और इसीलिए दो एसपी कार्यालय बने यह विभाग भी स्वीकार करता है। जैसे ही मेरे को संसाधन उपलब्ध होंगे, आपकी समस्या का निदान करने का प्रयत्न करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री ज्ञानदेव आहूजा।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): मैंने यह पूछा था...

**श्री अध्यक्ष**: वो देखिये, उन्होंने कह दिया कि लेकर नहीं आये।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): नहीं, वो एफआर लगाते हैं उसको रोकने का क्या उपाय करेंगे आप?

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछूं उससे पहले एक मिनट आप मेरा निवेदन सुनें। अपराध बाकी 33 जिलों से अलवर में अलग हैं। अलवर में सिंथेटिक दूध है उसकी कम से कम डेढ़ सौ भट्टियां चलती हैं और उसकी आइसक्रीम भी बनती है, उसका पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, सिंथेटिक दूध का। वहां जो क्राइम है वो सट्टा है। इस एसपी ने एक चालाकी की है कि सट्टेवालों को महीने में योजनापूर्वक पकड़ना।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मोटरसाइकिल चोरी का जो गृह मंत्रीजी कह रहे हैं गलत आंकड़े हैं वहां पर खूंटेली होती है। ब्रज भाषा में खूंटेली का मतलब है मैंने मोटरसाइकिल चुरायी, रिपोर्ट दर्ज मत कराओ, दस हजार रुपये दो और मोटरसाइकिल ले जाओ। अब मोटरसाइकिलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती इसलिए आपके यहां मोटरसाइकिलों का...

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): मैं निवेदन कर रहा हूं, साहब। इसलिए वहां जो अपराध हैं वह दूसरे तरीके के हैं अलवर जिले में, इसलिए एसपी रावल प्रकाश जी ने बड़ी चालाकी से उन अपराधों को कम दिखाया है। अब मोटरसाइकिलें कम चोरी हो रही हैं। कम नहीं हो रही हैं, खूंटेली हो रही है। एएसआई कहता है कि तुम पांच हजार दे दो, मोटरसाइकिल दिला देता हूं। तुम दस हजार दे दो, मोटरसाइकिल दिला देता हूं। एफआईआर लाज नहीं हो रही है।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): ...(व्यवधान) थाने से सूचना जाती है कि वहां पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ते हो, आ जाओ, हम व्यवस्था करा देते हैं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): मैंने उस दिन कहा था, मेरी बात कांग्रेस के माननीय विधायकों के शोर में दब गई कि क्या राजस्थान में सट्टा होता है? सबसे ज्यादा सट्टा अलवर जिले में दस हजार करोड़ का सट्टा एक महीने में होता है गृह मंत्रीजी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सट्टे वालों को पकड़कर...

**श्री अध्यक्ष**: आप सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): वहां 11 तरह के अपराध हैं, माननीय शान्तनु कुमार जी जब डीजीपी थे, उस समय से लेकर टास्क फोर्स की बात चल रही है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, बहस थोड़े ही कर रहे हैं! अभी लॉ एण्ड आर्डर पर बहस होगी तब बात कर लेना।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): संसदीय कार्य मंत्री महोदय, जरा सच्चाई सुनिए, सच्चाई को सुनने का थोड़ा बड़ा मन रखें।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, आप सीधा सवाल कीजिए, प्रश्न गौ-रक्षक के बारे में है। इधर-उधर नहीं, भाषण नहीं। आपको सवाल जो करना है, वह कीजिए।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: हां, पूछिए।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): शान्तनु कुमार जी के समय टास्क फोर्स बनाने की बात थी, उसके बाद 9 डीजीपी बदल गये। हरियाणा, यूपी और राजस्थान का हमारा बोर्डर है। यूपी से बदमाश आते हैं, हरियाणा से आते हैं। इन अपराधों को अलवर में स्पेशल फोर्स लगाकर, आप थानों में भी आरएसी को लगायें और फोर्स भी बढ़ायें, नफरी भी बढ़ायें।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया सवाल कीजिए।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, नफरी बढ़ाकर, आरएसी बढ़ाकर क्या अलवर के इन अपराधों को रोकेंगे और इस स्पेसिफिक एसपी को, मैं दुबारा कह रहा हूं, आप कब हटायेंगे, यह बताएं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, विराजिए।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल पुलिस विभाग की ही मांग है। माननीय सदस्य जिस तरह के प्रश्न का जवाब चाहेंगे, उस तरह का डिटेल उत्तर देने को तैयार हूं। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अलवर में अपराधों की संख्या बाकी जिलों से अधिक है और इसी कारण से आपकी जो मांग है उसको हमने पोजिटिवली अपने ध्यान में रख रखी है। मुझे जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे, आपके लिये ही नहीं, उस क्षेत्र की सारी जनता की समस्या के निदान के लिये हम उस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं, पर स्वीकृति कब दे पायेंगे, यह मैं एकदम नहीं कह सकता।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): बहरोड़ में गौशाला से गाय ले गये ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मिस्टर ज्ञानदेव, मिस्टर ज्ञानदेव, नो नो, जवाब आ गया है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): ऐसा है, जितना आप जोर से बोल सकते हो, उससे ज्यादा जोर से बोलने की ताकत मेरी भी है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): जोर से नहीं, आवाज ही ऐसी है। आपकी भी आवाज ऐसी है, मेरी भी आवाज ऐसी है, अब आवाज को तो हम

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

दबा नहीं सकते। साइलेंसर मुंह पर लगा नहीं सकते। मास्क तो लगा सकते हैं। साइलेंसर नहीं लगा सकते।

**श्री अध्यक्ष**: ज्ञानदेव जी, स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): ऐसे जोर से बोलकर अपराध के बारे में आप मुझे यह कहो कि मैं अपराधी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करूंगा, यह तो सम्भव नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। (व्यवधान) लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं निश्चित रूप से कल की डिमांड पर आपकी और कोई विशेष बातें आएंगी तो मैं उनका जवाब दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: बोलना कल, कह दिया।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूं कि अलवर जिले में जिस प्रकार की स्थितियां हैं और जैसा बोर्डर, गौ-तस्करी और विभिन्न प्रकार के अपराधों की जो स्थिति है, उसको कंट्रोल करने के लिये प्रस्ताव हमारे सामने विचाराधीन है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। कल आप कुछ डिटेल चाहेंगे तो मैं हर चीज का जवाब देने को तैयार हूं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। अनीता जी, आप करेंगी तीसरा सवाल?

**श्रीमती अनीता** (नगर): जी नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: अगला सवाल, श्री गोतम कुमार।

## नरेगा के तहत संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं

**261. श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों के लिये नरेगा योजना के तहत व्यक्तिगत लाभ की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजना के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं से वर्ष 2013 से 2017 तक विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कितने परिवारों को किस-किस योजना से लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे रोजड़ों से बचाव के लिये नरेगा योजना के तहत तारबंदी करवाने व अन्य उपाय करने

(श्री गोतम कुमार)

का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री** (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) महात्मा गांधी नरेगा योजना, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के तहत संचालित योजना है जिसमें अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 5 में वर्णित परिवारों के लिए पैरा 4 (1) II प्रवर्ग 'आ' में वर्णित कार्य कराए जाने का प्रावधान है। इन कार्यों को कराए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना का नाम "अपना खेत अपना काम" दिया गया है। अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 5 तक की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनाओं से वर्ष 2013 से 2017 तक विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में लाभान्वित हुए परिवारों का संख्या विवरण पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतवार परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 5 में वर्णित पात्र परिवारों के कार्य नियमानुसार अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होने पर एवं उनकी आवश्यकता के अनुरूप फसलों को आवारा पशुओं, रोजड़ों आदि से बचाने के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 10.06.2016 को जारी किये गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार तारबंदी का कार्य योजनान्तर्गत नहीं कराया जा सकता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नंबर एक।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अपना खेत अपना काम या कैटल शेड हो, उसमें जो भी काम होते हैं, उनमें मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस कैटल शेड का निर्माण किसानों के द्वारा किया गया, उन कैटल शेड में सामग्री मद में साल-साल भर से उनको भुगतान नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनका भुगतान जल्द से जल्द कराया जाये क्योंकि साल-साल भर उस व्यक्ति का पेमेंट रुक जायेगा तो सरकार जो लाभ देना चाह रही है, तो उसका लाभ उसको पूरा नहीं मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नरेगा के द्वारा जो भी पक्के काम करवाये

(श्री गोतम कुमार)

जा रहे हैं, चाहे सडकें हों या जो भी व्यक्तिगत लाभ के काम हों, उन सबका भुगतान थोड़ा-सा जल्दी कराने का श्रम कराएं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सामग्री मद में पिछले चार महीनों से भारत सरकार से हमें राशि प्राप्त नहीं हुई है। हम पत्राचार कर रहे हैं, जल्द ही राशि प्राप्त कर इस कार्यवाही को आगे बढ़ायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि नरेगा में राजस्थान सरकार ने सर्वाधिक कार्य किया है। 20 करोड़ से ज्यादा मैन डेज क्रिएट हुए हैं। 4500 करोड़ से ज्यादा राशि व्यय हुई है। अध्यक्ष महोदय, 'अपना खेत अपना काम' योजना के तहत राज्य सरकार ने व्यक्तिगत लाभकारी योजना में 2 लाख तक की राशि, जोब कार्डधारी जो एक परिवार में अपना काम करवा सकता था, जुलाई, 2015 में उसको बढ़ाकर 2 लाख किया है। व्यक्तिगत लाभकारी योजना में 2013-14 में कुल व्यय 10 प्रतिशत होता, कुल जितनी राशि नरेगा में व्यय होती थी, अब वह बढ़कर 31 परसेंट हो गया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस योजना का लाभ लोगों को मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो पूरे राजस्थान में व्यक्तिगत लाभकारी योजना के अन्तर्गत काम हैं, इसी एक वित्तीय वर्ष में 718664 कार्य स्वीकृत हुए हैं और कुल कार्यों का प्रतिशत 80 परसेंट है यानी नरेगा के माध्यम से, व्यक्तिगत लाभकारी योजना से गरीब का उत्थान हो, इस ध्येय के साथ सरकार काम कर रही है।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): जी।

**श्री अध्यक्ष**: कीजिए।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): इसमें एक प्रश्न मेरा यह भी है कि एक तो जो कैटल शेड और पक्के काम चाहे व्यक्तिगत लाभ के हों या चाहे पंचायतों के द्वारा किये हों, उनका भुगतान कब तक हो जायेगा? इसी में मेरा दूसरा प्रश्न था कि किसानों की जो रोजड़ों से परेशानी है, उन रोजड़ों के लिये सुराज संकल्प यात्रा में भी तारबंदी की बात हुई थी, उसके बाद भी लगातार यह विषय आ रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तारबंदी के लिये भी अनुमत्त कराकर तारबंदी हो, चाहे इसमें जाली हो, कैसे भी करके

(श्री गोतम कुमार)
उसको आप अनुमत कराकर किसानों को राहत देने का प्रयास करें। इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा क्योंकि आज किसान रात-रात भर जागकर वहां खेत में बैठा रहता है, उसके लिये आप थोड़ा-सा आज आश्वस्त कर दें और उसके लिये आज आप घोषणा कर देंगे तो पूरे राजस्थान के जो भी किसान हैं जो ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में रात-रात भर खेतों में बैठे रहते हैं, उनको इस परेशानी से निजात मिलेगी।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि आवारा पशुओं से किसान की खेती को नुकसान होता है, निश्चित तौर पर यह सही है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि हमने जुलाई, 2016 में एक निर्देश जारी किया था, इसी नरेगा में जो पात्रताधारी परिवार के लोग हैं, जो पात्रताधारी किसान हैं, वे डिच-कम-बंड अवरोध से नीचे खाई खुदाकर उस पर तीन फीट की चौड़ाई में सुरक्षा बनाकर, उसमें खुदाई के बाद जो मिट्टी निकलती है उससे डोला बनाकर उस पर कंटीले पौधे या इस प्रकार वेजिटेबल लगा दें तो उससे भी सुरक्षा होती है। इ

इसके अलावा वेजिटेटिव अवरोध, जिसको जीवित बांड भी कहते हैं, थोर, कंटीली झाड़ियां, इनको लगाने का अनुमत्त भी हमने कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, ड्राई स्टोन की दीवार वह बना सकता है, उसमें सीमेंट और कंकरीट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने पहले निवेदन किया कि नरेगा एक्ट है, एक्ट 2005 के अनुसार भारत सरकार ने इसके बारे में जो निर्देश जारी किये हैं, जिसके शिड्यूल के बारे में मैंने पहले जिक्र किया, उन्हीं शिड्यूल्ड के अनुसार जो अनुमत्त कार्य हैं, वही कार्य हम इसमें करा सकते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैटेरियल कंपोनेंट का पैसा, मैंने खुद ने निवेदन किया कि पिछले चार महीनों से मैटेरियल कंपोनेंट का पैसा भारत सरकार से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हम पत्राचार कर रहे हैं। तारबंदी के लिये मैंने मेरी तरफ से भारत सरकार को पत्र लिखा, मुख्य मंत्रीजी से भी पत्र लिखवाया है और मैं व्यक्तिशः कोशिश कर रहा हूं कि तारबंदी नरेगा में अनुमत्त हो जाये। पर पूरे देश में उस एक्ट के प्रावधान में अनुमत्त जो शिड्यूल हैं, उसमें अभी तारबंदी नहीं है, इसलिए वर्तमान में नरेगा के द्वारा तारबंदी नहीं की जा सकती।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नंबर एक, श्रीमती सोनादेवी।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह अवश्य कहना चाहूंगी कि 'अपना खेत अपना काम' जो नरेगा की व्यक्तिगत योजना है, वास्तव में एक सराहनीय योजना है। गंगानगर जिले में बहुत से किसानों को अपने खेतों में अन्दर पक्के खाले बनाने का लाभ मिला है। मैं इसमें माननीय मंत्री महोदय जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि 'अपना खेत अपना काम' योजना की राशि है, पंचायत समिति रायसिंहनगर, पंचायत समिति विजयनगर की। पंचायत समिति विजयनगर के 70-80 लाख रुपये और पंचायत समिति रायसिंहनगर के 50 लाख रुपये, अपना काम अपना खेत और कैटलशेड के पैंडिंग पड़े हैं, उनका कब तक भुगतान हो जायेगा?

इसी में मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगी कि अगर किसी किसान की जमीन दूसरी पंचायत में पड़ी है तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो लाभ अभी नहीं मिल रहा है। इसी में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि भूमि समतलीकरण कार्यों के नियम इतने सख्त बना रखे हैं कि सरपंच या सचिव स्वीकृत कार्यों को करने में आनाकानी करते हैं और वर्तमान में व्यक्तिगत लाभ के कार्य न के बराबर चल रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी।

इसी में यह भी कहना चाहूंगी कि वर्तमान में गंगानगर जिले में व्यक्तिगत कार्यों पर मौखिक रोक लगा दी गयी है। ऐसा क्यों? यह भी कहना चाहूंगी कि टास्क निकालने के बाद नरेगा के मजदूरों को...

**श्री अध्यक्ष**: अब आप सवाल करो।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): मेरा निवेदन है कि टास्क निकालने के बाद मजदूरों को छुट्टी दी जानी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के लाभार्थी की भूमि उसी ग्राम पंचायत में, जिसमें उसका जोब कार्ड हो, पर ही कराये जा सकते हैं। जाब कार्डधारी परिवार की भूमि अन्य ग्राम पंचायत में होने की स्थिति में कार्य नहीं कराये जा सकते। मान लो किसी एक गांव का व्यक्ति है और उसकी भी भूमि पड़ौस में दूसरी ग्राम पंचायत में चली गयी। उसका जोब कार्ड अलग ग्राम पंचायत का बना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुआ है, तो वह व्यक्तिगत लाभकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता है। भारत सरकार से हम पत्राचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रही हैं कि व्यक्तिगत लाभकारी योजना में गंगानगर के अन्दर स्वीकृतियां कम जारी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि 2012-13 में पूरे राजस्थान में व्यक्तिगत लाभकारी योजना में 1 लाख 12 हजार 707 काम स्वीकृत हुए थे, जो कुल कार्य का 10 परसेंट था। आज की तारीख में तो बात कर रहा हूं कि 7 लाख 18 हजार 664 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जो कि कुल चल रहे कार्यों का 80 परसेंट है। इसके लिये 1384 करोड़ रुपये के कार्य पूरे राजस्थान में हुए हैं। इसमें मैंने खुद ने स्वीकार किया है।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): इस बात को मैंने सराहा है कि अपना खेत अपना काम में बहुत से कार्य गंगानगर में हुए हैं। मैं यह कहना चाह रही हूं कि पैसे पैंडिंग पड़े हैं। मैंने बाकायदा आपको और सरकार को सराहा है।

**श्री अध्यक्ष**: सोनादेवी जी, बैठिए। जवाब आ रहा है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया। मैं रायसिंहनगर से आने वाली माननीया सदस्या को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक्ट है। इसमें जो दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिनका शिड्यूल के अन्दर वर्णन है, जिसका उत्तर मैंने खण्ड-1 में दिया है। उसके अतिरिक्त दूसरे काम हम तभी करवा सकते हैं, जब हमें भारत सरकार की तरफ से उसका अमेंडमेंड करके उसकी सूचना मिले।

अध्यक्ष महोदय, अभी पूरे राजस्थान में नरेगा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहल की और नरेगा में सरकारी स्कूलों की चारदीवारी अनुमत हुई हैं। यह पहली बार हुआ है। इसलिये इस बारे में भी हम कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा और मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि कम से कम एक अभियान तो चला दें। नरेगा चल रहा है, जोब कार्ड सब लोगों के पास हैं, पैसा है, तो चारदीवारियां तो सरकारी स्कूलों की एक भी वंचित नहीं रहनी चाहिए, जो नरेगा में नहीं बनें।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री अर्जुन लाल जीनगर।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन-जिन ग्राम पंचायतों में 'अपना खेत अपना काम' के लाभार्थी बी.पी.एल., एस.सी., एस.टी., को लाभ मिल गया है, उसके बाद शेष बचे लोग, जो लघु सीमांत काश्तकार हैं, क्या आप उनको जल्दी से स्वीकृति जारी कराने का विचार रखते हैं? इनमें गरीबों को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इसका मेजरमेंट करने में कहीं न कहीं गड़बड़ है, यह भी थोड़ा देखें। नरेगा के माध्यम से सड़कों के काम जल्दी से चालू करवा दें, क्योंकि आजकल सड़कें नहीं बन रही हैं। कच्चे रास्ते हैं, जो बरसात के दिनों में टूट गये हैं। मनरेगा में ग्राम पंचायतों को स्वीकृति मिल जाये।

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिए।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): सड़कों की ग्रेवल के कार्य आप कब तक मनरेगा में चालू करने का विचार रखते हैं एवं अन्य लोगों को भी 'अपना खेत अपना काम' योजना का लाभ कब तक देंगे?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि नरेगा के अन्दर पात्रताधारी लोगों की एक वरीयता सूची बनी हुई है, जो एक्ट 2005 की अनुसूची-1 के पैरा-5 में है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनके पास जोब कार्ड है, उनको सबसे पहले स्वीकृतियां जारी होती हैं। फिर अनुसूचित जनजाति, उसके बाद घुमंतू जनजाति, फिर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, फिर गरीबी रेखा के नीचे अन्य कुटुम्ब, बीपीएल परिवार, महिला प्रधान वाले कुटुम्ब, शारीरिक रूप से विकलांग कुटुम्ब और उसके बाद इंदिरा आवास में लाभार्थियों को और उसके बाद अधिनियम के अनुसार मान्यता प्राप्त वनवासी लोगों को... जब यह पूरी हो जाती है अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् कृषि ऋण माफी है और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यह था कि परिभाषित लघु या सीमांत किसान की भूमि, यह उनको दी जाती है। यह सारा जो मैंने निवेदन किया, इन सबको फायदा मिल जाता है, उसके बाद दूसरे लोगों को फायदा देने का कार्य प्रारम्भ होता है, इसलिये इसको हम प्रारम्भ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जितना मैंने अभी कहा कि स्कूल के अन्दर यह जो चारदीवारी मंजूर हुई है। यह कच्ची नहीं है, पक्की चारदीवारी है। माननीय सदस्य अभी पूछ रहे थे कि स्कूल की कच्ची चारदीवारी तो नहीं बनाओगे? यह स्कूल की पक्की चारदीवारी पांच फुट ऊंची है।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): यह ऊंची नहीं है। जो रास्ते टूट गये हैं, उनको बनाने के लिये नरेगा से स्वीकृतियां जारी करायें, डब्ल्यूबीएम सड़क नहीं, ग्रेवल सड़क।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठो, मिल लेना। तीसरा पूरक प्रश्न श्री नारायण सिंह देवल।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो नरेगा के तहत ग्रेवल सड़क बन रही हैं। पहले दस साल का प्रावधान था। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उसको पिछले बजट में पांच साल कर दिया है। जालौर जिले में जुलाई में ज्यादा बारिश होने से अतिवृष्टि हो गई है। साल भर पहले बनी हुई ग्रेवल सड़कें पानी में बह गयी हैं, उसमें कुछ रिलेक्सेशन देने का मैं निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि नरेगा के अन्दर जो ग्रेवल सड़क बनती हैं, उनकी पूर्व में निर्धारित उम्र दस साल थी। यानी दस साल तक वह सड़क जैसी बनायी थीं, वैसी की वैसी रहेगी। क्योंकि उसमें सोशल आडिट का प्रावधान है। साल में दो बार सोशल आडिट होती है, इसलिए कई प्रकार की परेशानियां सामने थीं। हमने उसको कम करके पांच साल किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां नरेगा में बनी हुई पूर्व सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, आप उनका प्रस्ताव बनाकर दें। हम उसमें रिलेक्सेशन देकर सबको एकजाई करके सबकी स्वीकृतियां जारी कर देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला सवाल, श्री हीरालाल जी।

## पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन कृषि उपज मण्डी की स्थापना

**262. श्री हीरालाल** (निवाई): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नई कृषि मण्डी खोलने के क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड मुख्यालय

(श्री हीरालाल)

पीपलू में नई कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**कृषि मंत्री** (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) राज्य में नयी कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु आदेश दिनांक 20.3.2012 द्वारा 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उपखण्ड मुख्यालय पीपलू कृषि उपज मण्डी समिति टोंक का गौणमण्डी यार्ड है। नई कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने के कारण वर्तमान में गौणमण्डी यार्ड पीपलू को स्वंतत्र मण्डी बनाया जाना सम्भव नहीं है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि झिराणा गौणमण्डी है उसको या तो आप क्रमोन्नत कर दें...

**श्री अध्यक्ष**: पूछिए अपना अगला सवाल।

**श्री हीरालाल** (निवाई): ...या फिर आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलू उपखण्ड में कहां बना सकते हैं, कृपया वहां मण्डी बना दें, क्योंकि टोंक मण्डी में तो हम एक तरह से गुलाम हो रहे हैं। वे टोंक मण्डी वाले ध्यान नहीं देते, पीपलू को तो ऐसे समझते हैं, जबकि 25 पंचायतें मेरी हैं, 25 पीपलू की हैं तो हम उनके गुलाम हो रहे हैं। मंत्रीजी कुछ ध्यान दें। हम टोंक मण्डी के गुलाम हैं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये, विराजिये। आप यहां पर गुलाम नहीं हैं, स्वतंत्रता से सवाल कीजिए।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक के अध्यक्ष और सैक्रेटरी परवाह ही नहीं करते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने झिराणा मण्डी बनाने की जो बात कही है, मैं

(श्री प्रभू लाल सैनी)

आपके माध्यम से सदन में जानकारी देना चाहूंगा मण्डियों के गठन के बारे में, स्वतंत्र मण्डी बनाने के बारे में प्रावधान बने हुए हैं कि सुपर 'ए' क्लास की मण्डी में, अगर पांच करोड़ से अधिक आय होती है तो उस मण्डी को हम 'सुपर ए' बनाते है, साढ़े तीन करोड़ में 'ए' क्लास, दो करोड़ में 'बी' क्लास और 75 लाख में 'सी' क्लास और 'डी' श्रेणी के लिये 40 लाख रुपये का प्रावधान बना हुआ है। अभी वर्तमान में आप जिस मण्डी की बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा पीपलू में, कोई भी मण्डी समिति गठन के प्रावधान में डिस्टेंस लगभग बीस किलोमीटर तक हो, 15 व्यापारी रजिस्टर्ड पंजीकृत हों, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं तो इतना कह सकता हूं पीपलू को स्वतंत्र मण्डी बनाने के लिए अभी हम लोगों ने कोशिश भी की थी लेकिन वहां की जो इनकम आई है, वह इनकम 2017-18 में 1 लाख 75 हजार रुपये आई है। अब वह वाइबल नहीं हो सकती क्योंकि संस्थापन व्यय भी होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधायक जी को मैं कहना चाहूंगा, यदि व्यापारियों की संख्या नोर्म्स के आधार पर वहां पर 15 से 20 बढ़ती है और जमीन का यदि चिन्हीकरण होता है तो निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करने का, गौण मण्डी तो रहेगी वह, लेकिन उस मण्डी को थोड़ा-सा और अपग्रेड करके कोशिश करेंगे कि वहां के व्यापारियों, वहां के किसानों को इसका लाभ मिल सके।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहेला में आपने बहुत अच्छा काम किया और माननीय मंत्री महोदय, एक ऐसी मण्डी बनाई है, मेरे खयाल से टोंक जिले में तो ऐसी और कोई मिर्च मण्डी नहीं है लेकिन उस मिर्च मण्डी में करोड़ों रुपया सरकार का लग गया। अब उसका कोई उपयोग तो हो सकता है। मैंने अभी केकड़ी में मण्डी देखी है, जो गौण मण्डी है। शायद आपके 'ए' ग्रेड मण्डी से भी बहुत बढ़िया मण्डी है तो कुछ विचार करें, मेरा आपसे अनुरोध है। सोहेला के लिए आपका क्या विचार है? सोहेला तो बिलकुल खाली पड़ी है। लोग कब्जा कर लेंगे, करोड़ों रुपये सरकार के लगे हैं। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय जी उधर भी ध्यान दे दें, सोहेला में।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय विधायक जी ने कहा, सोहेला में जो मण्डी बनी है, वह मिर्च

(श्री प्रभू लाल सैनी)

की स्पेशल मण्डी बनाई गई थी। टोंक में मिर्ची का जिस प्रकार का उत्पादन हुआ करता था, अब वहां पर उत्पादन बहुत कम हो गया है, नगण्य-सा हो गया है। आज मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा कि सोहेला की जो मण्डी है उसमें सभी जिंसों का व्यापार हो और जिन लोगों को दुकानें हमने आबंटित की हैं, उनको अंतिम नोटिस देंगे ताकि दुकानों का निर्माण वह कर सकें और इस मण्डी में भी सारे अनाज, दलहन और पल्सेज जो भी बिकने के लिए आएंगे उसकी व्यवस्था शीघ्र शुरू करवा देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नंबर एक श्री पब्बाराम जी। बैठिए आप।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड ही है ज्यादा नहीं है साहब।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिए आप। पब्बाराम जी।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपलू वाले में भी जवाब मिल जाएगा।

**श्री हीरालाल** (निवाई): कृषि मंत्रीजी मेरा अनुरोध है कि सोहेला को देखें और झिराणा मण्डी के लिए कुछ करें। 15 व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन मैं करवा दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: कर रहे हैं। पब्बाराम जी।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, झिराणा के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उसका अध्ययन करा लेंगे। कितना डिस्टेंस उसका दूसरी स्वतंत्र मण्डी से पड़ता है और यदि वाइबल होगा तो निश्चित रूप से, हम लोग वैसे भी कोशिश करते हैं कि कम दूरी पर मण्डी की स्थापना हो जाए तो किसानों को अपने माल को बेचने में दूरी पर नहीं जाना पड़े। झिराणा के बारे में मैं परीक्षण करा लूंगा और यदि उपयुक्तता पायी जाती है तो निश्चित रूप से आगे की कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: श्री पब्बाराम।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि पीपलू से अलग होकर कोई नयी मण्डी बनाते हैं और उसके लिए भूमि अलाटमेंट की जाती है। उस भूमि की जो रेट है, वह इतनी अधिक होती है कि कोई गौण मण्डी दे ही नहीं सकती। हमारे यहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि 6 करोड़ रुपया

(श्री पब्बाराम)

उस मण्डी को देने के लिए, बाप की मण्डी को देने के लिए कहा जा रहा है। न 6 करोड़ रुपये हम दे पाएंगे और न उस मण्डी के लिए जमीन मिलेगी और न ही उस मण्डी को शुरू कर पाएंगे। क्या माननीय मंत्रीजी यह चाहेंगे कि रियायती दर पर उनको भूमि अलाटमेंट किया जाए? धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जमीन के आबंटन के बारे में अधिक कीमत की बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा, मण्डी समिति कामर्शियल संस्थाएं होती हैं और मण्डी समिति को एस्टेब्लिश करने के लिए या तो हमको लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, जो डीएलसी रेट के आधार पर उसको एक्वायर करते हैं, या फिर कोई सिवायचक जमीन होती है। उसकी भी कीमतन जो डीएलसी रेट है, उसके आधार पर सरकार इन मण्डियों को उपलब्ध कराती हैं। जहां तक दुकान आबंटन का सवाल है, दुकान आबंटन के बारे में निवेदन करूंगा कि उसमें पालिसी में एक फार्मूला तय किया हुआ है कि उसमें कोस्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट वगैरह होता है, उसको जोड़ते हुए, और इसके अलावा डीएलसी की जो रेट है, उन दोनों की गणना के पश्चात् ही हम लोग व्यापारियों को दुकान आबंटन करने की कार्यवाही करते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

**श्री राजेन्द्र सिंह भादू** (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सब जगह कृषि उपज मण्डी समितियों में अनाज मण्डियों का, गौण मण्डियों का ठीक ढंग से संचालन हो रहा है। लेकिन विशेष रूप से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं सूरतगढ़ के आसपास और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलो में कृषक काफी सब्जी का उत्पादन करते हैं। वहां सब्जी मण्डी बहुत ही छोटी होने की वजह से वहां पर ना तो व्यापारी रहते हैं, ना ही कोई इस तरह की व्यवस्था है। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सूरतगढ़ में हम रियायती दर भूमि उपलब्ध करवा कर और सरकार चाहे तो सरकारी भूमि को अपने स्तर पर लेकर मुहाना मण्डी जो जयपुर में बनी है, उस तरह की कोई सब्जी मण्डी का वहां निर्माण करें और मण्डी यार्ड बनाया जाए। हमने भूमि के लिए भी प्रस्तावित कर रखा है कि हमारे पास जो 100-200 बीघा भूमि है, वह पूरी देने के लिए तैयार हैं। कृषक

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनको इस मण्डी से राहत मिल सकती है। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह की कोई चर्चा हो सकती है? क्योंकि सूरतगढ़ से सीधा हमारी सरकार ने एक हाईवे भी दिल्ली के लिए घोषित कर रखा है, जल्दी ही उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। बहुत ही जरूरी है और सूरतगढ़ में जगह भी उपलब्ध है। वहां एक फल एवं सब्जी मण्डी का निर्माण करवाने की व्यवस्था करवाएं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ में जहां सब्जी मण्डी की आप बात करे हैं, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कोई भी फल-सब्जी मण्डी या यार्ड बनता है, जैसा कि मैंने आपको सारे नोर्म्स बताए, उन नोर्म्स के आधार पर बनता है। लेकिन इसके बाद में भी यदि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने या किसानों की सुविधा के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी तो निश्चित रूप से परीक्षण करवाकर उस पर मैं कार्यवाही करूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: संजना आगरी। तीसरा पूरक प्रश्न।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी, अभी पिछले दिनों सरकार के इंस्ट्रक्शन्स थे, निर्देश थे कि सारी मण्डियों के अन्दर चाहे अनाज मण्डी हो, चाहे फल मण्डी हो, चाहे कृषि मण्डी के अन्दर मेहंदी की मण्डी हो, सारी मण्डी के अन्दर प्लेटफार्म खाली करवा दिए गए थे। मेरा निवेदन है कि अनाज की फसल का दाना इतना सेंसेटिव नहीं होता है जितना मेहंदी का पत्ता होता है। मेरे यहां पर फल मण्डी, अनाज मण्डी और कृषि मण्डी तीनों ही मण्डियां अलग-अलग बनी हुई हैं और इकोनोमिकल दृष्टि से सोजत विश्वस्तरीय मेहंदी के लिए विख्यात रहा है। मेरा माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि पिछले 15 दिनों से सोजत मेहंदी मण्डी के अन्दर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। किसानों के अन्दर रोष है। मेरा आपसे निवेदन है मेहंदी का पत्ता क्वांटिटी के अन्दर ज्यादा होता है, वज़न के अन्दर कम तुलता है तो वह किसान घर के अन्दर भी नहीं रख सकता है। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि मेहंदी मण्डी के अन्दर किसान जो भी अपनी मेहंदी लेकर आता है, उनको बिकवाली होने तक यार्ड के अन्दर नीलामी चबूतरे के अन्दर मेहंदी के बोरे रखने के आप आदेश प्रदान कराएं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में सोजत की मण्डी मेहंदी के रूप में जानी जाती है।

**श्री अध्यक्ष**: मशहूर है।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): आपने प्लेटफार्म को खाली कराने की बात कही है। विभाग के द्वारा यह तय किया गया है कि जितने भी आक्शन प्लेटफार्म बने हुए हैं, वहां सिर्फ किसानों को अधिकार है कि वह अपने माल को लाकर उस पर रखें, उसको बेचें। लेकिन प्राय: ऐसा देखा गया है कि व्यापारीगण सारा माल वहीं पर चार-चार महीने तक पटके रखते हैं। इससे जो भी किसान नयी क्रोप को लेकर आता है, नयी मेहंदी के पत्ते लेकर आता है, उसको इधर-उधर सड़कों पर डालना पड़ता है। इसलिए किसानों के हित में हम लोगों ने पूरे राजस्थान में फैसला किया है कि मण्डी यार्ड के जितने आक्शन प्लेटफार्म बने हुए हैं, उनको खाली किया जाए और सिर्फ उनका उपयोग किसान के लिए, जब अपना माल वह लाए, उनको बेचे और एक लिमिट टाइम तक उसके प्रावधान किए हुए हैं। लेकिन दो-दो, चार-चार, छह-छह महीने तक व्यापारी उसको खरीद कर उसी प्लेटफार्म पर रखते हैं जबकि बिक्री होने के बाद व्यापारी अपने-अपने गोदाम बनाएं और अपनी व्यवस्था करें। किसान हित में हम लोगों ने यह फैसला किया है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। अगला सवाल, श्री शुभकरण चौधरी।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): निवेदन है कि इसके लिए अगर एक्स्ट्रा चार्ज काउंट करें तो आप वह भी कर दें।

**श्री अध्यक्ष**: हां, वह बात कर लेना आप। कर देंगे। श्री शुभकरण चौधरी।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। 6-6 महीने तक माल पड़ा रहता है। जब माल के भाव आएंगे तो कम से कम ज्यादा नहीं तो दो महीने के लिए तो आप रियायत दें।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिए। विचार कर लेंगे।

## झुंझुनूं जिले में क्रीड़ा संस्थान खोलने की योजना

**263. श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शुभकरण चौधरी)

(1) क्या सरकार झुंझुनूं जिले में खेल विश्वविद्यालय के स्थान पर क्रीड़ा संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त संस्थान का कार्यालय प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्यालय में स्टाफ व अन्य क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संस्थान को शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (युवा मामले एवं खेल मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। झुंझुनूं में क्रीड़ा संस्थान खोले जाने के संबंध में इसी वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा की गई है।

(2) जी नहीं। क्रीड़ा संस्थान के संबंध में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्रारम्भिक कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

(3) जी हां। झुंझुनूं में क्रीड़ा संस्थान खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जिज्ञासा यह थी कि झुन्झुनूं जिले में क्रीड़ा संस्थान कब तक खोले जाने का विचार है? कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यह तो बजट में घोषणा हो गई। पर, वहां स्टाफ की नियुक्ति कब तक हो जाएगी? वहां पर यह संस्थान कब तक चालू हो जाएगा? मैं तो यह जानना चाहता था। वहां के खिलाड़ी इस बात के लिए बहुत आतुर हैं कि स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की जगह चाहे हमें क्रीड़ा संस्थान ही मिला हो, पर वह क्रीड़ा संस्थान कब तक चालू हो जाएगा और उसमें स्टाफ की नियुक्ति कब तक हो जाएगी? यही प्रश्न था।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी इसी 10 फरवरी को बजट में झुंझुनूं के अन्दर राज्य क्रीड़ा संस्थान खोलने की घोषणा हुई है। इससे पहले 2011-12 में तत्कालीन सरकार के समय पीपीपी मोड पर झुंझुनूं में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खोलने की घोषणा हुई। उसके बाद 2013-14 में फिर घोषणा की गई और यह कहा गया कि अब यह पीपीपी मोड पर नहीं, राजकीय क्षेत्र में खोली जाएगी। फिर इस यूनिवर्सिटी का एक्ट राजस्थान विधान सभा में आया और उसके बाद दोरासर में इसके लिए 50 हैक्टेयर जमीन भी ले ली और फिर किसी राणावत साहब को इन्होंने कुलपति लगा दिया। पिछली सरकार के सामने तो यह बात हुई। चूंकि इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, 31 करोड़ रुपये की राशि इस वित्तीय वर्ष के अन्दर इसके लिए आरक्षित हुई है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जुलाई में हम किराये का भवन लेकर, झुंझुनूं का स्टेडियम है उसकी आधारभूत संरचनाओं का इसमें इस्तेमाल करके निश्चित तौर पर जुलाई से इसको प्रारम्भिक तौर पर प्रारम्भ कर देंगे।

इसके लिए सबसे पहले विभिन्न खेल और विषय पर जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं, वह प्रारम्भ कर रहे हैं, जो 6 सप्ताह से 45 दिन के होंगे। खेल विशेष में डिप्लोमा दस माह का होगा, इसको भी कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप कहें तो मैं वह सारे कार्य जो जुलाई तक होना प्रस्तावित हैं जिनमें खेल मैदान की सुविधाओं के लिए तीन करोड़ रुपये की लागत, खेल उपकरणों के लिए एक करोड़ की लागत, अध्ययन और क्लास रूम के लिए पांच करोड़ की, यह सारी राशि बता दूं। चूंकि इसमें आधारभूत संरचानाओं का निर्माण अभी होना बाकी है। पहले किराये पर कमरे को लेकर, होस्टल हेतु भी कोई किराये का भवन ढूंढकर हम जुलाई माह के अन्दर निश्चित तौर पर प्रारम्भ करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार स्पोर्टस यूनिवर्सिटी तीन साल तक खुलती और बंद होती रही, क्रीड़ा संस्थान भी उसी रास्ते पर नहीं चला जाए। माननीय मंत्री महोदय ने जैसा बताया कि जुलाई तक खोल दिया जाएगा, इसके लिए धन्यवाद। मैं इतना ही जानना चाहता था।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, आपने अभी स्वयं ने अपने उत्तर में माना है कि इसी सदन ने झुंझुनूं खेल यूनिवर्सिटी सरकारी क्षेत्र में खोलने के

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

लिए विधेयक पास किया। विषय लगा दिया, विशेष अधिकारी लगा दिए तो क्या सरकार उस खेल यूनिवर्सिटी के एवज में ही संस्थान खोल रही है? अगर सरकार उस खेल यूनिवर्सिटी को बंद कर रही है तो क्यों बंद कर रही है?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कई बार चुनाव में वोट की फसल काटने के लिए कई प्रकार के निर्णय सरकारों को करने पड़ते हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान स्पोर्टस यूनिवर्सिटी झुंझुनूं एक्ट 2013 पारित हुआ। इसमें पहले पीपीपी मोड पर, फिर सरकार का बनना था। इसमें बजट का प्रावधान 5 लाख रुपये का किया। 5 लाख रुपये में झुंझुनूं में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी बन जाए, यह सम्भव ही नहीं था, इसलिए कागजी बात कागजों में खो गई। इसको मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पटियाला की तर्ज पर, यह देश के अन्दर दूसरा स्पोर्टस इंस्टीट्यूशन होगा पटियाला के बाद, जिसको खोलने की बात की गई है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जुलाई तक हमारी सारी प्रारम्भिक तैयारी करके, चूंकि इसी वित्तीय वर्ष में 31 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य, जुलाई तक निश्चित तौर पर झुंझुनूं की धरती पर खिलाड़ियों को खेलते हुए आपको दिखाएंगे।

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): खेल यूनिवर्सिटी को बंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो?

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री शंकर सिंह।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: आ गया। पब्बाराम जी का भी आ गया। अगला सवाल कीजिए।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष**: पब्बाराम जी, हां आप कीजिए सवाल।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल मंत्रीजी अक्सर घोषणा करते रहते थे कि हम लोग हर पंचायत समिति स्तर पर क्रीड़ा स्थल बनाएंगे और 80 लाख का इनडोर व 80 लाख का आउटडोर स्टेडियम बनाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: खेल विश्वविद्यालय से...

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या उस योजना के बारे में सरकार विचार कर रही है, मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। अगर जवाब हो तो दे दीजिए, बाकी सवाल रेलेवेंट नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हर ग्राम पंचायत पर खेल मैदान विकसित करने की सरकार की योजना है। नरेगा के अन्दर हमने इसको अनुमत्त कर रखा है। हमारा प्रयास भी है क्योंकि यह सवाल इस सवाल से संबंधित नहीं है, मैं आंकड़े लेकर नहीं आया पर, हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला सवाल, श्री घनश्याम महर।

## भरतपुर संभाग के बुनकरों को देय अनुदान

**264. श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बुनकर/हाथकरघा योजनाएं कब से प्रारम्भ की गईं? उक्त योजनाओं में बुनकरों को क्या-क्या लाभ दिये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं के तहत गत चार वर्षों में भरतपुर संभाग के जिलों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के बुनकरों को सरकार द्वारा लाभ व अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो जिलेवार लाभान्वित बुनकरों व वंचित बुनकरों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संभाग के बुनकरों को विशेष अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक?

**उद्योग मंत्री** (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) जी नहीं। प्रदेश में बुनकर/हाथकरघा योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, हमारी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बुनकरों के लिए पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा था। आप जब

(श्री घनश्याम)

सत्ता में आए तो आते ही आपने उस राशि को बंद करने का काम किया। बुनकर का धंधा करने वाले सभी एस.सी. समुदाय के लोग हैं। ऐसी स्थिति में पिछली कांग्रेस सरकार ने उनके लिए कई योजनाएं लागू की थीं, उन योजनाओं को आपने बंद करने का काम किया।

इसके साथ-साथ, प्रदेश में बुनकर व हाथकरघा उद्योग करने वाले लोग हैं वह ऐसी बहुत सारी चीज़ें निर्मित करते हैं जो देश-विदेश में जाती हैं। प्रदेश में इस तरह की योजनाएं हैं, क्या आप उनको लागू करना चाहेंगे? बुनकर और कुटीर उद्योग, छोटे धंधे करने वाले लोग हैं, क्या आप उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे? इस योजना को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे? मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसका विस्तृत जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 2013 में जाते-जाते आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने 5-5 हजार रुपये वर्किंग केपिटल और इक्विपमेंट्स के नाम पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी। उस साल 5-5 हजार रुपये 2013-14 में 500 बुनकरों को दिये गये। आपके संभाग में 72 लोगों को दिया गया। मोटी बात यह नहीं है, 5-5 हजार रुपये अनुदान से कोई हाथकरघा या बुनकर के रूप में काम करने वाला आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। यह चुनावी रेवड़ी तो हो सकती है लेकिन रेवड़ियों के आधार पर उसके जीवन का निर्माण हो जाए, वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यह सम्भव नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई दो-राय नहीं है कि बुनकर और हाथकरघा में काम करने वाले लोगों के जीविकोपार्जन और मार्केट के साथ सीधी एक्सेस के साथ सरकार को काम करना चाहिए। सरकार ने इसी चिंता के साथ काम करना शुरू किया। 2013-14 की घोषणा के बाद 5-5 हजार रुपये तो नहीं दिए क्योंकि 2013-14 की घोषणा 2013-14 के लिए ही थी।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): पांच हजार रुपये .....

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): आप विराजें। 2013-14 की घोषणा 2013-14 के लिए ही थी, वह योजना कोई परमानेंट योजना नहीं थी। 2013-14 में चुनाव हो गए और 2013-14 के लिए वह घोषणा थी। मोटी बात

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

है कि मार्केट की डिमांड बदल रही है, मार्केट की डिमांड बदलने के साथ-साथ हमारा प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड के साथ संबंध स्थापित करें, इसकी चिंता करने का प्रश्न है।

दूसरा सवाल है कि आर्टिजन के बीच, बुनकर और बाजार के बीच जो अंतर है, एक सामान जो बुनकर बनाता है, घर में उसकी कोस्ट है वह बहुत कम है, बाजार में बिकता है, दिल्ली के बाजार में बिकता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बीच की कीमत खाने वाले लोग चले जाते हैं। वह बिचौलिए खा जाते हैं, बुनकर को नहीं मिलता। इसकी चिंता करने के लिए, मार्केट एक्सेस कैसे डवलप हो, आर्टिजन की कंज्यूमर के साथ कनेक्टिविटी कैसे पैदा हो, बुनकर का स्किल डवलपमेंट कैसे हो, इन तीन डायमेंशंस पर हमने काम करना शुरू किया। पहला काम था डिजाइन डवलपमेंट का। बदलते बाजार की मांग के अनुसार किस प्रकार से डिजाइन डवलपमेंट किया जाए, इस साल ही हमारा टारगेट 250 डिजाइन डवलप करने का है। मुझे कहते हुए खुशी है कि अभी तो मार्च पूरा गया ही नहीं है और 250 के टारगेट के अगैन्स्ट हमने 246 डिजाइन डवलप कर ली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेले और एग्जीबिशन के माध्यम से हम डायरेक्ट उस कंज्यूमर के साथ उस आर्टिजन या उस बुनकर का संबंध स्थापित कर पाएं, ताकि वह सही और वाजिब कीमत पर कंज्यूमर को दे पाएं, इसके लिए हमने एग्जीबिशन और मेले लगाए। इस बार 40 मेले और एग्जीबिशन आर्गेनाइज करने का टारगेट था। हम अभी तक 40 के टारगेट के एवज में 45 मेले और एग्जीबिशन इस काम के लिए लगा चुके हैं।

इसके अलावा तीसरी चीज है स्किल डवलपमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्किल डवलपमेंट के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि 25-25 बुनकरों के बैच में उनका स्किल डवलपमेंट किस प्रकार से किया जाये, अलग-अलग जा करके, 25-25 के बैच के अन्दर बुनकर के स्किल डवपलपमेंट के लिये काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभी तक हमने डेढ़ सौ का टारगेट लिया था बुनकरों की स्किल अपग्रेडेशन का, डेढ़ सौ में से सौ लोगों का स्किल अपग्रेडेशन हम कर चुके हैं। मार्केट के अरेंजमेंट के तहत हम राजकीय विभागों में वस्त्रों की आपूर्ति भी राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन या बुनकर संघ के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हैं। इस प्रकार से मोटी बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि बुनकरों को अपने पांव पर किस प्रकार से खड़ा कर पायें और बुनकरों की मार्केट में सीधी एक्सेस कैसे बने, इसकी चिंता कर पायें। इस दृष्टि से सरकार ने बहुत बड़ी तादाद में काम करना शुरू किया है। हमें इसमें सफलता भी मिली है और मैं समझता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के अन्दर और किस प्रकार से बुनकरों का स्ट्रेंथन किया जाये, इसकी हम कोशिश करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): गोविन्द सिंहजी को पूछ लेने दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: पहले गिर्राज सिंह। नहीं, गिर्राज सिंह का पहले आयेगा।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो, नो। ऐसा नहीं होता है। वे कह दें कि इनको... (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैंने बटन भी दबाया है।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं होता है। मैंने कहा, बैठिये। मैंने कहा, गिर्राज सिंह के बाद लूंगा आपका।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): मैं पूछ लेता हूं अध्यक्षजी।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये आप। इनको पूछ लेने दो।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): मैं पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से सिर्फ इतना कहना है कि ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: ऐसा नहीं होता है। गिर्राज सिंह। हो गया, आप बैठिये। गिर्राज सिंह को पुकार लिया मैंने। (व्यवधान) गिर्राज सिंह को पुकार लिया। मिस्टर घनश्याम।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या आप इन योजनाओं को लागू रखेंगे? पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि है, उसको सरकार पुन: लागू रखेगी या बंद कर देगी?

**श्री अध्यक्ष**: मिस्टर घनश्याम, मिस्टर घनश्याम, बैठिये।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): और आप यह बता दें कि क्या सरकार इन बुनकर योजनाओं के लिये मूल सहायता देने का विचार रखती है? पांच हजार रुपये तो आपने बंद ही कर दिये। इसके अलावा आपने बहुत सारे लम्बे-चौड़े

(श्री घनश्याम)

भाषण दिये कि स्किल डवलपमेंट करेंगे, यह करेंगे पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये आपकी क्या योजना है?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये, विराजिये। गिर्राज सिंह। पहले गिर्राज सिंहजी का सवाल आ जाये, दोनों साथ दे देना। इनका भी सवाल सुन लीजिये। दोनों साथ में दे देना।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक चीज पूछना चाहता हूं कि सुराज संकल्प यात्रा में जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, आपने कभी इस पर गौर किया? आपकी मुख्य मंत्रीजी अभी धौलपुर में गयीं। एक एस.सी. की दुकान पर जाकर चाय पीती हैं और चाय पीने के अलावा वापस जाकर बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। (व्यवधान) वहां जाकर बातें करते हैं कि हम लोगों ने बुनकरों के लिये यह किया और सुराज संकल्प यात्रा में, पेज नम्बर 46 पर मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने घोषणा की है, निदेशक के लिये आदेश किये हैं कि बुनकरों के लिये एक लाख रुपये तक की छूट दी जायेगी। उनको लोन दिया जायेगा। उसका क्या हुआ? सरकार क्या करना चाह रही है? माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि यह घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है, जो सही है या गलत है? पहले तो मात्र हमें इसका जवाब चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये, विराजिये।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): यह बतायें आप। बिंदु संख्या 24-25, सोरी 23-24, सोरी, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) बैठें क्यों, आपकी परमीशन लेकर खड़ा नहीं हुआ था। आप कौन होते हैं मुझे बैठाने वाले?

**श्री अध्यक्ष**: आप स्वयं ही बैठ जाइये। कोई नहीं बैठाएगा आपको।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी एस.सी. के घर पर जाकर मुख्य मंत्री चाय पिएं, कांग्रेस के सदस्यों की इस बात की तकलीफ को मैं समझ सकता हूं।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): यह तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): मंत्री महोदय, काम करके दिखाओ। यह ड्रामा से काम नहीं चलेगा। एस.सी. के घर पर आप चाय पियो, खाना खाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है कि एस.सी. का नाम लेकर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और एस.सी. के लोगों का एक भी काम नहीं करना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये, मिस्टर गिर्राज सिंह।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): एस.सी. के लोगों के संग जगह-जगह बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, यह काम हो रहा है। आप सिर्फ इसकी बात करते हैं।

**श्री सुखाराम** (मेड़ता): आपको पता नहीं है। आपने बजट पढ़ा नहीं है। एस.सी.डी.सी. में दो लाख का कर्ज माफ किया है। (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र** (डग): कांग्रेस का कहां पर है। एस.सी. के लोगों को गुमराह करने का काम तो कांग्रेस का है। (व्यवधान) आपको कहां दिक्कत आ रही है इस बात की।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): चाय पीना अच्छी बात है पर उनकी योजनाओं ...(व्यवधान)

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): घोषणा की है। धौलपुर आकर घोषणा की, उसका क्या हुआ?

**श्री कैलाश वर्मा** (संसदीय सचिव): बुनकरों का और इनका, सबका लोन माफ किया है गवर्नमेंट ने। अम्बेडकर भवन बनाया है हर नगरपालिका क्षेत्र में।

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त करें।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाते रहते हैं, उनको भी आप थोड़ी सीख दें।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये आप। बीच में खड़े मत होइये, बैठिये।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि चुनाव के डर से पांच-पांच हजार रुपये की रेवड़ी बांटने में हमारा कोई इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन, बुनकर किस प्रकार से समर्थ हो पाएं और बुनकर को सही रूप में किस प्रकार से सहायता मिल पाये, इसकी चिंता करने के लिये, आप जानते हैं इन बुनकरों को और हाथकरघा में काम करने वाले लोग, हमारी दो प्रमुख योजनाओं से जुड़े हुए हैं। एक का नाम है प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और दूसरा, भामाशाह रोजगार सृजन कार्यक्रम है। इन दोनों योजनाओं के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): इन योजनाओं के तहत लाभ बता दीजिये।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): लाभ बता रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ...(व्यवधान) हमने 2013-14 के अन्दर कुल मिलाकर लोगों को रिलीफ दी, वह रिलीफ थी 2034 यूनिटस...(व्यवधान) रिलीफ का अमाउण्ट 5421 लाख रुपये और 13428 लोग इससे लाभार्थी हुए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था।

**श्री अध्यक्ष**: यह उनको अपना सवाल दे चुके। (व्यवधान) उन्होंने पूछ लिया आपकी तरफ से। (व्यवधान)

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): 2017-18 में 1856 यूनिट्स और 3674 लाख रुपये। भामाशाह रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके तहत ब्याज का अनुदान माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 प्रतिशत था, उस अनुदान को 4 प्रतिशत से बढ़ा करके हमने 6 प्रतिशत कर दिया। 2013 से लेकर 2018 तक 2330 लोगों के हमने 247 करोड़ रुपये सैंक्शन किये। 2017-18 में 6729 सैंक्शंस कीं, 98 करोड़ रुपये की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपने सुराज संकल्प की बड़ी चिंता की है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सुराज संकल्प-यात्रा के दौरान सुराज संकल्प-पत्र में हमने कहा था कि एक लाख रुपये बुनकरों की समिति और बुनकरों के एक लाख रुपये, मूल कर्ज पर लगने वाले ब्याज को हम माफ करेंगे। यह योजना केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50 प्रतिशत की है। हमने कहा कि इस ब्याज को माफ कर देंगे, अपने 50 प्रतिशत को, और 50 प्रतिशत दिल्ली की सरकार भी माफ करने की मंशा रखती है तो हम सौ प्रतिशत माफ कर देंगे। हमने दिल्ली को पत्र लिखा है और दिल्ली से इस बारे में, कहीं न कहीं, 50 प्रतिशत का जो उनका शेयर है उसके ब्याज की माफी करने को तैयार हैं तो 100 प्रतिशत की माफी कर देंगे और वे 50 प्रतिशत की माफी करने को तैयार नहीं होंगे तो अपने वाले 50 प्रतिशत के हिस्से के अन्दर उस ब्याज की हम माफी कर देंगे।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बुनकरों को अपने पांवों पर खड़े करने की चिंता के साथ में, गम्भीरता के साथ में इस सरकार ने काम किया और आपने जाते-जाते पांच हजार रुपये दे करके बुनकरों को खरीदने की कोशिश की, वह शर्मनाक है।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): अब सरकार आपकी है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हैण्डलूम कारपोरेशन के माध्यम से, बुनकर संघ के माध्यम से और बाहर की एजेंसियों को साथ ले करके हमने... माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि खादी जैसे वस्त्रों पर, जहां बुनकर काम कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल मैप पर जाकर कैसे खड़ा किया जाये, इसके लिये हमने हैरिटेज वेट लिया और बीबी रसेल जैसी इंटरनेशनल पर्सनेलिटी का इस्तेमाल करके कोटा डोरिया और बाकी जगह काम करने का जो काम हमने किया है, उससे आम बुनकर की जिंदगी, जो साइकिल पर चलता था, आजकल कार में घूम रहा है। पांच हजार रुपये की रेवड़ी से काम नहीं चला। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बुनकरों को अपने पैरों पर खड़ा करने की बहुआयामी योजनाओं पर राजस्थान की सरकार काम कर रही है।

**श्री अध्यक्ष**: शंकरसिंह राजपुरोहित, दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): आ गया, जवाब आ गया।

**श्री अध्यक्ष**: आ गया। अगला सवाल, शंकर सिंहजी।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी इजाजत से इतना ही पूछ रहा था कि ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बीच में नहीं, बीच में नहीं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपने सवा चार साल में, दोनों जगह आपकी सरकार, बुनकरों को एक रुपये का भी एक लाख का वादा करके, दिया क्या?

**श्री अध्यक्ष**: मिस्टर डोटासरा, बीच में नहीं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह बता दो मंत्री महोदय, सरकार को चिट्ठयां भेज रहे हैं। सरकार आपको लव लैटर भेज रही है। आपने एक रुपये का भी दिया क्या?

## ब्यावर को जिला बनाने की योजना

265. **श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जैतारण, रायपुर, ब्यावर, टाटगढ़, मसूदा, भीम, विजयनगर तथा बदनोर तहसीलों को मिलाकर ब्यावर को जिला बनाने का

(श्री शंकर सिंह)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, राजस्व** (श्री अमराराम): माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई बजट घोषणा अनुसार राज्य में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को सह सीमान्त क्षेत्राधिकार कर प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठन/सृजन किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसका अभिलेख अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अभिलेख/रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न।

**(12.00 बजे)**

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ब्यावर, बालोतरा और ऐसे जो अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, उनको क्या सरकार जिला बनाने की मानसिकता रखती है? यह मेरी प्रार्थना है। पूर्ववर्ती सरकार ने तो पूरा समय निकाल दिया। हमने पूरा संघर्ष किया लेकिन फिर भी ब्यावर को जिला नहीं बनाया गया।

**श्री अध्यक्ष**: अब आप उनसे मिल लेना, उनसे बात कर लेना। प्रश्नकाल समाप्त। अब आप विराजिये।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): धन्यवाद, साहब।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्नकाल समाप्त।

## संदेश

## पुनर्विचार हेतु लौटाये गये राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 सम्बन्धी राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान अपार्टमेन्ट स्वामित्व विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-13) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

**'Message**

WHEREAS, the Rajasthan Apartment Ownership Bill, 2015 (Bill No.

(श्री अध्यक्ष)

13 of 2015) was reserved for consideration and assent of Hon'ble President, in pursuance of the Provisions of Article 254 (2) of the Constitution of India.

AND WHEREAS, the State Government has decided that the provisions contained in sections 3(n), which defines "Deed of Apartment" is intended to be amended as "Deed of transfer of Apartment" and sections 6, 11 (1), 11(2) of the Bill, being repugnant to the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and few other incidental and ancillary provisions thereto, were also required to be amended as per suggestions of various Central Ministries and Departments, therefore, on the request of the State Government, the said Bill has been withdrawn.

NOW, THEREFORE, I, Kalyan Singh, Governor of Rajasthan, in pursuance of the first proviso to article 200 of the Constitution of India, do hereby return the Bill and request the House of the State Legislature that the Bill be reconsidered accordingly.

(Kalyan Singh)
Governor, Rajasthan'

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से राज्य के अधिकारों का हनन है। माननीय राज्यपाल महोदय का यह जो संदेश है, वह राजस्थान सरकार के अधिकारों का हनन है।

**श्री अध्यक्ष**: चलो, विराजिये आप।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(2) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उपखण्ड नादौती में किसानों के आमरण अनशन के बाद सरकार द्वारा मानी गई मांगों की क्रियान्विति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों को ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक व अन्य पदों पर समायोजित करने के संबंध में।

(4) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में आर.टी.डी.सी.

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा संचालित कई होटल व मोटल को बंद करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों के चयन में पारदर्शिता नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले के गाडोलिया लौहारों को भूखण्ड आबंटित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ए.सी.जे.एम. कोर्ट नहीं होने से आम जन व वकीलों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(8) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों को ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक व अन्य पदों पर समायोजित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मेवाराम जैन, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री राजेन्द्र सिंह यादव एवं श्री गोविन्द सिंह डोटासरा को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से प्रदेश में जोगी एवं मुस्लिम समाज के लोगों को श्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु जमीन उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. पर महिला चिकित्सक लगाने एवं एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के लोक उत्सवों को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने के संबंध में।

(4) श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम अमरपुरा एवं लुढ़ावा के बीच घग्घर नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में।

(5) श्रीमती अनिता कटारा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति गलियाकोट की 16 ग्राम पंचायतों का कार्य क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सागवाड़ा किये जाने के संबंध में।

(6) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर के प्राथमिक स्कूलों को सैकण्डरी स्कूलों में तब्दील किये जाने से हो रही परेशानी के संबंध में।

(7) श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, सदस्य की ओर से नागौर जिला मुख्यालय पर सीवरेज लाइन का कार्य धीमी गति से होने के कारण आम जन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(8) श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोंक के सआदत चिकित्सालय की बैड क्षमता 300 किये जाने के संबंध में।

(9) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के श्रम निरीक्षक कार्यालय को सहायक आयुक्त कार्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(10) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने एवं नई सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(11) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड मुख्यालय पीपलू को पंचायत समिति मुख्यालय बनाये जाने के संबंध में।

(12) श्री खेमाराम, सदस्य की ओर से शेखावाटी क्षेत्र में सूदखोरों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

# पर्ची

आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 44 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री पूरणमल सैनी | विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ए.डी.जे., ए.सी.जे.एम. व मुंसिफ न्यायालय भवनों का निर्माण एस्टीमेट के अनुसार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |
| 2. | श्री शंकर लाल शर्मा | विधान सभा क्षेत्र दौसा की पुरानी आबादी को आज भी गोचर भूमि में दर्शाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |
| 3. | श्री मंगलराम | विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पेयजल की समस्या के संबंध में। |
| 4. | श्री भंवरसिंह | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 के तहत सांखला फांटा से फलौदी सड़क निर्माण के दौरान दियातरा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |

श्री मेवाराम जैन।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय,

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजिये, एक मिनट।

# अनुरोध एवं मांग

## मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये नीतिगत निर्णयों की सदन में घोषणा की अनुमति

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक अभी सम्पन्न हुई है। बैठक में कुछ निर्णय लिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि अगर आप उचित समझें तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम निर्णय के बारे में सदन को जीरो-आवर के बाद में बता दें। अगर आप अनुमति देंगे तो इनको सार्वजनिक करने की अनुमति, अगर आप अध्यक्ष महोदय द्वारा दे दी जाएगी तो हम प्रेस में आज जो निर्णय लिये गये हैं, उनके बारे में राजस्थान की अवाम को प्रेस के माध्यम से बता देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करेंगी क्या?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, घोषणा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल की सामान्य बैठक हुई, अपने यहां सदन के अन्दर व्यवस्थाएं हैं, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: सदन को क्या सूचित करना चाहते हैं आप?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्षीय व्यवस्थाएं यह रही हैं कि जब सदन चलता है तब मंत्रिमंडल में ....(व्यवधान)

## व्यवस्था का प्रश्न

### मंत्रिमण्डल का निर्णय सदन में पढ़कर सुनाया जाना

### एक गलत परम्परा

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल के निर्णय को सदन में पढ़कर सुनाया गया हो। आप गलत परम्परा कृपया मत डालिये। अगर आपको कुछ कहना है तो आप प्रेस के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से जनता को अवगत करा सकते हैं। बाकी, माननीय मुख्य मंत्रीजी फाइनेंस बिल के ऊपर 6 तारीख को अपना उत्तर देंगी, उस समय आप कह सकते हैं। यह गलत परम्परा कृपया मत डालिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, Kindly don't allow it.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि कई अध्यक्षीय व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था दी गयी है कि सदन जब चल रहा हो तो कोई भी नीतिगत निर्णय सदन के बाहर नहीं किया जा सकता है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अगर कहते हैं, मैं तो सिर्फ अनुमति के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अगर अनुमति दे दें तो मैं चूंकि, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, प्रेस-ब्रीफिंग मुझे करनी है, आपकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुमति है तो मैं प्रेस को बता दूंगा। यहां बताने में मेरे को कोई शौक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति प्रदान कर दें। (व्यवधान)

## व्यवस्था

### मंत्रिमण्डल में लिये गये निर्णयों की घोषणा सदन में होनी चाहिए, बाहर नहीं

**श्री अध्यक्ष**: मैं जीरो-आवर समाप्त होने के बाद आपको यह घोषणाएं करने की अनुमति देता हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): गलत परम्पराएं डाल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: सब परम्पराएं बदलती भी हैं और समयानुसार उन पर विचार भी होता है, पुनर्विचार भी होता है और मैं यह मानता हूं कि जो घोषणाएं हैं, वह विधान सभा में होनी चाहिए, विधान सभा के बाहर नहीं। यह मेरा मानना है इसलिए मैं यह इजाजत दे रहा हूं।

**श्री मेवाराम जैन**।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

### बाड़मेर जिले के गाड़ोलिया लौहारों को भूखण्ड आबंटित नहीं होना

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में गाड़ोलिया लौहार जिनके पास रहने के लिये आवास नहीं है, वे घुमन्तू हैं और राज्य सरकार उनको आवास देने के लिये कटिबद्ध है, उसके लिये कई नियम, कई बार पारित भी हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर 15 साल से गाड़ोलिया लौहार अपने भूखण्ड के लिये बार-बार धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने उनको 2013 में 20 बीघा जमीन भी अलाट कर दी और इनके लिये आरक्षित भी कर दी गयी कि इन गाड़ोलिया लौहारों को खसरा नंबर 1983, 1994 और 1996 में इनको भूखण्ड दिये जायें और उसके अन्दर 145 आवेदन आये, उनको चिन्हित किया और 11 को पट्टा नगर परिषद् द्वारा 07.06.2013 को दिया गया और बाकी 26 आवास नगर परिषद् ने बनाये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आपसी बातचीत नहीं। इधर देखिये, उधर नहीं।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): वह बने हुए डेढ़-दो साल हो गये, परन्तु अभी तक उन गाड़ोलिया लौहारों को बने हुए 26 मकान अलाट नहीं हो रहे हैं। वहां पर लोग उनके दरवाजे, खिड़कियां उखाड़कर ले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जमीन उनके नाम से आरक्षित हो चुकी। 145 व्यक्ति चिन्हित हो चुके, 11 को पट्टे मिल चुके हैं, 26 मकान बने हुए पड़े हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भारत सरकार और हमारे प्रधान मंत्रीजी कह रहे हैं कि कोई भी बगैर मकान, आवास नहीं रहे, बगैर छत के नहीं रहे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन गाड़ोलिया लौहारों को आप, 145 परिवारों में से 26 तो मकान बने हुए हैं, इनको कब अलाट करोगे? बाकी शेष बचे हुए वालों को कब तक यह अलाट करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह घोषणा करें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गाड़िया लौहार एवं पाक स्थापितों को भूखण्ड आबंटन करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 20.08.2009 को 20 बीघा जमीन आबंटित की गयी। भूमि ग्रीन बैल्ट में होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया दिनांक 07.07.2011 को प्रारम्भ कर दी गयी और भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका संख्या 2419/2011 लम्बित थी, जिसका निर्णय दिनांक 28.11.2013 को हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर द्वारा 2013 में गाड़िया लौहार की सूची का अनुमोदन कर दिया गया है और उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों के जो कब्जे थे, उन्हें हटाने की कार्यवाही दिनांक 30.05.2017 को की जाकर भूमि की सीमा की जानकारी व पत्थरगढ़ी कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों हमने शहरी जन कल्याण शिविर लगाया था। उसके अन्तर्गत हमने विभाग द्वारा गाड़िया लौहारों को भूखण्ड आबंटन करने के अधिकार स्थानीय निकाय को प्रदान कर दिये हैं। हमारी एम्पावर कमेटी भी बन गयी है जिसकी पालना में नगर परिषद बाड़मेर को अनुमोदित सूची, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 145 आवेदकों को उनको

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अविलम्ब भूखण्ड आबंटित करने हेतु निर्देश हमने दे दिये हैं और मैं मानता हूं कि 31 मार्च के पहले उनको भू-आबंटन हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती शकुन्तला रावत।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): बने हुए को आबंटित कब तक उनको कर दोगे?

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): बता दिया न मैंने।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): जो 26 मकान बने हुए हैं, उनके लिये पूछ रहा हूं। यह सरकार ने बनाये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: और आप मिलकर स्पष्टीकरण ले लेना।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): जो मकान बनाये हुए हैं, उनको कब तक अलाट करेंगे, यह तो बतायें न साहब।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 31 मार्च के पहले-पहले कार्यवाही कमप्लीट हो जायेगी।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): थैंक यू।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती शकुन्तला रावत।

## बानसूर में ए.सी.जे.एम. कोर्ट की स्थापना की मांग

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत कहना चाहूंगी कि बानसूर के वकीलों एवं आमजन को भारी समस्या हो रही है। बानसूर में 22 तारीख से वकील अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और कोर्ट बंद पड़ा है जिससे आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बानसूर उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला सैशन न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय व इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर में नहीं है। अभिभाषक संघ द्वारा पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय जयपुर का ध्यान आकर्षित करवाया गया था और सभी मापदण्डों को पूरा ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2017 को सरकार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर में सृजन करने हेतु लिखा जा चुका है। उच्च न्यायालय से अभिशंसा भी यहां सरकार के पास आ गयी है,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बिल्डिंग भी तैयार है, क्योंकि सरकार हर बात पर यह कह देती है कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हमने संसाधन, एम.एल.ए. लैड द्वारा वहां पर भवन निर्मित करवा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से 25-30 किलोमीटर दूसरी तहसील में आने-जाने में ही समय व्यतीत हो जाता है...

**श्री अध्यक्ष**: राजपाल सिंहजी, इस तरह बात मत कीजिये। नो। क्या बातचीत हो रही है?

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): ...और न वहां पर कोई परिवहन सुविधा है तो अपने साधनों द्वारा वहां जाना-आना पड़ता है तो इसलिये काफी समय ग्रामीणों का व्यतीत हो जाता है और आमजन परेशान होता है और हाई कोर्ट की अभिशंसा के बाद में सरकार से मांग करती हूं सदन के माध्यम से कि बानसूर में ए.सी.जे.एम. कोर्ट तुरन्त खोलने के निर्देश किये जाने चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी अगर इनको दिक्कत है तो मुंसिफ कोर्ट को ही ये प्रमोट कर दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह वकील धरने पर बैठे हैं, ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोलकर वहां बानसूर में और अन्य जगह पर, अन्य तहसीलों में जहां ए.सी.जे.एम. की मांग भी नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन ए.सी.जे.एम.कोर्ट खोल दिये गये हैं तो क्यों, माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर के साथ इस तरह का यह अन्याय कर रहे हैं? मेरा आपके द्वारा अनुरोध है, क्या कांग्रेस की विधायक वहां पर है, इसलिये ये कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बजट में भी कुछ नहीं किया। वकील धरना दे रहे हैं, जो एक मजबूत कड़ी है आमजन की और सरकार के बीच की कोर्ट की, तो आमजन को राहत पहुंचाने के लिये, आये दिन मोटर साइकिल चालान होती है, कोई 151 में पाबन्द होता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको काफी परेशानी हो रही है। इन समस्याओं को देखते हुए तुरन्त ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोलने का आदेश जारी करवायें।

**श्री अध्यक्ष**: विराजें। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना किये जाने के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी स्थान पर नवीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय की फरमाइश स्वीकृति प्राप्त

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

होने पर ही निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उस क्षेत्र के 1200 से 1500 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय की फरमाइश स्वीकृति प्राप्त होने पर बानसूर क्षेत्र में लम्बित प्रकरणों की संख्या निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होने पर तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही बानसूर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिये राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। वर्तमान में बानसूर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र सिंह।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): उच्च न्यायालय ने भी तो दिया, अभिशंसा कर दी। फिर भी मना कर रहे हैं मंत्री महोदय। वकील धरने पर बैठे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र सिंह। उनका जवाब आ गया। धरने से आवाज पहुंचाओ, हाई कोर्ट तक आवाज पहुंचाओ।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): कापी भी लगा दी, सरकार के पास प्रस्तुत कर दी माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आया ही नहीं सरकार के पास। यह संतुष्टिपूर्ण ऐसे जवाब थोड़े ही होता है कि संसाधन उपलब्ध होने पर देंगे। साफ मना कर दो कि हम नहीं देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: यादव साहब को बोलने दीजिये। जवाब आ गया। नहीं, यह जरूरी नहीं है कि आपकी संतुष्टि के साथ आये जवाब।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सरकार देने में असमर्थ है।

**श्री अध्यक्ष**: जो जवाब देना था, वह दे दिया इन्होंने। श्री राजेन्द्र सिंह।

## कोटपूतली की कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी का अधिकार

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 50 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार। मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से कोटपूतली की एक विषम समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं का, जोकि देश आजादी से अब तक लगभग ढाई से तीन हजार परिवार जिससे ग्रस्त हैं, कोटपूतली क्षेत्र में देश आजादी के टाइम मेहरमपुर नवाब खेतड़ी

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

महाराज के नीचे आते थे, जो लगभग 12 हजार बीघा जमीन पर काश्तकार खेती करते थे और उसका लगान मेहरमपुर नवाब लिया करते थे। देश आजादी के समय मेहरमपुर नवाब पाकिस्तान चले गये और उनकी 12 हजार बीघा में जो किसान काश्त कर रहे थे, उस जमीन को कस्टोडियन घोषित कर दिया गया जबकि और जगह जो जमींदारी कानून था, उसके तहत इनको खातेदारी हक बिना किसी पैसा दिये मिलना चाहिये था। यह विवाद तब से चलता-चलता लगातार चल रहा था, फिर राज्य सरकार ने इसको नियम दिया कि 50 प्रतिशत डी एल सी रेट का जमा कराकर किसान अपनी खातेदारी की जमीन ले सकते हैं। उस दिन से आज तक पिछले 6-7 साल से एक रुपया उसमें जमा नहीं हुआ है राज्य सरकार के पास और किसान उससे त्रस्त हैं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। जवाब आ जायेगा।

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): पिछले साल इसमें एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ। मैं आगे की बात बताना चाह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: जल्दी बताइये।

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): बड़ा आन्दोलन किसानों ने किया। आन्दोलन के समय विधान सभा में मैंने यह बात रखी थी। माननीय मंत्रीजी ने उस समय इसको देखते हुए बहुत न्यायसंगत तरीके से इसको 10 प्रतिशत की अनुशंसा की जिसमें सभी लोग शामिल थे। रेवेन्यु सेक्रेटरी, वित्त सचिव, माननीय मंत्रीजी और हमारे सीनियर एमएलए श्री फूल चन्द भिण्डाजी भी उसमें शामिल थे। दस प्रतिशत का करके, वहां से इस शर्त पर उन्होंने धरना उठाया था और मंत्रीजी ने सबके सामने यह घोषणा की थी कि दस प्रतिशत हो जायेगा। फिर न जाने किस कारण वह घोषणा, घोषणा ही रह गयी।

**श्री अध्यक्ष**: अब आप विराजिये। जवाब आ जायेगा। ध्यान खींच लिया आपने।

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): बाद में वित्त सचिव ने उसको 25 प्रतिशत कर दिया जो कि गलत है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस 10 प्रतिशत वाली बात को लागू रखें।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। यह सरकार

(श्री अमराराम)

हमेशा किसानों के प्रति समर्पित है। इसने किसानों का ऋण माफ किया। इसने किसानों के हर हित को देखा, गरीबों के हित को देखा। यह कस्टोडियन की प्रोब्लम है। यह वर्षों से है। जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बना, लेकिन उसके दौरान जो सरकार थी, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन पिछली बार विधान सभा के अन्दर किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य श्री यादव साहब ने जब यहां प्रश्न उठाया था तो तो उस समय मैंने यहां विधान सभा में आपके समक्ष आश्वासन दिया था कि किसानों की कस्टोडियन की जमीन, जो गैर खातेदारी की जमीन है, वर्षों से जो बैठे हुए हैं और कोई आदमी अपनी जमीन को खातेदारी लेकर बेचना चाहता है, अपना इलाज करवाना चाहता है, वह करा नहीं सकता, इस बात को हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने सोचा। कितना बड़ा सोच हमारी मुख्य मंत्रीजी का, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। न्याय आपके द्वार भी चलाया। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, जिनके पास कस्टोडियन भूमि है और उसके लिए स्थायी आबंटन व खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 में प्रावधान वर्णित है। उक्त प्रावधानों में अधिसूचना दिनांक 20.11.2017 द्वारा संशोधन किया गया है। कस्टोडियन की कृषि भूमि पर काबिज ट्रेसपासर को, उप कृषकों को, अनधिकृत व्यक्ति के लिए 15 बीघा तक प्रचलित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत राशि व 15 बीघा से अधिक प्रचलित बाजार कीमत की पूर्ण राशि तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं गरीबी रेखा के नीचे के आबंटी 15 बीघा तक प्रचलित बाजार कीमत की 15 प्रतिशत राशि तथा 15 बीघा से अधिक प्रचलित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत राशि नियमन हेतु देय है तथा सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए बाजार की कीमत की 25 प्रतिशत राशि नियमन हेतु देय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के आबंटियों हेतु बाजार कीमत 12.5 प्रतिशत राशि नियमन हेतु देय है।

**(12:23 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों से कस्टोडियन भूमि की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है। किसान पैसे जमा कराकर खातेदारी ले सकता है। "Ignorance of Law is not excuses" माननीय सदस्य,

(श्री अमराराम)

आपको कानून की जानकारी नहीं। नियम जो बने हैं, आपको उनकी जानकारी नहीं। आप स्वयं कमेटी के अन्दर मेम्बर होते हो। अगर आप किसानों को फायदा नहीं दिलवाना चाहते हो और वैसे ही आन्दोलन करना चाहते हो, वह बात अलग है। यह फाइनेंस विभाग से रेट तय हो गयी है, जो मैंने आपको बता दी है। उसी के अनुसार आप काम करो। कोटपूतली की जमीन बहुत कीमती है। उसका हमने 50 परसेंट कर दिया है। उनको आप खातेदारी दिलाओ और उसके लिए कार्यवाही करो। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रावधान बनाये हैं, वित्त विभाग के द्वारा जो पैसे तय किये हैं, उसको जल्दी कराओ ताकि उनको राहत मिल सके।

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): वित्त विभाग ने तो कर दिये लेकिन किसान कहां से पैसे जमा करायेगा।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उस सब-डिवीजन से आता हूं। वहां लम्बे समय तक आन्दोलन चल रहा था। मैं तो निवेदन करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट विराजो। Do we allow a debate on this issue again? Is the Minister for Revenue is not accessible to you? वह बड़ी सादगी से आपका इन्तजार कर रहे हैं। आप उनसे मिलकर संशय और शंका का समाधान करवा लीजिए।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): ...(व्यवधान) बढ़ा हुआ है, वह हम बताना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को जो फर्माना था वह तो उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया।

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): मंत्रीजी के यहां बैठकर 10 प्रतिशत की बात हुई धरना उठाने के लिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट मैं निवेदन करूं। In case if you still feel that some clarification is required than why don't you meet him in his Chamber? I'm sure he will do the needs.

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): मंत्रीजी अभी कह रहे थे कि हम यह कर रहे हैं, सरकार वह कर रही है। आप आठ-आठ हजार रुपयों के कर्जे माफ कर रहे हो। किसान को जमीन की खातेदारी देने में कौनसा ऐसा हो

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

गया? 50 प्रतिशत कहां से लाकर देगा किसान? महंगी जमीन है, सस्ती जमीन है। उसके लिए आप कह रहे हो कि वह 50 परसेंट जमा करवा दे। एक रुपया नहीं जमा होगा।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): कोटपूतली में देहली इम्पेक्ट भी आ गया इसलिए किसान तो बिलकुल नहीं दे सकता। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): जिसके पास दस बीघा जमीन है, डीएलसी रेट वह 50 लाख रुपया कहां से जमा करा देगा, आज गरीब किसान? 10 परसेंट पर आपको एग्री किया था।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): धरने पर मैं गया था। मंत्रीजी के निर्देश से गया था और 10 परसेंट, 20 परसेंट की बात थी। बाद में वित्त विभाग ने बढ़ा दिया। थोड़ा-सा किसानों को देखते हुए, जब हम सब जगह रियायत दे रहे हैं तो इसमें और रियायत करें। ऐसा मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय, आप अपने वक्तव्य के अलावा अगर कुछ और फर्माना चाहते हैं तो फर्माएं। If you want but I can't force you.

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो फाइनेंस ने तय किये हैं, डीएलसी रेट के आधार पर जो तय किया है, उसमें मैं आज परिवर्तन नहीं कर सकता।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): डीएलसी दरें तो हैड क्वार्टर पर तय होती हैं। यहां से भी करवाओ फिर इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

## प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों का समायोजन

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तब विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने के लिए हमने 33 हजार पद शिक्षा सहायक की भर्ती के निकाले थे। भर्ती कोर्ट में लम्बित हो गयी। आपने सुराज संकल्प यात्रा में बड़े-बड़े वायदे किये कि इन विद्यार्थी मित्रों को हम नियमित करेंगे। अशोक गहलोतजी की सरकार ने तो इनको कोर्ट में अटका दिया। सुराज संकल्प-पत्र और घोषणा-पत्र में कर्मचारी कल्याण का जो पैरा है, उसके पेज नम्बर 37 पर पांच नम्बर का बिन्दु है। उसमें कहा था कि जनता जल योजनाकर्मी, प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, वन मित्र, कृषि मित्र, पैराटीचर,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश कर्मचारी, एनआरएचएमकर्मी, नरेगाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, आशा सहयोगिनी, चिकित्साकर्मी, कम्प्यूटर आपरेटर, शिक्षक, सीडीयू आदि को नियमित करने की नीति बनायी जायेगी और इसके लिये कटारिया कमेटी आपने बनायी जिसने आज तक कुछ किया नहीं। इन विद्यार्थी मित्रों के लिए पहली वर्षगांठ पर मंत्री महोदय, आपने यह कहा था कि विद्यालय सहायक भर्ती करेंगे हम। नाम बदलकर भर्ती करने की बात कही। आपने फिर पंचायत सहायक के रूप में 27 हजार की भर्ती जरूर की लेकिन वह भर्ती भी 06 हजार विद्यार्थी मित्र, 07 हजार के लगभग विद्यार्थी मित्र फिर रहे गये। उनको आपने भर्ती तो की पंचायतों के माध्यम से। 20 हजार के लगभग को आप पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं स्कूलों के अन्दर। केवल मात्र छह हजार रुपये दे रहे हैं। जो सैकिण्ड लौट में आपने भर्ती की है, उनको अभी पंचायतों में बैठा रखा है। ग्राम पंचायतें उनको पैसा नहीं दे रही हैं। वह यह कह रही हैं कि हमारे पास जो आदमी काम ही नहीं करता, विद्यालय में करता है तो वह विद्यालय में जाए। नियमित करने का आपने वादा किया था। वादा निभा नहीं रहे हो। अभी भी 6-7 हजार विद्यार्थी मित्रों की आप भर्ती कर नहीं पाये हो। बार-बार रोजाना गोलमोल जवाब देते हैं जब भी कोई बात आती है। आज भी हजारों विद्यार्थी मित्र और बेरोजगार सड़कों के ऊपर हैं। धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि आपने हमसे नियमित करने का वादा किया था। 6900 रुपये, 07 हजार के लगभग तो आप पहले ही दे रहे थे, जब विद्यार्थी मित्र थे तो हमारी सरकार में ही दे रहे थे, फिर उनका घटा दिया। आज न उनको नियमित कर रहे हो, न उनको तनख्वाह मिल रही है। जो वंचित रह गये उनके लिए आपके पास कोई योजना है नहीं तो फिर आपने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान घोषणा-पत्र में वादा क्यों किया? कटारिया कमेटी, सात की आठ बन गयी कटारिया कमेटी। एक भी कटारिया कमेटी ने, हाउस के प्रति तो कोई जवाबदेही आयी नहीं, उन्होंनें कोई जवाब दिया नहीं। आपको कान में क्या काना माना कुर्र करते हैं, वो तो कमेटी जाने और आपकी मुख्य मंत्री जाने और आप जानो लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या है कि छह हजार रुपयों में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। पंचायत वाले कहते हैं हमारे फंड का पैसा हमें डवलपमेंट के लिए मिला हुआ है। जो कर्मी हमारे यहां काम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं करेगा उसको हम पैसा नहीं देंगे। आज उनकी आत्महत्याओं की नौबत आ रही है। सैकड़ों विद्यार्थी मित्रों ने आपकी सरकार के समय में असत्य वादों से परेशान होकर आत्महत्याएं कर लीं। स्थितियां बड़ी विचित्र हैं।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो वंचित विद्यार्थी मित्र रह गये उनको आप कब तक नियमित भर्ती के रूप में लेकर नियमित भर्ती देंगे? जो छह हजार रुपये मानदेय है, उससे कुछ नहीं होगा। उनके लिए स्थाई, नियमित करने के जो आपने वादे किये थे, उन वादों में आप क्या करोगे?

आज आम बेरोजगार, आप देख सकते हैं कि विद्यालय सहायकों की भर्ती नहीं, पंचायती राज एल.डी.सी. की भर्ती नहीं, आयुर्वेद नर्सिंग की 953 पदों की भर्ती नहीं, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती नहीं, सैकण्ड ग्रेड की पूरी नहीं, जेल प्रहरी की भर्ती नहीं, रीट में 35 हजार, 45 हजार की थर्ड ग्रेड शिक्षकों की आप बातें कर रहे हैं, वो भर्ती हो नहीं रही है, एस.आई. की भर्ती नहीं, संस्कृत विभाग में अभी तक कोई भर्ती नहीं, न पूरे ग्राम सेवक हैं, न पटवारी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह सरकार केवल बेरोजगारों को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे समय की भी कांग्रेस शासन की 74 हजार, 75 हजार भर्तियां हैं जो हमने निकाली थीं, माननीय मंत्री महोदय, उनको भी आप नहीं दे पाये। रोजाना घोषणाएं करते हो, मुख्य मंत्रीजी से आपने घोषणाएं करायी हैं। आपने 15 लाख का वादा किया था।

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): 1 लाख 8 हजार। आपने मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण नहीं पढ़ा, ना ही यहां पर सुना। उस समय आपका ध्यान यहां नहीं था। 1 लाख 8 हजार मुख्य मंत्रीजी ने यहां से नौकरियां निकाली हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): वो मैंने पढ़ा तो जरूर था ...(व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके राज में भी पटवारियों की यही स्थिति थी। आपके राज में भी ग्राम सेवकों की यही स्थिति थी ...(व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): इतनी बेरोजगारी पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इस हाउस में पढ़ा था लेकिन बजट पढ़ने के बाद में मुख्य मंत्रीजी स्वयं बाहर प्रेस नोट में यह कह गयीं प्रेस के माध्यम से कि मेरी कोई गारंटी नहीं है मेरे घोषणा पत्र में ...(व्यवधान)

**श्री कैलाश वर्मा** (संसदीय सचिव): मत बोलो यह बात। यह तो आप अपनी बात को बनाकर और आप इसको चालू करना चाहते हो। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मुख्य मंत्री बजट पढ़ने के बाद में, दस मिनट बाद में प्रेस में यह कह दें कि मेरा कोई ...(व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। (व्यवधान)

**श्री कैलाश वर्मा** (संसदीय सचिव): ऐसा वक्तव्य तो मुख्य मंत्रीजी ने नहीं दिया। यह तो आप जोड़कर इसको चलाना चाह रहे हो। (व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): ऐसा मंत्रीजी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी बजट के निमित्त रूप से काम करती है इसलिए हम हमेशा जो भी बजट में घोषणा करते हैं, उसे पूरी करते हैं। कांग्रेस की तरह असत्य नहीं बोलते।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्रीजी का काम आजकल राठौड़ साहब ने छोड़ दिया तो आपने संभाल लिया क्या? काहे के लिए मुख्य मंत्रीजी को बदनाम कर रहे हो? मुख्य मंत्रीजी का मैं नाम ही नहीं ले रहा था और आपने बीच में ले दिया। मुख्य मंत्रीजी ने तो स्वयं ने कह दिया कि जो 2018-19 बजट है उसको धरातल पर लाने की मेरी कोई गारंटी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अधूरा वाक्य क्यों बोलते हो? पूरा वाक्य बोलते न आप।

**श्री कैलाश वर्मा** (संसदीय सचिव): यह मुख्य मंत्रीजी ने नहीं किया।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ऐसा अधूरा, ऐसा कहा नहीं था।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैं तो मेरी बात पर आता हूं उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं इसलिए उसकी कोई गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है। यह शब्द कहे मुख्य मंत्रीजी ने। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि इसकी कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट आप विराजो।

**श्री हीरालाल** (निवाई): डोटासरा जी, मुख्य मंत्री तो सबकी हैं, पूरे राजस्थान की, हमारी ही क्यों है।

**श्री उपाध्यक्ष**: मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि एडजार्नमेंट मोशन का रूल 50 आप ढंग से पढ़ ही लो न। मतलब, या तो आपको पंचायती राज मंत्री की सक्षमता पर कोई शंका है ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यही चल रहा है आजकल।

**श्री उपाध्यक्ष**: How Parliamentary Secretary is competent enough to actually answer a query which has been put forward to the Minister concerned?

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष**: And what about you Sir? Please sit down. Sit down for a while. I'll not allow that. As and when, if you want to actually improve your CRs, You better improve by doing something concrete not by disturbing the House. You want assistance Mr. Minister, Sir? You better be very careful about it. And you remain confined to your motion. Don't try to derail it otherwise I'll not allow it.

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल।

मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जो विद्यार्थी मित्र हैं और वो जो छह-सात हजार वंचित रह गये, उनकी आप कब भर्ती कर देंगे और इनको छह हजार रुपये से बढ़ाकर नियमित करें या इनका मानदेय बढ़ाने का काम करें। ग्राम पंचायतों में नहीं रखकर आपने विद्यालयों में भेज दिया, उनको ग्राम पंचायतें तनख्वाह नहीं दे रही हैं। उनकी तनख्वाह का, मानदेय का क्या कर रहे हैं, क्या विचार है, क्या फैसला किया है? यह बताने का कष्ट करें। आपने जो कटारिया कमेटी बनायी थी इन संविदा कर्मियों को नियमित करने की, जिनमें कम से कम जो तीस-चालीस संविदा के कैडर थे, उनको कब तक नियमित कर देंगे या नहीं करेंगे? केवल असत्य आश्वासन ही देते रहेंगे? बस इतनी-सी बात है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय आजकल रोज हमारा सुराज संकल्प-पत्र पढ़कर आते हैं पर इन्होंने कभी भी सही सुराज संकल्प-पत्र की ना भावना पढ़ी ना लेंग्वेज पढ़ी। सुराज संकल्प-पत्र आप कहो तो मैं टेबल कर दूं। पेज 37 पर यह लिखा गया है, मैं सारी बात नहीं पढ़कर, कि इसकी नीति बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनायी जायेगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, शायद इन्होंने उसको नहीं पढ़ा होगा, मैं पढ़कर निवेदन कर दूं कि बिंदु 10 (10) के अन्दर यह कहा गया है कि कार्यरत विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अंशकालीन शिक्षक, शिक्षा प्रबोधक की समस्या का समाधान किया जायेगा।

मतलब कहीं एक शब्द लिखा हो कि हम नियमित कर देंगे, नौकरी दे देंगे, यह बात नहीं है। पर अच्छा है, इन्होंने अपने घोषणा-पत्र को कभी नहीं पढ़ा होगा पर हमारा घोषणा-पत्र पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इनके मन में आज भी भय है कि उसी सुराज संकल्प-पत्र के आधार पर हम फिर सत्ता में आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जो विद्यार्थी मित्र हैं, जो आज सड़क पर रहे, जिनकी समस्या का समाधान करने के लिए आज 19,687 विद्यार्थी मित्र के रूप में पूर्व में काम करने वाले लोग ग्राम सहायक के रूप में राजस्थान में काम कर रहे हैं। इस पूरी समस्या के जनक हैं तो ये सामने बैठे माननीय सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 2006 के अन्दर विद्यार्थी मित्र के रूप में उन रिक्त पदों के विरुद्ध में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक के विरुद्ध में इन विद्यार्थी मित्रों को, जो योग्यताधारी थे, उनको लगाने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह 2013 तक चला और 2013 के अन्दर जब 25,420 विद्यार्थी मित्र काम कर रहे थे तब विद्यार्थी मित्र कोर्ट में चले गये और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि हमें नियमित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, उस पर 21.10.2013 को कोर्ट ने विद्यार्थी मित्रों की जो योजना थी, असंवैधानिक करार कर दिया और उसको अवैधानिक करते हुए तत्कालीन सरकार को निर्देश दिये कि छह महीने में रिक्त पदों को भरने का काम करें। विद्यार्थी मित्रों का अगर बकाया वेतन हो तो उनको दो महीने में देने का काम करें। उसके बाद, जिसका जिक्र इन्होंने किया, बिना किसी ठोस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आधार पर ये एक एक्ट लेकर आ गये। नहीं, सारी, बजट भाषण में इन्होंने कह दिया कि हम राजस्थान शिक्षा सहायक नियम 2013 बनायेंगे और उसके बाद इन्होंने वेटेज करने की बात की। मामला हाई कोर्ट में रोका, सुप्रीम कोर्ट में रोका, आखिर में ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया।

आज मैं उन सब चीजों का जिक्र करूंगा जिसके कारण से हम विद्यार्थी मित्रों को नियमित नहीं कर सके। आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय तक ने यह कह दिया कि विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति और विद्यार्थी मित्रों की जो योजना है वो असंवैधानिक है। इसमें हम इनको किस प्रकार रेगुलराइज कर सकते थे? पर उन लोगों के पास अनुभव था। उस अनुभव के आधार पर कटारिया समिति बनी और उस अनुभव के आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, एक पंचायती राज के उसमें संशोधन करके और हम एक अमेंडमेंट लेकर आये कि चूंकि यह जो 73वां संशोधन हुआ था उसके अनुसार फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के रूप में कुछ विषय अब ग्राम पंचायतों को सौंप रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा इस बार गांवों के अन्दर जो सरकारी विद्यालय हैं, जब से वो माडल विद्यालय बने हैं, गांवों के अन्दर नामांकन 16-16 लाख की दृष्टि से बढ़ रहा है, वहां काम की अधिकता देखते हुए उस शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए ग्राम सहायक के तौर पर हमने इनका चयन करने की बात कही। पूरी पारदर्शिता के साथ एसडीएमसी ने चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की। इसमें कई न्यायिक विवाद आये और उपाध्यक्ष महोदय, जो अंतिम न्यायिक विवाद है, अभी तीन दिन पहले अनिता विश्नोई बनाम राज्य सरकार में जो पहले उसमें स्थगन प्राप्त हो गया, माननीय सदस्य, वो स्थगन अभी हटा है और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि स्थगन पश्चात् जो शेष रहे हैं, निश्चित तौर पर उन पदों पर भर्ती करेंगे। इनका वेतन नियमित रूप से मिले। इनके समय में तो 2750 रुपये मिला करते थे, हम इनको 6000 रुपये मानदेय दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इच्छा है किस प्रकार जो योग्यताधारी हमारे ये लोग ग्राम सेवक और सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, राज्य सेवा में किस प्रकार हम इनकी सेवाओं का लाभ लें, इसके लिए कटारिया समिति बनी हुई है। दूसरी समितियां इस पर काम कर रही हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनका जो बकाया वेतन है, हमने 200 करोड़ का प्रावधान स्टेट फाइनेंस कमीशन की विशेष रिकमण्डेशन के आधार पर उनको दिया, पूरा वेतन दिया। अब जहां कहीं भी वेतन की समस्या आयेगी, उसको भी दूर करेंगे और चूंकि जो स्टे था वो अभी तीन दिन पहले ही टूटा है, उसका अध्ययन करने के पश्चात् तो शेष रह गये, इन सब लोगों को हम एक अभियान चलाकर उनको वापस समायोजित करने की पूरी कोशिश करेंगे।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी इजाजत से, उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने बहुत अच्छी व्यवस्था दी, मैं उसका समर्थन करता हूं, पालन भी करेंगे, परन्तु मेरा एक निवेदन है कि आपने जो स्थगन रखा और वह था केवल विद्यार्थी मित्रों के बारे में, लेकिन आपने विद्यार्थी मित्रों के अलावा...उसमें भी जगह खाली है, पटवारी, तहसीलदार, दुनिया भर का तो बोला। अब उसका जवाब तो, हमारे मंत्री महोदय ने आपने जो पूछा, उसका तो दे दिया, लेकिन उसके अलावा ये जितना बोले हैं, उसका जवाब तो संबंधित मंत्री महोदय नहीं दे पाए, वह तो रिकार्ड पर रहेगा। इसी तरह से इन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाया। अब हमारे पास और क्या चारा है अगर ये ऊल-जलूल आरोप लगाते हैं तो हम उसका विरोध तो कर सकते हैं, इसलिए या तो वे टू द पाइंट बोलें और उसके बाद भी अगर हम बोलें तो आप हमें जरूर फटकार लगाएं, आप जो भी कहें, हम मानेंगे, लेकिन अनावश्यक बोलकर प्रोवोक करना...मुख्य मंत्रीजी ने तो यह कह दिया कि मेरी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्या कहा, उसको आपको कहने का क्या अधिकार है, इसलिए इन्होंने जो गलत बातें बोलीं स्थगन के अलावा, वे सारी बातें डिलीट की जाएं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, फर्क सिर्फ इतना-सा है कि आपने उधर फटकार देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके कोई असर ही नहीं होता। आप हमें फटकार देते हैं, हम थर-थर कांपने लग जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, असर हमारे ऊपर होता है। उन्हें तो न सदन की परम्पराओं को निभाना है और न आसन का सम्मान करना। यह हमारा कर्त्तव्य है, सत्ता पक्ष इसके लिए बिलकुल तैयार रहता है और आगे भी तैयार रहेगा, उपाध्यक्ष महोदय।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, श्री जगदीश नारायण।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल डरता-डरता खड़ा हो रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज दो माननीय मंत्रियों के उत्तर होने हैं और कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर बहस है। अगर आसन उचित समझे, मेरा आग्रह यह है कि इनको पढ़ा हुआ मान लें तो उचित रहेगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट, विराजिए। I will ask the house. क्योंकि आज तीन मांगें हैं- मांग संख्या 36, 37 और 39 और सूची भी तकरीबन-तकरीबन धीरे-धीरे बढ़ रही है। अगर सदन की अनुमति हो तो 295 की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

**(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

पर्ची के माध्यम से, श्री पूरणमल सैनी।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## खेतड़ी में न्यायालय भवनों का निर्माण

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन बार के लगातार बजट सत्रों में विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के न्यायिक भवन के लिए मांग करता रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2010 में प्रदेश के काफी जिलों में अतिवृष्टि हुई और पानी तेज गिरा और हमारे न्यायिक भवन पहाड़ी की तलहटी में थे तो पानी के तेज बहाव से उन भवनों में पानी प्रवेश कर गया था। उन तीनों न्यायिक भवनों में जो भी पत्रावलियां थीं, वे अपठनीय भी हो गई थीं और भविष्य में भी वे न्यायिक भवन खतरे से खाली नहीं थे। इस बात को लेकर जब हम बजट 2016 में आए, वैसे तो 2015 में भी मैंने

(श्री पूरणमल सैनी)

रखा, लेकिन उस समय सरकार ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2016 में मैंने जब इस बात को स्थगन के माध्यम से रखा, उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने जवाब दिया था, जिसको मैं थोड़ा-सा कोट करना चाहूंगा, "खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने खेतड़ी में न्यायिक भवन के निर्माण के बारे में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बात उठाई है। उसके बारे में मेरा संक्षिप्त निवेदन यह है कि निश्चित तौर पर जो वर्तमान भवन संचालित है, वे पहाड़ी की तलहटी में है और यह बात भी सही है कि उस भवन में बीच में जब अतिवृष्टि हुई थी, तब पानी घुस गया था और उसके लिए राज्य सरकार उपयुक्त जमीन भी आबंटित कर चुकी है", परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन बार अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय का कहना था, राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से पहला प्रस्ताव प्राप्त हुआ 09.09.2014 को। उन्होंने कहा कि यह जो भवन है, अपर जिला सैशन न्यायालय, खेतड़ी, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी...और इसके लिए 20 लाख रुपए की आवश्यकता है और उसके बाद 07.01.2015 को उन्होंने पुन: लिख दिया कि अब 304 लाख रुपयों की जरूरत है और उसके बाद तीसरा पत्र उनका फिर आ गया 11.06.2015 को कि 684 लाख रुपयों की और जरूरत है। वित्त विभाग ने उनसे पूछा कि यह जो कोस्ट बढ़ी है, उसके पीछे क्या कारण हैं, आप बताएं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने फरमाया और साथ ही यह भी कहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि इस राशि में से कुछ राशि बची हुई है और उसके अन्दर जब क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, एस्टिमेटेड कोस्ट का, तो हम उसको वित्तीय साधन हमारे पास...इसका स्पष्टीकरण पूछने के लिए हमने पुन: रजिस्ट्रार जनरल महोदय को लिखा है। वह आने पर निश्चित तौर पर इसमें वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाकर इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा।

(श्री पूरणमल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय मंत्री महोदय ने 22 मार्च, 2016 को इस असेंबली में कही और उसके बाद इन्होंने जो पत्र लिखा, इस राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय ने जो पत्र लिखा, वह लिखा इन्होंने 1 सितम्बर, 2017 को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगा, एस्टिमेट 3.4 करोड़ रुपए चाहिए या 684 लाख रुपया चाहिए या फिर 740 लाख रुपया चाहिए, इसके लिए लैटर लिख रहे हैं ये तारीख 1 सितम्बर, 2017 को जबकि उससे पहले इनके ही पत्र के द्वारा हमारे कार्यालय अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड खेतड़ी में और वो बाईफरकेशन इस सदन की कार्यवाही से जब मैंने उनको अवगत करवाया तो क्लेरिफिकेशन करके दे दिया और उन्होंने परिवर्तित एस्टिमेट कोस्ट 704 लाख रुपए की राशि इनको बता दी। उसके बावजूद जब रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय को ये पत्र लिख रहे हैं और उस पत्र में कह रहे हैं कि अब स्वीकृतियां जारी होनी हैं, वे स्वीकृतियां जारी हो गईं 01.08.2016 में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यहां सवाल है कि जब 01.08.2016 में मैंने मार्च में सवाल रखा और 01.08.2016 में स्वीकृति जारी कर रहे हैं और उस स्वीकृति की कापी में 'ए' श्रेणी में खेतड़ी के न्यायालयों को 304 लाख रुपए की स्वीकृति उन्होंने जारी कर दी। इसके लिए तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जहां समय-समय पर आप सब लोग, सारा सदन इस बात को जानता है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट इसलिए बनाने पड़ते हैं कि समय बीत जाता है और बाजार की दरें बढ़ती चली जाती हैं सामान की। इसलिए, जब 2010 में भवन टूटा और रेट्स बार-बार रिवाइज होती हैं और आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2018 आ गया, इन्होंने बाईफरकेशन ले लिया कि कितना पैसा चाहिए? इनको पता चल गया कि 704 लाख रुपया चाहिए। जो स्वीकृति 'ए' श्रेणी की जारी हुई, उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का अंश था 40 प्रतिशत और केन्द्र का अंश था 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत इन्होंने जो अंश उसमें देय किया, वह था 23 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई, उसमें लगभग राज्य का अंश रहा 9 हजार करोड़ रुपया। इन्होंने दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे उसमें अगर 40 परसेंट 'ए' श्रेणी में भी जारी करते, 704 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करते तो माननीय

(श्री पूरणमल सैनी)

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का अंश केवल और केवल 296 लाख रुपए जाना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां क्वेरी इस बात की है कि जो तीन न्यायिक भवन हैं, वो 304 लाख रुपए में वर्तमान दरों पर बन नहीं पाएंगे और ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा दिया गया 304 लाख रुपया भी जिस उपयोग के लिए, जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने जारी किया है, वह उद्देश्य हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरी मांग है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जब इन्होंने लैटर देने में, और यह मात्र हुआ ही इसलिए कि सरकार के इस विधि एवं विधिक न्याय विभाग की उदासीनता के चलते खेतड़ी की जनता के साथ यह अन्याय हुआ।

मैं आपके माध्यम से पुन: मांग करना चाहता हूं कि वो 304 लाख रुपए की जो स्वीकृति जारी की और उसका लोकार्पण भी वहां माननीय चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ने 12 तारीख को ही कर दिया है, तो मेरी मांग है कि उस राशि को जो रिक्वायर्ड है, according to estimate, सरकार को इसके लिए आदेशित करें और विधि विभाग, उसका उपयोग प्रोपर हो, इसके लिए बची शेष 436 लाख रुपए की राशि इसी बजट सत्र में जारी करने की मैं मांग करता हूं।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्ट काम्प्लेक्स निर्माण हेतु माननीय उच्च न्यायालय के प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 21.07.2016 को 3 करोड़ 4 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग के एस्टिमेट द्वारा स्वीकृत हुए। उसके बाद में एक संशोधित स्वीकृति निकली है 7 करोड़ 40 लाख की जो 22.08.2017 को निकली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह प्रस्ताव 22.08.2017 को विभाग से प्राप्त हुआ जिसे वित्त विभाग भिजवाये जाने पर वित्त विभाग द्वारा अन्य कार्यों के बजट, यदि कोई हो तो पुन: विनियोजन के प्रस्ताव भिजवाने और आगामी बी.एफ.सी. की बैठक में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। साथ ही संशोधित स्वीकृति जारी करवाने की विस्तृत कार्यवाही भी चाही है। वो सूचना विभागीय पत्र 01.09.2017 से माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को अवगत करायी गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए वापस बी.एफ.सी. की बैठक होगी और जो भी आपका संशोधित बजट है, निश्चित रूप से बजट में संशोधित आदेश, हमने हाई कोर्ट को भी लिखा है कि इसका जो भी संशोधित बजट होगा उसको आने वाली बी.एफ.सी. की बैठक में रखकर इसको हम निश्चित रूप से करायेंगे।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि....

**श्री उपाध्यक्ष**: पर्ची के माध्यम से आप लोग पूरी डिबेट करवाते हो।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): सोरी सर। सर, सवाल बड़ा अहम है, उपयोगिता का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहते हुए निवेदन करूंगा कि आये दिन इस पूरे प्रदेश की जनता को यह सदन इस तरीके का मैसेज दे रहा है, कोई 100 वर्ष पहले होता होगा भूत, प्रेत। मैं समझता हूं कि इस विज्ञान के जमाने में जब पोस्टकार्ड से स्मार्ट फोन तक आ गये तो फिर आज किस बात का भूत? जनता को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से?

**श्री उपाध्यक्ष**: यह कहां की बात हो रही है?

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): और उनमें जब सदन का समय जाया किया जाता है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यह।

**श्री उपाध्यक्ष**: किस सम्बन्ध में समय जाया हो गया?

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि पिछले दो दिनों से लगातार प्रिंट मीडिया भी सब जगह, पूरे प्रदेश की जनता को बता रहे हैं। तांत्रिकों को लाकर इलाज करवाया जा रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष**: कहां? आज अपन उस पर समय क्यों जाया कर रहे हैं? आज हम वापस उस बात पर समय क्यों जाया कर रहे हैं?

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): इसलिए कि उनमें भी तो समय जाया होता है तो मैं तो अहम सवाल लेकर आया हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष**: मतलब आपको हमने अलाउ कर दिया न, अब आप पूछ लो न जो भी पूछना है। आप प्रश्न पूछ लो, आप वक्तव्य मत दो।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): ठीक है, धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं पढ़ नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से निवेदन यह कर रहा हूं कि इस बात का इनको शायद ध्यान नहीं है या अवगत नहीं कराया गया है कि 01 सितम्बर, 2017 में प्रमुख शासन सचिव महोदय विधि एवं विधिक कार्य विभाग की तरफ से रजिस्ट्रार जनरल को लिख रहे हैं। कब? अभी सितम्बर में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जो मीटिंग होनी है वो इस वर्ष की हो ली। मेरी मांग आपके माध्यम से यह है कि अब तो केवल पूछ रहे हो जबकि

(श्री पूरणमल सैनी)

आलरेडी आपके पास एस्टिमेट आ चुका है तो स्वीकृति जारी करने के लिए आदेश फरमायें, मेरा निवेदन यह है।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधित स्वीकृति हाई कोर्ट से 22.8.2017 को ही हमको प्राप्त हुई है। हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि इसकी संशोधित स्वीकृति जारी करनी चाहिए और हमारे प्रमुख शासन सचिव, वित्त ने यह लिखकर दिया है कि बी.एफ.सी. की बैठक में इसको रखना है और जो भी वित्तीय संसाधन बचे हुए हैं तो भी इस काम को हमको पूरा करना है।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री शंकरलाल जी शर्मा।

## गोचर भूमि में दर्ज दौसा की पुरानी आबादी

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से, आज गांवों के अन्दर और शहरों में आम-जनता के ऊपर कानून के कारण ऐसा संकट है कि उनके लिए दिन-रात का चैन खराब हो गया है। खास बात यह है कि कई वर्षों से आबादी बसी, खेती करना चालू किया और गोचर भूमि का भी आबंटन हुआ। लेकिन आमजन, गरीब लोग, जिनके पास न खेती थी, न और कोई जमीन थी, वो गोचर भूमि के ऊपर आवास करने लग गये। आज अब्दुल रहमान एक्ट के कारण, गुलाब कोठारी बनाम सरकार के कारण गोचर भूमि पर जो भी बसा है उसको वहां से गोचर भूमि खाली करने का आदेश प्रदान कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को, मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाह रहा हूं कि हमारे दौसा शहर की ही बात लीजिये तो दौसा शहर जब बसा तो दौसा शहर बसने की पहली शुरुआत हुई तो दौसा खुर्द से हुई जो शायद 100-150 साल पहले की है। उनकी बिल्डिंग पुरानी होकर खण्डहर भी हो गई और कइयों ने दुबारा भी मकान बना लिये लेकिन वो आज भी गोचर में है। आज वहां सरकारी स्कूल भी है, सरकारी अस्पताल भी है। अभी कुछ दिनों वहां सरकारी स्कूल में कमरों की कमी थी तो मैंने विधायक कोष से वहां कमरों का पैसा दिया लेकिन नहीं लगा क्योंकि वह गोचर में है। ऐसी स्थिति में आज हमने सरकार को भी अवगत कराया, हमारे प्रशासन ने राज्य सरकार के पास भेजा भी है लेकिन यह एक्ट ऐसा है जिसका कोई संशोधन दिखाई नहीं दे रहा है। यह शायद मेरे दौसा क्षेत्र का ही

(श्री शंकर लाल शर्मा)

नहीं, चारों तरफ गांवों का है। इससे एक ऐसी हालत हो चुकी कि आज इस एक्ट के कारण लोगों ने गोचर के अन्दर खून-पसीने की कमाई से अपने मकान बना लिये। खासतौर से अभी पटवारी हैं, गिरदावर हैं, तहसीलदार हैं वो धारा 91 के तहत उनको नोटिस देते हैं, डराते हैं और इसके कारण से भ्रष्टाचार पनपना भी माना जा रहा है। वो बेचारा क्या करे, अपने मकान को बचाने के लिए ऐन-केन-प्रकारेण येन अपनी कोशिश करके, कैसे भी गुहार पटवारी, गिरदावरी को करके यही करता है कि मेरा मकान बचा दो। आज ऐसी स्थिति के अन्दर वो जाए तो कहां जाए। चाहे वो एस.सी. हो, एस.टी. हो, ओ.बी.सी. हो, जनरल हो, ऐसे लोगों की गोचर की जमीन पर गांव हो, ढ़ाणियां हों और मेरे आज वहां कई गांव ऐसे हैं जिनमें गोचर भूमि पर लोग आवास कर रहे हैं। जैसे गोचर भूमि में मित्रपुरा, खानभांकरी, सबलपुरा, सिंगवाड़ा, बापी, चांदराना, रलावता, कालाखोह, नांगल गोविन्द, मतलब एक नहीं, अधिकतर गांवों के अन्दर गोचर भूमि पर उन लोगों ने मकान बना रखे हैं। यह सही है कि कानून के अनुसार वो गलत है लेकिन आज जब सरकार किसानों को ऋण माफ कर रही है, आज कृषकों के लिए भी काम कर रही है, आज हर तरीके से गरीबों के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं तो उन बेचारों ने अनदेखी के कारण जब गोचर पर मकान बनाये तब न तो कानून था न एक्ट था। साथ ही आम आदमी ने बसावट गांवों में की, धीरे-धीरे आबादी बढ़ी और उसी के तहत उनके मकान बनते गये। ये आज के नहीं हैं, पीढ़ियों के हैं। किसी के 50 साल, किसी के 60 साल और 100-100 साल से वो लोग बसे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके ऊपर गोचर को, कानून को देखते हुए भी कई जगह सिवाय चक भूमि है तो क्या उन लोगों के खातिर गोचर की पूर्ति करते हुए सिवाय चक भूमि में से जमीन दे सकते हैं या उनसे पुराने, उसी समय के हिसाब से कोई दर तय करके पैसा लेकर उनको रेगुलर कर सकते हैं? कई ऐसे सक्षम लोग भी हैं जिनकी कृषि जमीन है तो उनकी कृषि जमीन लेकर उनका मकान नहीं टूटे, उनके खून-पसीने की कमाई खराब नहीं हो, ऐसे में किसानों की अगर खातेदारी जमीन है तो उनसे गोचर भूमि के बदले खातेदारी की जमीन ले ली जाए और उनको एडजस्ट कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी परेशानी बता रहा हूं कि आजकल सबसे बड़ी बात है मुख्य मंत्री पोर्टल। यह बहुत बड़ी सुविधा के लिए बनाया

(श्री शंकर लाल शर्मा)

गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान की जनता इस मुख्य मंत्री पोर्टल के कारण आज इतना बड़ा फायदा उठा रही है लेकिन गांवों में भी और शहरों में भी चारों तरफ द्वेषता का बोलबाला हर जगह है। एकदम वो 181 के ऊपर फोन उठाते हैं, शिकायत करते हैं और सामने वाले की पूरी नींद खराब हो

**(13.00 बजे)**

जाती है। आजकल कोर्ट के अन्दर पीआईएल लगा देते हैं और उसके अन्दर कोर्ट का आदेश जाता है कि इस मकान को तोड़ा जाये। प्रशासन को भी इतने बरसों से बसे हुए उन लोगों के मकान तोड़ने के अन्दर बहुत दिक्कत आती है, परेशानी भी आती है बल्कि उसको आमजन का विरोध भी सहन करना पड़ता है। क्या हम उस डर को खतम करने के लिए, उस आदमी को भी चैन से जिंदगी जी सके, उसके लिए, उस गोचर भूमि के ऊपर ऐसे आमजन बस गये, उनके निदान के लिए हम कुछ कार्यवाही कर सकते हैं? यह सदन बहुत बड़ा है और आमजन के लिए जब सारी सुख-सुविधाएं हैं और सब गरीबों की मदद करना चाहते हैं।

हमारे यहां अधिकतर लोग जैसे बावरिया जाति है, एस.सी. के अन्दर हमारे कई गांव ऐसे हैं, बैरवा जाति भी है, उसके अन्दर बंजारा जाति भी है, रैबारी भी हैं, जिनके पास में एक इंच भी जमीन नहीं है और गोचरों पर मकान बना लिये। वह जाये तो कहां जाये? और दुश्मनी इस एक्ट के कारण, पीआईएल के कारण और खास तौर से मुख्य मंत्री पोर्टल के कारण, 181 के ऊपर डालते हैं और उनके ऊपर सरकार कार्यवाही करने के आदेश देती है। प्रशासन चाहता है कि हम मुख्य मंत्रीजी के पोर्टल के आदेश की पूर्ति करें और उधर उनके हालात यह हैं कि इन गरीबों को हम कैसे उजाड़ें? मैं आपके द्वारा आज यही अपनी बात रखना चाहता हूं और सदन से उम्मीद करता हूं कि इन बेचारे गरीब आदमियों को, इन आम आदमियों को, जो गोचर भूमि के ऊपर रह रहे हैं, इनके लिए कोई न कोई प्रावधान करके, उनको जीने का अधिकार दें। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, इनकी जो चिंता है, वह वाजिब है। गोचर भूमि में दौसा खुर्द के अन्दर लोग बसे हुए हैं। 100-

(श्री अमराराम)

150 साल, 100 साल, 50 साल से मकान बने हुए हैं, लेकिन उसकी किस्म गोचर है और वहां नगरपालिका क्षेत्र भी हो गया। हमारे राजस्व रिकार्ड में वह गोचर अभी नगरपालिका के अण्डर में है। इन्होंने कई नजीरें पेश कीं। वह अब्दुल रहमान वाला केस तो इसमें लागू नहीं होता है लेकिन जगमाल सिंह वर्सेज स्टेट आफ पंजाब, इसके बारे में इन्होंने यह बात कही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं। गुलाब कोठारी ने भी 2004 के अन्दर हाई कोर्ट के अन्दर पेश की थी और उसी के अनुसार गोचर भूमि पर प्रतिबंध लगाया हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये दोनों जो नजीरें हैं, गुलाब कोठारीजी ने हाई कोर्ट, जयपुर में पेश किया और जगमालसिंह वर्सेज स्टेट आफ पंजाब में हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है। इस बारे में माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह बिल्कुल सही है लेकिन कानून के ऊपर कोई हो नहीं सकता। कानून जो बना हुआ है, वह कानून है लेकिन फिर भी हम यह प्रयास कर रहे हैं कि सैट-अपार्ट करायेंगे। जिस प्रकार से जितने खसरा नम्बर पर यह लोग बसे हुए हैं, इतनी की इतनी ही जमीन, जैसे माननीय सदस्य ने भी कहा है कि हम उसके लिए सैट-अपार्ट करने के लिए कुछ भूमि इनकी अवेलेबल होगी, उस बारे में भी विचार करेंगे ताकि उन लोगों को वहां से नहीं हटना पड़े और नगर परिषद के पास, स्थानीय निकाय के पास यह जमीन रहे। लेकिन आज तो वर्तमान समय में जो पोजिशन है, वह गोचर है। इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं और परीक्षण करवाने के बाद में, जल्दी ही परीक्षण करवायेंगे क्योंकि यह पूरे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की समस्या है। यह खाली अपने दौसा के अन्दर समस्या नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले जनसंख्या कम थी। धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। लोग उसको छोड़ते गये और आगे बढ़ते रहे। गांव के बाहर हमेशा गोचर होती है। यह कोई खाली दौसा खुर्द के लिए नहीं है। पूरे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के मामले हैं लेकिन यह जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध हैं जिनके बारे में, किस प्रकार से इसका समाधान हो, उसके लिए हम दूसरी जमीन, गोचर के लिए एक्वायर करके, उसकी किस्म परिवर्तन हो, इस प्रकार के हम परीक्षण करवा रहे हैं और जरूर हम कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह कम हो। यह माननीय सदस्य की ही चिंता नहीं है, यह राजस्थान के हरेक गांव में इस प्रकार की चिंता है

(श्री अमराराम)

कि लोग गोचर के अन्दर बैठे हुए हैं, उन्होंने मकान बना लिये और कइयों को तो पट्टे भी दे दिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह जो रहने के लिए मकान, खाने के लिए जमीन नहीं है। सिर्फ अपनी झोपड़ी बनाकर वह गरीब लोग रह रहे हैं। उनकी यह चिंता वाजिब है और इसके लिए जरूर परीक्षण करवायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से माननीय सदस्य को यही बात अवगत कराना चाहता हूं।

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बतला दूं, 1980 के सैटलमेंट में इस जमीन पर जो नक्शा बना, उसको आबादी क्षेत्र दिखाया गया है और इसी के तहत उधर गोचर है। यह 1980 के सैटलमेंट की बात मैं कर रहा हूं। खास तौर से हमें इतना समय लग गया और उसके अन्दर आप सोचिये, कितने बरसों तक अगर यही चलता रहा। मैं भी यह मानता हूं कि यह कानूनी अड़चन आ रही है लेकिन यह सदन बैठा है। इस कानून को किसी भी तरीके से सही करने के लिए है। हम क्या इसको कुछ जल्दी, कोई सैटलमेंट के द्वारा या किसी के द्वारा भी करवाकर जल्दी ही इस कार्य को करवाना चाहते हैं? जिससे कि उनकी कई वर्षों से हालत खराब है, उससे निजात पा सके।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सैटलमेंट के समय गलतियां हुईं, उनके लिए सैटलमेंट विभाग के कमिशनर जो हमारे हैं, उनकी टीम भेजकर भी, उसमें शुद्धिकरण कैसे हो सकता है, पुराना रिकार्ड देखकर हो सकता है कि पुराने समय में क्या था और बाद में कैसे आया? इस बारे में जो पुख्ता इलाज है, वह हम परीक्षण करवा देंगे। मैंने पहले ही निवेदन किया है। हम सैटलमेंट विभाग के अधिकारियों से करवा देंगे ताकि माननीय सदस्य की समस्या का समाधान हो।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री जोगारामजी।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई एम सोरी, एक रिक्वैस्ट थी। मेरा निवेदन यह था कि यह राजस्थान लेवल का बहुत गम्भीर विषय है। यह हर गांव में है। सैटलमेंट से लगाकर आज तक किसी भी रेवेन्यू विलेज के बाहर आप जायेंगे तो आबादी विस्तार बहुत कम हुआ है और उसके बाहर जायेंगे तो विभिन्न किस्म की गवर्नमेंट लैंड है। इस पर कहीं 50 साल से आबादी है, कहीं 70 साल से आबादी है, कहीं अलाटमेंट

(श्री जोगाराम पटेल)

है, कहीं नियमन है तो ऐसे इश्यूज को विधान सभा के मार्फत सारे राजस्थान की जनता को आप कोई रूलिंग दे करके या कोई आधा घंटा की चर्चा के मार्फत निस्तारण करें तो जनता का फायदा हो जाएगा। मेरी रिक्वैस्ट यही थी, सर।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मंगलराम जी।

## कठूमर में पेयजल की समस्या

**श्री मंगलराम** (कठूमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, कठूमर विधान सभा क्षेत्र के लिए मैंने पहले भी कहा था कि सरकार ने 75 आर.ओ. सैंक्शन किये हैं, इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद मगर दो साल हो गये, दो साल में मात्र 10 लगे हैं और 30 ट्यूबवैल हुए हैं तो दो साल के बाद में भी इनकी क्या गति है? माननीय मंत्री महोदय मुझे बतायें कि आर.ओ. कब तक ठीक हो जायेंगे खारे पानी की समस्या के निदान के लिए और शेष जो हैं, सरकार ने भेजे हैं, वह कब तक स्वीकृत हो जायेंगे?

दूसरा, मेरा निवेदन है कि कठूमर विधान सभा क्षेत्र में, प्रोपर कठूमर कस्बे में 88.20 लाख रुपये की पाइप लाइन सैंक्शन हुई है। उसकी अवधि भी निकल गई है और अभी तक कार्य नहीं हुआ है और कस्बा बड़ा है। आने वाले समय में, गर्मी का मौसम है, पानी की बड़ी समस्या है तो यह भी बतायें कि अवधि निकलने के बाद यह लाइन कब तक डल जायेगी?

तीसरा, मेरा निवेदन है कि खेड़ली में जो नगरपालिका है और कस्बा है, वहां की क्षमता 14 ट्यूबवैल्स की हैं, उसमें से नौ खराब हो चुके हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन जो आपने स्वीकृत कर दिये, वह कब तक चालू हो जायेंगे? क्योंकि बड़ा कस्बा है, उस बड़े कस्बे में पानी के लिए त्राहिमाम-त्राहिमाम हो रहा है। वे कब तक चालू हो जाएंगे? तीसरा निवेदन करना चाहता हूं कि सौंकरी ग्राम पंचायत में आपने योजना सैंक्शन की है और दो-तीन योजनाएं पूरी हो गयीं और आपका विभाग कहता है कि यह वन विभाग की जमीन है जबकि वहां पहले जो योजना थी, पुरानी जो योजना थी, उसी स्थान पर थी और उसी स्थान पर होने के बाद में आज उन नई योजनाओं के लिए आपका विभाग वन विभाग का सहारा ले रहा है।

(श्री मंगलराम)

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन योजनाओं का कब तक कार्य पूरा हो जाएगा? उसके अलावा विभाग ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी. एण्ड टी. से 21 योजनाएं भेजी हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। वे योजनाएं हमारी कब तक स्वीकृत हो जाएंगी? मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वे बताएं कि हमारी पानी की समस्या कब सोल्व हो जाएगी?

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कठूमर के अधीन 75 गांव गुणवत्ता प्रभावित हैं और आर.ओ. भी स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 21 स्थानों पर प्रथम चरण में आर.ओ. प्लांट स्वीकृत किये गये, जिनमें से भी 10 का निर्माण पूर्ण कर चालू कर दिये गये हैं, 2 सूखे पाये गये हैं, 7 स्थानों पर जगह की कमी व स्थान पर आपत्तियां होने के कारण निर्माण नहीं हो पाया है, शेष कार्य प्रगतिरत हैं।

द्वितीय चरण में 54 आर.ओ. स्वीकृत कराये गये हैं, जिनके कार्य सम्पादन हेतु दो बार आमंत्रित की गयी निविदाएं निरस्त हो चुकी हैं। तीसरी बार निविदा आमंत्रित कर 28 बोरवैल का कार्य प्रगतिरत है। 9 फ्लोराइड प्रभावित गांवों में डिपो स्वीकृत कराये गये हैं, जिनका कार्य भी प्रगतिरत है। शेष क्षेत्र में 10 सोलर बेस सिंगल फेज स्वीकृत कराये गये हैं, जिनमें से 2 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 7 स्थानों पर माननीय विधायक महोदय द्वारा इसी माह में स्थान परिवर्तन कराया गया है जिनको 30.03.2018 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने 21 पेयजल योजनाओं के बारे में बताया, मैं इनको निवेदन कर दूं कि 21 पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर राशि 7 करोड़ 1 लाख रुपये की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार काम करवाया जाएगा। जैसा खेड़ली और कठूमर के लिए आपने बताया है तो जो काम चल रहे हैं, उनको समयबद्ध पूरा कराने का प्रयत्न करूंगा।

**श्री मंगलराम** (कठूमर): यही तो पूछ रहा हूं गति क्या है आपकी? अभी तक तीन साल में 10 आर.ओ. ही हुए हैं। गति ही तो पूछ रहा हूं, कब तक हो जाएंगे?

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने आपसे निवेदन किया कि दो बार निविदाएं निरस्त हो चुकी हैं, तीसरी बार निविदाएं लग गयी हैं और कार्यादेश दे दिये गये हैं और जल्दी से जल्दी उनको पूरा करवाने का प्रयत्न करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री भंवर सिंह जी।

## सांखला फांटा से फलौदी सड़क निर्माण में दियातरा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर से जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के नाम से, पचास वर्षो से यह संचालित है।

उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे नम्बर 15 के नीचे आए दियातरा के किसानों की खातेदारी भूमि, जो कि संवत् 2005 से खातेदारीशुदा है, भूमि की अवाप्ति कार्यवाही करवाने व भूमि का मुआवजा देने की मांग संबंधित क्षेत्र के किसान सन् 1980 से राज्य सरकार व जिला प्रशासन से कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2010 में अपना संवैधानिक हक नहीं मिलता देख, उच्च न्यायालय, जोधपुर में दियातरा क्षेत्र के किसानों के द्वारा रिट लगवाई गयी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से पारित निर्णय दिनांक 12.12.2012 के अनुसार श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर को याचीगण को वांछित अनुतोष के संबंध में सुनवाई का निर्देश दिया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर ने पालना में 16 अप्रैल, 2013 को अपने-अपने पक्ष रखने की सुनवाई शुरू की गयी थी, जो लगातार चल रही थी। इस बीच एन.एच. 15 को फोर लेन में स्वीकृत कर दिया गया। बीकानेर से फलौदी तक के किसानों की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही हेतु गजट नोटिफिकेशन अखबारों में जारी हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही साजिशपूर्ण तरीके से दियातरा ग्राम के उपरोक्त याचिका कर्ता और वहां के किसानों की भूमि को अवाप्ति में शामिल नहीं किया गया और न ही गजट में नोटिफिकेशन किया गया। इस हाईवे के 59 से 69 किलोमीटर तक का, जो 10 किलोमीटर का एरिया है, उसको पूर्णतया अवाप्ति से जान-बूझकर छोड़ा गया ताकि न्यायालय में जाने वाले किसानों को उनका हक न मिले। दियातरा के किसानों ने भूमि अवाप्ति

(श्री भंवरसिंह)

अधिकारी, जिला कलक्टर, बीकानेर को अपनी पीड़ा को बताया तो जवाब मिला कि आपका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है।

न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा संबंधित काश्तकारों की भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गयी जिसमें राजस्व पटवारी, तहसीलदार, कोलायत की टीम बनाकर तहसीलदार, कोलायत के द्वारा दी गयी जिसमें याचिकाकर्ताओं की भूमि एन.एच. 15 में होना, मौके पर सड़क चलना और मुआवजा पाने के हकदार होना बताया गया है।

वहीं उपनिवेशन विभाग की जो रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भी 30.07.2017 के अनुसार अवाप्ति की कार्यवाही न होना, सड़क का राजस्व रिकार्ड में अंकन न होना, संवत् 2005 से खातेदारीशुदा भूमि संबंधित काश्तकारों की होना बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत के आदेश के अनुसार 11.08.2017 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर को रिपोर्ट में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं होना, राजस्व अभिलेख में भूमि की सड़क में तब्दीली का अंकन नहीं होना आदि बातें कही गयी हैं।

तत्पश्चात, उपाध्यक्ष महोदय, उपखण्ड अधिकारी कोलायत के द्वारा भी ग्राम दियातरा के खातेदारों की एन.एच. 15 में आई भूमि का मौका सीमा ज्ञान का गठन कर दियातरा भेजा, जिसमें उनकी पूरी टीम के द्वारा एन.एच. 15 पर मौके पर, जो बनी हुई सड़क है, वहां के खातेदारों की खातेदारी भूमि होना बताया गया है और भूमि मूल खातेदारों के नाम होना बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन रिपोर्टों के बावजूद भी श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर ने उक्त किसानों को मुआवजा नहीं देने हेतु दिनांक 06.12.2017 को आदेश दे दिये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों के बावजूद किसानों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीकानेर से जैसलमेर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके जो दियातरा और आस-पास के जो 10 किलोमीटर है, वहां के किसानों को जब शुरू में रोड बनी, उस समय भी मुआवजा नहीं दिया गया है और चूंकि अब बीकानेर से जैसलमेर एन.एच. चौड़ाईकरण का और फोर लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। दियातरा से आगे के किसानों को मुआवजा दे दिया गया है, दियातरा के जो पीछे के जो किसान हैं, उनको भी मुआवजा दे दिया गया।

(श्री भंवरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो दियातरा गांव के किसान हैं, जिनकी जमीनें इस हाईवे में बाकायदा दर्ज हैं और उस खातेदारी जमीन के बीच में से एन.एच. निकल रहा है। इन तमाम बातों के बाजवूद इन किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है और यह जो हाईवे निर्माण का कार्य है, वह एन.एच.ए.आई. के द्वारा जबरन शुरू कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये साधारण किसान परिवार के लोग हैं, खेती पर निर्भर रहने वाले लोग हैं और अनुसूचित जाति, दलित समाज के लोगों की जमीन भी इसमें बहुत ज्यादा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क का निर्माण हो, फोर लेन का निर्माण सरकार कर रही है, यह स्वागत योग्य है। हम भी चाहते हैं कि सड़कें बने, लेकिन कम से कम जिन किसानों की जमीनें इस हाईवे में बिना अवाप्ति के, उन किसानों की जमीन के बीच में से यह सड़क बनायी जा रही है तो मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों को आप मुआवजा दें और उसके बाद एन.एच. के निर्माण का कार्य करवाया जाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रश्नगत राष्ट्रीय राजमार्ग का जिक्र किया है, यह 1972 से राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के नाम से चल रहा था, अब इसको परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजमार्ग 11 में बदला गया है।

यह भी सही है कि इसमें 14 काश्तकार ऐसे थे, जिन्होंने कहा कि अनुतोष हमें पूरा नहीं मिल रहा है और ये राजस्थान उच्च न्यायालय में गये। जोधपुर उच्च न्यायालय ने कलक्टर को रिमाण्ड किया केस को, कि आप गुणावगुण के आधार पर इस पर सुनवाई करके इसमें तय करें और लैंड एक्वीजिशन कोर्ट के आधार पर, कलक्टर ने इसमें सभी ज्युडिशियल एक्ट करते हुए सुनवाई की, रिपोर्ट ली और रिपोर्ट लेने के पश्चात् उन्होंने एन.एच.ए.आई. के पक्ष में फैसला कर दिया।

इसी आधार पर उन्होंने कहा अनुतोष इनका बनता नहीं है। पहले वे हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट ने रिमाण्ड की, कलक्टर को भेजा, कलक्टर ने अपनी कोर्ट में सुनवाई की और सुनवाई करने के पश्चात् कहा कि इन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

काश्तकारों का मुआवजा बनता नहीं है। चूंकि उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़क पूर्व में 1972 से बनी हुई है। अब अगर मान लो काश्तकारों को मुआवजा नहीं बनना कोर्ट ने तय कर दिया तो काश्तकार वापस कोर्ट में जा सकते हैं। यह मामला न्यायिक है, इसके अन्दर राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। काश्तकार पहले कोर्ट में गये, कोर्ट ने कलक्टर को कहा। कलक्टर ने सेमीज्युडिशियस प्रोसेस को पूरा करते हुए मुआवजा नहीं देना माना। यह फैसला साथ में लगा हुआ है इसलिए इसके अन्दर अब न्यायालय के द्वारा ही कोई फैसला हो सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

## सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में घटिया सामग्री की आपूर्ति

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। महोदय, राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में भारी धांधली एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। राज्य के अधिकांश जिलों में विभाग के प्रत्येक कार्य दायित्व में विभागीय जिला अधिकारियों से लेकर निदेशक तक द्वारा भारी संख्या में भ्रष्टाचार किये जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार की आम जन में छवि धूमिल हो रही है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप पहले ध्यान आकर्षित कर लें। मंत्रीजी का जवाब आ जाए उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरीज करनी हो तो आप पूछ लें। आप फरमाओ तो सही, उनका ध्यान आकर्षित तो करो, वो स्वत: ही आकर्षित थोड़े होंगे।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): आपने आदेश दिया, मैं बैठ गया। उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। शब्दों में ही दम है तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**: हो जाइये सर, अब आप भी आरम्भ करें।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय द्वारा जो बिन्दु ध्यानाकर्षण

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

प्रस्ताव में उठाये गये हैं, इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में नियमानुसार विभागीय क्रय समिति का गठन कर आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में गद्दे एवं बिस्तर आदि का क्रय नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम का चयन गुणवत्तापूर्ण सामग्री के आधार पर किया गया है। क्रय समिति के उक्त निर्णय के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक 48526 दिनांक 27.7.2016 को उक्त फर्म को आपूर्ति आदेश दिया गया। तदुपरांत उपक्रम द्वारा छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में सामग्री उपलब्ध करवायी गयी। आपूर्ति आदेश की कुल राशि 4.24 करोड़ रुपये है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 में नियम-32 में बिना निविदा क्रय करने की प्रक्रिया अनुमत की गयी है, जिसमें क्रय प्रक्रिया में समय एवं धन की बचत के लिए उपापन संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों आदि से बिना खुली निविदा के क्रय करने के लिए नियमानुसार अधिकृत किया गया है। विभागीय स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा सामग्री क्रय से पूर्व राजस्थान हैंडलूम कारपोरेशन, राष्ट्रीय वस्त्र निगम एवं अन्य के जयपुर स्थित शोरूम पर क्रय किये जाने वाली सामग्री का दिनांक 20.7.2016 को अवलोकन उपरांत ही एनटीसी नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड से क्रय किये जाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। वर्णित प्रकरण लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर स्तर पर विचाराधीन है, जिसमें भी इस आशय का उल्लेख किया गया है कि सामग्री का क्रय नियमानुकूल किया गया है। एनटीसी नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड को जारी किये गये आपूर्ति आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि सामग्री को विभिन्न स्थानों पर भेजने से पूर्व विभागीय समिति द्वारा सामग्री का अवलोकन किया जायेगा। आपूर्ति किये गये सैम्पल निदेशालय के स्टोर में उपलब्ध हैं। लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त प्रकरण के संदर्भ में विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा भी स्टोर में रखे गये सैम्पल का फौरी तौर पर अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत उपरोक्त सैम्पल को आदेश में वर्णित विशिष्टीकरण के अनुरूप पाया गया। जैसे ही विषय राजस्थान पत्रिका के डूंगरपुर संस्करण में छपा, समाचार से विभाग के संज्ञान में आया तो विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग के आदेश क्रमांक 9029 दिनांक 5.2.2018 द्वारा उप निदेशक, राजस्व, मुख्यावास, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

छात्रावास, मुख्यावास की तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कर आवासीय विद्यालय खेड़ा आसपुर, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर तथा आवासीय विद्यालय खोडन जिला बांसवाड़ा में वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा की गयी आपूर्ति तथा गद्दे, कम्बल, तकिया एवं दरी-पट्टी आदि की गुणवत्ता एवं विशिष्टीकरण की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सात दिवस में निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करने के निदेश दिये गये। उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दिनांक 7.2.2018 को माननीय विधायक श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव राजकीय आवासीय छात्रावासों में घटिया किस्म के गद्दों, तकियों की सप्लाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन को वस्तु स्थिति अवगत कराते हुए घटिया किस्म के गद्दों, तकियों की सप्लाई की शिकायत की जांच समिति से करवाने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया, जिसकी अनुपालना में विभागीय आदेश क्रमांक 9911 दिनांक 8.2.2018 द्वारा निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है। जांच उपरांत यदि आपूर्ति में किन्हीं अधिकारियों/कार्मिकों की या एनटीसी उपक्रम की दुर्भावना, लापरवाही सामने आयेगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन माननीय सदन में दिया जा चुका है।

राज्य के तीन आवासीय विद्यालयों क्रमशः खेड़ा आसपुर, खोडन एवं सागवाड़ा के आवासीय विद्यालयों में सामान की गुणवत्ता के संबंध में विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा मौके पर जाकर सामान का परीक्षण किया गया। समिति द्वारा गुणवत्ता को खराब नहीं बताया गया। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 6.2.2018 के संस्करण में प्रकाशित समाचार अनुसार चार जिलों के 15 छात्रावासों में आपूर्ति किये गये सामान को खराब बताया गया है। इस संबंध में एनटीसी व छात्रावास अधीक्षक द्वारा राजकीय देवनारायण छात्रावास, दौसा एवं राजकीय देवनारायण छात्रावास, कोटा में आपूर्ति किये गये सामान को मौके पर जाकर देखा गया है। सामान की घटिया गुणवत्ता नहीं बताई गई है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं, किन्तु एक तो जो भी खरीद हो, इस विभाग में वह टेण्डर से

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हो, सीधे खरीद न हो। दूसरा मेरा निवेदन है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो और तीसरा वहां जो डाइरेक्टर है वो चाहे पूर्व सरकार के समय डाइरेक्टर मेडिकल थे, उस समय को डुबोया मुफ्त दवा योजना का एक छद्म वेश करके। फिर महिला बाल विकास में डाइरेक्टर रहे तो उस विभाग में बहुत-बड़ा घपला जो मैंने उस समय उठाया था, आपके सामने ही और माननीय मंत्रीजी को जवाब देना पड़ा। उस विभाग से हटना भी पड़ा। मंत्री महोदय, आप कृपा करके +++ डाइरेक्टर से सावधान रहें, वो कहीं आपको भी ले डूबेगा और सरकार की बदनामी भी होगी। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय, Will you allow this specific name of the Breaucrat here? I can't allow this.

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नियमों में अपने प्रावधान नहीं है, जो सदन का सदस्य नहीं हो...

**श्री उपाध्यक्ष**: आप पदनाम का इस्तेमाल कर लें In case if you have any allegation….

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अपने नियमों में है कि जो सदन का सदस्य नहीं हो...

**श्री उपाध्यक्ष**: I'll not allow the specific name to be put. May it be undone from the records.

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एवं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग में जो भी खरीद होगी, वह नियमों की सुनिश्चितता को आश्वस्त करने का आश्वासन देता हूं। जो भी नियम में प्रावधान हैं उनको सुनिश्चित करेंगे पूरी तरह से।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मानवेन्द्रसिंह जी, सदस्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

## शिव की दोहरी चिकित्सा संस्थाओं, उप स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरण

**श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियम, 131 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव...

**श्री उपाध्यक्ष**: आप चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करें।

**श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव): चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: Let him give this reply.

**श्री कालीचरण सराफ** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र शिव के अन्तर्गत वर्तमान में निम्नलिखित ग्रामों में दोहरे एलोपेथिक चिकित्सा संस्थान स्वीकृत हैं। गंगाला ग्राम, पंचायत समिति-रामसर, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सियाणी, पंचायत समिति-रामसर, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गरड़िया, पंचायत समिति-रामसर, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोनिया, पंचायत समिति-चौहटन, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीजवाड़, पंचायत समिति-चौहटन, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उंडू, पंचायत समिति-शिव, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेबा, गडरा रोड, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खलीफे की बावड़ी, मेदूसर, गडरा रोड पंचायत समिति, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देताणी, गडरा रोड उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

उपरोक्त ग्रामों में स्वीकृत दोहरे चिकित्सा संस्थानों का संचालन वर्तमान में एक ही स्थान पर किया जा रहा है। उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों में से उप स्वास्थ्य केन्द्रों को अन्यत्र ग्रामों में स्थानांतरित किये जाने के संबंध में विभागीय मापदंडों एवं गुणावगुण के अनुसार परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा।

**श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव): धन्यवाद। मैं यह जानना चाहता था कि इसी क्रम में बाड़मेर जिले में अन्य ऐसी दोहरी चिकित्सा सेवाएं चल रही हैं जिनका संचालन हो रहा है और इसी प्रकार राजस्थान में भी यह समस्या है, जिनका संचालन हो रहा है दोहरी चिकित्सा सेवाओं का। इसके बारे में मंत्रीजी कुछ जानकारी दे दें।

**श्री कालीचरण सराफ** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विभाग को इसकी पूरी सूचना प्राप्त हो गई है। पूरे राजस्थान में ऐसे 693 सब सेंटर्स हैं जो दोहरी चिकित्सा संस्था के अन्तर्गत चल रहे हैं। बाड़मेर में इस प्रकार के 37 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जो दोहरी व्यवस्था के अन्तर्गत

(श्री कालीचरण सराफ)

चल रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि इसकी पूरी सूचना प्राप्त हो गई है और जिन भी स्थानों पर विभागीय नोर्म्स के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थानांतरण किये जा सकने की स्थिति होगी, वहां पर नीतिगत निर्णयानुसार विभागीय नोर्म्स और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हम विचार करेंगे और यह सारी प्रक्रिया हम 30 अप्रैल तक पूरी कर देंगे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज ही तो यह डिमांड है, चर्चा है और आज ही यह पेश कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: पहले आपको दे दूं।

## व्यवस्था का प्रश्न

## वार्षिक प्रतिवेदनों इत्यादि की समय पर प्रस्तुतीकरण

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैंने उठाया है पाइंट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न और पूर्व अध्यक्षों की दी गई व्यवस्था इसलिए उठाना चाहता हूं कि आसन को भी बार-बार कहना पड़ता है और माननीय मंत्रीगण को भी बार-बार कहना पड़ता है। इस सदन को एक बार इस बात का निर्णय करना होगा कि माननीय आसन के निर्देशों और नियमों का पालन होगा या नहीं होगा और मंत्रीगण यह पालन करा पायेंगे या नहीं करा पायेंगे, इसका निर्णय करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज कृषि और सहकारिता, दोनों पर बहस है और आज माननीय प्रभु लाल जी सैनी जो वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, 2017-18 का एक विवरण रख रहे हैं। दूसरा, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं। तीसरा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का 2017-18 का रख रहे हैं। चौथा, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा 46 के अन्तर्गत कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसी प्रकार से सहकारिता मंत्रीजी अजय सिंह जी, वह राजस्थान राज्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर और राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन हमारे सामने रख रहे हैं और आज ही कृषि और सहकारिता पर बहस है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे अध्यक्षीय व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करूंगा। यह 1979 का है, पेज 253, श्रीमान् मदन सिंह दांता और श्रीमान परसराम जी मदेरणा के द्वारा। उपाध्यक्ष महोदय, उसको मैं एक बार पढ देता हूं ताकि सारा क्लीयर हो जायेगा, पांच लाइन हैं। श्रीमान् मदन सिंह दांता, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जो अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी गयी हैं वे समय पर नहीं रखी गयीं।

श्री परसराम मदेरणा ने कहा कि प्रिंसिपल अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि सदन के सत्र के अन्दर पहले दिन ही यह सदन की मेज पर रखी जायेगी ताकि इस सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार है कि उन रूल्स के संबंध में कोई संशोधन पेश करना चाहें तो 14 दिन के अन्दर पेश कर सकें। जब कभी पूर्व में किसी विभाग के अधिकारी सरकार के नोटिस में नहीं लाये और वह अधिसूचना कानून के अन्तर्गत इस सदन में रखी जानी चाहिये थी वह नहीं रखी गई। इतनी डिले क्यों हुई और सरकार ध्यान रखेगी कि कोई सूचना पुरानी न रहे। इसके संबंध में रिप्रेट जाहिर की जाये।

इस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न व्यवस्था दी:-

"कोई भी माननीय मंत्री महोदय अधिसूचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो सदन को यह अधिकार है पूछने का कि वे इससे पहले क्यों नहीं प्रस्तुत की गईं? मेरा निवेदन है कोई भी अधिसूचना प्रस्तुत करने से पहले माननीय मंत्रीजी अपने विभाग से संतुष्ट हो जाये और मालूम कर लें कि यह अधिसूचनाएं क्यों नहीं समय पर प्रस्तुत की गई तो उसके बाद ही सदन में रखें और यदि सदन की मांग है तो माननीय मंत्री महोदय को सामान्यतया उसके देरी के कारण बताने चाहिये। लैप्सेस कहीं हो सकते हैं लेकिन सदन इनके कारण जानना चाहता है तो माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए। इसलिए कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं तो वे सदन को बताने चाहिए।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पेज 256 पर माननीय राजबहादुर जी और माननीय श्री नाथूसिंह जी के व्यवस्था के प्रश्न पर भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी। "कुछ समय पूर्व एक माननीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आय-व्ययक एवं प्रतिवेदन उनको आज ही मिला है। उसके बाद जब यह आया एवं सदन के समक्ष रखा गया तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया। यह बात सही है कि सरकार के हर विभाग को चाहिये कि जिस दिन चर्चा हो या उस विषय पर सदन के समक्ष आने वाली हो, उससे काफी पूर्व इस तरह की पत्रावलियां सदन के माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें ताकि वे उनका अध्ययन कर सकें और उसके बाद अपने सुझाव सदन के समक्ष रख सकें। मैं समझता हूं सरकार इस बात का भविष्य में सदैव ध्यान रखेगी। लेकिन जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रतिवेदन और आय-व्ययक आज ही सदन के माननीय सदस्यों को मिलने का प्रश्न है, आपको याद होगा कि इस विषय में आज से पांच-दस दिन पूर्व ही आज के दिन चर्चा हेतु रखने का निर्णय लिया था। मैं सोचता हूं उसके पश्चात् ही विभाग ने सब तैयारी शुरू की होगी। यह कारण या कोई अन्य कारण होगा तो इसमें आखिर में बात वही सही निकली कि क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में काफी देर से तय हुआ था।

इसी तरह 272 पर है, पंचायती राज मंत्री और मंत्रीगण भविष्य में जिस दिन सदन में अनुदान की मांग अथवा अन्य विषय पर विचार हों उससे संबंधित साहित्य एक दिन पूर्व ही माननीय सदस्यों को वितरित कर दिये जायें ताकि माननीय सदस्यगण उन्हें पढ़कर अपने सुझाव सदन में प्रस्तुत कर सकें। इसी प्रकार की अन्य बहुत-सी व्यवस्थाएं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी यहां इस प्रकार के निर्देश कई बार दिये हैं। अब सवाल यह है कि बार-बार आसन से यह निर्देश दिया जाता है और माननीय मंत्री यहां खड़े होकर क्षमायाचना कर लेते हैं। इससे काम तो चलेगा नहीं। मैं जब शिक्षा मंत्री था, आप उस समय यहां थे, संस्कृत विभाग का प्रतिवेदन उस समय प्रस्तुत किया जा रहा था और सी.पी. जोशी जी ने खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और मैंने उसी समय सदन में डाइरेक्टर को निलम्बित कर दिया था। अब प्रश्न यह है कि आज सहकारिता और कृषि की बहस है और आज ही आप इन चारों का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी प्रकार को-आपरेटिव में दोनों बैंकों का यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बात तो माननीय सदस्यों के अधिकारों का इस बात का हनन है कि वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में बोलते समय उनकी क्या स्थिति है, उसकी जानकारी उनको होनी चाहिये थी। या तो मंत्रीजी उनके कारण बताएं। मंत्रीजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारण नहीं बता सकें तो उपाध्यक्ष महोदय, आज डिमांड्स पर बहस को स्थगित कर दीजिए, कल पारित कराइए। आखिर सदन को टेकन फोर ग्रांटेड ले लेना किसी भी कारण से, किसी के भी द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा, यह पूर्णत: अनुचित बात है।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि को-आपरेटिव में दो जगह 2016-17 का दे रहे हैं, 2017-18 का दे ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार एक साल पहले का दे रहे हैं और आज के दिन ही दे रहे हैं। आज तो आप रख रहे हैं, फिर हमारे पास जायेगा तो माननीय सदस्य बोलेंगे। दोनों ही माननीय मंत्री महोदय पहले तो सदन के सामने यह स्पष्ट करें कि इनके कारण क्या हैं, एक।

दूसरा, यह आज वितरित होंगे तो इन पर बहस इसके बाद हो।

उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार इनके खड़े होकर माफी मांगने से और आसन के निर्देश देते रहने से, 10 व्यवस्थाएं इसमें इस प्रकार की हैं जो पूर्व में अध्यक्षों द्वारा दी गई हैं और बार-बार इसका उल्लंघन होता है। यह बिलकुल उचित नहीं हैं और उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज आपके श्रीमुख से, आज नहीं, कल, जब भी आप देना चाहें, ऐसी व्यवस्था हो तो भविष्य में इस प्रकार किसी भी संस्थान द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसी विभाग द्वारा सदन को टेकन फोर ग्रांटेड मान ले, यह उचित नहीं है।

दूसरी व्यवस्था मैं यह भी चाहूंगा कि रोज अधिसूचना रखी जाती हैं और अधिसूचनाओं के बारे में कभी भी प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि अधिसूचना आनी चाहिये जिस दिन सदन का काम शुरू हो, उस दिन नहीं दो दिन बाद आ जाये लेकिन लगातार अंतिम दिन अधिसूचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं और अधिसूचनाओं पर प्रश्न पूछने के लिये 14 दिन का समय चाहिये, इसलिए किसी भी माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है और वह अवसर केवल एक बजट सत्र में मिलता है क्योंकि बीच का सत्र 14 दिन का नहीं होता है, इसलिए उसमें हम अधिसूचनाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नंबर एक, क्या आज के दिन इनके द्वारा प्रस्तुत करने पर इन विभागों की मांग पर बहस उचित रहेगी और माननीय सदस्य अपने विवेक से विचार रख सकेंगे? नंबर दो, जब ये 2016-17 का रख रहे हैं और 2017-18 का नहीं रख रहे हैं, तो क्या इन पर विचार करना जरूरी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है और उनके लिए किस प्रकार के निर्देश किये जाएं या फिर देरी के कारण को माननीय मंत्रीगण सदन को बतायें और उसके बाद इनको रखने की अनुमति दी जाये। तीसरा, अधिसूचनाओं के बारे में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीरता के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आसन इस विषय पर निर्णय करें ताकि भविष्य में इन बातों की पुनरावृत्ति नहीं हो। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपका भी व्यवस्था का प्रश्न है?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात यही है कि आसन के निर्देश के बाद में, 14वीं विधान सभा में भी आसन के द्वारा बार-बार निर्देश दिये गये हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने बहुत ही सफाई के साथ में कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर इसके बावजूद भी इस तरह की बात होती है तो मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है। माननीय सदस्यों का जो विशेषाधिकार है, उसका एक तरीके से हनन है और आपके द्वारा ही यहां से संसदीय कार्य मंत्री को प्रताड़ना दी गयी थी। संसदीय कार्य मंत्रीजी को कल, परसों दर्शक दीर्घा में जो माननीय अधिकारी उपस्थित नहीं थे, उसके बाबत भी आपने निर्देश दिये थे, वह व्यवस्था भी आज तक नहीं आयी है। तो मैं समझता हूं कि फिर अगर ऐसा ही होना है, केवल अंकित होना है कि इसमें ऐसा हुआ, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जवाब दिया, फिर हम खड़े हो गये, फिर ये खड़े हो गये तो मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा तो यह मानना है कि प्रमुख शासन सचिव स्तर के, जो कि डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, यह मेरी मांग है।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अध्यक्षीय व्यवस्थाओं के हवाले से जो बात कही है, मैं उस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि प्रतिवेदन, जिस दिन मांग हो उसी दिन रखा जाना, यह कोई उचित परम्परा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि आपकी आज्ञा के अनुसार सदन आहूत होने से पहले भी संसदीय कार्य विभाग ने परिपत्र जारी किया था कि कोई भी प्रगति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिवेदन और दूसरी अन्य जो अधिसूचनाएं हैं, वे समय पर पहुंचें और जो रिप्लेसिंग बिल हैं, वे भी समय पर पहुंचे, लैप्सेस रहा।

मैं एक छोटी-सी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सहकारिता विभाग के लिये जिस आडिट रिपोर्ट का जिक्र किया। उपाध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फरमायें- राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017, उपाध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट तो पिछले साल की ही आयेगी। यह वर्ष तो मार्च में खतम होगा। इसकी आडिट रिपोर्ट समय पर आगे प्रस्तुत कर देंगे। इसमें तो लैप्सेस नहीं है।

ये जो विश्वविद्यालय के प्रतिवेदन हैं। चूंकि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। हालांकि, हम उनका एक्ट बनाते हैं और उनके काम में दखलंदाजी करना सरकार के लिये उचित नहीं है और सरकार करती भी नहीं है और हमारे मंत्री महोदय भी नहीं करते हैं। पर, फिर भी आपके वैश्म में इन दोनों प्रिंसिपल सैक्रेटरीज को बुलाकर इसका स्पष्टीकरण निश्चित तौर पर करेंगे कि क्यों और किस कारण से यह विलम्ब हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह सकता हूं कि जो प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय कह रहे थे, वह बात सही है। मैंने इस मामले के अन्दर आपके इसी सत्र में दो-तीन बार पहले फटकार खा ली और अब आप आज नहीं फटकारें तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं निश्चित तौर पर आज ही चीफ सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर इसमें जो भी उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं चीफ सैक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखूंगा। विलंब के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे और इसमें कार्यवाही करेंगे। आफिसर गैलरी में अधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने से आपने जो निर्देश उस वक्त दिये थे, मैंने पूरी रिपोर्ट मंगवा ली है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय देंगे तो मैं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा, आज रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। उसके अन्दर भी रोस्टर बना रखा है। उसमें जो रोस्टर बना रखा है, हर तीन-तीन घंटे भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो-दो अधिकारियों का यह तय रखा है कि वे दर्शक दीर्घा में रहेंगे। रोस्टर बना हुआ है और रोस्टर में ए.सी.एस. और प्रिंसिपल सैक्रेटरी स्तर के लोगों का रोस्टर है। उस दिन जो रोस्टर था, उसमें जो दो महानुभाव

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थे, वे उपस्थित नहीं थे। उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित तौर पर करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

**श्री उपाध्यक्ष**: इस सम्पूर्ण विषय पर पहले भी आसन की तरफ से कई बार निर्देश जारी हो चुके हैं। लेकिन इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए और पंचायती राज एवं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के वक्तव्य के बाद में I am still reserving the decision. The Hon'ble Chair reserves the decision. I have lot to tell you Sir, and may be, probably will discuss it in the Hon'ble Speaker's Chamber and than I'll come back to the House after that.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री प्रभू लाल जी सैनी।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## प्रतिवेदन एवं लेखे

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

### महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

1. महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018;

### स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017

2. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017;

### श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

3. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018; एवं

(श्री प्रभूलाल सैनी)

## कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

4. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018.

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री अजय सिंह जी, सहकारिता मंत्री।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

## राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017;

## राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017.

**श्री उपाध्यक्ष**: संसदीय कार्य मंत्री।

## राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य-पुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: याचिकाओं का उपस्थापन, श्री गोतम कुमार।

# याचिका

## प्रतापगढ़ पंचायत समिति में सरिपिपली से उठाखेड़ा के बीच जाखम नदी पर पुलिया निर्माण

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायत समिति प्रतापगढ़ में सरिपिपली से उठाखेड़ा के बीच जाखम नदी पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति जारी करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती सोनादेवी।

## रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में राजस्थान बीज निगम के कार्यालय की मांग

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर में राजस्थान बीज निगम का कार्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री हीरालाल नागर।

## मोईकलां पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम मोईकलां में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री जीतमल खांट।

## परतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बांसवाड़ा जिले के परतापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के भवन की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखते हुए नया भवन बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

## माचिया सफारी पार्क का नगरीय परिवहन सेवा से जुड़ाव

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के विश्व प्रसिद्ध माचिया सफारी पार्क को नगरीय परिवहन सेवा से जोड़ने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री अर्जुन लाल। श्री अर्जुन लाल। उप सचेतक महोदय, now this is also a repetition. In case, if he is present and he is not in the house.

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आज एब्सेंट हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आज एब्सेंट हैं? Then its all right. विधायी कार्य।

## विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19, द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री प्रभू लाल सैनी।

# अनुदान की मांग

## मांग संख्या 37 - कृषि की प्रस्तुति

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,98,89,61,000 (रुपये अठाईस अरब अठानवे करोड़ उनासी लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

**(मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)**

## मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 11,39,00,69,000/- (रुपये ग्यारह अरब उनचालीस करोड़ उनहतर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

**(मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)**

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री अजय सिंह ज़ी।

## मांग संख्या 36 - सहकारिता की प्रस्तुति

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 14,78,03,28,000/- (रुपये चौदह अरब अठहत्तर करोड़ तीन लाख अठाईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

**(मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)**

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री प्रहलाद गुंजल।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आज काबीना की बैठक थी और अध्यक्षीय व्यवस्था ऐसी थी जिसके अन्दर यह व्यवस्था दी गई थी कि सरकार कोई भी नीतिगत निर्णय जब सदन चलता हो, सदन में सूचना देने के पश्चात् ही उसका सदन के बाहर प्रकटीकरण करे। मैं अनुमति यह चाह रहा था कि अगर आप अनुमति दे दें तो काबीना की बैठक के पश्चात् जो निर्णय लिये, वह प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं प्रेस कांफ्रेंस करता हूं। अध्यक्षीय व्यवस्था के नाते मैंने अनुमति मांगी है। अगर अनुमति प्रदान कर दें तो मैं प्रेस कांफ्रेंस करूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपको अनुमति है, अध्यक्षीय व्यवस्था है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): महोदय, इन्होंने यह अनुमति मांगी है कि मैं बाहर जाकर कह दूं। उसकी अनुमति आप दे सकते हो।

## मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री प्रहलाद गुंजल।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि, मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा, मांग संख्या-36 सहकारिता, इन पर सदन में चर्चा प्रारम्भ हो रही है। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और किसान एक बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है। हम जब कभी सामान्य बात करते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब हम आजाद हुए थे तो इस देश की जीडीपी का 60 प्रतिशत से ज्यादा बड़ा हिस्सा कृषि, पशुपालन पर निर्भर था। 60 प्रतिशत से ज्यादा योगदान देश की आजादी के बाद, आजादी के समय कृषि का रहा, पशुपालन का रहा और आज आजादी के 70 साल बाद यह योगदान घटकर 20 प्रतिशत के दायरे में आ गया है। इसका आशय यह नहीं है कि हिन्दुस्तान में खेती घटी है, किसानी घटी है। देश ने विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की की है। औद्योगिक विकास हुआ है। विविध प्रकार के डवलपमेंट देश में हुए और उस तुलना में कृषि में जीडीपी का जो हिस्सा बनता था, वह कम हो गया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार 2003 से 2008 के बाद दूसरी बार इस सदन का मैम्बर हूं। ऐसा कोई सत्र नहीं गुजरता जिसमें किसान की चर्चा नहीं होती है। बजट का सत्र हो, कृषि की डिमांड पर चर्चा का विषय हो तो किसान चर्चा में आएगा। मैंने पिछले साल यहां बजट पर बोलते समय कहा था किसान का जीवन कृषि-मानसून का जुआ है। पानी आएगा तो कृषि-किसानी ठीक होगी। मानसून ठीक होगा तो किसान की उम्मीदें ठीक होगी लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार हमने यह देखा है कि बीच-बीच में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान की पसीने की कमाई, किसान का सपना, उस प्राकृतिक आपदा से खतम हो जाता है, तब हम सदन में जोर से मांग करते हैं कि ओलावृष्टि हो गई है किसान को मुआवजा चाहिए। किसानों को मुआवजा दिया जाए, किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएं। लगातार सदन में किसान किसी न किसी बहाने चर्चा का विषय बना रहता है। एक बहुत बड़ा सवाल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज करना चाहता हूं कि देश का इतना बड़ा संवेदनशील विषय कृषि और किसान, जिसके बारे में लगातार कहा गया है कि केवल हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में लगातार होने वाली खाद्य असुरक्षा किसी भी राष्ट्र और विश्व के लिए अशांति का कारण बन सकती है। हम 70 के दशक में इस दौर के निकट से गुजरे। हम खाद्यान्नों पर निर्भर थे दुनिया के दूसरे देशों से। एक समय आया हमारे पास कुछ दिनों का खाद्यान्न बचा और भारत के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश के उस बचे हुए खाद्यान्न से काम चलाने का आह्वान करना पड़ा। फिर नारा आया हरित क्रांति का। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं हरित क्रांति ने मनुष्य के भुखमरी, वंचना के विरुद्ध युद्ध में अस्थाई सफलता तो प्राप्त कर ली। आज हम भूखमरी के दौर में नहीं हैं, वंचना के दौर में नहीं है। यह सफलता हमको मिल गई लेकिन वास्तविक अर्थों में भुखमरी और वंचना से हमको अस्थाई सफलता दिलाने वाला वह किसान आज किस मुकाम पर खड़ा है? लगातार हम इस सदन में चर्चा करते हैं। जब से सदन आहूत हुआ है तब से हर रोज किसी न किसी बहाने किसान चर्चा में आता है। कभी फसल मुआवजे की मांग को लेकर किसान चर्चा में आता है। कभी सम्पूर्ण ऋण माफी को लेकर किसान चर्चा में आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, मुझे तो अभी आश्चर्य हुआ कि जिस विचारधारा के लोगों ने सारे हिन्दुस्तान ने ही

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नहीं, दुनिया ने देखा कि टाटा का नेनो कारखाना लगाने के नाम पर नंदीग्राम में किसानों का नरसंहार किया और उसी विचार के लोग राजस्थान में किसानों के लिए राहत के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

**(14.00 बजे)**

हमें एक दिन इस परम्परा से बाहर निकलना पड़ेगा। किसान राजनीति का मुद्दा नहीं है। किसान किसी भी दल की राजनीति का एजेंडा नहीं हो सकता। किसान इस राष्ट्र की आत्मा है। मैंने अभी कहा है कि अगर हमने किसान के जीवन में सम्पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता पैदा नहीं की, किसी भी प्रकार की खाद्य असुरक्षा केवल एक मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह बात कर रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लगातर पिछले 48-50 साल तक काम करने वाली सरकार ने किसान के लिए क्या किया, यह आज आत्मचिंतन और गम्भीर विचार का विषय है। हमने पिछली बार इस सदन में बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया था, जब राजस्थान में प्राकृतिक आपदा आ गई, खड़ी फ़सलें ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गयीं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की टीम आई। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया जब किसानों के मुआवज़े को लगभग दुगुना करके दिया गया हो। 49-50 साल से राज करने वाली कांग्रेस के समय प्राकृतिक आपदाएं होना आम बात थी। राजस्थान पर अकाल की मार हमेशा बनी रही। किसान उस चक्र में पिसता गया लेकिन राहत के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा, इससे ज्यादा कभी कांग्रेस के राज में नहीं मिला। साथ ही यह भी चिंतन है कि राहत किसान के जीवन को बदलने का आधार नहीं बन सकती। किसान के जीवन में आत्मनिर्भरता कैसे आए, उसमे कैसे बेसिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं, यह चिंतन देश में कभी कांग्रेस सरकार के टाइम प्रारम्भ नहीं हुआ। जब से नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने, उन्होंने देश को एक सपना दिया कि जब हम देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे, 2022 में हिन्दुस्तान के किसान की आमदनी को दुगुना करेंगे। इसके लिए आगे कदम भी बढ़ाए। उपाध्यक्ष महोदय, कदम किस दिशा में बढ़ाए, मैंने इस सदन में बजट पर बोलते हुए कहा था कि इस हिन्दुस्तान में 50-55 साल राज करने वाली कांग्रेस ने ठीक तरीके से इंसानों का स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं किया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, हिन्दुस्तान में यह अवसर पहली बार आया कि जितनी जोत है, किसान ने सम्पूर्ण ताकत और क्षमता के आधार पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके उपज बढ़ाई, देश का मान-सम्मान बढ़ाया। इस मुल्क को इस स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया कि हम खाद्यान्नों का निर्यात करने लगे। उसके बावजूद भी रोज इस प्रकार की चर्चा होना, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आर्थिक बोझ से तंग है, किसान की आय दुगुनी कैसे हो, इस बारे में प्रधान मंत्रीजी ने चिंतन किया और सबसे पहला काम किया सोइल हैल्थ प्रयोगशाला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रथम चरण में सोइल हैल्थ के 75 लाख कार्ड बन गए। सोइल हैल्थ एक संवेदनशील मुद्दा है। हमने कई बार इस सदन में चर्चा की है, पंजाब से कोई ट्रेन आती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन है। वहां से आने वाली नहरों का पानी पीने से कैंसर जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। आज सोइल हैल्थ के परिणामों के बाद राजस्थान में भी यह स्थितियां पैदा हो गईं कि अकेले कोटा में हज़ारों सोइल हैल्थ के परिणाम आए हैं उसमें किसी में जिंक, किसी में आयरन, किसी में फास्फोरस, किसी में बोरोन की कमी है। धरती की उर्वरक क्षमता रासायनिक खादों के इस्तेमाल के कारण न केवल कमजोर पड़ गई बल्कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, वह बीमारियों को भी साथ-साथ निमंत्रण दे रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप सोइल हैल्थ का परीक्षण तो कर रहे हैं, बना रहे हैं। धरती में किन-किन लवणों की जरूरत है, जो न केवल फसल पैदा करे, फसल में वह जरूरी प्रोटीन, जरूरी तत्व हो जो मानव शरीर के लिए आवश्यक हो। प्रधान मंत्रीजी की सोइल हैल्थ कार्ड भारत के लिए महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें जो कमियां हैं वह धरती के स्वास्थ्य में नजर आ रही है। इस हिन्दुस्तान में दस परसेंट लोग भी नहीं होंगे जो शरीर की सारी-सारी जांच कराते होंगे, लिपिड प्रोफाइल कराते होंगे। आजादी के 70 साल बाद यह किसानों के लिए स्वर्णिम युग कहा जा सकता है, जब इस धरती की, किसान की लिपिड प्रोफाइल, कि पैदावार के लिए धरती में किस-किस चीज की, किन-किन तत्वों की कमी है, ऐसा निर्णय पहली बार हुआ है। पहली बार निर्णय हो गया, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपने धरती का स्वास्थ्य जांच लिया, जरूरी मिश्रणों की कमी है उसको भी जांच लिया लेकिन उसको पूरा करके मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, यह भी विचार करने की आवश्यकता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो निश्चित रूप से इस पर अपनी बात कहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं। कृषि केवल अकेला विषय नहीं है, कृषि के साथ सिंचाई, बिजली का संबंध जुड़ा हुआ है, पशुपालन भी है। तमाम बातों पर बात कर रहा हूं। मैं 2003 में जब एमएलए बनकर आया था तब इस सदन में पीड़ा व्यक्त की थी कि कृषि बिजली से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय है, सिंचाई से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय है। मैंने दो बातों पर गंभीरता से, जोर से अपनी बात कही कि मैं रामगंजमण्डी से आता हूं। एक खेत की मेड पर कोटा स्टोन की इण्डस्ट्री लगती है, एक खेत की मेड पर बोरिंग लगता है, टयूबवैल लगता है और अगले दिन सुबह बिजली के दफ्तर में दोनों व्यक्ति अपनी फाइल लेकर जाते हैं। इण्डस्ट्री लगाने वाले को पहले दिन ही कनेक्शन मिलता है। कांग्रेस राज ने जो व्यवस्था इस राजस्थान में कायम कर दी कि जो कृषि का कनेक्शन लेने जाता है उसको दस साल की प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाता है। यह कैसा अन्याय है। इस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर हम हिन्दुस्तान के किसान का सुनहरा भविष्य बनाने की कल्पना किस आधार पर कर सकते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं, साढ़े चार साल नहीं, 2003 से 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1993 से लेकर 2007 तक, 14 साल की पैंडेंसी खतम करने का एक नया रिकार्ड स्थापित किया गया। सामने प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं, आपने क्या किया? 2008-13 में आपकी सरकार रही, आप ठीक तरीके से दो साल की पैंडेंसी भी खतम नहीं कर पाए। अब फिर मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में 2012 तक की दो लाख की पैंडेंसी खत्म करने का आव्हान किया है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि जब तक हम इस हिन्दुस्तान के किसान को, आओ और पाओ, आओ और पाओ। वह किसलिए पा रहा है, हम लगातार उसको चोर बनाना चाहते हैं, किसान के पास पांच-दस बीघा की जोत है, उसके पास से किसी का बिजली कनेक्शन निकलकर जा रहा है, वह अपनी फसल पैदा करने के लिए बिजली चोरी करेगा। वह एयर कंडीशन चलाने के लिए बिजली चोरी नहीं करता है। मैं बिजली चोरी का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन वह बिजली चोरी अपना पेट पालने के लिए

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करता है, देश को पालने के लिए करता है। देश के सामने खाद्य सुरक्षा की चुनौती पैदा नहीं हो जाए, देश में किसी प्रकार की असुरक्षा पैदा नहीं हो जाए। हमें इन सारी परिस्थितियों पर विचार करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहां हम कहें कि आओ और पाओ। आज आओ और कल सुबह ले जाओ। जब तक हम यह व्यवस्था हिन्दुस्तान के किसान के साथ नहीं करेंगे तब तक हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हम जब विपक्ष में बैठे हैं तो किस प्रकार का भाषण करें, सत्ता में बैठे हैं तो किस प्रकार का भाषण करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान को लगातार आठ घंटे बिजली नहीं मिल रही है, हमने गहलोत जी का वह शासन भी देखा है बिजली देना तो दूर 2003 से 2008 में राजस्थान के हजारों गांवों के ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। जहां पर बिजली देते थे, सर्दी के दिनों में रात 12 बजे का फीडर। अगर हम ईमानदारी से विचार करें कि जाड़े में आदमी जाड़े से बचने के लिए रज़ाई लेकर सोता है, अपने कमरों में हीटर जलाकर सोता है। आजादी के 70 साल बाद हमने हिन्दुस्तान के किसान को एक ऐसी व्यवस्था का शिकार बना दिया कि सर्दी के दिनों में अगर उसे रात 12 बजे का फीडर मिलता है तो वह खेत पर पाव्वत करने के लिए जाता है और कई बार सर्दी के कारण हदय घात के कारण उसकी मौत हो जाती है। हम जब तक इस व्यवस्था से उभर कर हिन्दुस्तान के किसान को 24 घंटे बिजली नहीं दे देते, इस पर जाना पड़ेगा। हमें सोलर सैक्टर में जाना पड़ेगा। कई सारी बातें हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता लेकिन हम बिजली के क्षेत्र में इन तमाम सम्भावनाओं पर जा करके एक आत्म सम्पूर्ण। आत्म निर्भरता की स्थिति जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस हिन्दुस्तान के किसान के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज डार्क जोन एक बड़ी चुनौती बन गया। जल में हमारी तीन प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता पेयजल, दूसरी प्राथमिकता सिंचाई और तीसरी प्राथमिकता उद्योग।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में पिछले 70 सालों में सतही जल का ठीक तरीके से उपयोग नहीं किया गया। ठीक तरीके से उपयोग नहीं करने का परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के 80 प्रतिशत उपखण्ड डार्क जोन हो गये। उपखण्डों के डार्क जोन होने के बाद आज धरती का पानी सिंचाई के कारण हजार-हजार फीट नीचे चला गया। जितना धरती के पानी का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दोहन हो रहा है, उतने वाटर रिचार्जेज के हमारे पास संसाधन नहीं हैं। उनको रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में इस राजस्थान में एक बड़ी प्राब्लम हो गयी है। जब पेयजल की डिमाण्ड पर चर्चा हुई तो आज भी राजस्थान में जल की पहली प्राथमिकता पेयजल है। हम राजस्थान को सौ प्रतिशत रूप से उस पहली प्राथमिकता से मुक्त नहीं कर पाये हैं कि हम पेयजल में आत्म निर्भर हैं, सारा का सारा राजस्थान पेयजल की दृष्टि से सम्पन्न है, हमने पानी का उपयोग राजस्थान में पहली प्राथमिकता के लिये समुचित रूप से शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त कर लिया है। आज हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं। आज हमारे लिये पहली प्राथमिकता ही चुनौती है तो दूसरी प्राथमिकता को हम किस रूप में ले रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जल स्वावलम्बन का काम चलाया है और नारा दिया कि हम दौड़ते को चलना सिखाएं, चलते को रेंगना सिखाएं और रेंगते हुए को रुकना सिखाएं, रुकेगा तो जल स्तर बढ़ेगा। मैंने 2003 से 2008 में कहा था कि एक असेसमेंट करो। इस राजस्थान की ही नहीं, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद कि लगातार पिछले 40-50 सालों के जो माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट बने, जो चेक-डेम के लिये प्रोजेक्ट बने, केवल अंग्रेजों के जमाने के बेनिफिट कोस्ट का एक फार्मूला बनाकर गये थे। यहां का वैभव उनका लक्ष्य नहीं था। यहां की सम्पन्नता अंग्रेजों का लक्ष्य नहीं था। वह जो लागत होगी, उसकी तुलना में कैसे लाभ कमाया जाये। वह बी.सी. रेशो का जो फार्मूला बनाकर गये थे, उस बी.सी. रेशो के फार्मूले के कारण इस हिन्दुस्तान के हजारों माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट आजादी के 50 सालों में टर्न डाउन हो गये। जब यह कल्पना हमारे दिमाग में आई तब हम भयभीत हो गये। सबको डराने वाला दृश्य हमारे सामने खड़ा हो गया। धरती का पानी सूख रहा है, पेयजल की प्राथमिकता पूरी नहीं हो पा रही है, सिंचाई के लिये लगातार संघर्ष हो रहा है। मैं अन्तरराज्यीय जल समझौतों की तरफ नहीं जाना चाहता, इस राजस्थान के पूरे पानी का उपयोग नहीं हुआ। मैंने 2003 से 2008 के दौरान कहा था कि चम्बल नदी के बेसिन में चले जाइये और चम्बल नदी के बेसिन पर आप जाकर काम करिये। चाहे वह काली सिंध हो, पार्वती हो, बनास हो, इन तमाम नदियों पर काम करेंगे और काम करके एक-एक इंच पानी को रोककर राजस्थान के लिये उपयोग में लेंगे, तब जाकर इस राजस्थान के किसान के भविष्य को बदलने की गुंजाइश होगी। आज इसमें पहली बार 37

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में है। मुझे पता है, लोगों ने सवाल खड़े किये हैं। आपने 37 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में सिंचाई के लिये कर दिया लेकिन यह कब लागू होगा, आज कितना बजट रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं, सरकार को इस विषय पर सम्पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा।

मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना को जिस तरीके से आन्दोलन बनाने की चेष्टा की, उसके परिणाम कोई बहुत गम्भीर आयेंगे या नहीं आयेंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि उन छोटी-छोटी तलाइयों से किस प्रकार से राजस्थान का सुनहरा भविष्य बनेगा, लेकिन यह जो चम्बल बेसिन, माही बेसिन, इस पर काम करके एक-एक इंच पानी को रोककर पूरे राजस्थान के हित में उसका उपयोग लेकर, यह जो वृहत् सिंचाई योजना बनी है उस पर गम्भीरतापूर्वक जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा और यह सोचकर काम करना पड़ेगा। कोई कहे कि एक साल में क्या होगा, दो साल में क्या होगा। राजस्थान में हमारा लक्ष्य एक साल का नहीं है। हम एक साल के राजस्थान को नहीं बनाना चाहते, हम पांच साल के राजस्थान को नहीं बनाना चाहते। हम सौ साल के, हजार साल के राजस्थान को बनाना चाहते हैं। हजार साल के राजस्थान को बनाने के लिये हमारी योजनाएं, दूरगामी योजनाएं होनी चाहिए। जो इस बजट में आया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एक दूरगामी योजना, जिसमें सिंचाई के लिये 52 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं बनाई। मेरा विश्वास है कि यह 52 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं धरती और धरातल पर आ जाएंगी। किसानों के लिये एक सुनहरा भविष्य खड़ा हो जायेगा और इसी में से निकलेगा। किसान राजनीति का मुद्दा नहीं, रहम का पात्र नहीं। हमने उसे बना रखा है। उसके जीवन में आत्मनिर्भरता कैसे आये। इसीलिये जरूरी है कि उसको बिजली 24 घण्टे मिले, जरूरी है कि हर खेत को पानी मिले और हर खेत में हर हाथ को काम मिले। इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक काम हो रहे हैं।

इसीलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो केन्द्र का बजट आया है उसमें भारत के वित्त मंत्री और प्रधान मंत्रीजी ने प्रतिबद्धता जाहिर की है, मेरी सरकार किसानों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। दशकों से देश की कृषि नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन केन्द्रित रहे थे। हमने इसमें एक मौलिक संकल्पनात्मक बदलाव किया है। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने 2022 तक, जब

(श्री प्रहलाद गुंजल)

भारत 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, किसानों की आय दुगुनी करने के सम्बन्ध में आह्वान किया है। हमारा बल किसानों के लिये अधिक आय सृजित करने पर है। हम कृषि को एक उद्योग बनाना चाहते हैं। किसानों को उसी भूखण्ड से अपेक्षाकृत कम लागत पर अधिक उत्पादन करने और अपने उत्पादों के अधिकतम मूल्य करने में सहायता करना चाहते हैं। हम किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिये उत्पादक और लाभकार आन-फार्म और नान-फार्म रोजगार सृजित करने पर बल दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये काम करना प्रारम्भ कर दिया गया। आगे पैरा 17 में लिखा है, हमारे यहां 86 प्रतिशत से अधिक किसान अभी लघु और सीमांत हैं। यह हर बार एफ.एम.सी. या अन्य थोक बाजारों में सीधे अपने उत्पाद को भेजने की स्थिति में नहीं होते। हम मौजूदा 22 हजार ग्रामीण हाटों को कृषि बाजार के रूप में विकसित और उन्नत करेंगे, जो विपणन की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, छोटे किसानों के लिये, उस पर गम्भीरतापूर्वक काम हो रहा है। इसीलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्रीजी ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: कृषक की वार्षिक आय कितनी है? जिसको आप दुगुनी करेंगे तो वर्तमान में उसकी वार्षिक आय कितनी है?

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): Per capita income?

**श्री उपाध्यक्ष**: कृषक की। Absolutely.

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, इसकी डिटेल में जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): The Government intends to double it. That's all nothing beyond that. वह डाटा किसी के पास है ही नहीं।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अस्थिर है।

**श्री उपाध्यक्ष**: उसका डाटा उपलब्ध है।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): मैंने कहा है, किसान का जीवन मौसम का जुआ है। जिसका जीवन ही जुआ हो। अब 'जुआ' का नाम लूंगा तो सदन में फिर नई गर्मी आ जाएगी, इसलिये मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: Rs. 6495 per month including Punjab's agriculture

(श्री उपाध्यक्ष)

sector also which is an average. पूरे भारत का सारे प्रदेशों का एवरेज निकालने के बाद में 6495 रुपयों का आंकड़ा आता है। अगर आप उसको 12 से गुना कर देंगे तो एक लाख से भी कम है और आपके इंडिया की पर-कैपिटा इन्कम एक लाख को पार कर चुकी।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो और भी कम है।

**श्री उपाध्यक्ष**: जो भी है। I don't want to... मैं इसलिये कह रहा था कि ...(व्यवधान)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर नहीं गया। मैंने कहा है कि यह मानसून का जुआ है और राजस्थान इसका उदाहरण है कि पिछली बार पूर्वी राजस्थान में 23 प्रतिशत कम वर्षा हुई, पश्चिमी राजस्थान में 84 प्रतिशत ज्यादा वर्षा हुई और दोनों ही वर्षा आपदा का कारण बनी। जहां 84 प्रतिशत ज्यादा वर्षा हुई वह आपदा का कारण बनी, जहां 23 प्रतिशत कम बारिश हुई वह आपदा का कारण बनी। जब किसान आपदा का शिकार होता है तो उसके खेत में क्या पैदावार होगी, यह कल्पना न सरकार के पास होती है, न विभाग के पास होती है, न स्वयं किसान के पास होती है। माथे पर हाथ रखकर रोने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। हम लोग केवल उसके आंसू पोंछने के अलावा उसको कोई ज्यादा राहत देने के लिये काम नहीं कर पाते। पहली बार प्रधान मंत्रीजी ने उसको आपदा से राहत दिलाने के लिये बड़ा कदम उठाया है। इस पर मैं कहना चाहता हूं। इसी विषय पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसान का जीवन आपदा से ग्रस्त हो गया है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कभी मौसम में ज्यादा गर्मी आती है, कभी ठण्डक आती है। आप तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही नहीं हैं, एक किसान भी हैं। खड़ी फसल के बीच में जब वह फल पाने की स्थिति में होती है अगर टेम्परेचर में दो से चार प्रतिशत का वेरिएशन आ जाए तो 30 प्रतिशत पैदावर कम हो जाती है, 30 प्रतिशत और केवल 30 प्रतिशत पैदावर कम नहीं होती। माननीय मंत्री महोदय, जिस प्रकार की गुणवत्ता की फसल उस टेम्परेचर के घटने-बढ़ने से पैदा होती है, बाजार का मूल्य तक उसका कम हो जाता है, यह गहरा चिंतन जब तक हम नहीं करेंगे, केवल फसल कम नहीं होती, उसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है और जब गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है तो बाजार के उसके मूल्य पर फर्क पड़ता है और बाजार के मूल्य पर फर्क पड़ता है तो किसान की समग्र आमदनी पर फर्क पड़ता है और इसीलिए मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री वाजपेयीजी ने फसल बीमा इसीलिए लागू की थी कि जितना नुकसान होगा सरकार भुगतेगी, बीमा कम्पनियां भरेंगी लेकिन आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप नवाचार खूब कर रहे हैं, नवाचारों के साथ आपदा से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन का किस तरीके से हम सामना कर सकें, फेस कर सकें, उस जलवायु परिवर्तन में किसान राहत महसूस करें, वैज्ञानिक अनुसंधानों की जरूरत है।

बदलते उस ऋतु संतुलन के अन्दर किस मौसम में किस प्रकार की कम लागत की अधिक उपज की फसल पैदा की जा सकती है, आज इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने की जरूरत है, यह समय की आवश्यकता है। अगर हम ट्रेडिशनल ढर्रे पर चलेंगे और ट्रेडिशनल ढर्रे पर परम्परागत फसलें पैदा करने के लिए हमने राजस्थान के किसान को छोड़ दिया और वैज्ञानिक नवाचार करके हमने उसके साथ एक सहकार भाव पैदा नहीं किया, चूंकि आज सहकारिता की डिमांड है, सहकार भाव पैदा नहीं किया, सहयोग पैदा नहीं किया तो फिर राजस्थान के किसान की माली हालत जो बनने वाली है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह हमारे सबके लिए एक चिंता का विषय है।

मैं मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मंत्रीजी किसान हैं और कृषि के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। किसान को ट्रेडिशनल ढर्रे से हटाकर किस प्रकार की अर्थोपार्जन फसलें पैदा की जाएं, इस दिशा में आपने बहुत गम्भीर प्रयास किये हैं। आपने प्रयास किये हैं, राजस्थान में आपने 8 उत्कृष्टता केन्द्र खोले हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि उसमें से आपने कोटा में नींबू की प्रजाति का उत्कृष्टता केन्द्र खोला है। मैं उन आठ जिलों का जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन आठ जिलों से काम नहीं चलेगा। राजस्थान के हर जिले में वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है और वहां की मिट्टी में किस प्रकार की फसल के पैदा होने की संभावनाएं कितनी हैं, इन सारी चीजों का एक वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद उन तमाम प्रकार के एक-एक वैज्ञानिक केन्द्र आपको तमाम जिलों में सृजित करने पड़ेंगे और वैज्ञानिक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

केन्द्र सृजित करने से ही काम नहीं चलेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो रिसर्च की है, उन रिसर्चों का जो परिणाम आया है और वह परिणाम राजस्थान के किसान की माली हालत को बदलकर एक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जा सकता है, राजस्थान के एक-एक किसान को जब तक हम उसके साथ नहीं जोड़ेंगे और अंतिम रेखा पर बैठे हुए किसान को जब तक हमारे नवाचारों का लाभ नहीं मिलेगा तब तक मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि आपके प्रयास तो बेहतर हैं लेकिन उन प्रयासों का लाभ हम राजस्थान के किसान को नहीं दिलवा पाएंगे।

आप हर क्षेत्र में और भारत सरकार भी, किसान को राहत दिलवाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार डवलप करने जा रही है और राष्ट्रीय कृषि बाजार में हमारे यहां से 25 जिलों को जोड़ा है लेकिन राष्ट्रीय कृषि बाजार में किसान को उसके उत्पादन का ठीक मूल्य मिल जाएगा यह अवेयरनैस पैदा करने का भी, कृषि विभाग को एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। कृषि विभाग में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई थीं, मैंने देखा है कि हम वर्षों से किसान को सर्टिफाइड बीज दिलवाने की बात करते रहते हैं लेकिन कोई एक ऐसा साल नहीं बचा पांच सालों में कांग्रेस के राज में कि जब बीजों में भ्रष्टाचार, बीजों में घोटाला का मुद्दा लगातार इस सदन में नहीं उठा हो। घटिया क्वालिटी के बीज, कई-कई बार तो हमारे शासन में भी यह स्थितियां पैदा हुईं। शुरुआत के दो सालों में उन सैशन में हमको यह सवाल उठाना पड़ा कि मध्यप्रदेश से इतना घटिया क्वालिटी का बीज आयातित करके राजस्थान के किसानों को बेच दिया गया कि राजस्थान के किसान को उस बीज का मूल्य निकालने की स्थितियां नहीं बनीं। आखिर, इसको देखेगा कौन? इन सारे विषयों पर जाना पड़ेगा एक-एक चीज पर बारीकी से।

बिजली में हम आत्मनिर्भर बनें, सिंचाई में हम एक-एक इंच जमीन को सींचने की समुचित व्यवस्था करें और किसान की फसल आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के तमाम रिसर्चों के अनुसार और आपने जो मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण, जिसको मैं लिपिड प्रोफाइल कह दूं, जो-जो कमियां आई हैं मिट्टी के स्वास्थ्य में, उस खराब स्वास्थ्य में पैदा होने वाली पैदावारें मनुष्य के स्वास्थ्य को भी खराब कर रही हैं, यह एक नई चुनौती है। इस नई चुनौती से लड़ने के प्रयास करें और इसीलिए मैं तमाम इन सारी बातों के साथ माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मंत्री महोदय, आपसे यह उम्मीद करूंगा कि अब यह समय आ गया है कि जब किसान किसी की कृपा का पात्र नहीं रहना चाहिए। वह इस देश का मालिक है, भाग्य विधाता है। मैंने कई बार राजस्थान के ही नहीं, हिन्दुस्तान के वित्त मंत्रियों के भाषण पढ़े और सुने हैं कि किसान की माली हालत पर देश का उपभोक्ता और विनिर्माण का क्षेत्र टिका हुआ रहता है। जिस साल उसकी फसल में खराबी होती है तो सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का उपभोक्ता बाजार लड़खड़ा जाता है। जिस रोज उसकी फसल लड़खड़ाती है, पूरे मुल्क का विनिर्माण का क्षेत्र लड़खड़ा जाता है। जो इस भारत का भाग्य विधाता है, जो भारत का भविष्य है, उसके लड़खड़ाने से देश लड़खड़ाता है। उसके लड़खड़ाने से समूचे देश की बाजार आधारित व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। उसके बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे उसको आत्मनिर्भर बनाए रखें, कैसे उसको स्वावलंबी बनाये रखें और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि क्या फार्मूला एडोप्ट करेंगे? मैं तो सीधा-साधा किसान हूं, मैं जानता हूं कि-

"धरती वही रानी, जिसके माथे पर पानी',

हमारे किसान नेता रघुवीर सिंहजी कौशल कहा करते थे कि हम कितने ही नवाचार करें लेकिन जब तक हम धरती पर सिंचाई के सम्पूर्ण संसाधन, तमाम सतही जल को रोककर किस तरीके से खड़े कर सकते हैं, वाटर रिचार्ज धरती का गिरता हुआ किस तरीके से हम वापस कर सकते हैं पानी के स्तर को, सारे महकमों को मिलकर, यह देश का मालिक है किसान, एक अकेले आपसे पार पड़ने वाली नहीं है, इसके साथ सारे महकमों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना पड़ेगा और जब तक यह काम हम नहीं करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस सदन में किसान राजनीति का मुद्दा बनता रहेगा।

हमें इस सदन में यह भी सुनने को मिलेगा कि सीकर में वह लोग किसान के हित की चिंता कर रहे हैं जिन्होंने नंदी ग्राम में किसान के खून से धरती को लाल कर दिया। यह खेल-तमाशा अब बंद होना चाहिए और यह खेल-तमाशा बंद करने की उम्मीद राजस्थान का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगाकर बैठा है। यह उम्मीद जगाई है भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने। यह उम्मीद जगाई है भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बिहारीजी वाजपेयी ने। उन्होंने देश को एक सपना दिया कि राजस्थान में अकाल से आपदा आती है, बिहार में बाढ़ से आपदा आती है। मैं दोनों आपदाओं को अवसर में बदलूंगा। बिहार की बाढ़ को अकाल में लाकर इस हिन्दुस्तान के सामने एक अवसर पैदा करूंगा। आज वह काम रुका है। वह काम बंद है।

देश में कई प्रकार के वातावरण के और वायुमंडल पर, पोल्यूशन पर काम करने वाले कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। हम वातावरण को सुधार लेंगे, पोल्यूशन को ठीक कर लेंगे, पहले हमको किसान के पेट को सुधारना है, उसके जीवन में आत्मनिर्भरता लानी है, स्वावलंबन लाना है। जब किसान स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा तो हम तमाम प्रकार के सैक्टर्स को सुधार कर एक नई व्यवस्था कायम कर देंगे, यह देश का बड़ा तबका है। यह लड़खड़ाएगा तो देश लड़खड़ा जाएगा और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय का संकेत किया है, मैं आपकी भावना का सम्मान करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

पशुपालन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। पशुपालन पर मुझे याद है, मैं पशुपालक के घर का बेटा हूं। हमारे यहां पर ट्रेडिशनल तरीके का पशुपालन चल रहा है। नस्ली सुधार पर लम्बे समय से काम हो रहा है लेकिन नस्ली सुधार, पशुपालन के क्षेत्र में अभी आंदोलन की भूमिका में नहीं आया है और ट्रेडिशनल रूप से राजस्थान में एक व्यापार करने वाला किसान अभी आत्मनिर्भरता के रास्ते पर नहीं आया है। उसे आत्मनिर्भरता के रास्ते पर लाना है, उसे ट्रेडिशनल व्यवसाय से बाहर निकालकर उन्नत किस्म के पशु पालने के लिए तैयार करने के लिए सरकार को कंधों से कंधा मिलाकर सहयोग देना पड़ेगा। पशुपालन लोगों की आजीविका का बड़ा आधार है। आज भी जिसको हम 86 प्रतिशत लघु सीमांत कृषक बोलते हैं, उन 86 प्रतिशत लघु सीमांत कृषक में से 70 प्रतिशत से ज्यादा लघु सीमांत कृषक आज पशुपालन पर आधारित व्यवसाय पर जिंदा हैं। कोई एक गाय लेकर, कोई चार बकरी लेकर, कोई चार भेड़ लेकर, कोई आठ ऊंट लेकर, कोई दो भैंस लेकर अपनी आजीविका चला रहा है। उस व्यक्ति के जीवन में मौलिक सुधार लाने के लिये मुझे पता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से 30 साल पहले पशुओं का बीमा लगातार अनवरत रूप से हुआ करता था। मैंने पिछली बार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सदन में इस बात को उठाया था कि राजस्थान की बीमा कम्पनियों ने किसानों को अपने एजेण्डे में से बाहर निकाल दिया। मंत्री महोदय, आपने घोषणा भी की थी कि हम राजस्थान के तमाम पशुओं का बीमा करेंगे। मुझे याद है, मैं पशुपालक हूं, कभी किसान के घर की कोई दूध देती 5 किलो और 10 किलो की भैंस मरती है तो उसके घर के लोगों का विलाप वैसे ही होता है जैसे घर का कोई सदस्य मर गया हो। इस संकट से उसको कैसे निकालें, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस स्वाभाविक प्रक्रिया में उसके सामने आने वाली चुनौती, संकट, विलाप में हम कैसे भागीदार बनें, यह हमारा एजेण्डा होना चाहिये। इसलिये हमको लोगों ने दायित्व दिया है, हम उसके एक-एक छोटे-छोटे काम में कैसे भागीदार बनें, उसकी छोटी-छोटी दिक्कतों और तकलीफ को किस तरीके से हम जांचें, परखें और उसमें उसका साथ दें।

मैं उम्मीद करूंगा कि नस्लीय सुधार का कार्यक्रम राजस्थान में एक आन्दोलन बने। खास तौर से उन क्षेत्रों में, जहां पर लार्ज लेवल पर पशुपालक रहते हैं। एक-एक गांव में, जहां पर 100 घरों की आबादी है, 100 घरों की बस्ती है, वहां 10-20, 15-15 हजार ट्रेडिशनल तौर-तरीके से व्यवसाय करने वाले पशुपालकों के जानवर हैं, वहां पर आपको नस्लीय सुधार का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने लार्जर लेवल पर उप-केन्द्र खोले हैं, लेकिन यह नस्लीय सुधार कार्यक्रम के जो केन्द्र हैं, आपको इन केन्द्रों को शहरों के बजाय गांवों की उस चौखट तक ले जाना पड़ेगा, जहां पर हजारों-लाखों जानवर हैं, जो वहां की आजीविका का आधार है। आप तय करें और तय करके भामाशाह स्वास्थ्य बीमा में 3 लाख का बीमा कर रहे हैं, आप इस राजस्थान के लोगों में, इस हिन्दुस्तान के लोगों में आत्म-निर्भरता लाने के लिये 86 प्रतिशत जो किसान लघु सीमांत हैं, उनका 80 प्रतिशत हिस्सा पशुपालन पर निर्भर करता है, उनके जीवन में बेसिक सुधार लाने के लिये आपको कहीं न कहीं उस दिशा में जाना पड़ेगा, उसके एक-एक पशु का बीमा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसको आपदा का शिकार होने के बाद आपसे बड़ी राहत मिलेगी। आपने इसकी घोषणा की है, इम्प्लीमेंट कराओ। पशु गर्भाधान केन्द्रों को ले जाओ नस्ल सुधार के लिये, निचले स्तर तक। हमने कोटा में अस्पताल खोल दिये, शहरों में अस्पताल खोल दिये। कई बार इस सदन में चर्चा हुई, वहां पर पशुपालन और जानवरों के इलाज से कहीं ज्यादा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पामेरियन कुत्तों का इलाज हो जाता है। उनका इलाज भी जरूरी है, वह भी मूक प्राणी है। हमारे एजेंडे में वह भी बाहर नहीं है लेकिन हमारे एजेंडे का बड़ा हिस्सा वह है, जो लोगों की आजीविका का आधार है और लोगों की आजीविका के आधार को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये हमारा जो यहां पर सामूहिक चिंतन है, वह धरातल पर परिलक्षित होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हमारा चिंतन, हमारा काम धरातल पर परिलक्षित नहीं होगा, तब तक हम इस रूप में काम नहीं कर पायेंगे, वह अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पायेंगे और इसलिये पशुपालन के क्षेत्र में आप नवाचार करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता के बारे में माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता भी एक वृहत् क्षेत्र है। हमने पढ़ने को तो पढ़ लिया, सहकारिता हमें दुनिया के किसी दूसरे देशों से मिली है और किसका नाम आया है इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के दूसरे देशों के 28 मजदूरों ने मिलकर सहकारिता के आन्दोलन की बुनियाद रखी, लेकिन हम भूल गये माननीय, मैं कई बार कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता हमारी संस्कृति है, सहकारिता हमारा संस्कार है। दुनिया ने इसको वैधानिक रूप देने के लिये कोई ट्रेड यूनियन का स्वरूप बना दिया होगा, कोई संस्था और संगठन बना दिया होगा, कोई उसका एक लिखित विधान बना दिया होगा। यह हमारे स्वभाव का हिस्सा है, हमारी जीवन शैली का हिस्सा है और आदि-अनादि काल में जब ठीक तरीके से हमारी सभ्यताएं विकसित नहीं थीं, तब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करते थे, उस विषम प्रकार की चुनौती से लड़ते थे। इसी में से सहकार का भाव निकला है और सहकारिता का वह आन्दोलन जो अपने आपमें किसान को, साहूकार और सेठों के उस कर्ज की व्यवस्था से बाहर निकालने के लिये बनाया गया है। उसका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम संस्थाओं के चुनाव करा रहे हैं, बेहतर प्रबन्ध कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे उस आन्दोलन में कमी है। वह आन्दोलन, जिसका चेहरा डेमोक्रेटिक होना चाहिये था और डेमोक्रेटिक भी इस स्तर का, कि गुजरात में पशुपालन में, सहकारिता में जो अमूल का चरम उत्कर्ष, देश में एक अद्भुत नाम हो गया है, वहां के प्रबन्ध के तौर-तरीके, हमारे यहां से अलग हैं। वहां डेयरी को संचालित करने वाला बोर्ड है, वह बोर्ड डेयरी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का एम.डी. कौन होगा, उसका प्रबन्ध कौन करेगा, स्वतन्त्र रूप से उसको डेप्यूट करने की पावर उस बोर्ड के पास है। हमारे यहां की व्यवस्था क्या है? हमारे यहां कानून क्या है? हम डेयरियों में सरकारी स्तर पर कोई ऐसा अधिकारी लगायेंगे कि हमारी विचारधारा के विपरीत का बोर्ड आ गया तो हम उस बोर्ड को किस तरह से असफल कर सकते हैं, उस बोर्ड को काम करने से कैसे रोका और बाधित किया जा सकता है? यह जो सहकारिता के क्षेत्र में हमारे यहां का ट्रेंड है, उस ट्रेंड के चलते हुए हमारा सहकारिता आंदोलन कमजोर हो रहा है। उसका परिणाम क्या हो रहा है? सहकारिता के प्रति लोगों की रूचि घटती चली जा रही है। मंत्रीजी बहुत प्रयास कर रहे हैं निचले स्तर तक, जी.एस.एस. के चुनाव और संस्थाओं के चुनाव समय पर हों लेकिन आज माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था हो गयी है कि सहकारिता में आम लोगों का रूझान कम होने के कारण सहकारिता लोकशाही की जगह घरानाशाही में चली गयी है। बरसों तक एक ही व्यक्ति कब्जा करके रहता है।

आपने पिछले विधान सभा सत्र में कानून बनाया कि दो बार से ज्यादा कोई इसका चेयरमैन नहीं बनना चाहिये। यह इस दृष्टि से एक सुधारवादी कदम तो हो सकता है, लेकिन यह जो घरानाशाही व्यवस्था कायम हो गयी है, दो साल लगातार मैं नहीं बनूंगा, मेरा भाई बन जायेगा, मेरी पत्नी बन जायेगी, उस घरानाशाही व्यवस्था को खतम करने के लिये जो निचले स्तर पर बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, कैप्चर जिन्होंने सहकारिता को कर रखा है अपने लेवल पर, संस्थाओं के नियमों को बदल देते हैं, संस्थाओं के बाई-लाज को बदल देते हैं। आपको तय करना पड़ेगा कि राजस्थान में अगर आप सहकारिता को इतना फ्रीडम नहीं देना चाहते अमूल की तरह या महाराष्ट्र के गन्ना शुगर मिल की तरह, जहां फ्रीडम का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम सामने आ गया, मैं उसकी परिभाषा नहीं करना चाहता कि माफियाओं के हाथों में शुगर चली गयी, लेकिन राजस्थान के सहकारिता आन्दोलन में समान कानून और हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिये तमाम संस्थाओं का बाई-लाज एक होना चाहिये। मैं बैठा हूं और मैंने बाई-लाज में ऐसी कंडीशन जोड़ दी जिसकी पात्रता ही मैं रखता हूं, कोई दूसरा इसके लिये एलीजिबल नहीं है। मैंने सदस्यता के लिये इस प्रकार की कंडीशंस पैदा कर दीं कि उसको केवल मैं और मेरा आर्थिक साम्राज्य ही फुलफिल कर सकता है, कोई दूसरा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यक्ति उस पर आ ही नहीं सकता। यह जो ट्रेडिशनल, यह जो तौर-तरीके सहकारिता के मूवमेंट में घुस गये हैं, इन मूवमेंटों ने सहकारिता के आंदोलन का सत्यानाश कर दिया। मैं दो-दो सहकारी संस्थाओं का अध्यक्ष रहा हूं। आज सहकारिता हमारे यहां पर दम तोड़ती चली जा रही है। उसका दोहरा कारण है।

मैं धन्यवाद दूंगा आज माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को, कि आपने किसानों के ऋण माफ किये हैं, लेकिन किसानों की ऋण माफी केवल एकमात्र विकल्प नहीं है। सहकारिता भी उद्यम है। सहकारिता रोजगार का अवसर है। सहकारिता आत्मनिर्भरता का रास्ता तैयार करने का एक आधार है, एक फार्मूला है और इसलिये उसमें व्यापकता लायी जाये। हमारे यहां की डेयरियों को कैसे आत्मनिर्भर किया जाये? सहकारिता आधारित छोटे-छोटे कुटीर उद्योग गांवों में किस प्रकार से पैदा किये जायें? आज सरस ने राजस्थान में लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। हमें एक स्टडी करनी चाहिये कि हमारा एक सरस का महकमा मात्र हजारों लोगों की आजीविका का आधार बन सकता है, हम किस प्रकार से इस मूवमेंट को और साउंड करें, किस तरीके से और ताकत दें कि राजस्थान के लोगों की आजीविका का आधार बनें और इसलिये मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने यह जो ऋण माफी की है, उसमें भूमि विकास बैंकों के किसानों को भी अगर आप कवर करेंगे, जिनकी बहुत माली हालत है। फसली ऋण में तो आपने कहा है, मैं समझता हूं सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो 50 हजार के क्रोप लोन में आपने घोषणा की है, सीमित किसानों को लाभ मिलेगा, भूमि विकास बैंक और अन्य बैंकों का, खास तौर से सहकारी बैंकों को आप पूरा ले लोगे तो मैं समझता हूं कि एक बार किसान को जो प्राइमाफेसा जो झटका लगा है, उसमें निराशा है। वह एकदम से आगे बढ़ेगा, उसको राहत मिलेगी और आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि कोटा के विश्वविद्यालय में इस बार कृषि का महाविद्यालय दिया है। बिना महाविद्यालय के कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार का था जैसे कोई बिना पहियों की गाड़ी चल रही हो। मुख्य मंत्रीजी ने और आपने उसको ठीक तरीके से चलाने का काम कर दिया। मैं आपका आभारी हूं।

मैं उम्मीद करूंगा, मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो पशुओं के बीमे की,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

फसलों के नस्ल सुधार के, गर्भाधान के केन्द्र गांवों तक कैसे पहुंचें, इस बारे में एक समग्र आन्दोलन की, और कृषि में जो नवाचार और धरती के स्वास्थ्य परीक्षण में जो कमियां हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने के हालात जो राजस्थान में बन रहे हैं, उनकी चुनौती से निपटने के आपके पास तौर-तरीके क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। राजस्थान के सहकारिता आन्दोलन को सार्वभौमिक, व्यापक और सरकारी नियंत्रण से उन्मुक्त करने के लिए और लोगों को बेहतरीन आजीविका का आधार और लोगों को सहयोग का आधार बनाने के लिए हम किस दिशा में और नवाचार करने जा रहे हैं, इस पर सहकारिता मंत्रीजी अपनी बात करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री जोगारामजी पटेल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): बहुत-बहुत आभार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनेक डिमाण्ड्स में से सबसे महत्वपूर्ण डिमाण्ड्स, डिमाण्ड संख्या-37 कृषि, डिमाण्ड संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा और डिमाण्ड संख्या-36 सहकारिता पर चर्चा हो रही है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, किसान के परिप्रेक्ष्य में और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, यानी पश्चिमी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण डिमाण्ड्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके मार्फत राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, सहकारिता मंत्रीजी को और आदरणीय कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पहली बार अन्नदाता को समर्पित बजट पेश किया है। डिमाण्ड में भी अन्नदाता का सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखा गया है।

इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी अन्नदाता को समर्पित बजट के रूप में काफी कुछ काम किया है और अभी जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर अर्थशास्त्रियों और जानकारों के लिए कि "कृषि आमदनी दुगुनी करने का तात्पर्य है जिसको हम सबको समझना होगा। कृषि, कृषक, उस पर निर्भर जीडीपी और रोजगार के अवसर, इन सबको एक साथ अगर देखेंगे तो कृषि का महत्व समझ में आयेगा।

आदरणीय कृषि मंत्रीजी, मैं आपका इस नाते भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अनेक नवाचार किये हैं और हमारे पश्चिमी राजस्थान में पहली बार चाहे अनार हो, चाहे खजूर हो, चाहे जैतून हो, ये आप लाये हैं। आज बाड़मेर,

(श्री जोगाराम पटेल)

जालौर, जैसलमेर जिले और जोधपुर के कुछ भाग जो अनार के लिए विश्वप्रसिद्ध होने लगे हैं। इन उपजों से किसान की आमदनी साल की दस लाख, बीस लाख, पचास लाख रुपये और उससे भी ज्यादा होने लगी है। खजूर भी बहुत पनप रहा है और आप जैतून भी लाये हैं। जैतून की रिफाइनरी भी लाये है। ये सब ठीक हैं। इसके लिए तो बहुत आभार है और इसके लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के हम आभारी हैं।

मैं इस मौके पर विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान चाहे वह मारवाड़ का हिस्सा हो, चाहे वह बीकानेर का हिस्सा हो और चाहे कोटा का उस भाग का हिस्सा हो जो हाड़ौती का हिस्सा है, प्रकृति ने हमको बहुत चीजें दी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस ओर भी विशेष ध्यान दें। मैं जिस प्राकृतिक पौध के बारे में बता रहा हूं, उसमें न पानी की जरूरत है, न अलग से मेहनत की जरूरत है, न अलग से किसान को कोई खर्चा करने की जरूरत है लेकिन प्रकृति की उस पौध को, प्रकृति के दिये हुए उस उपहार को अगर हम ठीक ढंग से काम में लेना शुरू करें तो जो किसान को खेती से आमदनी मिल रही है, उससे भी अधिक आमदनी किसान को इस प्राकृतिक पौध के मार्फत भी मिल सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के रूप में तीन चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला खेजड़ी। खेजड़ी का वृक्ष किसान के लिए बहुत उपयोगी है। दुनिया में इससे बड़ा उपयोगी किसान के लिए व खेती के लिए कुछ हो नहीं सकता। खेजड़ी से तीन चीजें किसान को मिलती हैं, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। खेजड़ी के नीचे जो फसल पैदा होती है, उतनी खेत के अन्य भाग में पैदा नहीं होती है। उस खेत में, अन्य भाग में उससे दुगुनी फसल खेजड़ी के नीचे-नीचे पैदा होती है। न उसको यूरिया की जरूरत है और न उसको डीएपी की जरूरत है। इस तरह सबसे पहला खेजड़ी का पेड़ खड़ा होना ही किसान के लिए वरदान है और कोई फसल बोओ, वह डबल पैदा होगी।

दूसरा, सांगरी है जो विश्वप्रसिद्ध है। राजस्थान पूरे विश्व को सांगरी दे रहा है और खेजड़ी के सिवाय दूसरा कोई सांगरी देने वाला नहीं है। तीन सौ रुपये किलो मिलने वाला प्रोडक्ट है और उसका लूंग आज भी आठ रुपये किलो बिक रहा है। उस खेत में चाहे वह बाजरी बोये, चाहे मूंग बोये, चाहे मोठ बोये

(श्री जोगाराम पटेल)

या अन्य कोई फसल बोये, उससे उसकी आमदनी दोगुना हो जाती है, अगर हम उस पौध को प्रोटेक्शन कर दें। आजकल इस पेड़ में दीमक बहुत लग रहा है, खेजड़ी बहुत जा रही है।

मैं आपकी मार्फत प्रतिपक्ष के नेताजी से निवेदन करूंगा कि आपके विधान सभा क्षेत्र में सबसे अधिक खेजड़ी है। आपके और मेरे क्षेत्र में सबसे अधिक खेजड़ी है। अगर इस ओर भी ध्यान दिया जाए तो किसान का बहुत फायदा होगा। प्रतिपक्ष के नेताजी, आपका ध्यान उधर नहीं है। आप कहीं और मशगूल हैं। आप मशगूल रहें उसमें। कृषि मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा जो खेजड़ी प्रोजेक्ट है हम क्या उसमें नवाचार कर सकते हैं, कैसे उसकी उपज को बढ़ा सकते हैं, कैसे किसान को इसकी सहायता दे सकते हैं, दीमक लगने से खेजड़ी जाये नहीं, कैसे कर सकते हैं?

दूसरा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैर का पेड़, जो हमेशा खेत की माठ पर लगता है, और कहीं नहीं लगता है। ज्यादातर कैर का पेड़ माठ पर ही लगता है। वह दो फायदा करता है। माठ को कटने से रोकता है और अपने आप ही पैदा होकर अपने आप ही कैर देता है और सबसे महंगा बिकने वाला प्रोडक्ट है। हम उसको कैसे और उपयोगी बना सकते हैं। उसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं? किसान के लिए उसको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? उसको कैसे ज्ञान करा सकते हैं?

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के एक और पौध जिसे रोइड़ा के नाम से जानते है, विशेषकर पिछले दस सालों में जो रोइड़ा जिसको हम सागवान कहते हैं, सागवान की बराबर कीमत का है। सागवान को पैदा करने में, बड़ा करने में भारी खर्चा करना पड़ता है लेकिन यह रोइड़ा प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है। परन्तु इसमे कमी यह आ रही है कि इसको वैज्ञानिक रूप से पैदा नहीं किया जा रहा है। जैसा भी प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, बीकानेर जिलों में पूरा भाग, किसान के खेत में किसी के पचास है, किसी के सौ है, किसी के दो सौ है। जैसा जितना बड़ा खेत है, उतना बड़ा खेत है और अपने आप ही पैदा होता है। उसका फायदा यह है कि रोइड़ा के फूल है, रोइड़ा के फूलों पर एक कहावत है कि रोइड़ा के फूल और

(श्री जोगाराम पटेल)

कण्डेर के फलों में फर्क होता है। रोइड़ा के फूल जब बकरी खाती है तो सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्ट उसको मिलता है। रोइड़ा के पत्ते जब वह खाती है तो उसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा उसको मिलता है और रोइड़ा का पेड़ किसान अपने खेत में बिना कोई खर्च किये सौ पेड़, दो सौ पेड़ भी अगर वह पैदा कर दे और साल में दस- पचास पेड़ भी बेचे तो लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख रुपये का बिकता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन प्राकृतिक पौधों को संरक्षण मिले, इस पर अनुसंधान हो, किसान को सहायता मिले। यह मेरा किसान के हित में आपसे पहला निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस डिमाण्ड पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो क्रमश: 28 अरब, 11 अरब, 14 अरब की हैं। इतनी महत्वपूर्ण डिमाण्ड पर हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, खाली यह कृषि का विषय नहीं है। कृषि पर अनेक लोग निर्भर हैं। आज बेरोजगारी की जो हवा बन रही है, बेरोजगारों की जो तादाद बढ़ रही है, इन सबके पीछे कृषि में कमी होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कृषि हो, कृषि में लोग लगे रहें, परिवार के लोग कृषि में लगे रहें तो कभी बेरोजगारी का विषय ही नहीं आयेगा। हमारे गांव में पहले कोई विचार ही नहीं करता था कि मैं नरेगा में जाऊंगा या मजदूरी पर जाऊंगा। उसको वे घृणा रूप में मानते थे कि मैं मजदूरी पर जाऊंगा। मैं फलां बाप का बेटा हूं, मेरे इतनी खेती है, मेरे इतनी भैंसें हैं, इतने ऊंट हैं, इतनी मेरी बकरियां हैं परन्तु आज वह मजबूर होकर नरेगा में मजदूरी पर जाने को विवश हो गया है। आज वह कहीं भी नौकरी पर चले जाने का विचार करता है। आज शहर में मजदूरी पर जाने का विचार करता है क्योंकि खेती उसके लिए उपयोगी नहीं रही। खेती कैसे उपयोगी हो क्योंकि हिन्दुस्तान और राजस्थान में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। यही विभाग है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। हम रोजगार को दृष्टिगत रखते हुए भी इस विभाग को, इस कृषि को काम में लेंगे या इसमें नवाचार करेंगे तो बहुत उपयोगी होगा क्योंकि जितने भाग का नरेगा का पैसा जा रहा है, उस नरेगा के पैसे को अगर हम कृषि के साथ जोड़ करके काम करें क्योंकि नरेगा के पैसों से दो विषयों पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, एक तो कल-कारखाने जिसको हम उद्योग कहते हैं और एक कृषि, कृषि में मजदूर मिलना नहीं मिलना, मजदूरी लगना नहीं लगना, इन सबके पीछे एक

(श्री जोगाराम पटेल)

जो कारण है, वो नरेगा का कारण भी है। अगर हम नरेगा को कृषि के साथ जोड़ देवें तो कृषि में उस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ-साथ ही उन्नत कृषि के रूप में उसको मजदूर भी मिल जायेगा।

कृषि की जोत जो धीरे-धीरे घट रही है, बढ़नी चाहिए। घटने के पीछे कारण एक ही है। हमारे राजस्थान में 343 लाख हैक्टेयर की भूमि में से सिर्फ 168 लाख कृषि योग्य भूमि है हमारे पास और 101 लाख तो खाली बन्जर भूमि है। इस 168 लाख को हम कैसे कृषि योग्य कर कैसे आगे बढ़ावें, जैसा आपने खजूर में, जैसा आपने अनार में, जैसा आपने जैतून में और उधर कोटा, हाड़ौती में जो दूसरी फसलें हैं, अलग-अलग एरिया के लायक आपने जो नया-नया नवाचार किया है, ऐसे ही बन्जर भूमि को हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं।

मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन भी इससे जुड़ी ही एक कड़ी है और जहां पानी की उपलब्धता कम है वहां पानी को रोकना, ठहराना, इकट्ठा करना, इसी से सम्बन्धित है। इस विषय पर भी हम गम्भीरता से विचार करेंगे कि पश्चिमी राजस्थान जो मरुधरा थार का है या जिसको थार रेगिस्तान कहते हैं, उसका 66 परसेंट हमारे पास राजस्थान में और थोड़ा-सा गुजरात में करीब 30 परसेंट है, बाकी सारा हमारे पास है। उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और हम उसमें विशेष ध्यान देंगे तो कृषि पर हमारा जो विशेष फोकस है, वो रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार भी व्यक्त करूंगा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इस टोटल बजट का सवा छह परसेंट कृषि पर रखा है और इसका धीरे-धीरे असर होगा। ऐसा असर कोई एक दिन, दो दिन, दो महीने, चार महीने में नहीं होता है, लेकिन जब यह पूर्ण होगा तो इसका असर भी मिलेगा।

ग्रामीण विकास को इसके साथ रखकर इसका बजट 13.42 परसेंट बढ़ाया है। ग्रामीण विकास और कृषि एक-दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में रखा है 2.90, करीब तीन का, इसका भी असर हमारे ऊपर होगा।

मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह जो बजट हैं, वह अन्नदाताओं को समर्पित बजट है, ऋण माफी का विषय है। इस पर बहुत बार

(श्री जोगाराम पटेल)

विधान सभा में विचार हो चुका है। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने इस पर विशेष रूप से एक-एक बिंदु को भी स्पष्ट कर दिया है कि कितना ओवरड्यू होने के बाद माफ होगा, कितना ऋण माफ होगा, किन-किनको फायदा मिलेगा? 8 हजार करोड़ रुपयों का वित्तीय भार पड़ेगा।

कृषि भूमि पर लगने वाले लगान से पहली बार पूर्ण रूप से राजस्थान मुक्त हुआ है। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने एक बार लगान माफ किया था और उसके बाद अब दूसरी बार माननीया वसुन्धरा राजे जी ने लगान माफ किया है। अब राजस्थान में किसी भी काश्तकार को कोई भी लगान नहीं लगेगा। यह सारे विषय हैं यानी ब्याज माफी है, अनुदान में वृद्धि लगान माफी इत्यादि आ चुके हैं।

इसके साथ ही साथ जो आपने पौंड का रेशो बढ़ाया है, पौंड पर जो अनुदान बढ़ाया है, उन सबके साथ ही साथ उनको यह प्रोत्साहित करने भी जरूरी हैं कि अगर एक काश्तकार अपने खेत में खड़े खेजड़ी के पेड़ को गिना देगा, उसमें वृद्धि करेगा, आप कोई फाइनेंशल बर्डन मत लीजिए। हम राजस्थान लेवल पर उसको प्रोत्साहित करेंगे, इनाम देंगे, हम जिला लेवल पर उसको प्रोत्साहित करेंगे, इनाम देंगे। हम तहसील लेवल पर उसको प्रोत्साहित करेंगे, इनाम देंगे तो काम उसका खुद का है, खेत उसका खुद का है, खेजड़ी उसकी खुद की है, जो पैदावार मिल रही है उसकी खुद की है, लेकिन वो यह कहेगा कि मैंने यह उपज की है इसलिए उपज मिली है।

मुझे आज भी याद है करीब पांच-छह साल पहले जब आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का कडी का एक किसान है, कडी गांव है, उसने एक हैक्टेयर में 67 क्विंटल आलू पैदा किया और विश्व रिकार्ड कायम किया और उस विश्व रिकार्ड पर मुख्य मंत्री जी ने खुद ने किसान सम्मेलन बुलाकर उस किसान को सम्मानित किया। तो सारी दुनिया को पता लगा कि ऐसा किसान भी है जो एक हैक्टेयर में 67 क्विंटल आलू पैदा कर रहा है। उसको कुछ दिया नहीं लेकिन उसके मन में हुआ कि अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे प्रोत्साहन मिला है। आदरणीय कृषि मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप एक अभियान चलावें, चाहे खेजड़ी हो, चाहे कैर हो, चाहे रोइड़ा हो कि, भई, इतना बढ़िया प्रोडक्ट पैदा करेगा, प्राकृतिक पैदा है, इससे किसानों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, हमारे प्रदेश को फायदा होगा। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा।

(श्री जोगाराम पटेल)

साथ-साथ में आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पानी दिनों-दिन नीचे जा रहा है शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां पानी ऊपर जा रहा होगा। यह तो आभार है आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का कि 25 ब्लाक डार्क जोन से बाहर आये हैं आज इस मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन के कारण लेकिन फिर भी हमारे यहां पानी दिनों-दिन नीचे जा रहा है। कम पानी में अधिक से अधिक उपज कैसे हो, यह विचार लाना ही पड़ेगा और इसके सिवाय खेती कभी रह ही नहीं सकती क्योंकि दिनों-दिन पानी की उपलब्धता धरती के अन्दर भी घट रही है और बरसातें भी कम हो रही हैं। बरसातें कम होना, धरती के अन्दर से पानी घटना, यह दोनों विषय गम्भीर रूप से किसान के लिए गम्भीरता पैदा कर रहे हैं, किसान के लिए चेतावनी कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी फसलें, जैसे बाजरी है और बाजरी के दूसरे प्रोडक्ट हैं, चाहे मूंग है, चाहे मोठ है, चाहे बाजरी है, चाहे ग्वार है जो कम पानी में पैदावार होती हो, उनको लिया जाए और पश्चिमी राजस्थान में चाहे स्पेशल अभियान चलाकर या विशेष पैकेज देकर क्योंकि फव्वारा पद्धति, बूंद-बूंद से खेती, ये पश्चिमी राजस्थान में अभी बहुत कम हुई है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, जो सौर ऊर्जा पम्प का अनुदान आपने बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपका और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं लेकिन सौर ऊर्जा पम्प के साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान में जहां पानी बिलकुल कम है, एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे मात्र चलता है या सिंगल फेज से ही चलता है बाकी चल ही नहीं सकता, उसके लिए विशेष तरह के पम्प कैसे पैदा करें और एक-दो घंटे, तीन घंटे चलकर उसको कैसे उपज मिले, इस सम्बन्ध में भी हमको गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रधान मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने फसल का दोगुना भाव करने का, डेढ़ा भाव करने का जो ऐलान किया है बजट में। हमारे यहां अभी मूंग बिका है चार हजार रुपये क्विंटल में और उससे किसान बहुत परेशान हो रहा था। चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो बाजरी हो लेकिन अभी जो भाव का केलकुलेशन आया तो हमारे किसान इस बात को राज़ी है कि अभी हमको करीब आठ हजार के आस-पास का भाव मिल जायेगा। अगर आठ हजार के आस-पास का क्विंटल का भाव मिल जाए या आठ किलो के आस-पास का भाव मिल जायेगा तो किसान कहता है कि उससे हम संतुष्ट हैं,

(श्री जोगाराम पटेल)

उससे हमको बेनिफिट मिल जायेगा, हम खेती की तरफ आकर्षित होंगे लेकिन ऐसा समर्थन मूल्य बाजरी, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल, ज्वार इन सबके लिए निर्धारित हो जाए और जो काम आप कर रहे हैं, सरकार अपने लेवल से बेस्ट से बेस्ट कर रही है लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी वहां खरीद में, रजिस्ट्रेशन में, पेमेंट में यहां-वहां लीकेजेज हो रहे हैं और इसीलिए आपकी इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा काम भी कहीं न कहीं किसान को नाराजगी पैदा कर रहा है, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। मैं दोनों ही माननीय मंत्रीगण से निवेदन करूंगा, खरीद केन्द्र पूरे खुलें, टाइम पर खरीदा जाए, पेमेंट टाइम पर हो और आज भी सेठ-साहूकार अपनी मण्डी में पड़ा जो माल विक्रय कर रहे हैं वो विक्रय नहीं करें क्योंकि आपके यहां आंकड़े आते हैं कि हमने इतना लाख क्विंटल खरीद लिया लेकिन उस खरीद में से ज्यादा जो भाग होता है वो भाग हमारा सेठ-साहूकार लाकर बेच देता है, इसलिए उस पर कैसे बंदिश करें। हालांकि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, रजिस्ट्रेशन किया है, आनलाइन पेमेंट किया है, किसान को मण्डी में खड़ा नहीं रहना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद भी उस पर अभी पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा है, उस पर अंकुश लगाने का भी प्रयास करें।

कृषि कनेक्शन के सम्बन्ध में आपने जो घोषणा की है, वो भी आप अनुमान लगाएं। हमारे प्रतिपक्ष के साथी यहां बैठे हैं, वो सिर्फ किसान को किस तरह से उस भाषा में प्रयोग करते हैं, बेचारा किसान, आत्महत्या करने वाला किसान। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप सब स्वीकार है, आलोचना-समालोचना भी स्वीकार है लेकिन उस किसान को आप इस तरह से नहीं पुकारें जो एक स्वाभिमानी किसान है। सात-सात अकाल पड़ने के बावजूद भी हमारे किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमारा किसान इतना कमजोर नहीं है कि वो बिना किसी कारण से आत्महत्या कर लेगा, या वो इतना कमजोर नहीं है कि वो लोन लेकर लोन नहीं चुकायेगा। किसान की बात करें, बहुत अच्छा है लेकिन किसान के नाम पर उसको बेचारा कहकर राजनीति करें और उसको इतने घटिया शब्दों से नहीं पुकारें। किसान हमारे लिए सब कुछ है, वो अन्न दाता हे। आप अपने मुंह से कभी तो कहो न कि वो अन्न दाता है, वो हमारी धरती का सीना फाड़कर हमको खिलाता है, वो बरसात में, सर्दी में, गर्मी में खड़ा रहकर हमको खिलाता है। या तो देश की सीमाओं पर फौजी है या खेत में किसान है। पर जब आप विधान सभा में उस

(श्री जोगाराम पटेल)

किसान की बहस करते हैं, तो आप किस तरह से जाकर किस नाम से आप उसको पुकारते हैं तब किसान को लगता है। कि हमें किस-किस नाम से पुकारातें हैं। कभी-कभी जब हम सभा में बैठते हैं, जो किसान कहते हैं, साहब-

"म्हाने यूं कांई कैवे, बापड़ो कांई कैवे म्हाने।" हमारी भाषा में बोलते हैं कि, "म्हाने बापड़ा कांई कैवे। मैं कियो, कैवे साहब, कई केवां, माने कोनी म्हे घणां केवां तोई।"

आप उनको नहीं कहें, उनकी सहायता करें, उनकी योजनाओं के लिए आप प्रोत्साहित करें। सरकार की आलोचना और समालोचना करें लेकिन किसान को इतना ज्यादा प्रताड़ित नहीं करें। मेवाराम जी, आपके लिए है, आपको भी उस दिन सभा में लोगों ने कितना कहा था कि आप हमको इस तरह से बुलाते हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसान के नाम पर राजनीति बंद करें।

**(15.00 बजे)**

कृषि कनेक्शन के लिए मैं और निवेदन करूंगा कि वर्ष 2012 तक कवर किये हैं। अभी 2017 में चल रहे हैं लंबी लिस्ट है, इसीलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी इसको और आगे बढ़ाएं। मैं उन्नत किसान के लिए आपसे विशेष निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन मैं पशुपालन के लिए आपसे निवेदन करूंगा। हमारे यहां पशुपालन में अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। अभी भी ट्रेडिशनल पशुपालन हो रहा है और ट्रेडिशनल पशुपालन होने से अभी उसमें जितना दूध मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। आपने नन्दी गौशाला खोलने, 50 लाख की सहायता देने का जो ऐलान किया, उसके लिए तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं, हमारी देसी नस्ल की जो भैंस हैं, उनके प्रजनन की जो भी विधियां हैं, उन्हें एक करके कार्य करें क्योंकि देसी नस्ल की गायें इस वातावरण में जी सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान का जो वातावरण है, जहां उतार-चढ़ाव बहुत होते हैं। वो जो दूसरी विदेशी गाय की नस्लें आती हैं, वे टिक नहीं पाती हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको ऊंटनी के दूध का है।

आपने जो ऊंटनी के दूध का जयपुर में प्लांट लगाया है, मेरा निवेदन है कि अगर संभव हो और ईजी हो तो जोधपुर और बीकानेर में भी लगाएं, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट, मैटेरियल आपको वहां मिलेगा। यहां जयपुर में कम मिलेगा। साहब, ऊंटनी का दूध इतना उपयोगी है शरीर के लिए, 8 बीमारियों का सीधा इलाज करता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय सुराना साहब मुझसे भी ज्यादा अनुभवी हैं और आपको बताएंगे कि ऊंटनी का दूध संसार में इतना उपयोगी है, जितना कोई नहीं। हमारे आदरणीय पशुपालन मंत्रीजी यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछेंगे तो पता लगेगा कि चाहे हार्ट की हो, शुगर हो, ऐसी अनेक बीमारियां हैं, जिनके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं, डाक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप पांच दिन तक ऊंटनी का दूध पी लें। ऐसे ऊंटनी के दूध को जो आपने प्रोत्साहित किया है, जो प्लांट लगाया है, हमारी रिक्वेस्ट इतनी ही है, धन्यवाद है आपको इसके लिए, वह अगर वहां लगेगा तो उसका मैटेरियल जगह पर तुरन्त उपलब्ध हो पाएगा।

पशुधन में मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अभी जो आप ऊंटनी की पैदावार पर 10 हजार रुपए दे रहे हैं, एक ऊंटनी के बच्चे की पैदावार पर 10 हजार रुपए दे रहे हैं, उसकी थोड़ी राशि अगर संभव हो तो बढ़ाएं ताकि इसको और प्रोत्साहन मिले और ऊंट जो अभी बाहर जा रहे हैं, पकड़े गए हैं, लेकिन उस पर पूरा अंकुश नहीं लगा है, ऊंट का वध अभी भी हो रहा है, वह नहीं हो। पशुपालन और कृषि, इन दोनों का सामंजस्य कैसे हो सकता है, हमारी भेड़, हमारी बकरी, ऊंट ये उसी क्षेत्र में चरने के लिए जाते हैं, जिस क्षेत्र में हमारी खेती होती है। जब कभी हाड़ौती की तरफ निकलते हैं तो हमारे पशुपालकों के साथ वहां बहुत अन्याय होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे पशुपालकों को पूरा संरक्षण मिले, चरने की उनको जगह मिले और वे जिधर से विचरित करते हैं, उनको कोई न कोई रास्ता उपलब्ध कराया जाए। यह भी आपसे मेरा निवेदन है।

मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री का इस बात की ओर भी ध्यान दिलाऊंगा कि जो हमारी घुमक्कड़ जातियां हैं, शायद देवासी समाज है और दूसरी जातियां हैं, इनको राजस्थान के चारों कोनों में जो उनके आवासीय विद्यालय स्थापित किये हैं, उनके हर बच्चा धन्यवाद दे रहा है, हर अभिभावक धन्यवाद दे रहा है। वहां कोई सीट खाली नहीं है, पूरी तरह से भर रहा है और पश्चिमी राजस्थान में भी जो स्थान स्थापित किए हैं, उसके लिए भी बहुत आभार है।

मैं आज के इस अवसर पर सरकार और आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा है। जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, मैं उसको दोहराउंगा

(श्री जोगाराम पटेल)

नहीं, पर फिर भी उन्होंने कृषि क्षेत्र के अनेक नवाचार- किसान की आमदनी को दुगुना करना, लोन वगैरह जो लिए हैं, उसके लिए भी उनका बहुत-बहुत आभार है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि अभी जो आपने मण्डियों में एक नियम बना रखा है कि मण्डी की जो टोटल आमदनी होगी, उसका 60 परसेंट या 56 परसेंट, 63 परसेंट एक जो रेशो आपने तय कर रखा है, वह मण्डी क्षेत्र में ही खर्च होगा, मण्डी के यार्ड पर ही खर्च होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि मण्डी स्थापित हुए 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, सारी मण्डी पूर्ण रूप से स्थापित व विकसित हो चुकी है। उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम बाकी नहीं है, लेकिन आपका नियम यह है कि जो मण्डी की टोटल आमदनी होगी, उसका इतना प्रतिशत, शायद 60 प्रतिशत लगभग या रेशो में फर्क हो सकता है, वह खर्च होगा, इस नियम को बदलें। अब यह मण्डी का जो पैसा आ रहा है, मण्डी यार्ड स्थापित करने के लिए अगर जरूरत है तो आप जरूर खर्च करें, लेकिन मण्डी यार्ड स्थापित हो चुका है। अब वे उसी के ऊपर लीपापोती करते हैं। सड़क के ऊपर, सड़क-दीवार के ऊपर पुताई कर रहे हैं, फिर पुताई, सारा पैसा वहीं खर्च होता है। किसान के हित के लिए खर्च करें। सड़क बनाएं। गांव में किसान को और कैसे फायदा हो सकता है, किसान के परिवार को कैसे फायदा हो सकता है। मण्डी के व्यापारियों को कैसे फायदा हो सकता है। उसमें मेरा निवेदन है, आज की आवश्यकता है सबसे ज्यादा सड़क निर्माण की। अगर आप जैसे उत्कृष्ट विचारों के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री हों तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस नियम को बदलकर, शिथिलता देकर आइंदा आने वाला मण्डियों का जो बजट है, वह आपकी मण्डियों की मार्फत सड़क तंत्र को विकसित करने में लगाएंगे तो राजस्थान की तस्वीर ही बदल जाएगी। लोग आपको याद करेंगे। आज की तारीख में, पिछली बार आपने किया नियम बदलकर, कांग्रेस की सरकार में पांच साल में एक फुट की भी सड़क नहीं बनी, लेकिन आपने अनेक सड़कें बनाईं, इसको आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि...

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): टैक्स तो बंद कर दिया आपने, पैसा आएगा कहां से मण्डियों में? पैसा चुकाना मुश्किल हो जाएगा तनख्वाह का ही।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): इतना उन्नत विचार यहां प्रकट नहीं करें।

मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि जो मण्डी क्षेत्र का पैसा है, अगर नियमों में सम्भव हो तो उस मण्डी क्षेत्र में ही खर्च हो। नहीं तो पैसा हमारा मण्डी का और अन्यत्र लग जाता है, यह काश्तकारों और व्यापारियों दोनों के ही मन में आता है कि साहब हमारे मण्डी क्षेत्र का जो पैसा है, वह अन्यत्र जाकर खर्च हो रहा है। अब वह विधिवत होता होगा, नियमों के अनुसार होगा, उसमें विवाद नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक बात उस काश्तकार, उस व्यापारी के मन में आ रही है कि मेरे मण्डी क्षेत्र का पैसा, टैक्स का पैसा है, मेरा दिया हुआ पैसा है, वह अन्यत्र खर्च हो रहा है। इस संबंध में भी आप विचार करें।

मैं आपसे दूसरा निवेदन पशुपालन के मामले में करूंगा। हमारे दूध की रेट और गुजरात के दूध की रेट में बड़ा अंतर आ रहा है और हमारा काश्तकार और पशुपालक इसमें बहुत चिंतित है। आप सिरोही जिले में चले जाएं तो दस फुट के क्षेत्र में भाव में अंतर आ जाता है, दो रुपए, चार रुपए, पांच रुपए लीटर का। पिंडवाड़ा का किसान आबू रोड क्रोस करने के बाद उधर दूध बेचता है तो उसको दूसरा भाव मिलता है और पिंडवाड़ा का किसान इधर से दूध बेचता है तो उसको भाव कम मिलता है। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा और हमें इस कंपीटिशन के युग में अगर गुजरात प्रदेश उसको 60 रुपए, 45 रुपए, 30 रुपए, जो भी उसका रेट है, वह देता है तो हमको भी उतनी ही रेट देनी चाहिए, ताकि हमारा पशुपालक उस दूध को हमारे यहां बेच सके।

आपने गौशालाओं के अनुदान को 3 से 6 महीने किया, उसके लिए बहुत आभार। गोशाला का अनुदान बढ़ाया, उसके लिए भी धन्यवाद। नन्दी गोशाला खोली, उसमें 50 लाख देंगे, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अनेक काम किए, लेकिन दूध का भाव हमारे काश्तकार को पूरा मिले ताकि वह आपको दूध का विक्रय कर सके, उसके लिए भी मेरा निवेदन है।

माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता में हम गुजरात से कंपीटिशन करें और उनका देखें कि वहीं सहकारिता कितनी परिपक्व हो चुकी है। वहां सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व है तो वह है सहकारिता का। सहकारिता के क्षेत्र में कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया है। बैंक से लगाकर के, मण्डी से लगाकर के, यार्ड से लगाकर के, प्राइवेट मण्डियां खोलने से लेकर के इतना बड़ा तंत्र स्थापित हो चुका है कि बिना मण्डी तंत्र के, बिना सहकारिता के गुजरात अपने आप में अधूरा है। इसी के मार्फत वहां पानी का लेवल भी नीचे

(श्री जोगाराम पटेल)

आया है। काश्तकारों के लिए आर्थिक सुधार भी हुआ है। पशुपालकों में सुधार हुआ है। इस संबंध में भी हमको विचार करना है।

अंत में माननीय कृषि मंत्रीजी, पहली बार हिन्दुस्तान में आदरणीय नरेंन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाए। उससे काश्तकारों को फायदा होना चाहिए, काश्तकारों को बीमा का पूरा फायदा मिलना चाहिए, लेकिन बीमा का फायदा नहीं मिल रहा है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आपसे निवेदन करूंगा और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कृषि मंत्रीजी से For example, लूणी तहसील है मेरे विधान सभा क्षेत्र की। उस लूणी तहसील में टोटल 26 हजार 10 काश्तकारों ने 43 करोड़, 27 लाख और समथिंग का सम एन्श्योर्ड करवाया। टोटल काश्तकार थे 26 हजार 10 और उनको मिलने वाला जो हैक्टेयर था, उसका जो टोटल एरिया था, वो 51 करोड़ 94 लाख बीमित राशि थी। 43.278 एरिया था और 51 करोड़ 94 लाख, मतलब करीबन 52 करोड़। 52 करोड़ रुपया उनको मिलने वाला था, लेकिन उनको खरीफ 2016 का जो पैसा मिला है, वह मिला है 19 हजार 20 काश्तकारों को ही। 16 करोड़ 22 लाख 30 हजार 954। जहां उनको 51-52 करोड़ मिलना चाहिए था, वहां सिर्फ 16 करोड़ रुपया मिला है। इसमें काश्तकार की कोई गलती नहीं है। सरकार और काश्तकारों ने मिलकर टोटल जो पेमेंट जमा कराया है वो 18 करोड़ 72 लाख रुपया कराया है। इसमें काश्तकार का हिस्सा, राजस्थान सरकार का हिस्सा और सैंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा, तीनों का हिस्सा मिलायें तो 18 करोड़ 72 लाख रुपये तो उन्होंने प्रीमियम के रूप में जमा कराया और उसकी जगह 16 करोड़ रुपये मिले हैं। कृषि मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमें इस बीमा को बहुत उपयोग काम में लेना है और वह काम नहीं हुआ। रेवेन्यू मिनिस्टर यहां नहीं हैं, आज भी हमारे राजस्थान का पटवारी हड़ताल पर जाकर बैठ गया है और जो पैसा आपने आधा अनुदान के रूप में राहत मंत्री जी के मार्फत् भेजा है वो वितरित नहीं हो रहा। फिर आपकी 28 तारीख की डैडलाइन दी हुई है कि वितरित होगा तो ठीक पर उसके बाद वितरित नहीं होगा तो आप इस पर थोड़ा सा गम्भीरता से विचार करें। आपके राजस्थान के पटवारी किसी भी कारण से, उनकी यूनियन के किसी कारण से अगर हड़ताल पर हैं तो उसकी दूसरी व्यवस्था करें या इसकी तारीख आगे बढ़ायें। अगर 28 तारीख तक वो आया हुआ पैसा वितरित नहीं हुआ तो वो बैंकों में पड़ा रह

(श्री जोगाराम पटेल)

जाएगा। मेरे केवल लूणी तहसील का 46 करोड़ रुपया आया हुआ है जिसमें सिर्फ 8-9 करोड़ वितरित हुआ है और बाकी सारा पैसा पड़ा है। उसकी 28 तारीख की लास्ट डेट है और वो डेट निकल जाएगी तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपके मार्फत निवेदन करते हुए, जो इतना बढ़िया काश्तकारों के हित में पहली बार नवाचार हुआ है उनको सहायता देने के रूप में, उनको प्रोत्साहित करने के रूप में, उनकी ब्याज माफी के रूप में, ऋण माफी के रूप में, इंट्रेस्ट माफी के रूप में, पशुपालक के रूप में और सहकारिता मंत्रीजी ने जो दो बार दिया उस रूप में जो किया है उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री केसाराम जी।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-37 कृषि, मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा और मांग संख्या-36 सहकारिता पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान भगवान से आस लगाता है और कृषि मौसम आधारित है। किसान कल्पना करता है कि इस वर्ष वर्षा समय पर आ जाए और उस वर्षा के हिसाब से वो अपनी खेती की बुवाई करता है। हम सरकारी आंकड़ों में आकड़े लगाते हैं इतने हैक्टेयर में यह फसल पैदा हो जाएगी, इतने हैक्टेयर में यह फसल पैदा हो जाएगी किन्तु अगर बरसात नहीं होती है तो वो आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। राजस्थान पूर्ण रूप से वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। सिंचाई क्षेत्र बहुत कम है जिससे किसान को हर वर्ष किसी न किसी तरह की, कोई न कोई मार पड़ जाती है। या तो अतिवृष्टि हो जाती है या बरसात की कमी रह जाती है। इस तरह से किसान हमेशा प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। वो भगवान से आशा करता है कि भगवान समय पर वर्षा करे और वर्षा होगी तो मेरे खेत में फसलें अच्छी होंगी और उसके लिए दूसरी आशा वो सरकार से करता है। सरकार जब उसके मुसीबत होती है उस समय उसके साथ खड़ी होकर किसान की सहायता करती है। ऐसी सरकार राजस्थान में पहली बार है जो किसानों के साथ खड़ी है और देश में पहली बार

(श्री केसाराम चौधरी)

नरेन्द्र भाई मोदी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की। किसानों को अतिवृष्टि या किसी तरह की ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसान के लिए योजना लाई है, निश्चित रूप से केन्द्र की सरकार और राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से किसानों का बीमा किया जाता है जिसमें खरीफ और रबी हेतु बीमा का प्रीमियम दो परसेंट व डेढ़ परसेंट लिया जाता है तथा उद्यानिकी और वाणिज्यिक फसलों के लिए जो बीमा का प्रीमियम है वो 5 परसेंट बीमा के रूप में लेकर उस किसान को निश्चिंतता से जीने के लिए यह जो कवच दिया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि के लिए किसान सरकार की माफी से नहीं, किसान अगर पीड़ित है तो व्यवस्थाओं से पीड़ित है। किसान जब फसल बोता है तो उसकी फसल को रोजड़े, ग्रामीण सूअर और जंगली सूअर चौपट कर जाते हैं तथा रात को उसके जीवन को भी खतरा रहता है। रात में अगर व्यक्ति रखवाली करता है तो रोजड़े का तो फिर टार्च की लाइट से पता लग जाता है कि खेत में रोज घुस गया है और उसको किसान देख सकता है मगर जंगली सुअर अगर खेत में घुस जाता है और वहां पर वो बच्चे दे देता है तो फिर वहां पर किसान जाता है तो उसको खतरा बना रहता है, उसको जान से भी मार देता है। इसलिए किसान को सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने तारबन्दी के लिए जो लक्ष्य तय किया गया था उस लक्ष्य को आधा ही प्राप्त किया है, मैं चाहता हूं कि किसान को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए शस्त्र दिया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए, तारबन्दी के लिए अनुदान दिया जाए ताकि किसान अपनी फसल की सुरक्षा कर सके और किसान रात को आराम की नींद सो सके। पूरी रात अपन तो बिस्तर के अन्दर सोये-सोये भी सर्दी का एहसास करते हैं मगर वो किसान ऐसी ठण्ड और बरसात की ऋतु में अपने खेत में खड़ा रहकर अपनी फसल की रखवाली करने के लिए मजबूर होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान के लिए जो राजस्थान सरकार ने कृषि यंत्रों में सब्सिडी दी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। सीड ड्रिल व सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पर कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 15 हजार रुपये, जो भी कम होता है वो देते हैं। रोटावेटर पर कीमत का 50 प्रतिशत या 35 हजार

(श्री केसाराम चौधरी)

रुपये, मल्टी क्रोप थ्रेसर के लिए 50 परसेंट अथवा 40 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में दिये जाते हैं। हस्तचलित स्प्रे करने की मशीनों पर, स्वचालित नेपसेक स्प्रेयर एवं ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर पर क्रमश: 600 रुपये, 3 हजार रुपये एवं 10 हजार रुपये प्रति मशीन अथवा कीमत का 50 परसेंट जो भी अनुदान देय होता है वो किसान को सरकार देती है जिससे किसान अपनी फसलों को बीमारी से बचा सकता है। किसान अपनी खुद की मशीन खरीदकर आराम से समय पर दवाई का स्प्रे कर सकता है। यह सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। डिस्क प्लाउ/डिस्क हेरो पर कीमत का 50 परसेंट अथवा 15 हजार रुपये, जो भी कम होता है, अनुदान सरकार दे रही है। ट्रेक्टर चलित रीपर पर कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 30 हजार रुपये, जो भी कम हो, अनुदान देय है। पम्प सैट 10 एचपी या 7.5 एचपी के लगाने पर 50 परसेंट या रुपये 10 हजार, जो भी कम हो, अनुदान देय है। फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 परसेंट अनुदान या 10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, अनुदान देती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फव्वारा खेती से किसानों को सब्सिडी की वजह से या कनेक्शन में प्राथमिकता के आधार पर फव्वारा खेती के लिए तो अनुदान देय है मगर जो क्षेत्र दोमट मिट्टी के हैं उन क्षेत्र में फव्वारा खेती कभी सक्सेस नहीं हो सकती इसलिए किसान को अनुदान एरिया के अनुसार जिस एरिया में जो व्यवस्था चल सकती है उसके अनुरूप यह अनुदान देना चाहिए ताकि किसान उसका सही उपयोग कर सके। पाइप लाइन की स्कीम किसान के लिए सबसे अच्छी है। पानी है तो सब कुछ है और पानी के बिना कुछ नहीं है। पानी की बचत करना और खेती में कम से कम पानी लगे इसके लिए एचडीपीई पाइप के क्रय पर 50 रुपये प्रति मीटर, पीवीसी पाइप खरीदने पर 35 रुपये प्रति मीटर और एचडीपीई लेमिनेटेड वुवन ट्यूब पाइप पर 20 रुपये प्रति मीटर जो कि लागत की 50 प्रतिशत की सीमा तक या अधिकतम 15 हजार रुपये, जो भी कम है, अनुदान सहायता देय होती है। मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन पाइप लाइनों में किसानों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दें ताकि सही मायने में पानी का सदुपयोग हो सके। पानी बेशकीमती है।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलम्बन योजना चलाई है। उसका मेन उद्देश्य एक ही है कि किसान पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके,

(श्री केसाराम चौधरी)

जमीन में रिचार्ज ज्यादा से ज्यादा हो। किसान उस पानी का ज्यादा कैसे उपयोग कर सके, वह तभी सम्भव होगा कि पीवीसी पाइप लाइनों में सब्सिडी देकर, किसान का जो धोरों में पानी नष्ट होता है, उस पानी को बचाया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें सुधार किया जाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के लिए आप सारी बातें कर रहे हैं मगर अभी भी किसान की ट्रोली पर 8,000 रुपये का टैक्स लगाया है, वह माफ करना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आर.टी.ओ. के पास जब भी कागज बनाने जाते हैं तो किसान की ट्रोली पर 8,000 रुपये का टैक्स लगाया है और ट्रैक्टर के ऊपर 0.5 परसेंट टैक्स लगाया है। यह किसान के लिए ठीक नहीं है। इसमें किसान को आप व्यवस्था दीजिये। किसान दूसरी आशा नहीं करता। किसान आशा करता है कि मुझे सस्ते बीज मिलें, सस्ते औजार मिलें और समय पर मैं अपनी खेती अच्छी तरह से कर सकूं, इसके लिए ट्रैक्टर पर जो टैक्स लगाया है, आपको उसे माफ करना चाहिए तथा ट्रोली पर जो टैक्स लगाया है, उसे माफ करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि प्रायोजित प्रबन्ध अभिकरण 'आत्मा' योजना के तहत कृषक प्रशिक्षण भ्रमण 'आत्मा' योजना के अन्तर्गत राज्य के बाहर, राज्य के अन्दर जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण, कृषक रूचि समूह के सदस्यों को, कृषकों को आयोजित किये जाते हैं जिससे कृषक दूसरे किसान से मिलकर, उनसे आपस में एक-दूसरे के ज्ञान को आदान-प्रदान करने से कि यहां पर कौनसी खेती होती है और दूसरे क्षेत्र में कौनसी खेती होती है? उसमें क्या अंतर है? वह इस भ्रमण कार्यक्रम से इस बात को समझ सकता है कि मेरे क्षेत्र में भी अगर इस खेती को करूं तो मुझे फायदा हो सकता है।

इसी तरह से फार्म स्कूल संचालन, किसानों को नई-नई तकनीकी का उपयोग उन्नतशील किसान बताता एवं समझाता है ताकि नये जो भी आविष्कार या कोई भी चीज हो रही है, इस फार्म स्कूल के संचालन के माध्यम से आप जो कर रहे हैं, यह व्यवस्था भी अच्छी है।

कृषि रूचि समूह, अलग-अलग रूचि के अनुसार समूह बनाकर उनकी फसल बिक्री में सहयोग कर आर्थिक रूप से किसान को सबल बनाना। नरेन्द्र भाई मोदी ने आह्वान किया है कि किसान की आय 2022 तक हम दुगुनी करेंगे। उसके लिए हमें अभी से सार्थक प्रयास करने होंगे ताकि किसान की

(श्री केसाराम चौधरी)

आय जो है, उसको डबल कैसे कर सकें। इसके लिए हमें अभी से सार्थक प्रयास करने चाहिए।

विस्तार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, दुर्गापुरा और समेटी में प्रशिक्षण संस्थानों में विस्तार अधिकारियों एवं कार्मिकों को नवीन तकनीकी की जानकारी देने के लिए शिविर आयोजित किये जाते हैं। ये जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, नवीन जानकारी के लिए जो यह कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से उन्हें लेटेस्ट तकनीक में, कृषि में क्या सुधार हो रहा है, उनको ज्ञान देने के लिए यह जो कार्य किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा करता हूं।

कृषक पुरस्कार, 'आत्मा' योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर पर सम्मानित किया जाता है। राज्य में अगर उत्कृष्ट किसान है, उसको आपने 50,000 रुपये देकर, उसको प्रोत्साहन राशि दी है। इससे किसानों का मनोबल बढ़ा है और किसान अपनी खेती को और उत्कृष्ट करने की चेष्टा करता है। आपने जिला स्तर पर 25,000 रुपये और समिति स्तर पर 10,000 रुपये देकर किसान को सम्मानित करने का काम किया है, जिससे उसके मन में यह लगता है कि हमारी राजस्थान की सरकार इस तरह के प्रोत्साहन देकर किसान को अपनी खेती करने के लिए नये-नये तरीके बताकर जो कार्य कर रही है, उसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं।

एग्रो मीट का आयोजन प्रदेश में किया गया है। देश-विदेश और अन्य प्रदेशों से किसान एक जाजम पर बैठकर विभिन्न तरह की खेती में जो नवाचार हो रहा है या खेती में किस तरह की बातें करके, एक-दूसरे को ज्ञान बांट करके, यह जो एग्रो मीट का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं फसल प्रदर्शन, गेहूं फसल प्रदर्शन में 100 परसेंट क्षेत्रफल में, क्लस्टर में प्रदर्शन आयोजित किये जाने का प्रावधान किया है। एक हैक्टेयर क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन एवं फसल पद्धति आधारित प्रदर्शन के आयोजन हेतु आदान एवं अन्य व्यवसायों के लिए क्रमश: रुपये 7,500 एवं 12,500 का प्रावधान है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

**(15.25 बजे)**

**(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)**

सूक्ष्म तत्व उपयोग प्रोत्साहन, कृषकों को एक हैक्टेयर में सूक्ष्म तत्व

(श्री केसाराम चौधरी)

उपयोग करने पर सूक्ष्म तत्वों की कीमत का 50 परसेंट अथवा 500 रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।

प्रमाणित बीज वितरण, गेहूं की बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के लिए कृषकों को 10 वर्ष से कम अवधि के किस्मों में प्रमाणित बीज वितरण पर कीमत का 50 परसेंट अथवा रुपये हजार प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, अनुदान सहायता दी जाती है।

जिप्सम का उपयोग, जिप्सम के उपयोग पर 750 रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा कुल दर का 50 परसेंट, जो भी कम हो, दर से अनुदान दिया जाता है। जिन किसानों की जमीन ऊसर और क्षारीय हो गई है, जिप्सम डालने से किसानों की जमीन में गुणवत्ता का परिवर्तन आया है, इसलिए जिप्सम पर जो सब्सिडी दी जा रही है, उसको बढ़ाने की मैं मांग करता हूं।

वर्तमान में वर्षा जल के संरक्षण, कुशल उपयोग के लिए फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान 50 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट किया है। बजट में 14 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसानों को फार्म पौण्ड और हौज निर्माण और डिग्गी निर्माण में जो भी सहायता दी जाती है, वह उसमें पानी का संरक्षण करेगा, पानी को सेव करेगा, पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। रात में उसे खेत में पानी देने नहीं जाना पड़ेगा और हौज बनाकर रात भर का पानी उस हौज में इकट्ठा कर लेगा और दिन में उस पानी को सही ढंग से सिंचाई करेगा और इस हौज निर्माण और पौण्ड में और डिग्गी निर्माण में, इन तीनों में जो अनुदान दिया जाता है, वह बढ़ाना चाहिए ताकि किसान इस पानी का जो उपयोग है, वह सही ढंग से कर सके।

ग्रीन हाउस और शैडनैट की स्थापना हेतु लघु सिंचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को 20 प्रतिशत टोप-अप सब्सिडी देकर 70 प्रतिशत अनुदान देय है। मैं चाहता हूं कि यह अनुदान शैडनैट का सभी किसानों को दिया जाये। छोटे किसान, यह जो योजना है, उनका सही ढंग से जो उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन किसानों के लिए और बड़े किसानों को भी इससे जोड़ा जाये ताकि वास्तव में जो सरकार की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप बड़ा किसान सही ढंग से उस कार्य को कर पायेगा और ऐसा करने से किसान की आय भी बढ़ेगी और सारे किसानों को फायदा होगा। ऐसी मैं आशा करता हूं।

(श्री केसाराम चौधरी)

सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों में तीन हार्स पावर और पांच हार्स पावर तक 25 और 20 परसेंट की सब्सिडी, अनुदान दिया जा रहा है। कृषिविहीन किसानों को 30 परसेंट और कृषक कनेक्शन समर्पित किसानों को जो किसान सौर ऊर्जा लेना चाह रहा है और अपना कनेक्शन सरेण्डर करता है तो उसको 45 परसेंट दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस सौर ऊर्जा में यह एक बहुत बढ़िया स्कीम है, इसलिए किसान को 7.5 हार्स पावर के पम्पसैट तक क्योंकि ज्यादा गहराई से सौर ऊर्जा से पानी की निकासी नहीं हो सकती, इसलिए 7.5 हार्स पावर के पम्पसैट तक उसको अनुदान दिया जाये, किसान गहराई से पानी निकालकर भी खेती को सिंचित कर सके। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

किसानों की मांग के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1.75 लाख मैट्रिक टन यूरिया तथा 50,000 मैट्रिक टन डीएपी की अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था जो की है, उसके लिए राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। किसान को समयबद्ध खाद और बीज मिल जाये ताकि किसान अपनी खेती को सही ढंग से कर सके है।

प्रदेश में ऐसे जिले जहां वर्तमान में कृषि कालेज नहीं है, वहां निजी क्षेत्रों द्वारा कृषि कालेज खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर वास्तव में पिछड़ा क्षेत्र है, उन किसानों के बीच में ये कृषि कालेज खोले जायें ताकि सरकार को निजी क्षेत्र में देकर, उस क्षेत्र में तो गरीब लोग रहते हैं और निजी क्षेत्र में देंगे, वहां पर पैसे देने वाले होंगे नहीं, हमेशा राजस्थान सरकार, चाहे भले कांग्रेस रही हो, उन्होंने तो शहरों को डवलप करने के अलावा कभी काम किया ही नहीं। अभी सरकार जो काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में सही मायने में कालेज और आई.टी.आई. खोलने चाहिए, ताकि शहरों में बढ़ती हुई भीड़ भी कम हो जाए और गांवों के लोगों को इसका लाभ मिल सके। गरीब लोग गांवों में रहते हैं और गांव के लोगों को यह सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से वे पढ़कर अपने जीवन स्तर में सुधार करेंगे।

मैं निवेदन करता हूं असिंचित क्षेत्र खरीफ फसल का लगान, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावात साहब ने माफ किया था और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने राजस्थान के अन्दर सिंचित क्षेत्र का भी लगान माफ करके एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

(श्री केसाराम चौधरी)

मेरे भाई कांग्रेसी लोग कहते हैं कि हमारी सरकार, आपने 50 साल तक राज किया किसान को केवल ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। किसान का, गरीब का नाम लेकर रोटियां सेंकी और आपने किसान के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आप बार-बार कहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने 50 हजार रुपये तक के कर्जे माफ करके राजस्थान में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। भैरोंसिंह जी ने एक बार 10 हजार रुपये का कर्जा माफ किया था। आपने एक रुपये का भी कर्जा आज दिन तक माफ किया हो तो आप कह सकते हैं।

हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि किसानों के प्रति कम से कम एक सोच पैदा हुई है। देश में और प्रदेश में किसानों का चिन्तन करने वाली सरकार आयी है।

माननीय मंत्री महोदय, मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा, इस क्षेत्र में ऊंटों के प्रजनन में बढ़ोतरी के लिए आपने योजना चलायी है। उसमें तीन किश्तों में 10 हजार रुपये ऊंट पालक को देते हैं और पशुपालकों में इस योजना का बहुत ही उत्साह है। ऊंटों की जो संख्या घट रही है, उस संख्या में आपने बढ़ोतरी करने का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से ऊंट पालकों में बहुत उत्साह है और वे 10 हजार रुपये लेकर बहुत खुश हैं किन्तु उसका समय पर भुगतान हो, इसके लिए आपकी मोनिटरिंग पूरी होनी चाहिए, ताकि किसान उससे राहत पा सकें।

पशु बीमा योजना से पशुपालकों में बहुत ही खुशी की लहर है, किन्तु नीचे अधिकारी लोग इस योजना को सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसकी मोनिटरिंग में सख्ती बरती जाए, ताकि पशुपालकों के पशुओं का बीमा करके, अगर कोई भैंस, गाय या ऊंट कोई भी उसका पशु मर जाए तो बीमा वाले बीमा की राशि तुरन्त प्रभाव से उसके घर पर पहुंचाएं, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

पशुपालकों को ऊन का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। ऊन का समर्थन मूल्य आज दिन तक कोई तय नहीं कर पाया है। भैरोंसिंह जी के राज में एक वूल फैडरेशन नाम की संस्था चलती थी और उस वूल फैडरेशन के कारण से किसानों को ऊन का वाजिब मूल्य मिलता था, मगर आज की तारीख में कांग्रेस राज ने वूल फैडरेशन को बंद कर दिया। किसान को ऊन का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पशुपालकों के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है।

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं हमारी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उसने पशुपालकों की चिन्ता करते हुए, पाली में 25 करोड़ रुपये की लागत से 125 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का पशु आहार संयंत्र की स्थापना करने की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को कैटल फीड आराम से मिल सकेगा और हमारे क्षेत्र में पशुपालकों को राहत मिलेगी।

गौवंश तस्करी में जो वाहन उपयोग में लिये जाते हैं, उनको जब्त करने की योजना बनानी चाहिए ताकि बार-बार कोई भी गौवंश की तस्करी नहीं कर सके। जिस तरह से अफीम और मादक पदार्थों में कोई भी गाड़ी अगर तस्करी करते हुए पायी जाती है, उसी तरह से गौवंश की भी कोई अगर तस्करी करते हुए पाया जाता है तो उसका व्हीकल सीज करना चाहिए ताकि वह दुबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर सके।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। हमारे पाली जिले की सुमेरपुर मण्डी 'ए' क्लास मण्डी है, अपने राजस्थान में भी उसका नम्बर है। मगर वह मण्डी जवाई बांध से सड़क से अच्छी तरह से नहीं जुड़ी हुई है। उसके लिए वहां पर डबल सड़क करने का निवेदन करता हूं ताकि मण्डी तक पहुंचने में लोगों को राहत मिले। उसमें 2 करोड़ रुपये की लागत आएगी और मण्डी में इतना टैक्स है, इतने रुपये हैं, आप यह सड़क बनाने की भी घोषणा करें।

इसी तरह से सोजत रोड कृषि उपज मण्डी में ग्राम बड़ी, वहां ऐसा टापू बन जाता है कि उसमें आने-जाने में, मण्डी तक पहुंचने में किसान को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए तीन किलोमीटर सड़क, कृषि मण्डी सोजत रोड के माध्यम से बनाने का भी आपसे निवेदन करता हूं, मांग करता हूं।

माननीय सहकारिता की मांग पर मेरा निवेदन है जिसमें सहकारिता लघु और सीमान्त कृषकों का, हमारी सरकार ने 2 हैक्टेयर तक जमीन के ओवर ड्यू ऋण और ब्याज सारी चीजों को माफ करके 50 हजार रुपयों तक का जो कर्जा माफ करने की घोषणा की है, उसके लिए सहकारिता विभाग को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।

सहकारी बैंकों में लघु एवं सीमान्त कृषकों पर 30 सितम्बर, 2017 तक आउटस्टैंडिंग अल्पकालीन फसली ऋण के 50 हजार रुपये तक के कर्जे की एक बार माफी की घोषणा कर प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की

(श्री केसाराम चौधरी)

है। इसके लिए भी राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। इससे सरकार पर 8 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसकी व्यवस्था आपने की है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान कृषक ऋण आयोग का भी, इसके साथ-साथ गठन किया है ताकि, उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ आएगी तो आप आराम से किसान को सहायता प्रदान करके, उसके ऋण माफी में सहायता करेंगे। ऐसी आपने व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता विभाग में एक मेरे क्षेत्र में रेहत कृषि सहकारी समिति, खाड़ी, तहसील मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 1960 में दिनांक 13 फरवरी को सरकार द्वारा भूमिहीन एवं गरीब किसानों को रेहत कृषि सहकारी समिति का गठन कर, उन 26 किसानों को राजस्व ग्राम खाड़ी में खसरा नम्बर 962, 963, 964, 967, 1056, 1058, 1147, कुछ खसरा 8 में 96.552 हैक्टेयर का आबंटन किया गया था। रेहत कृषि सहकारी समिति द्वारा आबंटन से आज दिन तक समिति के नियमों के अनुरूप सभी किसान उक्त जमीन पर काबिज एवं खेती करते आ रहे हैं। अपना सारा सब कुछ लगाकर उस जमीन को डवलप किया है।

वर्तमान में राजेश कुमार पुत्र जसराज दर्जी, प्रबन्धक, राम पुत्र मुकना जी नाई द्वारा समिति की बैठकें बुलायी जाती हैं, सी.ए. से खातों का आडिट करवाना, सभी कार्य विधिवत संचालित हो रहे हैं। तहसील कार्यालय में राजस्व रिकार्ड में सामूहिक खेती एवं आडिट रिपोर्ट दर्ज है। जमाबन्दी, गिरदावरी में भी सामूहिक कृषि के नाम से दर्ज है। 29.09.2011 को ए.डी.एम. द्वारा आरोप पत्र दिया कि आप सामूहिक खेती न करते हुए, एकल खेती कर रहे हैं, जिस पर समिति द्वारा जवाब में 1960 से 2017 तक की गिरदावरी, आडिट रिपोर्ट पेश करने के बावजूद भी, उनको नजरअंदाज करके समिति के विरुद्ध 29.12.2017 को बेदखली का फैसला दे दिया।

माननीय, 24.01.2018 को आरएलएलए ने भी ए.डी.एम के फैसले को यथावत कर दिया। मैं मांग करता हूं कि जब जिलाधीश, पाली ने पत्र क्रमांक 4984 राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-3) को लिखा, उसके जवाब में शासन उप सचिव, जयपुर ने जिला कलक्टर, पाली को दिनांक 18.01.1985 को पत्र

(श्री केसाराम चौधरी)

द्वारा लिखा कि सहकारी समितियों को कृषि कार्य हेतु जमीन का आबंटन किया गया, जो सदस्यों के नाम आबंटन कर दिया गया, उन सदस्यों के नाम वह जमीन अलाट कर दी जाए मगर ए.डी.एम. द्वारा उनको बेदखल करने की जो कार्यवाही की गई है, उस पर रोक लगाने की मांग करता हूं और रेहत कृषि सोसायटी के 26 किसानों को, जो जमीन अलाट की थी, वो जमीन उनके नाम से एकल खाते में दर्ज करवाकर उनको राहत प्रदान की जाए। और इसी तरह से खाड़ी में एक सद्गुरु दयाल सोसायटी नाम की भी संस्था चलती थी, उसको भी जमीन अलाट की थी मगर उसको अलाट करने के बाद उनको एकल किसानों के रूप में अलाट कर दिया गया। यह 1960 से चलने वाली संस्था है और निश्चित रूप से आज दिन तक उसका आडिट सीए से करवा करके सम्पूर्ण तरीके से उसकी व्यवस्था चल रही थी, मगर उनको बेदखल करने की न मालूम किस योजना के तहत वो साजिश रच रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे किसानों को राहत प्रदान करेंगे। इतना ही कहते हुए सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

## व्यवस्था का प्रश्न

## जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव नहीं दिये हैं, वे मांगों पर चर्चा में भाग नहीं ले सकते

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का नाम तो पुकार लिया, लेकिन माननीय सदस्य ने कोई कटमोशन नहीं दिया। यह एक व्यवस्था में है। अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन, उसका पेज नं. 462 आप निकालकर देखें और पेज नं. 466 भी देखें, जिसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि माननीय सदस्य ने कोई कट मोशन नहीं दिया है तो उनको सदन में अपना वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है। यह इसमें बहुत स्पष्ट रूप से है। ये बड़े जवाबदार हैं और मैं सोचता हूं कि विपक्ष के सचेतक हैं और विपक्ष के सचेतक होते हुए भी माननीय सदस्य ने तीनों मांगों में से किसी भी मांग पर कोई भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत

(श्री मदन राठौड़)

नहीं किया है। इसलिए इनको सदन में अपना वक्तव्य रखने का कोई अधिकार नहीं है मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा। यह आप यदि चाहें तो मैं कोट करूं?

## व्यवस्था

## परम्परा के अनुसार, कटौती प्रस्ताव दिये बिना भी बोलने की अनुमति दी जा सकती है

**श्री सभापति**: माननीय सरकारी उप सचेतक जी, यह प्रावधान नहीं है। मुझे पता था, लेकिन चूंकि आसन ने नाम पुकार दिया और अनेकों बार ऐसी परम्परा रही है कि बिना कट मोशन के बोलने की अनुमति दी गयी है। भविष्य में इसकी क्रियान्विति के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया जाएगा। माननीय गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

## अनुदान की मांग

## मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-37, 39 और 36 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसान का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है, लेकिन आज जब किसान की बात आई है तो निश्चित रूप से हमें सार्थक रूप से चर्चा करनी चाहिए और किस प्रकार की बहबूदी के लिए हम लोग कोई निर्णय कर पाते हैं और किसान के प्रति हमारी जो जवाबदारी है उसको हम कैसे पूरा करने में अपना योगदान दे पाते हैं, इस बात की चर्चा करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से मोदी जी ने जब केन्द्र के चुनाव थे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सुराज संकल्प यात्रा थी। बहुत बड़े-बड़े वादे किये गये थे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसान की बहबूदी के लिए कोई काम नहीं किया गया। हम इनकी आय को दुगुना करेंगे। समर्थन मूल्य में जो फसलें हैं, उनकी वृद्धि करेंगे। समर्थन मूल्य के ऊपर किसान की जिंस को खरीदने का काम करेंगे और तरह-तरह की बातें की गई थीं जिन पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन उसके बावजूद सवा चार साल का राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया। लगभग चार साल केन्द्र में मोदी जी की सरकार को हो गया, लेकिन जो किसानों के आंदोलन हैं उनमें माननीय सभापति महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पहले के बजाय आठ गुना वृद्धि हुई है। यह हमारे सबके लिए चिन्ता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से यह सरकार काम कर रही है उसकी गति मैं थोड़ा-सा बताऊंगा जिससे पता लग जायेगा सदन को कि किस प्रकार से किसानों की हितैषी बनने वाली सरकार किसानों के कल्याण के लिए किस प्रकार बजट का उपयोग कर रही है और कार्यकलाप कर रही है। आप देखिये 2017-18 में 1723 करोड़ रुपये मुख्य मंत्रीजी ने बजट के लिए दिये थे। 139 करोड़ रुपये नवम्बर-दिसम्बर तक खर्च हुए हैं। लगभग आठ प्रतिशत है। फ़व्वारों के लिए व अन्य अनुदान और विकास के ऊपर जो 520 करोड़ रुपये दिये थे केवल 80 करोड़ रुपये यानी 15 परसेंट खर्च हुए हैं। ट्रैक्टर और अन्य पार्ट्स के लिए 320 करोड़ रुपये दिये थे केवल मात्र 6 परसेंट खर्च हुए हैं और उसके बावजूद किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी के लिए संघर्ष कर रहा है रोजाना धरने, प्रदर्शन, अपनी मांग के लिए। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अपनी सुराज संकल्प यात्रा में यह कहा था कि इन-इन फसलों को हम केन्द्र से समर्थन मूल्य में घोषित करायेंगे और उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य को विशेष दर्जा दिलायेंगे और जिससे हम चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें और ज्यादा काम करने का काम करेंगे, लेकिन आपका जो दर्जा था, वो नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से केन्द्र में सरकार बनी, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त किसानों को जो अनुदान मिलता था उनके ऊपर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चाहे वो बोरवेल सिस्टम हो, चाहे सोलर हो, स्प्रिंकलर हो, ड्रिप हो, ग्रीन हाउस हो, डिग्गी हो, उन सब पर उन्होंने कटौती करने का काम किया और आज स्थिति यह हो गयी माननीय सभापति महोदय, कि आज किसान केवल इस सरकार को सवा चार साल तक देखता रहा कि मेरे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे।

ये करते रहे, ग्राम-2017 कर दिया, एग्रीटेक मीट कर दिया। एमओयू भी खूब किये, 488 एमओयू एक स्थान पर किये, फिर 70-72 या 44 बाद में किये, लेकिन किसान के खेत में निवाला नहीं गया। किसान की माली हालत नहीं सुधरी। अभी उपाध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि 6 हजार समथिंग उसकी आय, वार्षिक 70-80 हजार, एक लाख रुपये भी नहीं पहुंची है तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम किसान के लिए किस प्रकार से काम करें। आप निश्चित रूप से काम करने का काम करें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने जो कृषि पशुपालन के ऊपर कम से कम 10-15 पन्ने बजट में हुआ करते थे, सदैव से परम्परा चली आ रही थी। चार पेज में ही किसान, पशुपालक, कृषि, कर्ज माफी, सहकारिता सबको समेट कर रख दिया। निश्चित रूप से एक पैरा तो इन्होंने यह दिया कि जो पैनल्टी ओवरड्यूज ये जो हैं, वो हम माफ करने का काम करेंगे, जिससे आउटस्टेंडिंग में किसान ने जो कर्ज ले रखा है वो आ जाएगा। यह कोई नयी बात नहीं है सभापति महोदय, यह नाबार्ड हर वर्ष किसानों के लिए इस प्रकार की जो पैनल्टी और शास्ति, ब्याज माफ करता रहा है। हमने भी किया है, आपने भी किया है। इस पर राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। नाबार्ड राज्य सरकार को लिखता है और राज्य सरकार वो घोषणा करके पालना करने के लिए बैंकों को निर्देश देती है जो इन्होंने किया है।

एक जो बहुत-बड़ी घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की, जो बता रहे हैं कि अल्पकालीन फसली ऋण हमने माफ कर दिया। इतने करोड़ बांट दिये। हमारे सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं। खूब जोर-जोर से कहते हैं कि हमने किसान का भला कर दिया पता नहीं आपने कुछ नहीं किया। मैं एक छोटा-सा नमूना, क्योंकि समय मेरे पास भी सीमित है और मैं चाहता हूं कि आज हल्ला नहीं होकर केवल किसान की बात हो और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी तरफ से अच्छे सुझाव आये और आप उन पर मनन करके जब आपका समय आये मंत्रीजी तो उसका जवाब देने का श्रम करें। 2013-14 में हमने 15 हजार करोड़ फसली ऋण जिसमें डेढ़ लाख रुपये तक का जो फसली ऋण है वो बिना ब्याज के देने की घोषणा की थी। 16 हजार का हमने लक्ष्य रखा था और 2013-14 में 14639.77 करोड़ रुपये का हमने हमारी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय फसली ऋण बांटने का काम किया था। यह रिकार्ड के ऊपर है। मैं कोई वैसे ही नहीं बोल रहा हूं।

दूसरा आपने 2016-17 में 14,500 करोड़ का लक्ष्य रखा उसके विरुद्ध में केवल 13,540.46 करोड़ रुपये का फसली ऋण बांटा और फिर 2017-18 में 15 हजार का आपने लक्ष्य रखा, लेकिन दिसम्बर तक 11,747.62 करोड़ रुपये का ऋण बांटा और यह भी दिसम्बर तक है, जबकि आपने जो कर्ज माफी की घोषणा की है, उसमें सितम्बर का लिया है। जब खरीफ का लोन किसान ने दे दिया और रबी का उसको मिला नहीं, तो उस कट आफ डेट को आप पकड़ करके किसान का क्या भला करना चाहते हैं। यह मेरे समझ में नहीं आया।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, किसान जो सबसे बड़ा उद्वेलित है वो ये जो हम बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं और वापस कागजों में जमा करके उसको दे रहे हैं इसके बजाय वर्षों से जिस किसान ने ऋण ले रखा है, चाहे केसीसी के माध्यम से ले रखा हो, चाहे उसने डेयरी के लिए ले रखा हो, चाहे उसने ट्रैक्टर के लिए ले रखा हो, चाहे और किसी योजना के अन्तर्गत उस किसान ने ऋण ले रखा हो, चाहे टर्म लोन ले रखा हो, उन किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं और उस किसान से लोन चुकता हो नहीं रहा है, वह किसान आपकी तरफ टकटकी लगाये हुए देख रहा था कि पता नहीं मोदी जी किसान के लिये क्या कर देंगे। जब यूपी के चुनाव थे तो प्रधान मंत्रीजी ने कह दिया हम किसान के सम्पूर्ण कर्ज माफ करेंगे। किसान आंदोलन करने लग गया कि अब यह हमारा अधिकार है, जब देश का प्रधान मंत्री इस तरह से कहता है तो फिर स्वाभाविक रूप से किसान उस पर विश्वास कर सकता है।

लेकिन जिस प्रकार आपने घोषणाएं की हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी को कहना चाहता हूं! अभी कलक्टर कांफ्रेंस हुई और मुख्य मंत्रीजी ने कलक्टरों को एक निर्देश दिया कि पटवारियों से, तहसीलदारों से रिपोर्ट मंगवाइये और रिपोर्ट मंगाकर यह तय कीजिए कि लघु और सीमांत काश्तकार कौन हैं? उसके बाद ही हम कर्ज माफी करने का काम करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब आपका लोन मिलता है तो उसमें लघु, सीमांत सबके लिये होता है। पहले भी चाहे सीआरएफ में किसान को लाभ मिला हो, चाहे अन्य किसी योजना में केन्द्र ने दिया हो, चाहे राज्य ने दिया हो, लघु और सीमांत को भी अगर दिया है तो जो आपके बैंक ने लोन दिया, उस समय इंद्राज होकर जिस श्रेणी के अन्तर्गत उसने लोन लिया है, उस लोन को आप नहीं मानेंगे तो केवल लघु और सीमांत को जो लाभ देने वाली बात कर रहे हैं, वह नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिये एक पिता के 40 बीघा जमीन है, तीन बेटे हैं। अगर उन चारों ने लोन ले रखा है, उस पिता को लघु सीमांत का प्रमाण नहीं मिलेगा क्योंकि उसके खाते में 40 बीघा जमीन है। क्योंकि उसके बेटों के खातेदारी नहीं है, उनको आपने लोन इसलिए दिया कि नाबार्ड अलाउ करता है, आपका सहकारिता डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि बंटाईदार भी ले सकता है, नोशनल शेयर वाला भी ले सकता है, सारे लोग ले सकते हैं। यह जो भ्रम आपने फैलाया हुआ है, इससे किसानों में आग लगी हुई है और वह किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ में छलावा हुआ है। जिसने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर खाद खरीद लिया, बीज खरीद लिया, अगर उसके पैदावार नहीं हुई, कहीं वह किसी काम से टूट गया और उसकी जमीन गिरवी रखी हुई है, उसकी जमीन नीलाम होने की नौबत आई हुई है मंत्रीजी, अगर उस किसान को आप नहीं देंगे तो यह ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात आपने की है। उससे आपको बड़ा नुकसान होगा और किसानों में और ज्यादा उग्रता आयेगी, आंदोलन भड़केंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 50 हजार का लिखित समझौता किया, उसके बाद में आप मुकर गये। कम से कम जो भी देना चाहते हैं, किसानों में आप विभेद करने का काम नहीं करें। सभापति महोदय, फसली ऋण तो केवल हाई पावर के लोग, आपके और हमारे टेलीफोनों से या जो व्यवस्थापक से सम्पर्क में रहता है या जो गांव में प्रभावशाली है, सरपंच है, प्रधान है, डाइरेक्टर है, जो प्रभाव रखता है, वह उस व्यवस्था से लेता है, बाकी साधारण किसान को मिलता नहीं, अगर मिलता है तो 50 हजार रुपया प्रदेश में एक भी किसान को नहीं मिला हुआ है। 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार रुपये ही माफ हुआ है। इसलिए मेहरबानी करके मुख्य मंत्री जी से बात करके इस शंका को दूर करवाइए और किसी प्रकार का किसान ने लोन लिया हो, उसमें एकरूपता रखिए, एक समानता रखिए कि जो भी चीज करनी है, वह करने का काम करें।

सुराज संकल्प पत्र, 2013 भाजपा का है, आप भाजपा से जीत कर मंत्री हैं, पढ़ा ही होगा। आपने पता नहीं क्या-क्या बातें की हैं कि राजस्थान में कृषि सुरक्षा अधिनियम बनायेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोठ, मेहंदी, ग्वार, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा खरीदेंगे। जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिये हम तारबंदी का अनुदान देंगे। कृषि उपज मण्डी समिति में अगर किसान की खेती करते हुए किसी कारण से मृत्यु हो गई तो उसको 5 लाख रुपये देने की मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी। दो लाख रुपये मिल रहे हैं। फिर दूसरे बजट में हमने पूछा तो दूसरी बातें करने लग गये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को कर्ज माफी का जो आप लालीपोप देना चाह रहे हैं, वह किसान सब समझता है। क्योंकि वह अपने खून-पसीने से सींच कर अन्न पैदा करता है और हम सबका पेट पालता है, पेट भरता है, इसलिए उसको इतना भोला मत मानिए कि अल्पकालीन फसली ऋण, समर्थन मूल्य पर आपने खरीदने की बात कही। केन्द्र से फसलें जुड़वा नहीं पाये, उसके बावजूद कोई फसल 12 परसेंट खरीद रहे हो, कोई 11 परसेंट,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कोई 30 परसेंट, 35 परसेंट से ऊपर समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी। आपकी भारतीय जनता पार्टी ने किसान से यह वादा किया था कि हम समर्थन मूल्य पर किसान की सारी फसलें खरीदेंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चाहे जीएसएस हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर किसान की फसल खरीदने की व्यवस्था हम करेंगे। लागत पर 50 परसेंट लाभ देने की बात हम करेंगे, यह वादे हवा-हवाई हो गये और केवल बातें-बातें हो गई। वादे हैं वादों का क्या, क्या मतलब हुआ इस बात का।

आपने अभी कहा था सीकर में साढ़े चार सौ करोड़ रुपये, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सीकर में 20 हजार करोड़ किसान के ऊपर कर्जा है। अगर आप ईमानदारी से किसान को कोई लाभ देना चाहते हैं तो इस आंकडे को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्राइटेरिया को बढ़ाना पड़ेगा। अगर यह राइडर लगा दिया तो मंत्रीजी, मैं आज सदन में आपको सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं सीकर जिले में साढ़े चार सौ की आप घोषणा कर रहे हैं, आपका कर्ज माफी का डेढ़ सौ करोड़ भी आंकड़ा नहीं पहुंचेगा, जो अनुदान आप देना चाहते हैं, वह नहीं मिलेगा।

हमने आज ही अखबारों में पढ़ा है कि अमित शाह जी ने कर्नाटक जाकर वहां कह दिया कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान का कर्ज माफ करेंगे। आप यूपी में कह रहे हो, आप महाराष्ट्र में कर रहे हो और आप अध्ययन के लिये केरल जा रहे हो। केरल में जो कमीशन बनाने की बात आई है सभापति महोदय, मुझे भी उस समिति में रखा था और कई तरह के आरोप लगे इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय रामप्रताप जी साहब ने हमें कहा था कि आपको मुख्य मंत्रीजी की सहमति से किसानों के प्रतिनिधि मंडल में वहां का अध्ययन करने के लिये केरल जाने के लिये हमने आमंत्रित किया है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। हमने तत्काल इनको कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने पार्टी में बैठकर तय किया कि जब कांग्रेस पार्टी और हमारे राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी, हम सब मिलकर, जब किसान की सम्पूर्ण कर्ज माफी हो, इस बात का एजेंडा लेकर अगर कांग्रेस चल रही है तो निश्चित रूप से हमने केरल का नेट से देख लिया था ......

**डा. रामप्रताप** (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहता था, जो बात हुई है शायद किलक साहब को भी पता है, वह सारी-सही सही बोलो, आप गुड़ लपेटी बात मत करो। जो अपनी बात हुई है ईमानदारी से कह दो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नेट के ऊपर केरल का जो आंकड़ा इन्होंने पढाया है, उस आंकड़े में किसान के लिये जो आप ऋण माफी का कमीशन बना रहे हो, उस कमीशन में वहां पर पहले सम्पूर्ण कर्ज माफी हुई, उसके बाद में कमीशन बना। उस कमीशन में कोई आता है तो केरल में एक साल में 16 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ से ज्यादा कर्ज माफी नहीं हुई, आगे जो किसान को लाभ मिला, वह नहीं मिला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह से किसान को बहकाने का काम मत कीजिए। आज किसान इस तरह से आग बबूला है कि अगर सरकार आज गांवों में जायेगी, मैं चाहता हूं कि इस तरह का नहीं हो, हम शांति की अपील करेंगे, लेकिन किसान वास्तव में उद्वेलित हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है यह +++ जनरेटर है, इसलिए इस जनरेटर में ऐसा ही +++ निकलता रहता है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप बैठें। यह +++ शब्द अंकित नहीं हो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग में जिस तरह से समर्थन मूल्य पर खरीद की गड़बड़ी की बात आई, चाहे दूसरी कोई गड़बड़ियों की बात आई, सरकार को आगे चलकर उसके ऊपर जांच करानी चाहिये और उस पर रोक लगाने का काम करना चाहिये क्योंकि जब आप समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं रहे हो, उसके बावजूद उसमें कहीं न कहीं कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हम सबका धर्म बनता है कि हम उसको आगे चलकर जांच कराएं और जांच कराकर किसान को फायदा देने का काम करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार कह रही है कि हम किसान के कल्याण की बात कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी जब 2003 से 2008 में थीं तब हमारे सीकर में रसीदपुरा कृषि उपज मण्डी खोलने की बात की थी। उसके बाद हमारी सरकार आई और हमने लक्ष्मणगढ में मण्डी यार्ड के लिये जमीन आबंटित करा दी और जमीन आबंटित होने के बाद मंत्री महोदय, एक रुपये का काम वहां नहीं हुआ।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

**(16.00 बजे)**

जो कृषि उपज मण्डियों के चुनाव थे, वे चुनाव पूरे हो गये। आपने प्रशासक लगा दिये। क्यों नहीं करा रहे हो? आपको इतना क्या भय लग रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस चीज को भी देखना पड़ेगा। जो अध्यक्ष कृषि उपज मण्डियों में बने थे, उनके मानदेय बढ़ाने की बात आपने की थी, लेकिन आज की तारीख तक उनको बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला है।

जिस प्रकार पशुपालन की बात कर रहे हैं। ब्लाक स्तर पर जो मोबाइल यूनिटें हैं, माननीय मंत्री महोदय, हमारी सरकार ने चालू की थीं। वे मोबाइल यूनिट बंद पड़ी हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। पशुपालन के लिये इस बजट में एक शब्द भी इन्होंने नहीं डाला है।

प्रदेश में लगभग 36 भूमि विकास बैंक हैं, वे घाटे में चल रहे हैं। उसके बावजूद आपने बात कही है कि हम आउटस्टैंडिंग में लाने के लिये काम करेंगे तो क्या राज्य सरकार अपना बजट दे रही है? क्या राज्य सरकार अलग से व्यवस्था कर रही है? या यह भार आप भूमि विकास बैंक के ऊपर डाल रहे हो? अगर आप कोआपरेटिव और भूमि विकास बैंक की इन्कम से करोगे या उनका जो घाटा हो रहा है, उसमें अगर बढ़ोतरी करने का काम करोगे तो किसान आपको धन्यवाद नहीं करने वाला है इसलिये आपको बताना पड़ेगा और आप आठ हजार रुपये की बात कर रहे हो। अगर ईमानदारी से आप किसान को कुछ देना चाहते हो तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बैठिये और बैठकर आंकड़े मंगवाइये। किसान के ऊपर आज की तारीख में कितना कर्ज है और उस कर्ज के आधार पर आप दुबारा सदन में जाइये। जब दुबारा सदन चले, हमसे सहमति ले लीजिये। सबकी सहमति बना लीजिये और उसके बाद में अगर किसान को कुछ देने की बात करोगे तो ही किसान का कुछ भला हो सकता है। अब आप कह रहे हो और प्रधान मंत्रीजी 2022 की कहने लग गये कि 2022 तक दुगुनी कर देंगे। 2022 आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 2018 में चुनाव है। आपकी पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आ रही है। 2019 में आप जा रहे हो। 2022 तक निश्चित रूप से मोदीजी प्रधान मंत्री नहीं रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कल एक बहुत बड़ी बात हो गई। कल शायद मुख्य मंत्रीजी मध्य प्रदेश पधारी होंगी। मध्य प्रदेश उनका पीहर है तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

निश्चित रूप से जाना ही है। मुख्य मंत्रीजी शायद कोटा गयी थीं और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी भी आये थे। मुख्य मंत्रीजी ने वहां कहा कि किसानों का भला करूं, प्रदेश का भला करूं, लेकिन मेरे को 15 साल चाहिए। अब आप बताइये, आपने पांच साल का समय लिया। पांच साल में आप किसान के लिये कुछ नहीं कर पाये और आप 15 साल लेना चाह रहे हैं, यह कैसे मुमकिन होगा? इसलिये ये बातें करने के बजाय आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई तीर मार लिया हो, किसान के लिये पता नहीं क्या-क्या कर दिया हो?

अगर आप कहेंगे तो मैं बता सकता हूं कि 2013-14 में जो हमारा बजट था, उसमें बिंदु संख्या-147 पर भी हमने भूमि विकास बैंक को 17.90 करोड़ रुपये की ब्याज की रियायत दी थी। सब देते आये हैं। जब-जब सरकारें रही हैं, नाबार्ड से जो वित्त पोषित हैं, उन योजनाओं के तहत नाबार्ड की गाइड लाइन के हिसाब से देते आये हैं, इसलिये आपने केवल मात्र एक बात कही है कि हम अल्पकालीन फसली ऋण ब्याज माफ करेंगे। वह हो सकता है कि आपकी सरकार दे, लेकिन वह 80-82 हजार करोड़ का पूरे प्रदेश में किसान का कर्जा है, अगर वह आप माफ करने की बात करते और उसके बाद में कमीशन बनाते तो कुछ बात गले के अन्दर जाती, लेकिन यह जाने का काम नहीं हुआ। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलक्टर कांफ्रेंस वाला आप बताना, मंत्रीजी जवाब देना। पूरे प्रदेश में यह मैसेज है कि कलक्टरों को आपने निर्देशित किया है कि केवल पटवारी, तहसीलदार, लघु या सीमांत का प्रमाण-पत्र देगा, उसी को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। इस भ्रांति से किसान और ज्यादा आक्रोशित होगा, इसलिए इसके बारे में भी आप बताने का श्रम करेंगे।

सभापति महोदय, हमने लक्ष्मणगढ़ में क्रय-विक्रय समिति खुलवायी थी। आप क्रय-विक्रय समिति के लिये जमीन आबंटित नहीं करा सके, शेम। क्या करना चाहते हैं? किसान का किस तरह से भला करना चाहते हैं? आप तो कह रहे थे कि हम समर्थन मूल्य पर किसान की फसलों को खरीदने के लिये ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर व्यवस्था कर देंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कर दी? कहां कर दी? आज आवारा पशुओं के कारण किसान बहुत प्रताड़ित है। इस कर्ज माफी के बाद अगर किसान किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वह निश्चित रूप से आवारा पशुओं से प्रताड़ित है। आज आवारा पशुओं के कारण परेशानी हो रही है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मंत्रीजी फिर इस मुद्दे पर जवाब दे देंगे। जो एक मुद्दा है, वह वेटेरिनरी महाविद्यालय सी.वी.एस. नवानिया वल्लभनगर, उदयपुर में अंतिम वर्ष के छात्रों की इंटर्नशिप शुरू करवाने एवं राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद स्थायी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से बड़ी परेशानी आयी हुई है। महाविद्यालय में सभी 9 सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिये हैं, लेकिन डिग्री का अंतिम चरण इंटर्नशिप चालू नहीं हो पा रहा है। यह बड़ी समस्या है, हमारे प्रदेश के लोगों की। अत: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को देखकर इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करेंगे।

मंत्री महोदय, यह कृषि विभाग किसानों की बहबूदी के लिये है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि गेट कीपर या फिर दरबारियों से यह विभाग नहीं संभलेगा। विभाग को संभालने के लिये, किसान की माली हालत कैसे सुधरे, इसकी जानकारी रखने वाला आदमी चाहिए। आप रखते हो, लेकिन आपकी फाइलें आगे जाकर अटक जाती हैं। आपकी फाइलें आगे पास नहीं होतीं। किसान का भला कैसे होगा, आप बताइये? इस प्रकार से मत कीजिए। मुख्य मंत्रीजी से आप निवेदन कीजिये। आप नहीं तो हम चलेंगे, हमारी मुख्य मंत्री हैं, हमें जाने में कहां तकलीफ आ रही है? किसान की भलाई के लिये अगर हमें जाना पड़े और हमें यह कहना पड़े कि मुख्य मंत्रीजी, कृपा करके ऐसे लोगों को इस विभाग में लगाइये, जो किसान की माली हालत को सुधार करने के लिये कोई योजनायें बना सकें।

बाजरे और बरू में कोई फर्क नहीं करे, सभापति महोदय, वह अधिकारी किसान का क्या भला करेगा, उनके सामने बाजरे का एक पौधा है और एक बरू का है। आपके जो इस विभाग के उच्च अधिकारी हैं, अगर ये बता दें कि ये बाजरे का पौधा और यह बरू का पौधा है तो आप कहो सो मैं करने का तैयार हूं। जब बाजरे और बरू का फर्क नहीं, अगर ऐसे अधिकारी डिपार्टमेंट चलाते हैं, अगर मुख्य मंत्रीजी कान में रूई डालकर बैठी हैं कि किसान कहीं भी जाये, आंदोलन करे उसकी मर्जी, हमें तो हमारे चहेतों अफसरों को, इस किसान का भला हो कि नहीं हो, डिपार्टमेंटों में लगाना है तो यह किसान का भला होने वाला नहीं है।

**श्री विश्वनाथ** (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य, राहुल गांधी जी बता देंगे क्या?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप विराजो, आप वाला टिकट तो अब की बार कट रहा है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर आप किसान की बहबूदी चाहते हो, आप किसान की भलाई चाहते हो, जो किसान के आंदोलन हो रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं तो जो किसान की जिंस है, उनकी लागत का निर्धारण कीजिए और सारा खर्चा जोड़कर लागत का निर्धारण कीजिए और लागत के ऊपर उसको 50 प्रतिशत लाभांश दिये जाने की व्यवस्था आप जब तक नहीं करेंगे, किसान की माली हालत नहीं सुधरेगी।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य पर आपने वादा किया था। आपकी केन्द्र में सरकार है, उनको समर्थन मूल्य की जिंसों में शामिल करवाइये और उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि अगर कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर देना चाहता है, तो उसकी खरीदो। आज मूंग का पैसा छह महीने तक नहीं मिल रहा है। मूंगफली का पैसा आठ महीने तक नहीं मिला, फिर किसान ने क्यों बेची? आप समझ सकते हैं कि जब किसान को जरूरत है तब उसको अगर उसकी फसल का पैसा नहीं मिलेगा तो वह किसान क्या करेगा? रिकार्ड उत्पादन हुआ, उसके बावजूद उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो फिर किसान आक्रोशित होता है, इसलिए उस बात की भी व्यवस्था कराएं।

जो आपने वादा किया था और जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने कहा था। अब तो छह-सात महीने का समय रहा है। आप प्रधान मंत्री मोदी जी से अच्छे रिश्ते बनाइये। मुखिया जी अपने संबंध सुधारें और सुधारकर अगर विशेष राज्य का दर्जा दिलायेंगी तो मैं समझता हूं कि किसान को पीने के लिये पानी मिलेगा। किसान को 24 घंटे बिजली मिलेगी। अगर किसान को बिजली, पानी, खाद, बीज ढंग से मिलेगा तो मैं समझता हूं कि किसान की माली हालत सुधरेगी और ये जो आंदोलन हैं, वह रुक जायेगा।

आप कह रहे हैं कि हम किसान को मालामाल कर देंगे। मैंने अभी बजट पढ़ा था, कह रहे थे कि हम इस साल दो लाख कृषि कनेक्शन किसान को देंगे, यह कहा था और पिछला बजट आप पढ़िये, उसमें कहा था कि 'हम आगामी दो वर्षों में एक लाख कृषि कनेक्शन किसानों को दे देंगे' आगामी दो वर्षों में, पिछली बार एक लाख दे रहे थे। अब की बार 50 दिये नहीं, 20 दिये नहीं, और एक साल में दो लाख की घोषणा कर दी। आप सवा चार साल में एक लाख कनेक्शन दे पाये? इन 6 महीनों में अंतिम में भागती हुई सरकार, आप दो लाख कनेक्शन दे देंगे? कहां से दे देंगे।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपने सुराज संकल्प यात्रा में किसान के लिए कहा था कि डार्कजोन का दुबारा वैज्ञानिक सर्वे कराएंगे और मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन में पता नहीं यहां कितने आंकड़े आते हैं? पानी उठ गया। कोई तो कह रहा है मेरे गांव में 6 फीट ऊपर उठ गया, कोई कह रहा है 20 फीट ऊपर उठ गया, वह कहीं बाहर नहीं चला जाए। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन से ऐसे पानी उफन रहा है फिर तो भाई वाह-वाह, किसान के दिक्कत ही नहीं आएंगी। आप तो पानी को ही उफान दो इस मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन में। एक धेला आपने बजट दिया नहीं। पंचायतों का जो बजट था, वह काटने का काम किया। अब कह रहे हो पानी उफन रहा है। कहां से सर्वे कराया? अगर ऐसे ही पानी उफन रहा है और पानी ऊपर आ रहा है और पानी का स्तर अगर ऊपर उठ गया तो आप अपने घोषणापत्र में आपने कहा था कि हम दुबारा सर्वे करके डार्कजोन से हटवाने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान के खेत में ट्यूबवैल अगर थोड़ा-सा गहरा चला गया तो वह एक पाइप नहीं जोड़ सकता, अगर खराब हो गया तो मशीन लाकर ठीक नहीं कर सकता। किसान की मशीनों को जब्त करने का काम कर रहे हैं। किसी भी कलक्टर ने पूरे राजस्थान में एक भी किसान को खराब ट्यूबवैल को दुबारा मरम्मत करने के लिए अगर मशीन अलाउ की है तो मंत्री महोदय आप बता देना, आप तो किसान के बेटे हैं और आप भी किसान के बेटे हैं, दो-दो मंत्री हैं, आप बताना। ऐसे प्रेक्टिकल जो समस्याएं किसान की हैं, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, उनके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से किसान का भला नहीं होने वाला है और किसान का भला नहीं होगा तो हम सबका भी भला नहीं होगा, आप देख लेना। अबकी बार हम तो फिर भी 24 हो गए। 21 आए, 3 और बढ़ गए, 24 हो गए, 1 और बढ़ गया 25 हो गए। अगली बार कोई मेरे को कह रहा था बाहर, जब आपका बजट आया, बोले हम तो मैटाडोर होती है क्या 6 आदमियों वाली, ये व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताओ? मैटाडोर वाली व्यवस्था तो मत करो कम से कम क्योंकि हमें महसूस हो रहा है कि हम कम संख्या में आए तो हम वह बात जो जनता की हमें प्रभावी तरीके से रखनी चाहिए, उस प्रभावी तरीके से हम कम रख पाते हैं क्योंकि हम संख्या में कम हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आए तो आप कम से कम 30-40 तो आओ जिससे हमारी योजनाओं में जो कमी-खामी हो उसको आप उजागर कर सको।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

न आप चुनाव करा सकते, किसान के वादे से मुकर रहे हो, उसका माफ नहीं कर सकते, किसान की फसल को आप खरीद नहीं सकते। उसकी इन्कम को दुगुना करने का थोथा ढोल पीट रहे हो। कुछ कर नहीं सकते। विभाग में किसान की और खेती की जानकारी रखने वाले लोगों को आप लगा नहीं सकते। फिर कर क्या सकते हो, ये तो बताओ? केवल यही कहोगे क्या कि मेरे पास जादू का डंडा नहीं है? किसान ने कोई आत्महत्याएं राजस्थान में नहीं की हमें 2022 दे दीजिए, हमें 15 साल दे दीजिए, ये जुमले नहीं चलेंगे अब। इसलिए मेहरबानी करके आप इतना कीजिए कि एग्रीटेक मीट, टीट जो भी आपने कर लिया सो कर लिया। फालतू खर्चा जो किसान के कोई काम नहीं आना है, वह कर लिया तो कर लिया। हम आपको माफ कर देंगे और जनता को कह देंगे कि भाई, एक रिसर्च कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। इनका प्रयोग फेल हो गया, इनको माफ कर दो। लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे किसान की जेब में कुछ जाने वाली व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था अगर आप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं आप जो वादे करके आए हैं, उस पर खरा नहीं उतरेंगे। अगर वादों पर खरा नहीं उतरेंगे तो किसान, एक कहावत है सभापति महोदय, आप तो बड़े विद्‌वान है, नहीं-नहीं, छोटी-सी है कि किसान जब रो देगा तो इस सरकार को जड़ामूल से खोदेगा। किसान के आंसू पोछ नहीं सकते हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): उलटा हो गया।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप तो गहलोत जी की आवाज तो सुनाओ हमको।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): जड़ामूल से खोदेगा, उलटा हो गया। उलटा बोल गए। सही करो इसको।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पूरा सत्र निकल रहा है। उनको हमने तो देखा ही नहीं यहां पर। पूरे सत्र में नहीं आए। आते नहीं हैं, बाहर घूमते रहते हैं। +++ सदन में आकर अपनी बात तो रखें। जोधपुर से जीतकर आए हैं तो जनता की बात तो यहां रखें। ये क्यों विधायक बने, यह समझ में नहीं आया।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): कहीं देखा है? कोई एफआईआर दर्ज तो करा दो।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): ये तो सिर्फ +++ फैलाते हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): वे तो दिल्ली के लिए बने हैं विधायक, दिल्ली के लिए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपसे मुख्य मंत्री राज़ी हो गईं? आप बैठ जाओ। विराज जाओ।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): इन्होंने समझा दिया कि साहब आपको ...(व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): खाली सपना देख रहे हो। सपना देखना बंद करो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): एक सैकण्ड। सभापति महोदय, जब अशोकजी गहलोत का इन्होंने नाम लिया है तो मैं कहना चाहूंगा ...(व्यवधान) हां, हां कोई बात नहीं आप विराजो तो सही। +++ बैठो तो सही। (व्यवधान) इस राजस्थान के अन्दर पहली बार किसान को इनाम देने का काम किया। उसकी इज्जत बढ़ाने का काम किया। अशोक गहलोत ने किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): उसी का परिणाम था कि 21 पर रह गए। (व्यवधान)

**श्री कैलाश वर्मा** (संसदीय सचिव): गोविंद जी, गोविंद जी, तभी तो 21 आए आप।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इस पूरे सत्र में विधान सभा में नहीं आए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): बिना ब्याज शुरुआत करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बाद में करना चर्चा। यहां नहीं हैं। मैम्बर यहां आना चाहिए। जो सदस्य बना है, अपने इलाके की, जनता की समस्याएं सदन में रखें। बाहर +++ कुछ नहीं होता।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): चलो, इसका भी जवाब देता हूं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): रिफाइनरी के बारे में बोलें। आकर बताएं रिफाइनरी के बारे में कि क्या हुआ था रिफाइनरी का।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अभी बता रहे हैं। सभापति महोदय, यह तय कर लें। यह ये कह दें कि अगली बार जब विपक्ष के नेता के तौर पर मुख्य मंत्रीजी लंदन नहीं जाकर परमानेंट यहां आएंगी तो मैं आज के बाद में अशोक गहलोत को बुलवा दूंगा। (व्यवधान) मेरी जिम्मेदारी, अशोक जी गहलोत यहां आ जाएंगे।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): वह आएंगी, सदन की नेता के रूप में आएंगीं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): पांच साल महारानी जी लंदन में बैठी रहीं। एक दिन इस सदन में नहीं आयीं। किस मुंह से बातें कर रहे हो?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): यह मानकर चलो इसी सीट पर वापस जीतकर आएंगी। सदन के नेता के रूप में आएंगी। (व्यवधान) और आपको प्रतिपक्ष का भी पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। याद रखना ये।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): सच बोला करो सच। डोटासरा जी सच बोलो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। भाजपा ने बहुत बड़ा वादा किया था कि फसल बीमा में दिक्कत है और इसको ठीक करने का काम करेंगे। प्रधान मंत्रीजी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का ऐलान किया तो हमें भी लगा किसान को कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें भी किसान के साथ में छलावा हुआ। पूरे देश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में 30 जुलाई तक 24 हजार करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिए गए और केवल किसान को 8 हजार करोड़ का भुगतान किया गया। शर्म आनी चाहिए। आप पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हो। किसान के नाम से योजना चालू करते हो। उनसे वादा करते हो और उसके बाद में मुकरकर धन्ना सेठों की तिजोरियां भरने का काम करते हो। आपको प्रदेश की जनता और किसान कभी माफ करने वाली नहीं है। और छेड़ो कोई बात हो तो।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): अपने लिए याद रखना।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपको कटौती प्रस्ताव लगाने का तो समय मिला नहीं। यह तो मेहरबानी है आसन की कि आप यहां बोल रहे हो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैंने सवा चार साल में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपकी सरकार के ऐसे कटौती प्रस्ताव लगाए हैं कि आपका सूपड़ा साफ होने वाला है। जो उपचुनाव में हुआ वैसा का वैसा आगे होने वाला है।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मुंगेरी लाल के सपने देखते रहो।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): गोविंद सिंह जी, आप तो एक बात बताओ, मफतलाल बोथरा कल्पतरू बिल्डिंग वाले और अशोक गहलोत जी के क्या-क्या संबंध थे। ये बता दो खाली। कितनी जमीनें बेची हैं, ये बता दो आप तो? (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट। अशोक जी गहलोत के आपसे क्या संबंध थे? आप छिप-छिपकर पांच साल मिलते थे, मैं नहीं बताऊंगा। आपमें से बहुत से ऐसे सदस्य है जो पांच साल तक छिप-छिप कर एक-एक थानेदार और तहसीलदार के लिए मिलते थे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझे सब बताया लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। (व्यवधान) उसमें कोई सार नहीं है।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): अब नहीं मिलते क्या? आप दस बार वसुन्धरा जी से मिलते हैं। (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): ये मुख्य मंत्रीजी से मिले हैं। एक बात बताओ आप नहीं मिलते हो क्या? वे राजस्थान के मुख्य मंत्री नहीं थे क्या?

**श्री कैलाश वर्मा** (संसदीय सचिव): केवल मुख्य मंत्रीजी से मिलते थे, न कि अशोक जी गहलोत से मिलते थे। आप नहीं मिलते क्या?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): व्यक्तिगत काम के लिए जाकर नहीं मिला।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): ये सदन साक्षी है कि आपके रमेश मीणा यहां से रूठ कर गए थे। आपने ही नेता प्रतिपक्ष का साथ नहीं दिया। आपकी पार्टी का क्या निर्णय है, यह बताओ? आज सदन और यह जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस में कितनी फूट है। आप लोग नेताओं में कितनी फूट है। चार-चार धड़े हैं, यह बताओ पहले। जनता जानना चाहती है आपसे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): एक बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त कर दूंगा। एक मिनट का है। किसान आयोग हमने बनाया किसान की बहबूदी के लिए। 2850 समस्याएं, 16 विभागों के दो साल के प्रतिवेदन हमने प्रस्तुत किए माननीय सभापति महोदय। आपने क्या किया? पहले तो बनाया

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं, फिर आदरणीय सांवरलाल जी जाट साहब को बनाया। दु:ख की बात है कि वह ज्यादा उम्र लेकर नहीं आए थे, भगवान के प्यारे हो गए। आपने क्या किया सवा चार साल में। किसान की बहबूदी की बात करने वाले लोग, किस मुंह से बातें कर रहे हो। किसान आयोग में आपने क्या किया? एक समस्या सुनी हो तो बताइये। आपने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो तो बताइये। हमने दो साल में दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। 2850 किसानों की समस्याएं, 16 विभागों की समस्याएं पेश करने का काम किया, उसके ऊपर समाधान कराने के लिए हमने काम किया। आपने क्या काम किया? केवल मात्र इसलिए कि जाट नाराज नहीं हो जाएं, मात्र इसलिए कि वहां वह नाराज नहीं हो जाए। मोदी जी ने मंत्रिमण्डल से ड्रोप कर दिया तो आपने सम्मान रखने के लिए दे दिया। यह सम्मान का विषय हो सकता है, जनप्रतिनिधि का सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन सम्मान के साथ उस प्रदेश की जनता का भी सम्मान होना चाहिए जिसने आपको सर आंखों पर बिठाकर 163 का बहुमत दिया था पर आप कमेटियां-कमेटियां खेल रहे हैं। आज दुबारा गुलाबचंद कटारिया कमेटी बना दी, 7-8 कमेटियां बन चुकी हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज तक तो गुलाबचंद कटारिया की रिपोर्ट हमारे इस सदन के पटल पर आई नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनसे यह आयोग नहीं बनेगा, यह उसको नवम्बर-दिसम्बर तक ले जाएंगे और इतने में इनकी गाड़ी के पहिये का पंक्चर होकर खेल खतम हो जाएगा। (व्यवधान) अब बंद करो हमारे आदेश हो गए। हम तो अनुशासित सिपाही हैं।

माननीय मंत्री महोदय, एक समस्या है, आप नोट कर लीजिए अगर कर सकते हो तो, अगर यह भी मुख्य मंत्रीजी को पूछना हो तो पूछ कर दीजिए। हमारे दांतारामगढ़ में राजपुरा, करहड़ और खाचरियावास है, यहां पर व्यवस्थापक की मौत हो गई या वह हट गये, जो भी हो गया। सहायक व्यवस्थापक लगा था। उस सहायक व्यवस्थापक को आपने वित्तीय पावर नहीं दिए, जबकि प्रदेश में बहुत जगह दे रखे हैं, तो इनके साथ दोहरा भेदभाव क्यों हो रहा है, आप यह दिखवाने का कष्ट करें। अगर आपके कुछ और ही दिमाग में आए कि नहीं करना है तो बात अलग है वर्ना जब प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है तो दांतारामगढ़ की तीनों जगह व्यवस्था में, यह करने का काम करें।

माननीय मंत्री महोदय, लक्ष्मणगढ़ में क्रय-विक्रय सहकारी समिति जो हमारे समय खुली थी उसका भवन बनाने का काम करें। कृषि उपज मण्डी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लक्ष्मणगढ़ में यार्ड के लिए हमने जमीन दी थी, हमारे समय अलाट हुई थी। उसमें आगे काम करें, यार्ड बनाने का काम करें। मंत्री महोदय, ऋण माफी की जिस प्रकार की आप बात लेकर आए हैं, अगर साफ करते हैं तो आज कर दें, मुझे नहीं लगता कि आप कह पाएंगे। मुख्य मंत्रीजी से विचार-विमर्श करके 6 तारीख को मुख्य मंत्रीजी से यह कहलवाएं कि किसान भाई-भाई हैं, सब एक जैसे हैं। जो भी करना हो वह समानता के साथ कीजिए, निश्चित रूप से यह बहुत जरूरी है वर्ना किसानों में और ज्यादा आक्रोश भड़केगा। किसान कल-परसों की तरह सड़कों पर आएंगे। दुबारा लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ेगी और हमारे गृह मंत्रीजी खड़े होकर कह देंगे कि मैं क्या करूं, मैं कहां-कहां जाऊं, मेरे पास पुलिस नहीं है। फिर कटारिया कमेटी बन जाएगी और फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हमें सरकार में आने के बाद ही इन चीजों का समाधान करना पड़ेगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री रामलाल गुर्जर। श्री अर्जुनलाल। श्री जीतमल खांट। श्रीमती अनिता कटारा। श्री छोटू सिंह जी।

**श्रीमती अनिता कटारा** (सागवाड़ा): सभापति महोदय...

**श्री सभापति**: छोटू सिंह जी का नाम पुकार लिया। छोटू सिंह जी का नाम पुकार लिया, उनके बाद आप।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सभापति महोदय, अभी तो सरकारी उप सचेतक महोदय हमारे सचेतक को कानून सिखा रहे थे, अब आपका कानून कहां गया, फेल हो गया। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़**, (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हमको यह थोड़े ही पता था कि यह इतनी जल्दी हथियार डाल देंगे। हमको लगता था कि यह थोड़ा बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): आप समय दीजिए हिम्मत है तो। (व्यवधान) आप समय दीजिए, मुझे दीजिए आप समय। (व्यवधान) जितना दे सकें, अगर कल सुबह तक भी ...(व्यवधान) नहीं बोलूं तो बता देना।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह तो हथियार डालकर बैठ ही गये ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैंने तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसलिए शोर्ट कर दिया कि मदन जी राठौड़ मेरे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि 6-8 महीने तो शांति से जी लेने दो। आपका राज आ रहा है कल को हमें विपक्ष में रहना है, तो हम कम मुद्दे उठाएंगे, इसलिए मैंने तो आपका लिहाज कर दिया। वर्ना तो किसान पर बोलने के लिए आप चाहो तो 24 घंटे, दो दिन, चार दिन, दस दिन कितना ही बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): सभापति महोदय, आज मालूम पड़ा है कि सचेतक महोदय का कि प्रतिपक्ष के नेता इसलिए इनसे दुःखी हैं कि इनके संबंध कहां-कहां हैं।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर): माननीय डोटासरा साहब, 80-90 परसेंट मार्क्स लाने वाला कभी सप्लीमेंट्री नहीं ला सकता। वह हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास होगा जो 180 की संख्या लाता है। 160 सदस्य आते हैं, 80 परसेंट आते हैं। कभी यह मत सोचो कि हम भी विपक्ष में बैठेंगे, कभी नहीं हो सकता। जनता ने बहुत बल दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-36 सहकारिता, मांग संख्या-37 कृषि व मांग संख्या-39 पशुपालन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। विराजमान सभी माननीय सदस्य बहुत अनुभवी, बुद्धिमान हैं। सबकी सोच यही है कि किसान को कैसे मजबूत किया जाए। कैसे पशुपालक को मजबूत किया जाए ताकि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा अनाज व अच्छा दूध मिले। क्रय-विक्रय के हिसाब से आमजन को पूर्ण मात्रा में अनुदान मिले, ऋण मिले। सभी माननीय सदस्यों ने इस पवित्र हाउस में अलग-अलग अपने व्याख्यान दिए।

सभापति महोदय, 70 साल में यह नहीं सोचा कि कभी पृथ्वी भी बीमार पड़ती हैं, धरती माता भी कभी बीमार होती है। तीन माताएं होती हैं, एक धरती माता, दूसरी जन्म देने वाली माता और तीसरी गौमाता। जन्म देने वाली माता के लिए प्राचीन काल से ही बहुत सारे इलाज हुए। गाय के लिए भी अलग-अलग सोच के हिसाब से इलाज। लेकिन धरती के बारे किसी ने भी नहीं सोचा कि धरती माता भी कभी बीमार होती है। राष्ट्र के मुखिया माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रकार से सोचा कि अलग-अलग प्रकार के खाद अपन दे रहे हैं, इस धरती मां को भी कभी मलेरिया होता है। उसके इलाज के लिए आज अलग-अलग प्रदेश के अन्दर, हर राष्ट्र के अन्दर माननीय प्रधान मंत्रीजी ने घूम-घूमकर सोचा कि किसान की आय को कैसे दुगुना किया जाए। उसको कैसे मजबूत किया जाए। यह सोच कि धरती

(श्री छोटू सिंह)

का सोइल टैस्ट होना चाहिए। मैं प्रदेश की मुखिया वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भी यह सोचा। संभागीय स्तर पर किसान मेला, पशुपालन मेला, अलग-अलग जगहों पर रखा। आमजन को जानकारी दी कि कौनसे मौसम में किस प्रकार का अनाज बोया जाए, कौनसा पानी यूज लिया जाए, किस प्रकार की गाय रखी जाएं, किस प्रकार के बैल रखे जाएं, किस प्रकार की भेड़-बकरी तैयार की जाएं। अलग-अलग मेलों के अन्दर दूर-दूर क्षेत्र के लोगों ने इसकी जानकारी ली। संभागीय स्तर पर हर किसान ने इसकी जानकारी ली। मैं माननीय मुख्य मंत्री साहिबा को व मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी सोच हम सबकी सोच के अनुरूप उतरी। इस सोच के हिसाब से आम जन की, किसान सोचता था कि कैसे खेती की जाए, पशुपालन कैसा रखा जाए, यह सोच था कि इन्कम बढ़ाई जाए, सोचा जाए। माननीय मंत्रीजी इसके बारे में बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि वह किसान परिवार से हैं, धरती से जुड़े हुए हैं। उनकी सोच यह कि किसान का अनुदान बढ़ाया जाए, ऋण माफ किया जाए, अच्छी नस्ल की गायें ली जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छा राशन मिले, अच्छा पौष्टिक दूध मिले। आज जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ में मिलावट आती है, हर माननीय सदस्य इसके लिए सोच रहा है, विचार कर रहा है कि जब तक किसान और पशुपालक मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत नहीं हो सकती। आने वाली पीढ़ी को पौष्टिक आहार दिया जाये, अच्छा दूध पिलाया जाये तो यही है कि पशुपालक को अच्छी गुणवत्ता के, अच्छी नस्ल के पशु दिये जाएं। खेत के अन्दर, खलिहान के अन्दर, सोइल टैस्ट करके उसके अन्दर बीज बोया जाये और किसान का जो कर्ज है, उसको माफ किया जाये, किसान को मजबूत किया जाये। इसके लिये इस बजट के अन्दर योजनाबद्ध तरीके से पूरे और कृषि और पशुपालन के अन्दर अलग-अलग व्याख्यान दिया गया है। मैं बहुत -बहुत धन्यवाद देता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्री साहिबा को, माननीय मंत्रियों को कि इस प्रकार का सोच आपने रखा है। आज भी हालात देखे जाएं, यदि सोच देखी जाये तो सभापति महोदय, सबसे बड़ी सोच है कि किसान कैसी फसल, किस प्रकार की बोये और इंग्लिश खाद को किस प्रकार से हटाया जाए और देशी खाद को यूज लिया जाये। देशी खाद तभी हो सकती है, जब हमारे पशु रहेंगे, हमारी भेड़-बकरी रहेगी, हमारी गायें रहेंगी, हमारा पर्यावरण सुधरेगा।

(श्री छोटू सिंह)

मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री साहिबा को जिन्होंने यह भी सोचा कि चलता हुआ पानी, बरसात का जो अमृत जल है, जो प्रसाद हमें इन्द्र देव के द्वारा दिया जाता है उसको कैसे संचित रखा जाये, उसको कैसे शोरबटार रखा जाये। उस सोच के हिसाब से राजस्थान में कई ऐसी बावड़ियां और तालाब हैं, जिनमें इनका प्रयोग बहुत ही सुविधाजनक हुआ और अच्छा हुआ। विशेषकर यह मेरे जैसलमेर के दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि प्राचीनकाल में मेरे इस जिले के अन्दर पालीवाल समाज के लोग रहते थे। उस टाइम न कोई ट्यूबवैल था, न कोई दूसरा पीने के पानी का सोर्स था। यही सोर्स था कि बरसात के पानी को एक साल के लिये रोका जाये। उससे हम खेती भी करें और उससे हम पानी भी पिएं तो छोटे-छोटे जहां पहाड़ी इलाके में खेत हुआ करते थे, एनीकट्स बनाये और बड़े-बड़े बावड़ियां क्षेत्र उस जगह के लिये, पानी के लिये बैरे बनवाये गये और बहुत बड़े तालाब बनाये गये।

उदाहरण के रूप में पश्चिमी क्षेत्र में एक महिला जसेरी के नाम से एक नाड़ी है। वह बारहों महीने भरी हुई रहती है। उन लोगों की यह सोच थी। उस सोच को आज हमने तरो-ताजा करके पूरे प्रदेश के अन्दर इसका जो अनुभव प्रकट किया, अलग-अलग रूप में, अलग-अलग दिशा में हर आदमी की सोच को बदला, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री साहिबा को और सही सलाह देने वाले सभी महानुभावों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय, किसान कैसे मजबूत हो। किसान और पशुपालक कैसे तैयार हो, इसके लिये सबसे पहले अपना सोच होगा कि क्षेत्र को आरक्षित किया जाये। मैं विशेष तौर से मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। राजस्थान बहुत-लम्बा चौड़ा है। जैसलमेर एक ऐसा इलाका है जहां खेती भी हो सकती है और पशुपालक भी बहुत बड़े आराम से रह सकता है। उसके लिये मैं सोचता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा इलाका है, जहां आज ही नहीं, पूर्वी काल से हम पशुपालक रहे हैं। उसके अन्दर पशुपालक रहे हैं। उसके अन्दर उस समय पानी की कमी थी तो लोग सोचते थे कि आज रात रुकना है, पीने, पानी वगैरह की क्या व्यवस्था होगी। हमारे पूर्वज कहते थे कि यहां बहुत कुछ मिलेगा। पानी कम मिलेगा, घी चाहे जितना मिलेगा। ऐसे उदाहरण हमारे जैसलमेर में थे। इस उदाहरण को देखते हुए आज राजस्थान से इन्दिरा गांधी नहर निकलकर हमारे उस पश्चिमी क्षेत्र में पहुंची है। लोगों ने खेती करना सीखा है कि खेती कैसे हो

(श्री छोटू सिंह)

सकती है। उस खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाये। इसके बारे में निवेदन सभापति महोदय, मैं करना चाहता हूं कि बहुत पानी आता है। फिर भी बहुत वर्षो से सूखी धरती को उसकी कमी महसूस होती है। मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्रीजी विराजे हैं, इस पानी को कैसे कम यूज किया जाये और कैसी फसल बोयी जाए, जिससे कि यह पैदावार बढ़ सके।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुरब्बों के अन्दर जो खाले आते हैं उनमें हमेशा कमी महसूस होती है और हम ऊपर देखते हैं कि परमात्मा इन्द्र की कोई मेहरबानी हो जाये तो एक (मावठ) हो जाये, मतलब सर्दी की, रबी की फसल की बरसात हो जाये तो हमारी फसल अच्छी पकेगी, नहीं तो कमी महसूस होगी। आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमी को कैसे पूरा किया जाये। मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कृषि को बढ़ावा देने के लिये जैसलमेर के अन्दर सोलर की बहुत व्यवस्था है, पवन की बहुत व्यवस्था है। खुद के लिये भी बिजली होगी, प्रदेश के लिये भरपाई करने की भी क्षमता रखता है। आदरणीय, उस हिसाब से जो पानी आता है, उसमें डिग्गी का जो प्रोविजन इस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा ने लिया है और उसका अनुदान और सब्सिडी भी बढ़ाई है। मैं पुन: उनको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सोलर के अन्दर तीन एच.पी. और पांच एच.पी. के कनेक्शन देकर यदि डिग्गी की मात्रा बढ़ाई जाये तो वहां के किसानों में खुशहाली आयेगी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी।

उसमें मुख्य एक और सवाल है सभापति महोदय, कि जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति में हर जिले के अन्दर डार्क जोन की घोषणा है। माननीय, मैं मानता हूं कि आने वाला समय पानी के लिये कठिन होगा और कहते हैं कि पानी के लिये लड़ाइयां होंगी। जैसलमेर एक ऐसा जिला है, जिसकी एक ट्यूबवैल से दूसरी ट्यूबवैल की दूरी कम से कम तीन किलोमीटर, पांच किलोमीटर और दस किलोमीटर है। वहां का किसान, आज भी हालत यह है कि वहां पानी है, लेकिन भाग्य ऐसा है कि जैसे हम खेती का प्रशिक्षण लेकर सीखे हैं और वहां सब जिलों में डार्क जोन होते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उधर भी डार्क जोन कर दिया। माननीय, मानते हैं कि पानी की कमी है लेकिन जैसलमेर का विशाल क्षेत्रफल है और एक ट्यूबवैल से, दूसरी ट्यूबवैल, और हमें वरदान मिला है, सरस्वती है वहां पानी के अथाह भण्डार हैं। हम यह

(श्री छोटू सिंह)

चाहते हैं कि यह डार्क जोन हटाया जाये। वर्तमान स्थिति के बाद जो आपने हमें ट्यूबवैल दिये हैं, उसमें जीरा ऐसा पैदा होता है माननीय, आपकी ट्रेन भरी हुई होगी तो उस गांव के अन्दर खुशबू निकलती है। इस प्रकार की हमारी जमीन है। यदि उस प्रकार की हमें इजाजत दी जाए कि इसके लिये ट्यूबवैल की सैंक्शन और मात्रा बढ़ाइये मंत्रीजी, तो हमारा यह क्षेत्र खुशहाल होगा। जो आज जीरे की खुशबू है, यह पूरे भारतवर्ष में रहेगी। यहां तक कि लास्ट तक भी पहुंचेगी।

आदरणीय, पैदावार हो रही है। खुद आपके द्वारा देखा गया है कि जैसलमेर में खजूर भी पैदा होता था। कहते हैं कि अफगानिस्तान में खजूर होता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसलमेर में भी खजूर होता है, जैसलमेर में भी अमरूद होते हैं। यहां तक कि, पहले तो यहां सोचते थे, अधिकारी और कर्मचारी जैसलमेर का नाम सुनते थे कि सौ सज़ा दे दो, लेकिन जैसलमेर नहीं जाएंगे। लेकिन आज वे चाहते हैं कि जैसलमेर जैसा जिला मुझे मिल जाये तो अति सुन्दर होगा, हमारी जिन्दगी में चार चांद लगेंगे। हम जन प्रतिनिधि भी खुश हैं कि उनकी आवश्यकताएं ज्यादा होते हुए बहुत कम मात्रा में कहते हैं कि हो जायेगा। वसुंधराजी की सरकार का राज है, आठों पहर आनन्द मिलेगा। इस प्रकार की आम जन की भावनाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से आज पशुपालक चिन्तित है, मैं धन्यवाद देता हूं कि, जैसे कि अकाल और जैसलमेर का हमेशा आपस में भाईचारा रहा है। एक बरसात हो जाती, दो बरसात हो जाती लेकिन कमी रहती है। कमी के कारण हमारे पशुपालकों के अन्दर बहुत बड़ी विकट समस्या हो जाती थी। मैं धन्यवाद देता हूं कि 90 दिन के अनुदान की घोषणा को आपने गौ-शाला में 180 दिन की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आज पशुपालक बहुत खुश हैं। कभी 180 दिन के लिए, पशुपालक के लिए राजस्थान की सरकार चिंतित है। पशुपालक को सोच नहीं करना पड़ता लेकिन इस चीज की तो जरूर चिंता है।

माननीय सभापति महोदय, दूध का रेट केवल 20 रुपये और 15 रुपये किलो है। हमारे सीमांत क्षेत्र में शुद्ध दूध मिलता है। उसका समर्थन मूल्य, उचित मूल्य होना चाहिए। घी का रेट केवल 500 और 600 रुपये है। हम जो

(श्री छोटू सिंह)

घी पैदा करते हैं, हम जो दूध देते हैं, माननीय सदस्य, आप विराजे हुए हैं, आपका बेटा और पोता अगर वह दूध पियेगा तो तरोताजा होकर इस प्रकार का होगा कि डाक्टर उसको नहीं कह सकता कि आप घी मत खाओ, आप दूध मत पीओ। माननीय सभापति महोदय, आप जैसलमेर के उन पशुपालकों को दूध का भाव एक उचित हिसाब से दो और उचित हिसाब से घी का दे दो तो मैं कह सकता हूं कि जैसलमेर के लोगों में यह भावना पैदा हो जाएगी कि हम पशुपालक पशु ही रखें।

जैसलमेर की थारपारकर गाय फेमस है। जैसलमेर की गाय, जैसलमेर के बैल, आज इस प्रकार से आप जाकर देखें तो जैसलमेर का इलाका जो जंगल, सौन्दर्य यदि दिखता है तो उन पर दिखता है क्योंकि वहां के पशु दोनों तरफ विचरण करते हैं।

वहां की सेवण घास को कैसे आरक्षित किया जाए? वहां की सेवण घास को यदि कोई देखता है तो मेरे ख्याल से विश्व में भी ऐसी प्रसिद्ध घास नहीं होगी। उस घास को खायी हुई गाय का दूध और घी कोई लेता है तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि डाक्टर आपको मना नहीं कर सकता, चाहे आप 80 साल के हो जाओ। चूरमा करो और खाओ, कोई मना नहीं कर सकता। सब प्रकार की बीमारियां आपके लिए खतम हो जाएंगी, यह मेरा दावा है।

माननीय सभापति महोदय, सभी विराजमान माननीय सदस्यों की सोच है कि इस मांग के अन्दर आम किसान, आम पशुपालक कैसे मजबूत हो, कैसे आत्मनिर्भर बने, हम सबकी सोच को देखते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की दो समस्या हैं। एक तो पशुपालकों के लिए आपने हास्पिटल दुनिया भर के बनाये, हर पंचायत में बनाये, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन थोड़ा-सा निवेदन और करना चाहता हूं कि वहां पर डाक्टर्स की बहुत कमी है। पता नहीं क्यों वह वहां पर रहना नहीं चाहते? हमने उनको घी भी खिलाया, दूध भी खूब दिया और उनको कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि दूध भी आपको मोल लेना पड़े। आदरणीय, अधिकारी कोई जाता है गांवों के अन्दर तो उसको दूध मोल लेने की जरूरत नहीं है। गांवों में होटल भी नहीं है। यदि वह जाता है तो होटल की व्यवस्था नहीं है। आदरणीय मैडम, आप तो पधारे हुए हो। आपने तो देखा है

(श्री छोटू सिंह)

कि जैसलमेर एक ऐसा जिला है जिसके गांवों में किसी प्रकार की चाय की होटल नहीं है, किसी प्रकार का रोटी का होटल नहीं है। मारवाड़ी में हम ओतारा (कोटडी) कहते हैं, इंग्लिश में जिसको रेस्ट हाउस कहते हैं, आप वहां पर आओ, आपको वहां पर पूर्ण व्यवस्था मिलेगी, वह व्यवस्था हम अधिकारियों को भी, आदरणीय मंत्रीजी को देते हैं। आप उनको भेजो, हम उनका वैलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसमें अच्छी भावना से, अच्छे तरीके से शुभचिंतक रहेंगे।

आदरणीय, इसके साथ में मेरा निवेदन है, सहकारिता मंत्री विराजे हैं। सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है कि आज कृषि के हिसाब से देखा जाए तो सहकारी क्रय-विक्रय समितियों की बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं कि अनाज पैदा हो लेकिन उसको रखने की जगह नहीं है। एक तो बीज भंडारण की हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर व्यवस्था की जाए एवं साथ ही हर ग्राम पंचायत पर क्रय-विक्रय समिति बनवाई जाए और उसके अन्दर एक विशेष पैकेज दिया जाए। आप मानते हो कि पांच-पांच सौ और हजार रुपये देकर किसान लाएगा? यह बड़ा मुश्किल मामला है।

अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने हमें वैसे भी पहले ही कह दिया था कि आज पंजाब एक सम्पन्न प्रदेश है, वहां के किसानों की इन्कम केवल 6095 रुपये मंथली है और साल के मुश्किल से एक लाख चालीस हजार है, इतने ही पैदा करता है तो उससे तो बाकी प्रदेश तो सब पीछे हैं, बाकी प्रदेश पीछे होंगे तो आदरणीय, किसान को क्या सुविधाएं दी जाएं? आपने बहुत कुछ अनुदान दिया, बहुत कुछ व्यवस्थाएं कीं लेकिन विशेषकर व्यवस्थाएं एक तो डिग्गी निर्माण में और एक हमारे जैसलमेर में बहुत सारी बिजली पैदा होती है, हम प्रदेश को पहुंचा रहे हैं, जैसलमेर के किसान के खेत के पास में पवन चक्की चलती है, उसके पास में सोलर भी चलती है तो उस हिसाब से जिस खेत में अनाज पैदा होता है, उस किसान का बेटा कभी भूखा नहीं रहता है लेकिन आज हम सोचते हैं कि हमें लाइट कम मिलती है। हम चाहते हैं कि कश्मीर की तरह हमें भी जहां जिस खेत के अन्दर और जिस खलिहान की जिस धरती के अन्दर यह चीजें उपजती हैं, यह चीजें पैदा होती हैं तो उनके लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए ताकि यहां के किसानों को सब्सिडी पर बिजली दी जाए, पूर्णतया बिजली दी जाए और एक डार्क जोन का जो ताला लगा हुआ है, उसको भी खोला जाए और किसान की स्थिति को

(श्री छोटू सिंह)

देखा जाए, वहां के क्षेत्रफल को देखा जाए, कृषि कनेक्शन के लिए पुन: जैसलमेर के लिए विशेष अलग से पैकेज दिया जाए।

इन्हीं आशाओं के साथ पुन: आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देते हुए, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनिता कटारा।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36, मांग संख्या 37 एवं मांग संख्या 39 के पारित होने एवं आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय मांगें पारित होने एवं कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाता है।

# अनुदान की मांग

## मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

**श्रीमती अनिता कटारा** (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-37, मांग संख्या-39 एवं मांग संख्या-36 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

मांग संख्या-37-कृषि, हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है यह हमने किताबों में पढ़ लिया, हम सब कृषि करते हैं, यह हर व्यक्ति के मुंह से सुन लिया, पर अगर एक अध्यापक तैयार किया जाता है तो एक बी.एड. कालेज होती है, एक डाक्टर तैयार किया जाता है तो उसके लिए कालेज होती है पर किसान तैयार करने के लिए आज तक न कॉलेज देखी, न उनकी सुविधाओं के लिए ऐसी कोई जगह देखी।

कृषि पर हम सब निर्भर हैं, चाहे हम किसान हों या नहीं हों क्योंकि जब तक खाद्य सामग्री किसान हमको उत्पादन करके नहीं देता है तो हमारा

(श्रीमती अनिता कटारा)

सबका जीना दुश्वार है, हम सब नहीं जी सकते। अगर किसी बड़े उद्योग को बंद कर दिया जाए तो उस उद्योग में उत्पन्न होने वाली सामग्री जैसे- कपड़े हैं, जूते हैं तो उनके बगैर हम कुछ समय तक रह सकते हैं, पर किसान अगर ठान ले कि मैं कृषि करना छोड़ दूं तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। हम सब जीना छोड़ देंगे क्योंकि हम किसान के ऊपर ही निर्भर हैं।

यह बातें कभी भी विपक्षी भाइयों ने नहीं सोची इसीलिए किसान आज इतना पिछड़ा हुआ है। उन किसानों के लिए कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, उन किसानों के लिए कुछ भी, उनकी फसल के लिए भी कोई बात नहीं की गयी, पर जब-जब हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धराजी मैडम आईं और हमारी सरकार जब-जब आई, हमेशा सबसे पहले अगर कोई चिंता व्यक्त की है तो किसानों को लेकर की है।

2009 से कृषि कनेक्शन बाकी थे। आज गांवों में जाकर देखें उन किसानों को कृषि कनेक्शन मिल गये हैं। अगर ऋण माफी की बात करें तो हमारी सरकार के समय में हुई। मैं धन्यवाद देती हूं हमारे कृषि मंत्रीजी को और हमारी मुख्य मंत्री महोदया को कि उन्होंने समझा और उन्होंने देखा कि हम सब किसान हैं, चाहे हम खेती करते हैं या नहीं करते हैं, पर हम किसानों के ऊपर ही निर्भर हैं, यह हमारी सरकार ने अब सोचा। इस वजह से आज किसानों को इतनी सारी सुविधाएं देने का काम किया है। यह काम अगर शुरू से जब इतनी बार सरकारें बनीं, तब थोड़ा-थोड़ा अगर किसानों का सबने ध्यान रखा होता तो आज इतनी सारी समस्याएं किसानों की नहीं होतीं। आज गांवों में देखें, मैं डूंगरपुर जिले से आती हूं, डूंगरपुर जिले की बात करूंगी। आजकल किसानों ने खेती करना थोड़ा कम-सा कर दिया है, क्योंकि जो किसान भाई होते हैं, वह मक्के की खेती करके मजदूरी के लिये गुजरात चले जाते हैं, वह मजदूरी के लिये कहीं बाहर चले जाते हैं और घर में जो महिलाएं रहती हैं, वह महिलाएं उस कृषि की, उस फसल की रक्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि किसानों को नील गाय और अन्य आवारा जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिये रात भर जागना पड़ता है, खेतों में रहना पड़ता है। वह महिलाएं नहीं रह सकती हैं, इसीलिये खेती करने का किसानों में पहले जितना उत्साह होता था, जिस उत्साह के साथ में वह खेती करते थे, उन्होंने धीरे-धीरे कृषि करना बंद कर दिया है और आज वह मजदूरी के लिये जाना पसंद करते हैं। अब वह सोचते हैं कि हम खेती करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह हिसाब लगाने में

(श्रीमती अनिता कटारा)

किसान लग गये हैं, इसीलिये हमने जितना किया है, उससे कहीं ज्यादा किसानों के लिये हम सबको मिलकर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में जिस प्रकार हम बहुत ज्यादा पैसा भर-भरकर डाक्टर तैयार करते हैं, उसी प्रकार से हमको बहुत बड़ी डिमांड दे-देकर किसान तैयार करने पड़ेंगे। वह दिन दूर नहीं हैं।

मेरे सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो टी.एस.पी. क्षेत्र है और टी.एस.पी. में जो बीज मिलता है, वहां नि:शुल्क बीज वितरण का चल रहा था, इस बार किसानों को नि:शुल्क बीज नहीं मिला। टी.एस.पी. क्षेत्र में कई प्रकार की किसानों को ट्रेनिग दी जाती है, किसानों को बाहर ले जाया जाता है। पर बार-बार हर मीटिंग में भी यह मांग रहती थी कि जो बाहर ट्रेनिंग के लिये जाते हैं, कोई अच्छी चीज सिखाने के लिये लेकर जाते हैं तो जिले में एक फिक्स लिस्ट है। जो किसान मोर्चा में और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके नाम पहले से फीड कर रखे हैं, वही की वही लिस्ट दोहराते रहते हैं। अगर कुछ अनुदान दिया जाता है तो वही लिस्ट सामने आ जाती है। कहीं बाहर ट्यूर पर जाना है तो वही लिस्ट सामने आ जाती है। किसानों को जो लाभ मिलना चाहिये, वह हर किसान के हक का होता है और हर किसान को यह लाभ मिलना चाहिये, यह मैं निवेदन करती हूं।

टी.एस.पी. क्षेत्रों में खेतों की तारबंदी के लिये जो अनुदान राशि 50 हजार है, उस राशि को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख तक कर दी जाए तो टी.एस.पी. क्षेत्र के किसानों में खेती करने के लिये थोड़ा-सा उनका हौसला बुलंद होगा।

जैविक खाद एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये जनजाति क्षेत्र में अनुदान राशि बढ़ाने एवं समय पर कृषकों को लाभ दिलवाने की मैं मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को लोन माफी की जो सौगात दी है, सरकारी बैंक के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक से लिये लोन वाले कृषकों को भी लाभ दिलाएं, ऐसी मैं मांग करती हूं।

**(16.54 बजे)**

**(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)**

कृषि जहां की जाती है, वहां पशुपालन नहीं हो रहा हो तो कृषि अधूरी

(श्रीमती अनिता कटारा)

होती है, खेती अधूरी होती है, क्योंकि जो खेती करता है, तो उसको पशुपालन का कार्य भी साथ-साथ में करना पड़ता है। पशुओं के लिये हमारी सरकार ने समय-समय पर बहुत सारे लाभ दिलवाये। पशुओं के लिये बीमा योजना चालू की, और भी बहुत सारे लाभ पशुपालकों के लिये दिये हैं।

इसके अलावा सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में लोगों की आजीविका का साधन पशुपालन है। यहां पर दूध पैकिंग प्लांट स्वीकृत किये जाने की मांग करती हूं, क्योंकि सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है और उसको पैकिंग के लिये गुजरात भेजा जाता है। इससे जो दाम किसानों को मिलना चाहिये, वह पूरा दाम नहीं मिल पाता है तो इसके लिये मैं पैकिंग प्लांट की मांग करती हूं।

पशुपालन व्यवस्था के लिये सब्सिडी लोन टी.एस.पी. क्षेत्र में उपलब्ध करवाया जाये। दूध संग्रहण केन्द्र खोलने की मैं मांग करती हूं। राज्य सरकार की ओर से पशु बीमा नि:शुल्क करने की मैं मांग करती हूं।

सहकारिता के क्षेत्र में सिलोई ग्राम पंचायत में नवीन लैम्पस स्वीकृत करने की मांग करती हूं। पूर्व में नवीन जो लैम्पस स्वीकृत हुई हैं, उनके लिये भवन निर्माण की मांग करती हूं। सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में लैम्पस में गोदाम स्वीकृत करना, वहीं जिन लैम्पस में बैंक संचालित है, बैंक कार्यालय के लिये भवन की मांग करती हूं।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया और कृषि मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने किसानों के लिये बजट में इतनी सारी चीजें रखी हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जीतमल जी खांट।

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 36, 37 एवं 39- कृषि, पशुपालन चिकित्सा एवं सहकारिता पर बोलने का अवसर दिया। इस पवित्र सदन में सभी माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं। मैं भी अपने क्षेत्र की और जिले की बात को इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जहां पर कृषि, पशुपालन का विषय आता

(श्री जीतमल खांट)

है, हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री ने नारा दिया था 'जय जवान जय किसान'। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। इस देश और प्रदेश के किसान और देश के नौजवान, जो देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं और आज हिन्दुस्तान का जो किसान है, प्रदेश का किसान है, आम जनता के लिये कितनी लड़ाई लड़ रहा है, इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने सभी गम्भीर विषयों पर चर्चा की है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं, यहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सभी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं। कहीं रेतीला स्थान है तो कहीं पथरीली जमीन है, तो कहीं पहाड़ी इलाका है तो कहीं नदी और झरनों से 24 घंटे पानी बहता रहता है, ऐसा भी क्षेत्र है।

**(17.00 बजे)**

यानी कि राजस्थान का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न है और इस वातावरण में किसान मेहनत-मजदूरी करके पूरे राजस्थान के आम-अवाम के लिए अनाज पैदा करता है। इस विषय पर यह कहना चाहूंगा कि किसान इस देश का, इस प्रदेश का और पूरे विश्व का अन्नदाता है। यह अन्नदाता दिन-रात मेहनत करता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो। जिस तरीके से देश की सीमा पर देश की चौकसी करने वाला सैनिक काम करता है ठीक उसी तरीके से राजस्थान और देश का किसान इस मुल्क और अवाम के लिए कड़ी मेहनत करता रहता है। उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। खेत में जब पक जाता है तब उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिलता है। उसको सिर्फ मजदूरी का हक मिल रहा है, उसको उत्पादन का कोई शुल्क नहीं मिल रहा है। आज आप और हम सब ऐसे अन्नदाता का गम्भीरता से जिक्र कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। हमारे बांसवाड़ा जिले से लगता हुआ मानगढ़ का इलाका और मानगढ़ से लगता हुआ हमारे गुजरात का इलाका है। जब हम हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर गुजरात में प्रवेश करते हैं तो वहां के किसान, वहां का मजदूर, मध्यम श्रेणी का किसान, सभापति महोदय, आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने किसी पहाड़ी के मकान पर जाकर उस व्यक्ति से पूछा कि आपके यहां पर...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य हीरालालजी, अपनी सीट पर आयें।

**श्री जीतमल खांट** (गढी): सभापति महोदय, मैंने गुजरात के उस बीहड़ जंगलों में रहने वाले आदिवासी के घर पर जाकर मालूम किया और मैंने पूछा कि भाई साहब, आपके यहां पर सिंगल फेज बिजली आती है या थ्री फेज बिजली आती है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इस बीहड़ जंगल में भी थ्री फेज कनेक्शन हमने ले रखा है और चौबीस घंटे थ्री फेस बिजली मिलती है गुजरात में। उस पहाड़ी के अन्दर अच्छी हरियाली दिखती है। वहां पर मक्का और खरीफ की फसल होती है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी तरीके की, वहां का किसान उस धरती माता से लड़-झगड़ कर दिन रात मेहनत करके न जाने क्या-क्या इस धरती मां की कोख से अन्न पैदा करके आम-अवाम के लिए करता है और अपने बाल-बच्चों के लिए ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण राजस्थान और देश के लिए वह काम आता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। राजस्थान में मात्र हमें सात घंटा बिजली मिलती है। दिन को हमें छह घंटा बिजली मिलती है। मैं आरोप-प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता हूं लेकिन राजस्थान के अन्दर पहली बार माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में निर्बाध रूप से हमें छह घंटे बिजली, रात को जरूर बिजली ट्रिपिंग होती है, कहीं न कहीं हमें इस बात की तकलीफ है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान का किसान, कहते हैं कि किसान कमजोर होता है, किसान का दिल कमजोर है और वह आत्महत्या कर लेता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा, अगर राजस्थान के किसान को बारह घंटे बिजली मिल जाए तो राजस्थान को सोने की चिड़िया बना सकता है। राजस्थान के किसान में इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा हौसला है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान के बारे में हम सब लोगों को चिन्ता है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, बिजली मंत्रीजी यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन सीनियर मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि पहाड़ी, जंगलों के इलाके में पहली बार पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना देकर देश के प्रधान मंत्रीजी ने हिन्दुस्तान में एक नया अध्याय लिखने का काम किया है कि जिस भी टापरी के अन्दर आज भी बिजली का वल्ब नहीं जलता है, उस झोंपड़ी के अन्दर पहली बार बिजली का वल्ब जलाने का इतना बड़ा क्रांतिकारी काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है।

(श्री जीतमल खांट)

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर विन्ड पावर की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा की बहुत बड़ी संभावना है। बार-बार बिजली कटौती होती है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ट्राइबल बैल्ट के अन्दर विन्ड पावर और सौर ऊर्जा का स्कोप है। निश्चित रूप से इस स्कीम को भी उस क्षेत्र में लागू करना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, यहां पर बरसात का औसतन माप है, पांच सौ से बारह सौ मिलीमीटर बरसात होती है। सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा बरसात का रिकार्ड हमारे उदयपुर डिवीजन में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा बरसात का पानी नदी, नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। मैं चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर पानी के संरक्षण को लेकर, चूंकि हमारे जिले की नदियां चाहे बनास हो, चाहे माही हो, चाहे सोम हो, चाहे जाखम हो, ये सारी की सारी नदियां जिन्दा हैं। मैं चाहूंगा कि जहां पर भी हमारी जिन्दा नदियां हैं, जहां पर कडाणा और माही का बैक वाटर जो है, उसको छोड़कर बाकी जो नदियां हैं, वहां पर बड़े एनीकट का निर्माण करवाया जाए। यहां पर सिंचाई मंत्रीजी उपलब्ध हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा, डाक्टर साहब को मैं कहना चाहूंगा कि माही बजाज सागर परियोजना का इतना बड़ा क्षेत्र है, सवा सौ लाख हैक्टेयर हमारी जमीन सिंचित होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारे बांसवाड़ा जिले के अन्दर कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए था, वहां पर आया है जहां पर माही का सिंचित क्षेत्र है। आज भी माही से जो असिंचित क्षेत्र है, वहां पर जो तरक्की होनी चाहिए, किसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी नदी और नाले हैं, जो बरसात का पानी आता है और वह पानी नदी-नालों से बहकर वापस समुद्र में चला जाता है। बड़े एनीकट का निर्माण करके वहां की सूखी धरती को सरसब्ज बनाया जा सकता है इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर दक्षिणी वृत्त जिले चाहे बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, वहां इतने बड़े सिंचाई के साधन हमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को। हम बार-बार लिफ्ट की बात करते हैं लेकिन लिफ्ट को इसलिए जिन्दा नहीं रख पाते हैं हमारे वहां

(श्री जीतमल खांट)

का कोर्डिनेशन काश्तकारों में नहीं बैठ पाता है और बिजली का बिल समय पर जमा नहीं हो पाता है, लेकिन जिस तरीके से सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बड़े एनीकट का निर्माण हो जाए और जहां पर हमारी असिंचित भूमि है, उस इलाके के अन्दर सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट अगर वहां लगा दिये जाते हैं तो अच्छा होगा। डूंगरपुर का ताजा उदाहरण हमारी जानकारी में आया है। सम्भाग लेवल के सारे अधिकारियों ने मिलकर डूंगरपुर के अन्दर इस तरीके का एक नया प्रयोग किया है और वहां पर पता चला है कि असिंचित क्षेत्र, जहां पर बिजली का अभाव था, ऐसे क्षेत्रों को सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट योजना लागू करके उनको हरा-भरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो हमारा कडाना का बैक वाटर पानी है, दूसरा हमारा माही का बैक वाटर पानी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कृषि मंत्रीजी अब यहां पर उपस्थित हुए हैं, हमारी बात को आप जरूर ध्यान में रखें। जहां पर सूखा इलाका है वहां पर सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट स्कीमों को लागू किया जाए और सूखी धरती को पानी पिलाने के लिए भी एक नया अभिनव प्रयास राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा टी.ए.डी. विभाग के माध्यम से पैसा खर्च करके किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के हमारे कृषि मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले में उद्यानों की बहुत बड़ी संभावना है और हमारे क्षेत्र के अन्दर जहां माही का सिंचित क्षेत्र है, देश के प्रधान मंत्रीजी का यह भी सपना है कि 2022 तक हमारे किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे राजस्थान का वो दक्षिणी वृत्त में रहने वाला किसान है उसकी आय दोगुनी कैसे हो सकती है।

माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में उन्नत किस्म के गन्ने का बीज उपलब्ध करायें। बहुत बड़ी संभावना है कि वहां पर गन्ना उत्पादन केन्द्र हो। इसके साथ-साथ में आप बार-बार किन्नू का जिक्र करते हैं, ऐसे कोई फलदार बगीचे लगाने के लिए भी आपकी तरफ से, इस क्षेत्र को आप चिन्हित करें। जहां पर भी माही का सिंचित क्षेत्र है वहां पर आप ऐसे बीज वहां के किसानों को उपलब्ध करायें ताकि वहां का किसान स्वावलम्बी हो सके, अपने आपमें आत्म निर्भर हो सके।

(श्री जीतमल खांट)

मानननीय कृषि मंत्रीजी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि केरल में हमें कालीकट जाने का अवसर मिला था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में हमें नारियल की खेती करने के अच्छे बीज अगर उपलब्ध करा सकते हैं तो राजस्थान का दूसरा केरल बांसवाड़ा बन सकता है, वहां ऐसी संभावना है। मैं कह सकता हूं कि आप अच्छी तरह से वहां पूरा एक्सपेरीमेंट करायें। हमारे जमीन का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। क्यों नहीं आप एक ऐसा प्रयोग करते हैं। बांसवाड़ा जिले में जो सारी नदियां हैं जल से भरी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का एक प्रयोग करें।

इसके साथ-साथ, माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि वागड़ क्षेत्र का जो पका हुआ आम है वो विदेशों में जाकर के बिकता है लेकिन वो कहते हैं न कि घर के जो व्यक्ति हैं वो घर की बात को नहीं समझ पाते हैं। बांसवाड़ा जिले के अन्दर विभिन्न किस्म के हमारे जो आम के पौधे हैं, आप नई तकनीक के माध्यम से हमें अच्छे पौधे उपलब्ध कराओ, बांसवाड़ा जिला आम का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। मैं वहां के देसी आमों का जिक्र करना चाहूंगा। हमारे देसी आमों का इस तरह का स्वाद है तो विदेशों में वहां के हमारे साथी भाई इसका उपयोग करते हैं और कहते हैं कि यह आम कहां पका हुआ है, वो कहते हैं, बांसवाड़ा का जिक्र होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में ऐसे आमों के कई उद्यान लगाये जा सकते हैं।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर हम किसान की बहुत बड़ी चिंता कर रहे हैं और किसान की आय को दोगुना करना चाह रहे हैं। माननीय कृषि मंत्रीजी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनें और नोट करें कि बांसवाड़ा जिले में जो हमारी धान की फसल है जिसको हम काली कमोद कहते हैं, हालांकि उसके ऊपर उसका छिलका है वो काला ही रहता है, अन्दर चावल जरूर सफेद रहता है लेकिन उसका नाम है काली कमोद और शायद किसी ने काली कमोद का स्वाद लिया हो, जिसने खाया हो वो जानेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं औरों की तो अब नहीं कह सकता लेकिन आपको...

**श्री सभापति**: आदरणीय कृषि मंत्रीजी, आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं।

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): सभापति महोदय, मैं आपको जरूर इस काली कमोद का स्वाद चखाने का काम करूंगा, आपको लाकर सप्रेम भेंट करूंगा। एक घर में अगर वो चावल पकता है तो आस-पास मौहल्ले में उसकी सुगंध हो जाती है। (व्यवधान)

मंत्रीजी तो वो पूरे राजस्थान का खाते हैं, मंत्रीजी को चिंता नहीं है। लेकिन ऐसी उन्नत किस्म की हमारी ...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय सदस्य खांट साहब ने कहा है कि मंत्री तो सारे राजस्थान का खाते हैं, इस बात का क्या अर्थ हुआ? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: इन्होंने कहा है कि मंत्रीजी पूरे राजस्थान का ध्यान रखते हैं। यह कहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): खाते हैं बोला है। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): माननीय तिवाड़ी साहब, मेरे कहने का तात्पर्य है कि पूरे राजस्थान के कृषि मंत्रीजी हैं।

**श्री सभापति**: हां।

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): पूरे राजस्थान में घूमते हैं, जहां भी जाते हैं, उन चावलों का स्वाद लेते हैं। मेरे कहने का ये तात्पर्य है। हो सकता है मेरी जुबान कोई दांये-बांये हो गयी हो, मैं नहीं कह सकता हूं।

इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय कृषि मंत्रीजी, आप बांसवाड़ा जिले के लिए उन्नत किस्म के चावलों के बीज उपलब्ध कराओ। वहां के चावल को उस क्षेत्र में वहां के काश्तकार इस ढंग से पकाते हैं, वहां का प्रोडक्शन है, हमारे किसान भाई विभिन्न-विभिन्न प्रकार के वहां चावल उगाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक्सपेरीमेंट कर प्रमाणीकरण बीज हमें उपलब्ध करायें, निश्चित रूप से राजस्थान का वो बांसवाड़ा जिला है, उस चावल में भी अपना एक अग्रणी स्थान रखता है।

इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं दो-तीन बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। पिछली बार बांसवाड़ा जिले के कृषि अधिकारियों से सम्पर्क किया। जानकारी में आया कि जल संरक्षण के लिए वहां पर डिग्गी निर्माण, फार्म पौंड और जल हौज निर्माण की योजना में बांसवाड़ा को सम्मिलित नहीं किया। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण बांसवाड़ा जिले में माही का पानी नहीं पहुंचता है, 60 परसेंट इलाके में माही

(श्री जीतमल खांट)

का पानी पहुंचता है और टेल के इलाके में नहरें जरूर बन गयी हैं लेकिन वहां पर नहरों का पानी नहीं पहुंचता है इसलिए इस बार जब आप जवाब दें तब उस बांसवाड़ा जिले का जिक्र करेंगे कि इस योजना में बांसवाड़ा जिले को भी हम सम्मिलित करेंगे।

इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खरीफ की फसल में पका हुआ हमारा मक्का का भुट्टा तो खा सकते हैं। एक-दो-तीन भुट्टे, चार भुट्टे लेकिन अभी रबी की फसल में बांसवाड़ा जिले में जो मक्का का उत्पादन है वो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना का, इस बहुद्देशीय परियोजना का पानी जब से मिलना शुरू हुआ है निश्चित रूप से सिंचित क्षेत्र के किसानों में आर्थिक स्वावलम्बन और चाहे वो खरीफ की फसल हो, रबी की फसल में काफी कुछ उत्पादन में आत्म-निर्भर हुआ है, किसान सक्षम हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब मक्के की फसल पक जाती है, उसका बम्पर उत्पादन हो जाता है लेकिन जब किसान बाजार में बेचने के लिए जाता है तो वहां बिचौलिये बनकर दूसरे दलाल जो उस किसान ने चार महीने तक लगातार श्रमकर के अपने खेत में जो उत्पादन किया है, उसको उसका वाजिब हक नहीं मिलता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। मैं चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर जब मक्का की हमारी बम्पर फसल पककर तैयार होती है तो आप जिले के अधिकारियों से मिल-बैठकर और हमारे जन प्रतिनिधियों को साथ में लेकर कि खरीद केन्द्र कहां-कहां होने चाहिए, आप इनकी तहकीकात करें और उनको फसल का वाजिब हक दिलाने का प्रयास करें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): इसके साथ-साथ में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यह हौसला बुलंद कर राजस्थान की हमारी आने वाली पीढ़ियों को, उनके भविष्य को संवारने का काम किया है और फैसला किया है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को भी तीन दिन दूध पिलाकर उसके भविष्य के साथ में उसके जीवन में एक नया सूरज उगाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, जब हम बालक

(श्री जीतमल खांट)

को सप्ताह में तीन दिन दूध देने की बात कर रहे हैं और राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी इच्छा शक्ति के साथ में इस बजट में घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इस टी.एस.पी. एरिया में मात्र हमको बकरा और मुर्गे तक सीमित मत रखो। मुर्गा, बकरा तो हमारे बाप-दादे रखते ही थे, उनका पालन तो करते ही थे। हमे तो शुद्ध दुधारी गाय रखते थे और जिस तरीके से हमारे मारवाड़ और बीकानेर के माननीय सदस्य बात कर रहे थे...

**डा. रामप्रताप** (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति, मैं जानना चाहता हूं कि ये कड़कनाथ मुर्गे की बात कर रहे हो या कौन-से की कर रहे हो?

**श्री जीतमल खांट** (गढी): माननीय सभापति महोदय, अब डाक्टर साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन...

**श्री सभापति**: आप तो आसन को संबोधित करें, अपना वक्तव्य दें।

**श्री जीतमल खांट** (गढी): चूंकि हमने तो मुर्गा देखा है, इसका कड़कनाथ कौन-सा है, दूसरा कौन-सा है, इस बात को मैं जानता नहीं, क्योंकि मैंने कभी इसका..., मैं तो हाथ जोड़कर भगवान के रूप में जीव को देखता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा और हमारे टीएसपी क्षेत्र में भी असली नस्ल की हमें गायें, भैंसें उपलब्ध कराएं और ठीक ढंग से उसका अच्छा अनुदान दें...

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री जीतमल खांट** (गढी): ...ताकि हमारे पास में आज तो उस माही क्षेत्र के किनारे पर रहने वाले नदी-नालों के किनारों पर चैक-डैम बन गए, कई चैक-डैम और बनाने बाकी हैं। डाक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा बजट दिया है, 160 करोड़ रुपया देकर पहली बार राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी और डाक्टर साहब ने इतना बड़ा काम किया है। माही की जितनी भी जीण-शीर्ण हमारी नहरें हैं, उनको भी ठीक कराने का काम किया है। मैं चाहूंगा....

**श्री सभापति**: पूरा करें, पूरा करें।

**श्री जीतमल खांट** (गढी): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही

(श्री जीतमल खांट)

निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारे वहां का किसान मजबूत बनेगा, मेरा आग्रह है कि हमारे अनुदान की राशि जो है, वह थोड़ी कम रखी है। माननीय कृषि मंत्रीजी, किसानों के काम के लिए अनुदान की राशि को बढ़ाएं। किसान राजस्थान ही नहीं, इस देश का ही नहीं, अपितु इस विश्व का अन्नदाता है। इस अन्नदाता की हिम्मत को बढ़ाने का काम करें। अन्नदाता कभी आत्महत्या नहीं करता है। उसके दिल में, उसके बाजू में ताकत है, वह हिम्मत से काम करता है, वह कभी कमजोर दिमाग का नहीं है इसलिए सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ट्राईबल सब-प्लान का जो एरिया है, उसमें राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने पैसे देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन आप उसमें अनुदान के रूप में संख्या बढ़ाने का काम करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, थोड़ा समय की मर्यादा का खुद ही अनुशासित होकर ध्यान रखें ताकि हमको कहना न पड़े। माननीय सदस्य सुखराम जी विश्नोई।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36, 37 और 39 के संबंध में मेरा निवेदन है कि गत वर्ष बजट भाषण में सहकारिता पर कम से कम 9 पाइंट दिए थे। इस बार सहकारिता का पूरे बजट भाषण में कहीं उल्लेख तक नहीं है। गत वर्ष कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए Global Rajasthan Agritech Meet का प्रदेश स्तर पर आयोजन किया गया। यह तय किया गया कि अगले दो सालों में संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह का आयोजन होगा ताकि किसान खेती के संबंध में जानकारी ले सके, परन्तु केवल मात्र वह एक ही एग्रीकल्चर मीट का आयोजन हुआ, उसके बाद में उस कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। माननीय सभापति महोदय, स्वस्थ धरा, खेत हरा', माननीय प्रधान मंत्री ने 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ में सोइल हैल्थ कार्ड की घोषणा की। प्रत्येक किसान की जमीन की जांच की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्री विराजमान हैं, हमारे जल संसाधन मंत्री भी विराजमान हैं। मेरे सांचौर में नर्मदा नहर है, एक भी लेबोरेटरी न तो वहां खोली गई पूरे जिले में, न उन किसानों की जमीन का लेबोरेटरी टैस्ट किया गया। केवल मात्र 2 साल, 3 साल पहले जो घोषणा की

(श्री सुखराम विश्नोई)

थी प्रधान मंत्री ने, घोषणा जरूर हुई, परन्तु उसकी आज दिन तक कोई पालना नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, हर क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह की सब्सिडी दी है, चाहे बूंद-बूंद सिंचाई में हो, फव्वारा पद्धति में हो या दूसरी किसी भी जो किसानों का यूरिया है, सभी में जो सब्सिडी दी थी, तमाम तरह की सब्सिडी बंद की गई और उसका परिणाम यह हुआ कि बूंद-बूंद सिंचाई 2014-15 में 9.452 हैक्टेयर में थी, वही जाकर 2017-18 में 3.207 हैक्टेयर में सिंचाई सीमित रह गई। कारण यह था कि जो बूंद-बूंद सिंचाई की और बूंद-बूंद ड्रिप सिंचाई की जो पद्धति थी, उसमें सब्सिडी घटाने से किसान फव्वारे खरीद न सके और उनका उत्पादन घटा।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं कहना चाहूंगा सहकारिता क्षेत्र में, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, तीन सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर ने, जो घाटे में चल रही थी, गुलाबपुरा, गंगापुर, हनुमानगढ़, तीनों को 21.11.2016 को बंद कर दिया और बंद करने के बाद वहां जो 1003 कर्मचारी कार्यरत थे, उन कर्मचारियों में से 314 कर्मचारियों को आज दिन तक कहीं नहीं लगाया गया है। प्रतिनियुक्ति पर देने का निर्णय लिया था मंत्रिमण्डल ने, उसकी पालना नहीं की गई है और जो 690 श्रमिक जो भेजे गए थे शिक्षा विभाग में, उनको भी न तो कोई भत्ता मिल रहा है, न कोई वेतन मिल रहा है। पूरी की पूरी व्यवस्था फेल पड़ी है।

मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, ये जो तीन इकाइयां आपने बंद की हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, उनके भोजन के लाले पड़ रहे हैं। उनके जो परिवार हैं, वे तमाम सुविधाओं से वंचित हैं। इन तमाम जो पीछे बचे 314 कर्मचारी हैं, उनके लिए अविलम्ब व्यवस्था करने की मेहरबानी करें।

दूसरा सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, सहकारिता जो दवाएं खरीदती हैं पेंशनर्स के लिए, सहकारिता मंत्री से निवेदन है कि उन दवाइयों में भीलवाड़ा, मेरा जालौर जिला, कोई जिला आप देख लो, उदाहरण के लिए मैं भीलवाड़ा की बात करना चाहूंगा। भीलवाड़ा में जो फ्री दवाई दी जा रही है, 35 लाख की जनसंख्या होते हुए भी 8 करोड़ रुपये की दवाई खर्च हुई है भीलवाड़ा जिले में और ये जो पेंशनर्स हैं वे 11882 हैं, उन पर 10 करोड़ 18 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। 10 गुना दवाई खरीद

(श्री सुखराम विश्नोई)

रहे हैं। न तो टैंडर प्रक्रिया को काम में ले रहे हैं, जैसे सीधा संस्था को आदेश दे दिया और सीधे खरीद रहे हैं। जो पेंशन की दवाइयां खरीद कर रखी जा रही हैं, सहकारी उपभोक्ता भण्डार के द्वारा, पूरे प्रदेश के अन्दर इसकी जांच कराई जाए, क्यों टैंडर प्रक्रिया काम में नहीं ली जा रही है, सीधे ही मनमर्जी के आदेश दिए जा रहे हैं, इनकी माननीय मंत्रीजी, पूरी जांच कराएं, तब आपको पता चलेगा। या तो आपको जानकारी नहीं है या जानबूझकर आप आंख मूंद रहे हैं। कम से कम जो पूरी फ्री दवाई दी जा रही है, वह पूरे प्रदेश की एक तरफ है और पेंशनर समाज की पूरी दवाई एक तरफ है। इतनी महंगी दवाई खरीदी जा रही है, यह जांच का विषय है। इसकी जांच कराई जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो दीर्घकालीन ऋण की बात कर रहे हैं, प्राथमिक विकास बैंक है, 2012-13 में 23765 करोड़ का लोन दिया गया। 2016-17 में 232.42 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। कांग्रेस सरकार ने जो ब्याज-मुक्त ऋण की घोषणा की थी, केवल मात्र एक किसान को मुश्किल से 30-35 हजार रुपये ही दिए जा रहे हैं। ज्यादा नहीं तो पैसे दिए जा रहे हैं।

इसके अलावा विद्युतीकरण के अन्दर जो एससी/एसटी के लोग थे, दूसरे लोग थे, उनकी डिमाण्ड राशि भरने के लिए जो ऋण दिया जा रहा था, वह ऋण भी 2013-14, 2014-15 में 50 किसानों को दिया गया और केवल मात्र इस साल सिर्फ 2016-17 में 35 किसानों तक ही यह स्कीम सीमित रखी गई। या तो इसका प्रचार नहीं हो रहा है या जानबूझकर अधिकारी इन फाइलों को खारिज कर देते हैं। जो गरीब आदमी है, मुश्किल से उसकी डिमाण्ड निकलती है और वे डिमाण्ड इसलिए नहीं भर पाते, क्योंकि उनके पास राशि नहीं है। इस तरह का जो लोन मिलता है, उस लोन में पारदर्शिता रखी जाए और जो भी किसान इस तरह की उपेक्षा झेलता है, उसकी पूरी की पूरी, शत-प्रतिशत उस पर लोन हो, इस तरह की पालना माननीय मंत्री महोदय, की जाए ताकि आम किसान को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय बैंकों द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जो बनाये जा रहे हैं उसके अन्तर्गत अकृषि गतिविधियों के लिए 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें 2014-15 में 1499 किसानों को दिया गया और अब इस साल केवल मात्र 222 किसानों को ही दिया गया। मतलब जब पहले एप्लीकेशन ज्यादा आ गई थीं तो आज क्यों

(श्री सुखराम विश्नोई)

नहीं आ रही हैं? या तो इसका मतलब यह है कि वो नीचे के अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं इसलिए फाइलें वहीं नीचे तक अटका देते हैं तो इसकी भी जांच करायी जाए कि क्यों नहीं यह अकृषि ऋण उनको दिया जा रहा है।

इसके अलावा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे नर्सिंग कालेज हैं, चाहे दूसरी जो स्कूल-कालेज हैं उनमें से 2014-15 में 28 संस्थाओं को दिया गया और इस साल केवल मात्र 7 संस्थाओं को ही आपने लोन दिया है तो इसकी भी जांच करायी जाए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बेरोजगार हैं चाहे वेटेरिनरी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे कृषि की कर रहे हैं, चाहे फैशन तकनीकी में कर रहे हैं, चाहे आयुर्वेद में कर रहे हैं, चाहे कम्प्यूटर शिक्षा में कर रहे हैं वो 2014-15 में 10 थे और इस वर्ष केवल मात्र 4 लोगों को आपने लोन दिया है। क्या स्थिति है? ये तमाम आंकड़े नीचे गिर रहे हैं। तमाम जो लोन देने की आप सुविधा की बात कर रहे हो सभी आंकड़ा आपने घटाया है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्री जलधारा योजना के अन्दर नलकूप निर्माण, कूप गहरा करवाने, नलकूप निर्माण, पम्पसैट के विद्युतीकरण का मामला था उसका 2014-15 में 217 किसानों को फायदा मिला, 2016-17 में 92 को मिला और इस वर्ष केवल मात्र 56 किसानों को मिला है। क्या कारण है कि आपके तमाम आंकड़े घटते जा रहे हैं?

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा उष्ट्र विकास, ऊंट के विकास के बारे में, उसको राज्य पशु घोषित किया गया और राज्य पशु घोषित करने के बाद में ऊंटनी, जो टोरडी आता है उनको तीन किश्तों में 10 हजार रुपये देने की बात कही गई। कृषि मंत्रीजी, सभी जिलों में उन्होंने फार्म भरकर दिये थे कि हमें सब्सिडी दी जाए, उनको एक किश्त दी और दूसरी किश्त तमाम जिलों में बाकी पड़ी है।

उदाहरण के लिए चूरू का आप ले लो तो 1028 ऊंटों की अभी तक दूसरी किश्त के 30 लाख 84 हजार रुपये बाकी पड़े हैं, मेरे जालौर में बाकी पड़े हैं, बाड़मेर में बाकी पड़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ ये जो ऊंट के दूध की डेयरी खोलना चाहते हैं यह डेयरी जयपुर में खोलना चाहते हैं, और इस बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह दूध की डेयरी जोधपुर में खोली जाए। बाड़मेर

(श्री सुखराम विश्नोई)

में, जैसलमेर में, जालौर में, सिरोही में ऊंटों की, ऊंटनियों की संख्या ज्यादा है, दूध का उत्पादन वहां ज्यादा होता है। केवल मात्र कागजों में खोलना और आपके 8-9 महीने बचे हैं और 8-9 महीने में बजट की घोषणा की पालना किस तरह से कर पाओगे? अभी तक न तो जमीन का आबंटन हुआ है न कोई दूसरी व्यवस्था आपने की है। ऐसे में जहां ऊंटनी का दूध मिलता है वहीं इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि जो ऊंट पालक हैं वो उसका फायदा उठा सकें।

माननीय सभापति महोदय, गौ-संवर्धन और गौ संरक्षण की बात, सुराज संकल्प में बिल्कुल बाकायदा दूसरी घोषणा की गई थी और दूसरे पेज में गौ-संवर्धन एवं गौ-संरक्षण के लिए 17 पाइंट सुझाये गये थे, 17 तरह की घोषणा की गई थी। उसमें एक यह थी कि देशी गौ-वंश व नर गौ-वंश के पोषण पर, पालन हेतु वर्षा से उत्पन्न चारे में तीन माह की जगह 9 माह और अब चुनाव नजदीक आये हैं तब जाकर के सरकार ने 6 माह की घोषणा की है जबकि आपने सुराज संकल्प पत्र में 9 महीने की घोषणा की थी तो उसकी पालना करनी चाहिए। उसके साथ-साथ गौशाला के कार्य एवं गोचर भूमि का सीमांकन, भूमि का समतलीकरण, गौशाला की चारदीवारी, तमाम जो चीजें आपने लिखी हैं, माननीय कृषि मंत्रीजी, एक भी आप बता सकते हो कहीं की कि उस गौशाला की हमने चारदीवारी की है या समतलीकरण का कार्य किया है। मेरे सांचौर में पथमेड़ा एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है और इस साल फ्लड आने से वहां कम से कम दस फीट एक नाला बह गया तो कम से कम उस नाले को तो ठीक करा दो तो हम आपकी यह मान लेंगे पूरे राजस्थान की। कम से कम एक गौशाला के तो दीवार बना दो, उसका समतलीकरण करवा दो तो हम मान लेंगे कि आपने पूरी व्यवस्था कर दी।

सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि बजट के अन्दर जो नंदी खुले घूम रहे हैं उनके बधियाकरण की बात कही गई है कि हमने इतने लाख बधियाकरण कर दिये। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बधियाकरण का मामला है, हर गांव के अन्दर 20-30 नंदी घूम रहे हैं और न केवल उनकी नस्ल को बिगाड़ रहे हैं वरन् जो भैंस हैं उनकी नस्लों को भी बिगाड़ रहे हैं। ऐसे जो पशु हैं उनके लिए अभियान चलाया जाकर तमाम जो नंदी हैं उनका बधियाकरण किया जाए और व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक नंदी को

(श्री सुखराम विश्नोई)

तैयार किया जाए ताकि गायों की बढ़िया नस्ल तैयार हो सके इसलिए इस पर भी कार्यवाही की जाए।

माननीय सभापति महोदय, तमाम तरह की घोषणाएं सुराज संकल्प के अन्दर, क्या पता विश्वास नहीं था कि सरकार आएगी या नहीं आएगी इसलिए कृषि और किसान के बारे में 46 घोषणाएं की गईं। मैं पूरा कर रहा हूं। गौ-संवर्धन के लिए 17 की गई और पशुपालन, डेयरी विकास के लिए 21 तरह की घोषणाएं की गईं। माननीय सभापति महोदय, ये जो तमाम घोषणाएं की गईं, इन घोषणाओं में से जो माननीय दोनों मंत्रीजी हैं, यह बता दें कि इनमें से हमने 3-3, 4-4 घोषणाएं भी पूरी की हैं तब तो आपको धन्यवाद है, पर एक भी घोषणा पूरी नहीं की और केवल मात्र सत्ता में आने के लिए आपके बहुत सारी घोषणाएं कर दीं और उनकी पालना नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पशु चिकित्सालय है उसमें एक पशुधन सहायक और पशु चिकित्सा सहायक, ये दो पद हैं। ये दोनों पद आयुर्वेद विभाग और एलोपैथिक में जो कम्पाउण्डर हैं उनके समकक्ष हैं पर समकक्ष होते हुए भी उनकी जो तनख्वाह है, उनके जो भत्ते हैं, उनको जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं पूरी नहीं मिल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और वेटेरिनरी, ये तीन डिपार्टमेंट हैं इनके चाहे कम्पाउण्डर बना या पशुधन सहायक बना या पशु चिकित्सा सहायक हैं, इनका बराबर काम है फील्ड में करने का, बराबर ग्रेड है तो इनके वेतन-भत्ते समान किये जाएं ताकि उन कर्मचारियों को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा जो सांचौर है वह नर्मदा कमांड में आया हुआ है और जालौर जिले में सबसे ज्यादा अनार की खेती है परन्तु न तो वहां पर प्रोसेसिंग का कोई प्लांट लगा हुआ है, न किसानों को ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था की गई है और सब्सिडी कम करने के बाद में बाकायदा फार्म भरे जाते हैं परन्तु जो किसान वाकई में फार्म भरना चाहता है उसे नहीं मिल पाती है।

जहां तक खजूर का सम्बन्ध है, माननीय सभापति महोदय, खजूर के एक पौधे के साढ़े चार हजार रुपये लगते हैं और सब्सिडी बाकायदा नम्बर से आती है, 200-400 पौधों की सब्सिडी देते हैं तो कम से कम जो किसान

(श्री सुखराम विश्नोई)

जितने भी खजूर के पौधे लगाने चाहते हैं उनको पूरी की पूरी सब्सिडी दी जाए ताकि किसानों को फायदा दो।

मैं पूरा कर रहा हूं। खेजड़ी के बारे में माननीय सभापति महोदय, खेजड़ी के नीचे फसल भी बढ़िया होती है। जो खेजड़ी पौधा है वो बीकानेर में तैयार किया जा रहा है। उस पौधे को पूरी सब्सिडी दी जाए ताकि पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी लगे। एक किसान के खेत के अन्दर अगर 100 खेजड़ी के पौधे लगते हैं तो सांगरी से, उसकी लूंग से, भले ही अकाल पड़ जाए फिर भी आराम से किसान अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, गत कांग्रेस सरकार ने 2 रुपये प्रति लीटर दूध पर अनुदान दिया था समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए। इस सरकार ने वो बन्द कर दिया। किसानों की हालत बड़ी खराब बनी हुई है तो ऐसे में वो समर्थन मूल्य जो पिछली सरकार ने किया था उसे पुन: लागू किया जाए ताकि किसान, जो पशुपालक हैं, वो अपने पशु को रख सके। महंगा चारा है, 12-13 रुपये किलो चारा है। ऐसे में दूध का जो आपने भाव घटा दिया उससे किसान दूध को कहां बेचने जाएं। अगर 3-3, 4-4 पशु रखते हैं तो 2 रुपये समर्थन मूल्य बहुत होता है। अगर वो 50 लीटर दूध देता है तो 100 रुपये बनते हैं और 100 रुपये में उसके पूरे परिवार का पालन-पोषण होता है इसलिए इस तरह की घोषणा आज की जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके। अन्त में, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य देवेन्द्र जी कटारा। समय की मर्यादा का स्वयं ही खयाल रखें।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): अन्तिम हूं शायद। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 37, 39 और 36 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग इस देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं और इस देश की पूरी व्यवस्था कृषि आधारित है, यह मानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जिस तरह से कर्जा माफी से लेकर, किसानों की आत्महत्याओं को लेकर बार-बार सदन में बात रखता है तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वह केरल का नागरिक हो, चाहे वह आसाम का हो,

(श्री देवेन्द्र कटारा)

चाहे राजस्थान का हो, हर इंसान की आंतों में जो कोई अन्न घूम रहा है, वह अन्न किसान का उत्पादन है और किसान दर-पत्थर जैसी जमीन को चीरकर एक कण से 36 कण पैदा करता है। इसके बारे में आज सदन में गम्भीर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश को कृषि प्रधान देश माना है और अपार रोजगार की व्यवस्था अगर है तो कृषि क्षेत्र में है। मैं उस आदिवासी क्षेत्र से आ रहा हूं, इस सन्दर्भ में चर्चा करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में कृषि के लिए अब तक के इतिहास में अगर हम कोई देख रहे हैं और अब तक के तमाम जितने भी बजट पेश हुए, इनका आंकलन हम करते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान जो बजट पेश हुआ है, वह आदिवासी क्षेत्र के किसानों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक पर्याप्त और संतोषप्रद बजट है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर बार-बार कर्जा माफी और किसान परेशान है, यह बात आती है, लेकिन इसके लिए, स्थाई समाधान के लिए अभी कोई कारगर उपाय न तो सोचा गया, न उसके लिए तैयार किया गया। आदिवासी क्षेत्र में किसान की आधा बीघा से लेकर साढ़े तीन बीघा तक औसतन जोत रही है। ऐसे में अभी बिजली और पानी की व्यवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान में माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने क्षेत्र में एनीकट, तालाब और नहरों का जीर्णोद्धार आदि के बारे में काफी ध्यान दिया जिस वजह से क्षेत्र का कृषि का भविष्य उज्ज्वल होगा।

माननीय सभापति महोदय, ज्यों ही हम गुजरात सीमा में प्रवेश करते हैं तो कोई भी व्यक्ति उन किसानों के खेत देखने के बाद यह कहता है, अब यह गुजरात आ गया है अर्थात् गुजरात में किसान जिस तरह से वहां खेती कर रहा है, वहां का जिस तरह से किसान उद्योग-धंधा, पशुपालन उद्योग चला रहा है, इससे हर खेत में 12 महीनों, चाहे वहां नहरी सिस्टम हो या न हो, लेकिन बिजली पर्याप्त समय मिलने की वजह से खेतों में हरियालापन रहता है। जिस तरह से बच्चे पढ़ने जाते हैं, सुबह हर घर से दूध का कैन उस दूध डेयरी तक पहुंचता है। उसको देखने के बाद एक तरह से कृषि का माहौल जो वहां देखा गया, ऐसा माहौल यदि हमारे क्षेत्र राजस्थान में हम लोग पैदा

(श्री देवेन्द्र कटारा)

करते हैं तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है, जिस तरह से किसानों की परेशानियों की समस्या है, यहां के खेत उस जिस तरह से हरे-भरे नजर नहीं आते हैं। यहां का किसान खेतों में काम करता है, उसको पर्याप्त उपज नहीं मिलती है। इन तमाम समस्याओं से निजात मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं विशेषकर किसानों के आत्मनिर्भर बनाने के विषय में निवेदन करना चाहूंगा। आज हम लोग कर्जा माफी की बात करते हैं। यह कोई किसान की समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। यदि किसान को अच्छी पैदावार मिले, अच्छी उपज मिले और वह आत्मनिर्भर बने। अगर इस बारे में हम चिंतन करते हैं तो मैं समझता हूं, हर खेत को पानी दिया जाये। हर खेत में पानी जायेगा तो मैं समझता हूं, हर हाथ को काम मिलेगा और हर खेत में जब पानी पहुंचेगा तो उस किसान की उपज है, वह अपने आपमें दुगुनी होगी। वह उपज अपने आप मार्केट में आएगी। मार्केट में आने के बाद में उसकी आर्थिक स्थिति सबल और सक्षम बनेगी।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग एक साल का कर्जा माफ करेंगे, दो साल का कर्जा करेंगे, 10 साल का करेंगे लेकिन ये कर्जा माफी परमानेंट अगर मान लो किसान को उबारने की बात आती है तो उस कर्जा माफी में जितना भी हमारा बजट खर्च हो रहा है, जितना भी पैसा हम लोग उस दिशा में खर्च कर रहे हैं, उसको अगर हर खेत को पानी देने के लिए, कोई ऐसी स्कीम तैयार करें, कोई ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिस तरह से सोलर सिस्टम के माध्यम से हम लोग उन किसानों को पानी दें या फिर कोई और तरीका हम लोग ईजाद करें जिससे कि वहां का खेत हरा-भरा हो जाये, वहां का काश्तकार एक तरह से आत्मनिर्भर बन जाये और खुशहाली क्षेत्र में और किसानों में आये, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जिस तरह की हालत है, माली हालत है, जो कृषि क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं, वह व्यवस्थाएं ऐसी बनकर रह गई हैं कि वास्तव में कृषि एक औपचारिक धंधे के रूप में रह गई है। लोगबाग यह कहते हैं कि खेत अगर खाली रहता है, लोग हमको क्या कहेंगे? इसलिए मजबूरी में हमको खेती करनी पड़ रही है। अब यह औपचारिकता का मामला आ गया। एक समय था, जब हमारा देश कृषि प्रधान देश था और आज दूसरी तरफ से कृषि एक घाटे का सौदा बन गई है। इन दोनों धारणाओं को अगर

(श्री देवेन्द्र कटारा)

पाटना है, इन दोनों धारणाओं को बीच में लाकर एक व्यवस्थित व्यवस्था खड़ी करनी है तो निश्चितत: हमको किसान की ओर बहुत गम्भीरता से ध्यान देना पड़ेगा, किसान की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, किसान की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, उसके अनुरूप नीति बनानी पड़ेगी और उस नीति के तहत उस किसान को लाभ देना पड़ेगा। तब जाकर वहां किसानों का उत्थान और समाधान और समस्याओं का समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि कनेक्शन के बारे में बात आती है। कृषि की बड़ी जोत के लिए थ्री फेज के कनेक्शन देते हैं तो समझ में आता है। जो आधा बीघे का खेत है, एक बीघे का खेत है, वहां पर कृषि कनेक्शन तीन-तीन फेज का देने के बाद में भी उस किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी कृषि नीति बनाई जाये, ऐसी बिजली नीति बनाई जाये कि छोटा खेत है, उस काश्तकार को अगर मान लो टू फेज है, सिंगल फेज के कनेक्शन की अगर आवश्यकता है तो उसकी नीति बनाकर, उस काश्तकार को सिंगल फेज या टू फेज के कनेक्शन भी देने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर कर्जा माफी की बात करते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से और यहां पर बिजली मंत्री हैं नहीं, उन दोनों से, क्यों न लघु, सीमांत जो कृषक हैं, उनके तमाम प्रकार के बिजली के बिल हम माफ कर दें ताकि उन किसानों का जो खेतों में पानी ले जाने का मामला है, उस किसान को सुविधा देने का मामला है, उससे कम से कम उसको लाभ मिलेगा, उसके खेत की सिंचाई होगी और किसान कम से कम आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, पहले एक नारा था, ''जय जवान जय किसान'' का, और इस देश में खेती के साथ-साथ में पशुपालन, इन दोनों को जोड़ने के साथ-साथ एक व्यवस्थित व्यवस्था के लिए उस टाइम यह नारा दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गढ़ी से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने भी कहा था, कुछ क्षेत्र में कृषि और पशुपालन, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब उन्नत खेती की बात करते हैं तो उसका खाद हमें पशुओं से प्राप्त होता है और उसका उत्पादन पशुओं से होता है, उस परिवार की माली हालत को ठीक करने के लिए एक कामर्शियल व्यवसाय के रूप में इसको देखा जाता है।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माननीय सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन दोनों व्यवसायों को सुदृढ़ करने के लिए क्यों न हम लोग उसको उद्योग का दर्जा दे दें। आज खेत से जो उत्पादन होता है, उसका कोई स्थायी रेट नहीं है। अगर हम उत्पादन के समय उड़द की बात करते हैं तो उड़द 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो जाता है और एक उद्योग में जाकर, एक कारखाने में जाकर उस उड़द के ही दो हिस्से किये जाते हैं और दाल बनने के बाद में 120 रुपये किलो बिकती है। कहने का मतलब यह है कि कच्चा जो उत्पादन है किसानों का, इसके लिए एक समर्थन मूल्य होना चाहिए। जिस तरह से उद्योग से, कारखाने से निकलने वाली चीज का एक रेट निर्धारित होता है, इसी तरह से किसान के खेत से जो उत्पादन मार्केट में आ रहा है, उसका भी रेट फिक्स होना चाहिए ताकि किसान कम से कम इस बात को समझ सके कि इतने क्विंटल अनाज या इतना चारा मैं पैदा करूंगा, मार्केट में ये निर्धारित रेट है, मेरे को यह रेट मिलेगी। इसका उसे पूर्व में अनुमान लग जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, उस देश में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के उत्पादन का आज तक कोई भी फार्मूला ऐसा पैदा नहीं किया गया, कोई भी ऐसी नीति नहीं बनायी गयी कि उसकी कोई गारन्टी हो किसान के उत्पादन की लेकिन, अन्य कारखानों से जो माल उत्पादन होता है, उसकी गारन्टी होती है, माल बिके या नहीं बिके, उसका उत्पादन रहे या नहीं रहे, लेकिन उसकी एक रेट फिक्स हो जाने के बाद में सारी व्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित हो जाती है। यहां पर दुर्भाग्य है, मैं डूंगरपूर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मैंने किसानों को अपनी उपज को मार्केट में सेल करते हुए देखा है कि वहां पर माल का भाव किसान नहीं करता है। वो खरीदने वाला करता है, बोल तेरे को कितने में देना, बोल तेरे को यह सब्जी कितने में देनी है, बोल तेरे को ये कितने में देना है। मतलब उत्पादन करने वाला जो किसान है, उसको आज तक उसके उत्पादन का भाव तय करने का अधिकार अभी तक नहीं मिला। इसका नतीजा यह है कि आज तक वो किसान, माली हालत की दृष्टि से बार-बार हमको किसान के नाम से चिन्ता करना पड़ती है, बार-बार कर्जे की माफी की बात करनी पड़ती है, बार-बार किसानों की चिन्ता करनी पड़ती है। क्यों न, हम लोग उसका जो उत्पादन है, उत्पादन करने वाले व्यक्ति को उसका अधिकार, उसका भाव तय करने का अधिकार उसको मिले।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

आज मजबूरी है किसान की कि जब उसका जिंस मार्केट में आता है, तो मार्केट में पूरी तरह से जो उत्पादन नहीं करते हैं, केवल उसके सेलिंग के एजेन्ट, जो दलाल हैं, वे दलाल उसके भाव तय करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन हालात में इस देश के किसान की माली हालत ठीक करने की, जो कल्पना हम लेकर चल रहे हैं, वह किसी भी सूरत में सफल नहीं हो सकती। वो सफल तभी हो सकती है, जब किसान को उसके राइट्स मिलें, किसान को उसके उत्पादन का भाव तय करने का अधिकार मिले और इसका समर्थन मूल्य या तो सरकार तय करे या उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाए, जो किसान को कम से कम उसका संभावित मूल्य प्रदान करने के लिए सोचे।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं जिस आदिवासी क्षेत्र से आता हूं उस आदिवासी क्षेत्र में वास्तव में वहां के किसानों की जो माली हालत है, वहां सिंचाई के नाम पर अगर देखते हैं तो दो छोटी-मोटी, ये बांसवाड़ा में जो सिंचाई परियोजना चल रही हैं, बाकी डूंगरपुर में एक ही है। इसके अलावा कोई नहीं, जबकि सबसे ज्यादा बारिश डूंगरपुर में होती है और उस पानी को रोका नहीं, आज तक उसको खेतों तक ले जाने के लिए हमने कोई प्रयास इतना नहीं किया। अभी वर्तमान में जरूर हमारे यहां पर एनीकटों की, तालाबों की, नहरों की घोषणा हुई है और इससे हमारा क्षेत्र पर्याप्त सिंचित होगा...

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, ऐसे हालात में, एक दूसरा निवेदन करना चाहता हूं हम लोग किसान के बारे में सोचते हैं, खेतों की ओर हमारा रुझान बढ़े, ये सोचते हैं, लेकिन, आज तक जिस तरह से एक अनिवार्य सब्जैक्ट के रूप में हर विद्यालय में चाहे वह प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सैकण्डरी हो, चाहे सीनियर सैकण्डरी हो, हर विद्यालय में कृषि सब्जैक्ट एक अनिवार्य सब्जैक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे एक वातावरण डवलप हो, जिससे क्षेत्र में खेतों की ओर और जिंस की ओर कम से कम उसका ध्यान जाए। ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए हमको हर विद्यालय में कृषि विषय खोलना चाहिए और इससे विद्यार्थी खेतों की ओर रुझान दें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री सभापति**: बहुत है।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): ...कि डूंगरपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर वास्तव में खेतों के अलावा कोई उद्योग नहीं है, वहां पर कृषि के अलावा कोई उद्योग नहीं है, जहां पर हजारों लोग काम करते हों तो इसके लिए वहां पर लोगों को अगर रोजी देनी है, लोगों का अगर खेतों की ओर रूझान करेंगे तो ही हम लोग सौ प्रतिशत किसी को रोजगार दे सकते हैं...

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): सौ प्रतिशत हम किसी को नौकरी नहीं दे सकते, तो इसके लिए एक ही उपाय है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, काम पर लगाने के लिए खेतों में हम पानी पहुंचाएं, खेतों का उत्पादन मार्केट में आये और वहां पर उनकी जो आजीविका है वह व्यवस्थित चले।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी 4-5 मांगें हैं, विशेषकर मेरे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र,... मांगों पर ही बात कर रहा हूं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले की बात कर रहा हूं कि डूंगरपुर में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो, क्योंकि कम से कम 20-22 विद्यालय हमारे कृषि के चल रहे हैं, वहां से जो स्टूडेण्ट निकलता है, वो कृषि में पढ़ने के बाद में डायवर्ट होकर अन्य विषय पढ़ने के लिए मजबूर होता है और इसका लाभ हमको नहीं मिल पाता है तो डूंगरपुर में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल बैल्ट है, आदिवासी बैल्ट है। उस बैल्ट के लिए वहां पर कृषि कनेक्शन जितने भी हैं, लघु, सीमान्त कृषकों के जो विद्युत बिल आते हैं, इनको माफ किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम किसानों को इसका लाभ मिल पाए।

तीसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सिंचाई में ...

**श्री सभापति**: सिंचाई पर तो आपने डिटेल में बताया...

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर):.. नहीं-नहीं, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की नीति...

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): .. ट्राइबल बैल्ट के लिए स्पेशल नीति बनायी जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अन्तिम मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र में बी.पी.एल. लोगों को 20 किट बांटने की व्यवस्था की गयी। मेरे यहां पर आदिवासी बैल्ट है और वहां पर ए.पी.एल. हो, चाहे बी.पी.एल. हो, सबकी जोत तो 2 बीघा से, 3 बीघा से ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं...

**श्री सभापति**: Hon'ble Minister has taken it on record.

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): ...बीज समय पर वितरित हो। माननीय सभापति महोदय, अन्तिम दो ही बात मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं है...

**श्री सभापति**: करो-करो, जल्दी करो।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): ...तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय डूंगरपुर में पधारे थे, आपने पूरी तरह से एक कुदरत आधारित व्यवस्था पर खेती करने का प्रावधान डूंगरपुर जिले में लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री महोदय को, लेकिन इसकी क्रियान्विति तेज गति से कराने की आवश्यकता है। इसके लिए, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तेज गति से एक सुपर मानीटरिंग टीम, उस कुदरत आधारित व्यवस्था पर, खेती से हो, उसका लाभ उसको मिले, इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अन्त में मैं पशुपालन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ...

**श्री सभापति**: बहुत हो गया, बहुत हो गया।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): मेरे डूंगरपुर में जनरल हास्पिटल शहर के बीच में है वहां पशु लाने ले जाने में काफी दिक्कत आती है, तो इसके लिए शहर के बाहर....

**श्री सभापति**: बाहर शिफ्ट कर दिया जाए।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): ...पशुओं का हास्पिटल स्थानांतरित होना चाहिए और मैं सहकारिता मंत्रीजी...

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्वाद। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): ...धन्यवाद, सहकारिता मंत्रीजी का...

**श्री सभापति**: हो गया, हो गया। बहुत है।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, कर्जा माफ किया बहुत बड़ा, धन्यवाद तो देने दो।

**श्री सभापति**: हां, धन्यवाद-धन्यवाद इनको।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर):.. तो मैं सहकारिता मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के माध्यम से, लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं उसमें वहां पर जो हर साल सहकारी सोसाइटियां, लोन को, कर्जे को रिन्युअल करती रहती है, तो रिन्युअल के सिस्टम को भी, इस आयोग में रखकर हमें किस तरह से इन किसानों का कर्जा माफ करना है। उसमें रिन्युअल बार-बार किया जाकर, किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति पर भी विचार करने के लिए आप करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जगसी राम जी।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): आपका बहुत-बहुत आभार। आज मांग संख्या-37 कृषि, मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा और मांग संख्या-36 सहकारिता। माननीय सभापति महोदय, आज महत्वूपर्ण विभाग जो हैं इन पर चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने की।

हमारी प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, हमारे कृषि मंत्रीजी, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्रीजी, प्रदेश के किसानों और जनता के प्रति आपका बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। हमारे प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उस समय किसानों के लिए अनेकों-अनेक योजनाएं लागू की हैं। मैं आज इस मौके पर हमारी मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसानों के लिए चाहे ऋण माफी हो या किसानों के लिए उन्नत बीज की बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें तो उनके प्रति किसानों के लिए अनुदान पर हमेशा इन्होंने चिन्ता जाहिर की है। मैं सारे आंकड़ों की ओर न जाते हुए, मैं आज सिरोही जिला और रेवदर विधान सभा क्षेत्र, जो कि गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर गुजरात की पद्धति पर, जो किसान खेती कर रहे हैं और सिरोही जिले के अन्दर टमाटर और आलू की भरपूर

(श्री जगसीराम)

पैदावार होती है और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि टमाटर है, सिरोही जिले के अन्दर, रेवदर के अन्दर सर्वाधिक टमाटर की पैदावार होती है और आलू की पैदावार होती है।

**(18.00 बजे)**

आज हमारे यहां टमाटरों का भाव बिलकुल नहीं के बराबर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि गुजरात की तर्ज पर आलू और टमाटर के कोल्ड स्टोरेज पर सरकार अनुदान देकर किसानों के लिए जो चिन्ता कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे यहां पर राजस्थान में और सिरोही जिले में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज में भी रखें और समय-समय पर क्योंकि आज की तारीख में टमाटर का भाव एक और दो रुपये का किसान को दिया जाता है और उसके साथ में यही नहीं, जो व्यापारी हैं वहां पर जो टमाटर खरीदते हैं कम समय के लिए महीना-दो महीने, 15 दिन के लिए लगाते हैं टेम्परेरी और जो उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, ताकि मनमाने भावों से जो खरीदते हैं और सरेआम किसान को लूटा जाता है, इन किसानों के लिए सरकार उन्हें पाबंद करे और उनका भाव निश्चित करे, ताकि किसानों को फायदा मिले।

इसी तरह हमारे यहां पर क्षेत्र के अन्दर किसानों के खेतों पर जो हमारे पूर्व माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही है सूअरों और जंगली जानवरों की। किसानों को रात को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सर्दी हो या बारिश हो, उसमें रखवाली करने के लिए। किसान को बहुत परिश्रम करना पड़ता है तो हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही है। उनकी बात में मेरी बात को भी साथ में जोड़ते हुए किसानों के लिए सम्पूर्ण जो खसरा नंबर-1 होता है उसके अन्दर क्योंकि अलग-अलग तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन पूरे खसरे में भले ही पचास बीघा का खेत है उनके चारों तरफ तारबंदी के लिए अनुदान यदि दिया जाए तो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। किसानों को सर्दी और बारिश में पूरी रात तपस्या करनी पड़ती है। किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण इश्यू है। माननीय कृषि मंत्रीजी से मैं आग्रह करूंगा कि इस बारे में भी निश्चित तौर पर आप मंथन करेंगे।

इनके साथ में बारिश की बात मैं कहना चाहता हूं कि सिरोही जिले में आप अच्छी तरह से जानते हैं रेवदर में अतिवृष्टि में काफी बारिश हुई। बारिश के दौरान रेवदर तहसील में राजस्थान में सर्वाधिक बारिश हुई है उससे पूरे

(श्री जगसीराम)

खेतों में पांच-सात फुट मिट्टी आ गयी है और उससे किसानों के खेत भर गये हैं। उससे किसानों की पूरी खेती प्रभावित हुई है मंत्री महोदय, आप उसका सर्वे करवाकर किसानों के लिए राहत के कोई न कोई पैकेज के बारे में आप निश्चित तौर पर बतायेंगे।

इसी तरह किसानों की एक योजना है, किसान भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण के दौरान काफी राज्यों से ज्ञान लेकर आते हैं। उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप किसानों के लिए चिन्ता करते हैं, वहां पर भ्रमण के लिए एक पूरी टीम जाती है और टीम के माध्यम से किसान प्रशिक्षण लेकर आते हैं उससे अपने यहां पर भी राजस्थान में इसी पद्धति से जो खेती करते हैं वो भी सराहनीय कदम है।

मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और रेवदर तहसील में रउआ है, वहां अतिवृष्टि के दौरान पूरे रउआ में तीस से चालीस फुट तक पानी भरा था। हमारे प्रभारी मंत्री राठौड़ साहब स्वयं वहां पर पधारे थे। उन्होंने वहां पर दौरा किया था। उसके अन्दर आज भी पानी पूरा खेतों में, सम्पूर्ण किसानों के यहां पानी भरा पड़ा है। पूरे वर्ष में एक भी किसान किसी प्रकार की खेती नहीं कर पाया। मैं मंत्री महोदय से और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों के लिए एक तो वहां बिल माफ करें क्योंकि बिजली बंद है बिजली नहीं मिल रही है उसके उपरांत भी किसान बिल भर रहे हैं। उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो क्यों न उनका बिल माफ करें और एक साल के लिए एक पैकेज की घोषणा करें ताकि उसको खेती से फायदा मिल सके।

मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे पशुपालन मंत्रीजी विराजमान हैं। पूरा प्रदेश चिन्ता कर रहा है और काश्तकार भी चिन्ता कर रहे थे कि नन्दी गौशाला की जिला स्तर पर घोषणा की है, मैं समझता हूं कि यह सबसे सराहनीय है क्योंकि रोड़ो पर सब अपनी-अपनी बातें कहते हैं लेकिन चिन्ता आज तक किसी ने नहीं की। हमारे मंत्रीजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने इसके बारे में जो चिन्ता की है, वाकई में यह सही है। यह आने वाले समय में किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। नंदी गौशाला की जो घोषणा की है यह बहुत सराहनीय है और मंत्री महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ है इसीलिए मैं ज्यादातर गुजरात की बात सम्मिलित कर रहा हूं, क्योंकि दूध की डेयरी पहले से वहां संचालित है। रेवदर मुख्यालय पर डेयरी

(श्री जगसीराम)

नहीं है। पूरे जोधपुर संभाग में रेवदर ब्लाक के अन्दर दूध उत्पादन सबसे ज्यादा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका आप सर्वे करायेंगे तो वाकई में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हो रहा है। गुजरात की तुलना में उसकी राशि बराबर की जाए और साथ में उसको पुन: चालू करवायी जाए, ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोले हैं रउआ, मकावल, सुरपगला, जेतावाड़ा, पिथापुरा और आवल। इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत आभार और साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर कुछ रिक्त पद हैं डाक्टरों के और कंपाउंडरों के, इसके लिए भी आप निश्चित तौर पर चिन्ता करेंगे और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए और मवेशियों के लिए ये पशु डाक्टर लगेंगे तो क्षेत्र की जनता और मैं आपका आभार व्यक्त करेंगे।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए जो ऋण माफी का किया है, उसके लिए पूरा प्रदेश सरकार का धन्यवाद दे रहा है और साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि कृषकों के लिए सहकारी बैंकों में जो ओवरड्यू ऋण हैं, उसको भी शामिल किया है उसके लिए आपका आभार और एक मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मूंगफली खरीद केन्द्र खोला है हमारे रेवदर उपखण्ड मंडार के अन्दर, उसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि किसानों के वहां पर दो-तीन बार धरने भी हुए। धरने के उपरांत कभी आज तक नहीं खुला। मंडार में जो मूंगफली केन्द्र खोला है उसके लिए सरकार का और मंत्री जी का आभार। साथ में वहां पर भण्डारण हेतु गोदाम की व्यवस्था नहीं है उसकी व्यवस्था यदि हो जाए तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिए एक बहुत-बड़ी सौगात होगी और क्षेत्र के समस्त किसान आपका आभार व्यक्त करेंगे और मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं कृषि मंत्रीजी से कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं सिर्फ आंकड़े नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे क्षेत्र की छोटी-मोटी बात ही रख रहा हूं। साथ में हमारे कृषि मण्डी गौण मण्डी है, वहां पर रेवदर से सूंडामाता हिरावल रोड के अन्दर भू-आबंटन पहले सात बीघा हुई थी और उसके अन्दर वहां पर 54 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन उसके लिए जमीन कम पड़ रही है तो 12 बीघा की हमने फाइल और लगाई है मंत्री महोदय, आप उसको

(श्री जगसीराम)

सम्मिलित करके यदि जल्दी चालू करेंगे तो वहां के क्षेत्र के समग्र किसानों के लिए एक बहुत अनूठा कदम साबित होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय का और माननीय सभापति महोदय का, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में यह भी कहना चाहूंगा हमारे साथियों के लिए कि किसानों के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में चिन्ता की है वो आज तक न तो की और न कोई करेगा। इस उम्मीद के साथ में मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नवनीत लाल जी निनामा।

**श्री नवनीत लाल** (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त इस कृषि प्रधान देश में किसानों का ही पहले न्याय होना चाहिए था, लेकिन ये धीमी गति से किसान का निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम पंचायती राज की ये घोषणा थी कि ग्राम पंचायत, प्राथमिक विद्यालय और सहकारी समिति, ये तीन कार्यालय किसान के मेन जगह दी गयी थी। ग्राम पंचायतें चली, विद्यालय चले, लेकिन सहकारी समिति धीमी गति से चली जिससे किसान का न्याय धीमी गति से चल रहा है और अभी तक ऊपर उठने में तकलीफ आ रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में किसान ने सर्वप्रथम खेती करके समाज का उद्धार किया। अगर किसान खेती नहीं करता तो समाज की भक्ति, रीति-रिवाज जो आज संसार में चल रहे हैं, वह नहीं होते। मानव जानवरों का मांस खाया करता था। उस वक्त किसान ने खेती करके मनुष्य को मांस न खाकर अनाज खाने की योजना बनाई और अनाज खिलाया। अगर किसान नहीं होता तो मानव आज भी जानवर की तरह कच्चा मांस खाया करता। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संसार में हर व्यक्ति की भावना पैदा की है, बैठना, उठना, चाल-चलन, रीति-रिवाज, सारा किसान के हाथ में है। किसान के द्वारा यह सारी योजनाएं चल रही हैं।

**श्री सभापति**: कृपया ध्यान से सुनें।

**श्री नवनीत लाल** (घाटोल): माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जब सुराज यात्रा निकाली गई थी, उस वक्त गांवों में, खेतों में यात्रा को देखने के लिये कड़कती धूप में दौड़-दौड़ कर आया करता था माननीय मुख्य मंत्रीजी के दर्शन

(श्री नवनीत लाल)

के लिये। उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा छोटा-सा-छोटा कानून बनाया और किसान का न्याय करने के लिये कई स्वीकृतियां दी गई हैं। कृषकों की मांग को देखते हुए आगामी वर्ष में 2 हजार वर्ग मीटर तक को ग्रीन हाउस की स्थापना कर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति इकाई अनुदान दिये जाने की घोषणा की गई है। यह किसानों को ऊपर उठाने के लिये योजनाएं बनाई गई हैं।

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्रीजी को मैं मेरे क्षेत्र की जानकारी देना चाहता हूं। अभी बीज उत्पादन संकर मक्का कार्यक्रम चालू रखने बाबत किसानों की विशेष मांग है। जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में मक्का का उत्पादन विगत तीन वर्षों से कृषि विभाग द्वारा लगभग 1200 हैक्टेयर भूमि पर लिया गया है। बीज उत्पादन से राजस्थान सरकार को लगभग 5 हजार करोड़ का मक्का बाहर से लाना पड़ता है। अत: मेरा आग्रह है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अरनोद तहसीलों में मक्का का बीज तैयार किया जाए। यह विभागीय अधिकारियों की योजना है। बीज बाहर से लाने में व कृषकों को उपलब्ध कराने में देरी लगती है, अत: मेरा आग्रह है कि बीज उत्पादन से कृषकों को सीधा आर्थिक लाभ मिले और उनकी माली हालत सुधर सके। रबी में सिर्फ बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिले के मौसम के अनुसार मक्का काफी मात्रा में पैदा होती है। अत: मेरा आग्रह है कि वहां बीज उत्पादन की योजना बनाई जाये।

मान्यवर, किसान खेती करता है तब किसान के खेत में पानी की जरूरत होती है। जब पानी नहीं होता है तो किसान खेती करने से रुक जाता है। जहां पर माह जून व जुलाई में बरसात होती है तब सूखे क्षेत्र में किसान खेती करता है। मान्यवर, अत: मेरा आग्रह है कि जिला प्रतापगढ़ सूखा क्षेत्र है जहां पर बरसात का पानी होता है, वह पानी बहकर चला जाता है। किसान को सिंचाई और कृषि, दोनों से जोड़ा होता है। जब उसके खेत में सिंचाई नहीं हो और सिंचाई विभाग उसको सहयोग नहीं करे तो किसान ऊपर नहीं उठ सकता। पीपलखूंट क्षेत्र में पहाड़ी एरिया है। नदी, नालों का पानी बहकर चला जाता है। उस पानी को रोकने के लिये मौकाटोक नाम का एक स्थान है, जहां तालाब बनाने लायक जगह है। उसका सर्वे होकर विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है। भूराकुंड, वाणियागरा व वडलीखेड़ा, चार जगह ऐसी हैं जहां तालाबों का निर्माण कर राहत दिलाई जाये, ऐसा मेरा आग्रह है।

(श्री नवनीत लाल)

मान्यवर, पीपलखूंट क्षेत्र में ही माही डैम का बैक वाटर ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, ठाकरा, नायन, पृथ्वीपुरा की जमीन 1918 पीपलखूंट, वडलीखेड़ा, खरवाड़ा, खड़ियावानी, भमेडी, नेगड़िया, नायन, माण्डवी, सालिया के किसान दो-दो वाटर पम्प लगाकर बैक वाटर का पानी लेकर आगे किसी पहाड़ी के पास खड्डा करके पानी रखते हैं और फिर उसी खड्डे में वाटर पम्प लगाकर पानी अपने खेत में ले जाते हैं। मेरा ऐसा आग्रह है कि सौर ऊर्जा योजना के द्वारा वहां पर लिफ्ट योजना लगाई जाकर वहां के किसानों को राहत दी जाये तो वहां का किसान ऊपर उठ सकता है।

किसान अपने खेतों की रखवाली के लिये, बिखरी हुई आबादी में रहने वाला किसान अपना मकान खेत की रखवाली के लिये खेत के किनारे बनाता है जिससे सरकार को लाइट लगाने में, हैंडपम्प लगाकर पानी देने में दिक्कत आती है। मान्यवर, मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी योजना बनाई जाये कि दूर-दराज गांवों में रहने वाले आदिवासी किसानों में सरपंचों को यह सलाह दी जाये कि आबादी एक तरफ हो और खेती एक तरफ हो ताकि लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था में सुविधा हो सके, ऐसा मेरा आग्रह है।

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें।

**श्री नवनीत लाल** (घाटोल): माननीय कृषि मंत्रीजी से मेरा आग्रह घाटोल क्षेत्र में कृषि मण्डी खोलने का है तो वहां पर कृषि मण्डी खोलने की आप घोषणा करें, जिससे वहां के किसानों को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा निवेदन है। आपने बोलने के लिये समय दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय सदस्य, श्री मानिक चन्द जी सुराना। मेरा आग्रह है कि कृपया समय का थोड़ा-सा खयाल रखें।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): सभापति महोदय, निर्दलीयों में से सिर्फ...

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, एक यह व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिन सदस्यों को लिखवाना है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, एक सैकण्ड।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जिन माननीय सदस्यों को बोलना है, वे प्रारम्भ में ही अपना नाम दे देवें तो व्यवस्था करने में सुविधा रहेगी। अदरवाइज क्या है कि आसन जो समय का बंटवारा करता है,

(श्री मदन राठौड़)

वह इस सूची के हिसाब करता है। फिर नाम एक-एक करके आते-जाते हैं तो फिर बंटवारा लेट तक हो जाता है। जब वाद-विवाद की प्रक्रिया प्रारम्भ हो, उसी समय नाम एक साथ आ जाएं। जिसको बोलना है, वह बोलें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो समय का बंटवारा उस हिसाब से हो सकेगा। यह मेरा निवेदन है।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा भी एक निवेदन है कि माननीय सदस्य बोलें, यह उनका अधिकार है, परन्तु क्या सब सदस्य रोज बोलें? इधर से तो आप हमसे सूची मांगते हो, हम कम-से-कम करके देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी पार्टी के देते हैं। निर्दलीय वाले डेली बोलेंगे क्या? उनका भी कुछ न कुछ तो होना चाहिए कि दो विषय पर बोलेंगे या उस डिमांड पर बोलेंगे या कितनी डिमांड पर बोलेंगे? अगर वे रोज बोलेंगे तो हमारे सदस्य भी कहेंगे कि हम भी रोज बोलेंगे। दो सौ रोज बोलेंगे, क्या ऐसा सम्भव है? इसलिए आप इस पर कोई न कोई व्यवस्था दें।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय सभापति महोदय...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): आपसे प्रश्न नहीं है, आप विराजिये।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात से एतराज है।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): आप विराजो, यह आपका मामला नहीं है। आप बैठो।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): हर रोज की डिमांड पर हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह अपनी बात रख सके।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): आपसे नहीं है। हम तो सभापति जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस पर कोई न कोई व्यवस्था दीजिए।

**श्री सभापति**: ऐसा है कि यह आसन की व्यवस्था होती है कि किसको कितने कटमोशन पर बोलने का अधिकार है, यह व्यवस्था आसन देगा और इस संबंध में हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे और वे व्यवस्था देंगे।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): सभापति महोदय, माननीय सचेतक और उप सचेतक महोदय ने कुछ प्रक्रियाओं का सवाल उठाया है। मेरा यह निवेदन है कि डिमांड्स पर बोलना और यदि हमें कुछ निवेदन करना है

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तो चाहे हम निर्दलीय हैं, चाहे हम पार्टी के हैं, हमें सदन में बोलने का मूलभूत अधिकार है और यदि सदन में बोलने का...

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नाम शुरू में नाम दें दे तो कहां दिक्कत की बात है? जब वाद-विवाद शुरू हो, उस समय नाम दे देवें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह आपको अधिकार है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): हमने हमारा नाम उपाध्यक्ष महोदय को करीब एक बजे ही दे दिया था, इसलिये आप यह जो बात कह रहे हैं कि नाम दे दें, समय पर दे दें।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके लिये नहीं, मैं तो सभी के लिये कह रहा हूं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): चलो, हमने नाम दिया, आप इतना-सा ध्यान रखें, माननीय मदन राठौड़ जी और माननीय कालू लाल जी गुर्जर साहब।

माननीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सदन में अंधविश्वास के आधार पर कोई भूतों एवं प्रेतों की चर्चा होती है, जो होनी नहीं चाहिए। गांवों में हमारी हंसी हो रही है। गांवों में हंसी हो रही है, मजाक हो रहा है कि यह पंचायत है क्या, या फिर विधान सभा है?

सभापति जी, मैंने सहकारिता मंत्रीजी का 23 फरवरी का वक्तव्य बहुत गौर से देखा और उसका प्रिंट निकालकर दुबारा भी पढ़ा। माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने 11 जिले गिनाये हैं कि किस जिले में कितने किसान और कितनी राशि कर्ज माफी में होगी? 11 जिलों में 10 लाख 12 हजार किसान और 3408 करोड़ रुपये की राशि। 22 जिले बच गये और सहकारिता मंत्रीजी के लिये अब 4600 करोड़ रुपये बचे हैं, 3400 करोड़ की तो आपने घोषणा ही कर दी थी और 4600 करोड़ बचे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लघु और सीमांत कृषक के लिये घोषणा की है। जिस हद तक घोषणा की, हमने उसका स्वागत किया है। मेरा नम्र निवेदन है कि सिंचित क्षेत्र को छोड़ दीजिये। राजस्थान में 30 परसेंट सिंचित क्षेत्र है, बारानी क्षेत्र तो प्रकृति पर निर्भर है। बारिश समय पर हुई और समय पर होती रही तो बारानी में पैदावार होगी, अन्यथा बारानी की फसल फेल होगी।

आप इस गहराई में तो जायें कि कर्ज माफी की नौबत क्यों आयी?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राज्य सरकार ने कर्ज के बारे में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं। हमारे सहकारिता मंत्रीजी ने कहा है कि हमने 61 हजार करोड़ के कर्जे बांट दिये। सभापति जी, वे चार-पांच साल की बात एक साथ कर रहे हैं। यह राज्यपाल जी का इसी वर्ष का भाषण है। "पैरा नंबर-91 - केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 11 हजार 743 करोड़ से अधिक के अल्पकालीन तथा इतने के मध्यकालीन ऋण बांटे गये।" आपने गत वर्ष 11 हजार 743 करोड़ के ऋण बांटे हैं, 2016-17 में दस हजार करोड़ के बांटे हैं। मैं चारों सालों का हिसाब करूं 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, यह राशि किसी भी प्रकार से 44-45 हजार करोड़ से आगे नहीं जाती है। आपने साढ़े 61 हजार करोड़ के ऋण देने की घोषणा कर दी कि अब तक हम बांट चुके।

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो ऋण बंट रहा है, वह राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं, वह केन्द्रीय सहकारी बैंकों में किसानों की जो इक्विटी है, किसानों की जो पूंजी है, उस पूंजी के आधार पर नाबार्ड जो लोन देता है, उस पूंजी को देखकर, कभी 60 परसेंट, कभी 70 परसेंट, कभी 80 परसेंट। नाबार्ड भारत सरकार का संस्थान है और यह बैंकों की व्यवस्था है कि एक बैंक से दूसरे बैंकों की रिफाइनेंसिंग होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो भी फंडिंग है, किसानों को अल्पकालीन ऋण का हुआ है, यह राज्य सरकार के द्वारा नहीं है। आप इसका जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह श्रेय तो केन्द्रीय सहकारी बैंको और किसानों की इक्विटी को ही दिया जाना चाहिए कि उनकी इक्विटी के आधार पर यह ऋण बंटा।

सभापति जी, माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने एक और महत्वपूर्ण बात कह दी और वह यह कह दी कि हम साढ़े 61 हजार करोड़ रुपयों के तो ऋण बांट चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लक्ष्य दिया है कि सरकार के रहते विभाग का प्रयास है कि 80 हजार करोड़ रुपयों के फसली ऋण हम हमारे किसानों को दें। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में यह प्रावधान कहां है? यदि इस पांच हजार करोड़ का, केन्द्रीय सहकारी बैंक को रिवाल्विंग फंड दें और अभी भी दें तो निश्चित रूप से ऋण की सीमा 11 हजार की बजाय 22 हजार हो सकती है। पिछले चार साल के रिकार्ड देखिये, मैंने तो विधान सभा में प्रश्न पूछे हैं। मात्र 200 करोड़ रुपये की पूंजी, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पिछले चार-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पांच सालों में दी है। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ ऋण माफी से काम नहीं चलेगा। ऋण माफी के कारणों में जाइये और ऋण माफी का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं मिले हैं, वे अपनी आधी फसल भी नहीं कर पाये हैं, उसकी जरूरत के मुताबिक.. आप तो सहकारिता मंत्री हैं, सारे सेंट्रल एवं को-आपरेटिव बैंक्स के एम.डीज को बुलाइये और पूछिए कि कितने परसेंट ऋण आवश्यकता से अपन कम दे पाये हैं? 50 परसेंट से अधिक ऋण अपन नहीं दे पाये हैं। आपने खुद ने स्वीकार किया है कि हम एक किसान एवरेज 58 हजार रुपये का ऋण दे पाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की परिस्थितियों में 30 परसेंट सिंचित क्षेत्र को देखते हुए, 70 परसेंट बारानी क्षेत्र को देखते हुए और बारानी क्षेत्र में फिर हिली क्षेत्र, ट्राइबल बैल्ट सभी चीजों को देखते हुए, ये ऋण की राशि एक लाख रुपये से कम नहीं हो सकती, औसत राशि। यह राशि तभी बढ़ सकती है जबकि राज्य सरकार किसानों को अधिक कर्ज उपलब्ध होने के लिए 5 हजार करोड़ का रिवाल्विंग फंड, केन्द्रीय कृषि, केन्द्रीय अपेक्स सहकारी बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समय पर प्रदान करें ताकि उसके आधार पर और मैं कहता हूं कि 5 हजार नहीं तो आप हर वर्ष नियम बनाइये कि 2 हजार करोड़ की राशि तो उनको एडिशनल दी जाएगी और उनकी पूंजी में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि किसानों को पर्याप्त ऋण मिल सके।

सभापति जी, आपने 8 हजार करोड़ के ऋण की घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्द्ध-मध्यम और मध्यम किसान ने क्या पाप किया है? 30 सितम्बर, 2017 को जिन अर्द्ध-मध्यम और मध्यम वर्ग के किसानों के पांच-पांच साल से ओवरड्यू थे, ठीक है हमने लघु और सीमांत किसान के ओवरड्यू को आउटस्टैंडिंग में ले लिया, उनकी शास्ति और पैनल्टी माफ कर दी, ब्याज और पैनल्टी माफ कर दी परन्तु उस अर्द्ध-मध्यम और मध्यम किसान ने क्या दोष किया था? उसका भी चार-पांच साल से जो ओवरड्यू में है, उसकी परिस्थिति को भी सरकार को समझना पड़ेगा। खाली एक स्लोगन से नहीं चल सकते कि लघु और सीमांत। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति जी, सहकारिता मंत्रीजी यह बताएं कि अर्द्ध-मध्यम में कितने लोग ओवरड्यू में चार-चार साल, पांच-पांच साल से हैं और मध्यम में कितने किसान, किस-किस जिले में कितने ओवरड्यू में हैं? यह जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है माननीय सहकारिता मंत्रीजी। मैं निवेदन करना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चाहता हूं कि सरकार ने जहां 8 हजार करोड़ की कर्ज माफी की है, सरकार दो कदम आगे बढ़े। सरकार को यह किसने सलाह दी है? यह कौनसा फिगर है? किसी तांत्रिक ने तो बताया है नहीं कि 8 हजार करोड़ करें। आप दो कदम आगे दें। 12 हजार करोड़ लगे तो लगे, 16 हजार करोड़ लगे तो लगे। अभी आप 20 लाख किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि आप 77 लाख कृषि होल्डिंग्स जो माननीय कृषि मंत्रीजी बार-बार कहते हैं, उसमें 27 लाख हैक्टेयर को तो सिंचित क्षेत्र मान लीजिए। 77 लाख में से वन थर्ड तीस परसेंट माइनस कर लें, तीस परसेंट सिंचित क्षेत्र को माइनस कर दें। 77 में से 27 गए, 50 बच गए। आप 20 लाख किसानों तक ही क्यों रुक रहे हैं? बड़े किसान पर रुक जाओ तो समझ में आता है। अर्द्ध-मध्यम, मध्यम पर रुकना समझ में नहीं आता है। सभापति महोदय यह विवेकसम्मत नहीं है। आप कह सकते हैं कि धन कहां है? धन तो बहुत है, धन की कमी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की नजर में दौलत है। 1 लाख 77 हजार करोड़ का नया ऋण माननीय तिवाड़ी साहब, इन पांच सालों में लिया गया है। हम 1 लाख 77 हजार करोड़ के नए ऋण पर खड़े हैं। 1 लाख 29 हजार का ऋण था, जब कांग्रेस सरकार गई थी और हम आए थे। आज हम 3 लाख 6 हजार करोड़ के ऋण पर हैं। 1 लाख 77 हजार करोड़ उधार लिया, 60 हजार करोड़ विद्युत कंपनियों के लिए।

सभापति महोदय, मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 45 हजार करोड़ रुपये विद्युत कंपनियों को 12 हजार करोड़ तो अनुदान और 3 हजार करोड़ अंश पूंजी बहुत सफाई से चार लाइन के अन्दर उन्होंने.., मैं पढ़ देता हूं- 2015-16 एवं 2016-17 में विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए ऋण को तीन वर्षों अर्थात् 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक, अंश पूंजी एवं अनुदान के रूप में कन्वर्जन किया जाना है। हमको तो नहीं मालूम। इस सदन को तो कभी नहीं बताया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रति वर्ष 15 हजार करोड़ के ऋण को 3 हजार करोड़ की अंश पूंजी और 12 हजार करोड़ के अनुदान में कन्वर्जन किए जाने का प्रस्ताव है। यह हो गए 45 हजार करोड़, 2017-18, 2018-19 व 2019-20, 60 हजार करोड़ एक दिए, अब 36 हजार करोड़ का अनुदान है, 9 हजार करोड़ की उनको अनुदान पूंजी है। साहब, ये विद्युत कंपनियां डूबने वाली नहीं हैं फिलहाल। आपने 60 हजार करोड़ का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ऋण देकर उनको बचा लिया है। किसान को बचाइए। लोगों ने चर्चा की, ईआरसीपी के लिए 37 हजार करोड़ की योजना। ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी)। 13 जिलों के लिए। हां ईस्टर्न राजस्थान, एक ही बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह तो करिए। आपने 37 हजार करोड़ नहीं, 52 हजार करोड़ नहीं, आपने 77 हजार करोड़ की सिंचाई की योजनाएं घोषित की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। यदि राज्य सरकार 77 हजार करोड़ रुपये सिंचित क्षेत्र के लिए फाइंड आउट कर सकती है तो बारानी क्षेत्र के लिए, बारानी का मतलब सिंचित क्षेत्र का, बारानी खेत को भी मैं बारानी मानता हूं। हर बारानी खेत के लिए 2 लाख रुपये के खर्च से, माननीय कृषि मंत्रीजी को ध्यान देना है क्योंकि हर किसान की आमदनी दुगुनी होनी है। मैं समझता हूं बारानी क्षेत्रों में कृषि विभाग जब तक हर खेत में 50 हजार लीटर का जल कुंड नहीं बना देता है और छोटा खेत है तो 30 हजार लीटर, बड़ा है तो कई लाख लीटर लीजिए, तब तक बारानी खेतों की आमदनी दुगुनी होने का कोई मुद्दा, कोई प्रश्न ही नहीं है।

मैं मांग करता हूं कि जिस तरह आपने 15 हजार करोड़ रुपये अंशदान और अनुदान में विद्युत कंपनियों को घोषित किए हैं, उसी तरीके से राजस्थान के बारानी क्षेत्रों के लिए आने वाले तीन सालों में 15 हजार करोड़ रुपये का वास्तव में नियोजन करें। हर खेत में पानी आए। मैं सदन से नम्रता से कहना चाहता हूं कि खाली मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान से राजस्थान के सब खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान में फिलहाल कोई बजट नहीं है। पंचायतों का बजट लिया गया है। 1 लाख 95 हजार जल संग्रहण ढांचे बनाये गये हैं, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान में दो वर्ष के अभियान में।

सभापति जी, मैंने प्रश्न पूछा। इसी सत्र में जवाब आया। 14 फरवरी को जवाब आया। मैंने पूछा नरेगा में 2016-17, 2017-18 में कितने जल कुंड बन गए? मेरे हाथ में सरकार का जवाब है, 41 हजार पूरे हो गए, 51 हजार मैं आगे की फिगर नहीं पढ़ रहा हूं 500-600 जो भी है, 51 हजार पूरे होने में है। 51 और 41 यानी 92, 1 लाख 95 हजार तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के और 1 लाख नरेगा के, अधिक से अधिक 3 लाख मानिए। 3 लाख जल संग्रहण के कुंड बने बहुत फ्लैगशिप योजनाओं की घोषणा के बाद। नरेगा में एक लाख 2 साल में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कब हम पहुंचेंगे 50 हजार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

खेतों तक? उसके लिए तो अलग से नरेगा में सीमित, बीपीएल, एससी-एसटी, दूसरी जातियों ने क्या गुनाह किया है? रेगिस्तान में बारिश नहीं होगी तो सभी एक से हैं। सभी अकाल से पीड़ित हैं इसलिए मेरा कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि बारानी क्षेत्रों में हर खेत में जलकुण्ड बनाने का आप बीड़ा उठाएं। आप बीड़ा उठाकर केलकुलेशन करें। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ राज दे, मैं कहता हूं दो लाख में से राज लाख ही दे, लाख उसको ऋण दिया जाए। बैंक का दरवाजा खोला जाए। केन्द्रीय सहकारी बैंक हो या स्टेट बैंक हो या शिड्यूल्ड बैंक हो। सात लाख करोड़ रुपयों की पूंजी बैंकों में यदि बड़े अरबपतियों के लिए एन.पी.ए. हो गई है, डूब गई है। मैं अपने आपको करैक्ट कर लेता हूं, 8 लाख 21 हजार करोड़ रुपये की राशि डूब गई है। राजस्थान के बारानी किसान के लिए 45 हजार करोड़ की योजना तीन सालों के लिए। हर साल 15 हजार रुपये खर्च करके हर बारानी क्षेत्र में। दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। हर खेत को पानी पहुंचाना है, दीनदयाल जी का सपना पूरा करना है। मेरा निवेदन है कि सरकार के कृषि विभाग को सक्रिय होना पड़ेगा और इसके लिए ठोस योजना बनानी पड़ेगी। सभापति जी...

**श्री सभापति**: समय बहुत...

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): दस मिनट दें मुझे।

**श्री सभापति**: अभी बहुत वक्ता बोलने हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): मुझे थोड़ा कृषि पर कहने दें।

**श्री सभापति**: आपको सबसे अधिक समय दिया है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): सभापति जी, मेरा नम्र निवेदन है, मुझे पांच मिनट का समय दें। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि आपने 77 हजार सोइल हैल्थ कार्ड बांटने का दावा राज्यपाल के अभिभाषण में किया। कृषि होल्डिंग ही 77 लाख है। आपका दावा यह है कि हर खेत की मिट्टी का नमूना ले लिया गया। हर खेत की मिट्टी के सैम्पल को जांच लिया गया। मेरा क्षेत्र बीकानेर जिला है। मेरे यहां 2 लाख 85 हजार होल्डिंग्स हैं, कृषि विभाग कहता है कि हमारा टारगेट एक लाख है, कृषि होल्डिंग्स एक लाख एक हजार सोइल हैल्थ कार्ड लेने का था, 85 हजार ले लिए, 87 हजार के करीब वितरण कर दिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सारे विधायक हैं, कभी विधायक को भी पूछ लीजिए कि आपके क्षेत्र में कितने सोइल हैल्थ कार्ड बंटे हैं, कितनों के नमूने लिए गए। मैं लूणकरणसर के गांव-गांव में घूमता हूं। लोग कहते हैं कि 5 परसेंट किसानों के भी सोइल हैल्थ कार्ड नहीं लिए गए हैं। मैं सोइल हैल्थ कार्ड योजना के खिलाफ नहीं हूं, उसके पक्ष में कह रहा हूं। इस योजना को आप जल्दी पूरा करें, इसे फोलोअप करें। सोइल हैल्थ का टैस्ट आता है, एक हैक्टेयर पर उसको दो हजार रुपये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में लगाने पड़ते हैं और दस-बीस बीघा का खेत है, पांच हैक्टेयर का खेत है तो उसको 10-15 हजार की पूंजी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी बैंक का दरवाजा खुलवाइये। पांच हजार करोड़ की नई पूंजी, रिवाल्विंग फण्ड, केन्द्रीय सहकारी बैंक से राज्य सरकार को दिलवाइये। उसके बाद जिस किसान को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं वह दरवाजा उनको दिखाइये कि यह सहकारी बैंक है, जहां से आपकी पूर्ति होगी। आमदनी दुगुनी करना खेल नहीं है। आमदनी दुगुनी का आवश्यक साधन, हर खेत में 50 हजार लीटर का जलकुण्ड है, जल संग्रहण का ढांचा है। मेरा नम्र निवेदन है कि सहकारिता व कृषि मंत्रीजी आपस में बात करें कि किसान की आमदनी को दुगुना करने के लिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कृषि और सहकारिता में आपस में पूर्ण सह भागीदार बनें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कैलाश जी चौधरी।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36, 37 व 39 पर बहस चल रही है। कृषि का विषय है, सुबह से कृषि पर चर्चा हो रही है। कृषि की बात करें तो विपक्ष को सबसे ज्यादा चिंता एक महीने से किसान की हो रही है। इनको जो चिंता एक महीने से हो रही है अगर वह चिंता इन्होंने भारत आजाद होते ही प्रारम्भ कर दी होती तो किसान को आज इस तरह से किसी के सामने ऋण माफी की बात नहीं करनी पड़ती, किसान को आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होना पड़ता, विपक्ष को तो चुनाव आता है तब किसान याद आता है। उस समय किसान के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आज जिस तरह से यहां पर हाशिये के रूप में 20-21 की संख्या में आकर बैठे हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 25 है।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): 21 पर बैठे हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले रहते यूं, तो तबले बजते क्यूं। अगर आपने किसान की चिंता पहले कर ली होती तो..

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, यह बाद में आप पर ही लागू हो रहा है कि सवा चार साल किसी के लिए काम किया होता तो यह दुर्गति नहीं होती।

**श्री सभापति**: विराजो। मेरी अनुमति के बिना बोले, उनका रिकार्ड नहीं करना। प्लीज आप फटाफट पूरा करो, समय जा रहा है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): आपके मन में भ्रम है तो निकाल दें, इस देश के अन्दर किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका जवाब आपको जनता देगी कि आपने किसानों का किस तरह से शोषण किया।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज किसानों की चर्चा हो रही है, एक समय ऐसा था जब हम कहते थे कि "उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी" यहां तक कहते थे। जिस तरह से कांग्रेस ने 60 साल तक, सबसे ज्यादा इस देश में हुकूमत की, लेकिन उन्होंने उसका उल्टा कर दिया। आज हर व्यक्ति नौकरी की ओर भागना पसंद करता है, खेती की ओर जाना कम पसंद करता है। आखिर यहां तक क्यों पहुंचे, इसका असली गुनहगार कौन है, यह समझने का विषय है, जनता जानती है।

उत्तम खेती की बात करें तो मुझे बचपन के वह दिन याद हैं जब मैं छोटा था। उस समय गांव के अन्दर, मेरे स्वयं के 100 से ज्यादा गायें हुआ करती थीं, एक हजार से ज्यादा भेड़ हुआ करती थीं। शाम का समय होता था जब गायें आती थीं। गोधूली की बेला होती थी। गायों की घंटियां बजती थीं तो शाम के समय अलग ही नजारा होता था। उस समय मेरे दादाजी-दादीजी मुझे इतना दूध पिलाते थे कि पी-पीकर पेट भर जाता था। लेकिन आज उसका उलटा हुआ है। यह सारा आपने किया है, आपका करा धरा है। खेती को आपने इतने नीचे स्तर तक गिरा दिया।

आज किसान की बात करें, आपको पता होगा आज अपन बाजार में कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो उस वस्तु की कीमत तय होती है, उसके ऊपर

(श्री कैलाश चौधरी)

व्यापारी कोस्ट तय करता है कि कितनी मजदूरी लगी, कितना कुछ लगा। पूरी मजदूरी जोड़ने के बाद, चाहे अपन साबुन लेने जाएं, चाहे तेल लेने जाएं, उसके ऊपर कीमत तय होती है। माचिस के ऊपर भी एक रुपया कीमत लिखी होती है। उसमें व्यापारी दस, बीस, पचास परसेंट नफा जोड़ने के बाद रेट तय करता है लेकिन इस देश के किसान का दुर्भाग्य है कि आज किसान 4-6 महीने तपस्या करने के बाद जब मण्डी में अपनी फसल को बेचने के लिए जाता है उस समय उसकी कीमत कोई व्यापारी तय नहीं ...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आप सरकार के खिलाफ मत बोलो कि आज यह हो रहा है। 27 साल में से 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा प्रदेश में। दस साल कांग्रेस का रहा है, समझे आप बात को।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): अभी बताता हूं। सारा जवाब दूंगा, डोटासराजी, आज आपको।

आज कृषि मण्डी के अन्दर जब वह किसान फसल बेचने के लिये जाता है, मण्डी में उस समय उसकी कीमत किसान तय नहीं करता है, एक व्यापारी तय करता है। ये दिन किसने दिखाये। ये कांग्रेस की सरकार ने, जिसने 60 साल इस देश के ऊपर हुकूमत की, आपने इस तरह से किसान को नीचे डालने का काम किया लेकिन मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने किसानों की पहली बार चिंता की और उन्होंने किसानों के लिये फसल बीमा नीति लागू की। पहले कभी किसी किसान की फसल का बीमा नहीं होता था। एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता था, एक व्यक्ति का इंश्योरेंस हो जाता था लेकिन एक किसान की फसल का, उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी लेकिन कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं होता था। वह अपने हाल के ऊपर रोता था। पहली बार प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने किसानों की फसल बीमा नीति लागू की। उसके बाद में किसानों को ऋण देना प्रारम्भ किया। जिसकी वजह से किसान पहले, बरसात आती, उससे पहले उसको यह चिंता रहती थी कि मैं कहां से खेत में फसल बोऊंगा, मैं किस तरह से पैसा लाऊंगा और कैसे उस फसल को बोऊंगा। वह किसी सेठ-साहूकार के सामने देखता था। जब फसल कटती, उस समय वह ब्याज सहित, किस तरह से वह व्यवस्था करता था। हमारे प्रधान मंत्री अटल

(श्री कैलाश चौधरी)

बिहारीजी वाजपेयी ने किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड प्रारम्भ किये, किसानों को ऋण देना प्रारम्भ किया और उसके स्वाभिमान को जगाने का काम किया। उसी के तहत आज विपक्ष कहता है कि हमने किसानों के लिये यह कर दिया, वह कर दिया। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिये फसल बीमा नीति हमने प्रारम्भ की, किसानों को ऋण देना हमने प्रारम्भ किया, फिर आपने ऐसी कौनसी बड़ी योजना बना दी? इन्होंने किसानों के लिये फसल बीमा की नई नीति को लागू भी नहीं किया। हमने पहली बार किसानों के लिये एक नई फसल बीमा नीति लागू की।

इनका 10 साल शासन रहा केन्द्र के अन्दर। हम कहते रहे कि केन्द्र के अन्दर जहां तहसील को इकाई मान रखा है, बरसात होती थी उस समय, उस तहसील की जगह गांव को इकाई माना जाये। खेत का इंश्योरेंस होता है तो उसके खेत को इकाई माना जाये लेकिन उन्होंने दस साल उस किसान की ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी जैसे ही प्रधान मंत्री बने, बनते ही उन्होंने नई फसल बीमा नीति लागू की और उनके लिये आज वहां पर तहसील को इकाई नहीं, अगर एक खेत में भी कोई नाला या बरसात आ जाती है और खेत के मालिक को नुकसान होता है तो उसका पूरा का पूरा उसको इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर यह किया तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्रजी मोदी ने किया। उसके बाद में किसानों के लिये जहां 50 परसेंट खराबा होता था, उस समय किसानों को मुआवजा मिलता था। आज उसमें संशोधन करके हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने 50 प्रतिशत की जगह 33 प्रतिशत खराबे के ऊपर किसान को मुआवजा और वह भी डेढ़ गुना करके देने का काम किया है। आपको किसने मना किया था। आपकी दस साल सरकार रही थी। किसान अब याद आ रहा है कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, किसान का कर्जा माफ होना चाहिए।

डोटासराजी सामने बैठे हैं, आप किसानों की बात करते हैं सदन के अन्दर बैठकर। बाहर आकर आपने कभी किसानों के लिये आन्दोलन किया? बाहर आप कभी किसानों की बात करते नहीं, सिर्फ सदन के अन्दर आप बोलते हैं। इनको अभी, बात कर रहे थे कि हम अभी केरल गये थे। केरल जाने के लिये आपका भी नाम था। इन्हें अगर किसानों की चिंता होती तो वे केरल चलते और केरल में जाकर वहां की जो व्यवस्था है, मैं भी उस कमेटी में था, हमारे मंत्री पुष्पेंद्र सिंहजी थे, अजय सिंह साहब थे, हम गये, वहां पर

(श्री कैलाश चौधरी)

अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद यहां आकर वह रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने यहां पर किसानों के लिये किसान आयोग का गठन किया। हमारी मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिये पहली बार आयोग का गठन किया। आपको किसने मना किया था कि गठन न करें।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): चार साल के बाद।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): आप अपने 60 साल याद करें। अपने वे काले दिन याद करें। चार साल मत गिनो। पांच साल के लिये हम इस समय सत्ता में आये हैं और अगली बार भी हम ही आयेंगे और उससे आगे भी हम ही आयेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब ये कहते हैं, अभी बीच में बोल रहे थे कि केरल के अन्दर तो आपने पूरा कर्जा माफ करने के बाद में आयोग का गठन किया था। पहले आप वहां जाकर केरल में पूछकर आओ। आपको जानकारी नहीं है, सदन के अन्दर खड़े होते हो और मीडिया के सामने खड़े होकर कहते हैं कि केरल के अन्दर सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के बाद में उनके आयोग का गठन किया था। ऐसा नहीं है। अब आप देखकर आना। केरल चलते तो पता चलता कि वहां क्या हुआ था। अगर आप किसानों के हितैषी होते तो वहां केरल चलते। आपकी फूट की वजह से, आपके आपस की राजनीति...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): वहां कोई बजट पड़ा है क्या, जो उठाकर लाना था अटैची में।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): आपके मन में यह था कि सचिनजी को खुश करूं कि अशोकजी को खुश करूं। अपने, दोनों को ही खुश रखो, वे किसान हितैषी हैं नहीं, इसलिये अपने को जाना नहीं, इसलिये आपने वहां से मना कर दिया। कहां आपको किसानों की चिंता है।

**श्री हीरालाल** (निवाई): पहले नोन-कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, जनता पार्टी की तो, माननीय स्वर्गीय देवीलालजी चौधरी ने कर्जा माफ किया था दस हजार रुपये का। आपको पता नहीं है और बीच में खड़े होते हो आप। सचेतक हो, कम से कम आप पालन करो उसका। आपका स्तर रखिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ये किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): हमें बुला लेते, हम आ जाते, ये नहीं आये तो।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये किसानों की बात करते हैं, किसानों के ऋण की बात करते हैं। मैं आंकड़ों के साथ कहूंगा कि आपने अपने कार्यकाल के अन्दर सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपये किसानों को ऋण बांटा और हमने 61 हजार करोड़ रुपये किसानों को ऋण बांटा, आपसे दुगुने से भी ज्यादा। अभी हमारे नौ महीने आने वाले हैं, उन नौ महीनों के अन्दर हम 75 हजार करोड़ तक किसानों को ऋण बांटने का काम करेंगे। यह बता दें, आपको किसान की चिंता होती तो कभी किसान के खेत में काम करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती, सांप काटने की वजह से हो जाती या खेत में काम करते हुए कहीं टांके में गिरने से मृत्यु हो जाती थी तो आप उसको सिर्फ 50 हजार रुपये देकर संतुष्ट कर दिया करते थे। उस समय आपको किसान याद नहीं आया कि उस किसान की माली हालत क्या होगी? उस परिवार के ऊपर जिस तरह से वज्रपात होता था, क्या 50 हजार से वह संतुष्ट होता था? हमने उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपये किसान को देने का काम किया। आपका उस समय किसान के लिये जमीर कहां चला गया था?

इसी के साथ में मैं कृषि कनेक्शन की बात करूं। अगर आप कृषि के हितैषी होते, किसानों के हितैषी होते तो जब हमारी मुख्य मंत्री वसुंधराजी का पिछला कार्यकाल था, उस दौरान हमने 2008 तक के किसान कृषि कनेक्शन की पेंडेंसी खतम कर दी थी। हम पूरा करके गये थे। आपने एक भी कनेक्शन नहीं किया। जबकि हमने आने के बाद में एक लाख कृषि कनेक्शन दे दिये और दो लाख कृषि कनेक्शन अभी और दे देंगे, जिससे किसान को आज संतुष्टि है कि हमारे कृषि का कनेक्शन होगा। वह खेत के अन्दर काम कर सकता है। उसको यह काम हमने करके दिखाया। आपके पास आंकड़े नहीं हैं, सिर्फ बातें हैं।

आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी को कि उन्होंने किसानों के लिये एक ऐसी सोगात पेश की, पहली बार किसानों के लिये किसानों के ऊपर जिस तरह से ऋण था, उस ऋण को माफ करने के लिये 50 हजार रुपये तक लघु और सीमांत कृषक हैं उनका ऋण माफ करने का काम राजस्थान की सरकार ने पहली बार किया है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री कैलाश चौधरी)

ये बात करते हैं, बीच में बात करते हैं। एक दिन कह रहे थे, मैं इनका भाषण सुन रहा था कि हमने भी दिये। मैंने कहा, आपने कहां से दिये। कहा, कि हमने दिये थे। पूछा कितने दिये, तो कहा कि 900 करोड़ रुपये दिये। कहा, 900 करोड़ आये कहां से, तो कहा कि हमारे को माफ करने के लिये केन्द्र सरकार ने दिये थे। आपकी राजस्थान सरकार से आपने कितना दिया तो कहा कि राजस्थान सरकार ने आज तक नहीं दिया। जबकि 8 हजार करोड़ रुपये सीधा किसानों का कर्जा माफ करने का काम राजस्थान सरकार ने अपने ऊपर लेकर पहली बार किया है। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित रूप से आज मैं यह कह सकता हूं कि किसानों के लिये जिस तरह से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने चिंता की है, वह चिंता वास्तव में आज किसान के लिये बहुत ही, आने वाले समय के अन्दर जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं, आज सोइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से उसके खेत की जांच हो रही है। पहले एक आदमी की जांच नहीं होती थी लेकिन आज किसान की जांच हो रही है, खेती की जांच हो रही है कि उसकी जमीन की सोइल की जांच की जाये।

दो मिनट का समय और चाहिये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसान के लिये, आज हमारी गौमाता के लिये कहा है कि पहली बार, यहां पर गायों के लिये अभी चिंता कर रहे थे, नंदी गौशाला के लिये जो साण्ड घूमते हैं, उनके लिये नंदी गौशाला के लिये आपको किसने कहा था, आपको मना किया था क्या? आज नंदी जिस तरह से गांवों के अन्दर घूमते हैं, उनके लिये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा की कि हम आने वाले समय के अन्दर, इसी बजट के अन्दर, इसी सत्र के अन्दर, प्रत्येक जिले के अन्दर एक नंदी गौशाला खोलेंगे

**(19.00 बजे)**

जिससे गांवों के अन्दर आज नंदियों को इधर-उधर भटकना पड़ता है, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। उस नन्दी की आपने कभी चिन्ता नहीं की। आज गौ-माता को जहां पर तीन महीने तक का अनुदान दिया जाता था, उसको बढ़ाकर आज छह महीने तक अनुदान देने का काम किया है। गौ-माता के लिये हमने यह काम किया है। निश्चित रूप से आज देश का किसान है, वह अपने आपको बहुत खुशहाल समझता है।

(श्री कैलाश चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज देश के प्रधान मंत्रीजी ने कहा है, आने वाले 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, तो उसके लिये उन्होंने एक योजना भी बनायी और जिस तरह से किसानों के लिये किया है, और आप हमेशा कहते हो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को आप कब लागू करेंगे? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के बारे में मैं कह दूं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में से 90 प्रतिशत काम कर लिये हैं और 10 प्रतिशत ऐसे काम हैं जो सम्भव नहीं हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में स्वामीनाथनजी ने कहा है कि शहरी विस्तार के लिये और गांव के विस्तार के लिये कृषि भूमि का उपयोग नहीं हो। यह कभी संभव है क्या? इस तरह से कुछ ऐसे बिन्दु हैं और स्वामीनाथनजी ने यह भी कहा है कि किसान का कर्जा माफी अंतिम हल नहीं है, इसलिये किसान को कर्जा माफी मिले, कर्जा माफी को इसमें शामिल करते हुए लिया, इसलिये हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से भी आगे बढ़कर किसानों के लिये काम किया है। मैं आपको कहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अन्दर 90 प्रतिशत काम हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्रीजी ने बजट के अन्दर घोषणा की है और यह किसानों के लिये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट के अन्दर लिया है, उसकी वजह से आज किसान के लिये उन्होंने कहा है कि आने वाले समय के अन्दर किसान की लागत मूल्य का डेढ़ गुना हम किसान को देंगे। यह प्रधान मंत्रीजी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसानों के लिये उन्होंने चिन्ता की है और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी की है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप जिस तरह से सदन के अन्दर बोलते हैं कि हमने किसानों के लिये यह कर दिया, वह कर दिया। अगर आप ऐसा करते तो किसान को इस तरह से दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़तीं। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे मंत्रीजी भी चिंता कर रहे हैं। बाड़मेर जैसे जिले के अन्दर, जहां रेगिस्तान के धोरे हैं, उन रेगिस्तान के धोरों के अन्दर आज वहां पर अनार की खेती होती है और आज वहां पर खजूर की खेती होती है। वहां पर कभी आपने देखा है कि ऐसे रेगिस्तान के धोरों के अन्दर भी ऐसा हो सकता है। आपने कभी किसान को ऊपर उठाने की चिन्ता नहीं की।

आज सोइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से वहां पर जमीन का टैस्ट कराकर किसान को बताया गया कि आप इसकी खेती करके उत्पादन करो।

(श्री कैलाश चौधरी)

उसके माध्यम से आज पूरे विश्व की मानी हुई खजूर वहां पैदा होती है, वहां पर अनार की खेती होती है। इसी तरह पूरे प्रदेश के अन्दर हमारे मंत्रीजी ने जैतून की खेती के माध्यम से और अन्य कई तरह की ऐसी तकनीकों को प्रारम्भ किया है, जिससे आने वाले समय के अन्दर किसान की आमदनी बढ़े। आमदनी कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ उसके घर पर ले जाकर दे देंगे, लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये प्रयास करने हैं, वह प्रयास हम कर रहे हैं। मैं प्रभूलालजी, आपसे और सहकारिता मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से लघु और सीमांत की जो सीमा है, उसकी निश्चित रूप से आप चिन्ता कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है और निश्चित रूप से आप जो भी अपनी रिप्लाई अभी पेश करेंगे, वह बहुत शानदार होगी। विपक्ष का काम है चिल्लाना, हो-हुल्ला करना, किसान की चिन्ता उनको नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में। आप सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द। जय भारत। जय किसान।

**श्री सभापति**: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री शकुन्तला जी रावत।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 37, 39 और 36 पर बोलने का मुझे मौका दिया है। (व्यवधान) जवाब क्या देना? सवालों का जवाब ही सरकार गलत देती है, असत्य देती है तो फिर मुझे जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो जवाब नहीं दे रही हूं, लेकिन मंत्रीजी से अनुरोध कर रही हूं कि जितने भी सांप के काटने से, खेत में काम करते वक्त करंट से जो लोग मरे हैं तो उनकी बाकी की जो राशि है, हमारे यहां छह-छह लाख नहीं दी गयी है तो उन्हें भी दिलवाने का कष्ट करें। कष्ट कर दें मंत्रीजी। मांची में, मीरापुर की ढाणी में, हाजीपुर की पापड़दा की ढाणी में, भूरियावास, किशोरपुरा के पास, रामपुर की गुढ़ा भाकरवाला की ढाणी में, गिन लें, आप लिख लें। मंत्री महोदय, नाम सहित लिख लें। मेरा चैलेंज है इस सदन के माध्यम से, आप इनको पैसा दिलवा दें तो। (व्यवधान) आपको नहीं, आपको तो क्या चैलेंज दूंगी, आप पहले तो बड़ाई करते हैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वह तो राजस्थान की हैं, हमारी भी मुख्य मंत्री हैं। सम्माननीय प्रधान मंत्री महोदय और फिर बाद में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ऐसे हो जाते हैं बोलते-बोलते, अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिये, अध्यक्ष महोदय, हमारा यह काम नहीं हुआ। हमारे यहां ऐसा अत्याचार हो रहा है। फिर चिल्लाते तो यह लोग ही हैं, हमको कह रहे थे, यह तो खुद ही चिल्ला रहे हैं। हमारी तो दूर की बात है, हम तो अपनी बात रखते हैं, हम जनता की बात रखते हैं। माननीय सदस्यों के बराबर ही हैं हम भी। अन्नदाता, पालनहार, जो देश का पेट भरने वाला किसान है, -

"अगर यह धरा न होती तो ये आसमां न होता,
और यह किसान न होता तो तुम्हारा भी भूखा पेट नहीं भरता।
मेरा नहीं, तुम्हारा भी नहीं भरता।"

किसान सबका पेट भरता है। (व्यवधान) अगर यह इसी तरह सवाल-जवाब करने हैं तो किसी दिन मेरे साथ डिबेट में आ जायें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप आसन को सम्बोधित करो न।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन जो यह नाम था कृषि प्रधान देश, वह शायद अब स्किल में, डिजिटल में और पता नहीं क्रिटिकल में घुस गया। आज जो देश की हालत हो रही है, हम सम्मान करते हैं, हमने भी सुनकर खुशी जाहिर की कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी तो यह इतने सालों का जो जिक्र करते हैं, नया भारत बनाने की बात करते हैं, शायद यह धरती माता एक-दो फीट अधर होगी नया भारत बनकर, कि क्या कौनसा नया जादू होगा। बैंकों में राशि आयेगी, क्या खाद, बीज किसान को उपलब्ध कराया जाएगा, क्या बिजली के बिल नहीं लिये जायेंगे, क्या फसल का समर्थन मूल्य डबल दिया जाएगा, या जो मृदा कार्ड बनाया गया है, उस कार्ड से ए.टी.एम. की तरह क्या पैसा निकलेगा तो दुगनी होगी, तभी दुगनी हो सकती है आय, अन्यथा तो मुझे लगता नहीं है कि सम्भव होगा।

माननीय सभापति महोदय, कृषि करना आज के जमाने में बहुत बड़ा कठिन कार्य है। कृषि में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिन-पर-दिन कृषि कार्य घटता जा रहा है, क्योंकि गांवों में पानी समाप्त होता जा रहा है, किसान खेती कहां से करेगा? खेती के लिये पानी की आवश्यकता होती है और बांध जो बनाने के लिये योजनाएं आई हैं, शायद वह बनने का हम इंतजार कर रहे हैं चार साल से, हमने लिस्ट भी दे दी थी तो वह कब तक

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बनेंगे? किसान की एक सबसे बड़ी विडम्बना है कि कई-कई दिन तक ट्रांसफार्मर उन्हें समय पर नहीं मिलते और ट्रांसफार्मर लाने, ले-जाने का 700 रुपये किसान को बिल पर जो सब्सिडी दी जाती है, वह आज दिन तक माननीय सभापति महोदय, जो यह टेबल ठोककर वादा करते हैं, मुझे बता दें कि कितने बिलों में 700 रुपये काटे हैं, किसान के बिल में से कटौती की हो तो बता दें। आपने किया है तो क्या काम किया है? वी.सी.आर. काटने का काम, किसान के घर में सर्दी के मौसम में कोई पंखा-कूलर थोड़े चलाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, उनको भी लिस्ट में लिख लेते हैं और सब चीजों का नाम लिखकर बिल, और बिल भी गांव में देने नहीं जाते। किसान को बिल नहीं देने जाते, किसी एक जगह रख देते हैं दुकान पर। (व्यवधान) मैं डिजिटल की बोल रही हूं, सब्र रखो थोड़ा-सा, बार-बार ज्यादा उछलो मत।

"अगर तुम ज्यादा हो तो छोटों से डरना क्या,
बहुमत हो तो चूहे की तरह बार-बार उछलना क्या?"

यह आदत खराब है। किसान को एक दिन भी बिल पर 700 रुपये सब्सिडी नहीं मिली।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कभी भूत-प्रेत आते हैं, कभी चूहे आते हैं। यह क्या हो रहा है? यह चूहे कहां से आ गये माननीय सभापति महोदय?

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): यह चूहे जैसी आदत है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह अपने-आपको बिल्ली समझ रही हैं इसका मतलब। माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह शेरनी हैं, शेरनी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): शेर कहां है?

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): अगर बिल्ली बन गयी तो सारे चूहों को समाप्त कर दूंगी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं मान गया कि यह शेरनी है। इन्होंने कहा है, यह शेरनी है तो शेर कहां है?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): शेर घर पर है।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): शेर वी.आई.पी. है, वह।

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, 2010 में मनमोहन सिंहजी ने वी.सी.आर. भरने का एक्ट बनाया था। इनको यह जानकारी ही नहीं है कि कौन यह एक्ट लेकर आया? (व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, किसने पाप किया, क्या पुण्य किया, आज सरकार आपकी है, आज कानून बदलने का, बनाने का काम आप करते हैं सदन के अन्दर, क्या आप असमर्थ हैं? आप यहां टेबल पर बता नहीं सकते? (व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): सारे उलटे काम आप लोग करो और माफ हम करें? (व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, चार साल के अन्दर...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप मदन राठौड़ क्यों बन रहे हो?

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): वी.सी.आर. को साढ़े छह परसेंट कर दिया। माननीय सदस्या, एग्रीकल्चर के...(व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, चार साल के अन्दर इन्होंने एक ही काम किया है, आकड़े गिनवाते हैं कि तुमने पचास करोड़, हमने पांच सौ करोड़, तुमने तीन करोड़, हमने 20 करोड़, धरातल पर क्या पहुंचा? गांव का किसान तो इंतजार कर रहा है। मुझे तो वह आकड़े बता दो कौनसे किसान के खाते में गया है? कौनसे किसान को डबल समर्थन मूल्य मिला है? मुझे वह बता दें। ...(व्यवधान) यह क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, आपको इनके हिस्से में से मुझे सबकी पांच-पांच मिनट देनी पड़ेगी।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं नोट करवा रहा हूं, माननीय सदस्या को कि 2 हजार रुपये प्रति हार्स पावर के लगता था वी.सी.आर. का 2010 में और हमने ....(व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): अभी तो सुबह-सुबह क्यों गा रहे थे कि हमारी जमीनों की इतनी-इतनी रेट ....(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये। अंकित नहीं हो।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): अब बोल रहे हो माननीय सदस्य यहां पर।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): 000

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सुबह क्यों गिड़गिड़ा रहे थे? सुबह मंत्रीजी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। कस्टोडियन की जमीन को ....(व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): 000

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): 000

**श्री सभापति**: कृपया विराजें। विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य यहीं +++ सुबह। यह कह रहे थे कि इतनी वी.सी.आर. भर दी, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, सुबह तो बोलते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक मिनट माननीय सदस्य, पहले आप विराजें। अंकन नहीं हो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री सभापति**: मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वक्तव्य पूरा होने दें। अभी बोलने वाले माननीय सदस्य बहुत हैं। समय जा रहा है। दो माननीय मंत्रियों को जवाब भी देना है। कृपया व्यवधान नहीं करें। आप जल्दी से अपना वक्तव्य पूरा करें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि 700 रुपये कौनसे बिल में किसान को ट्रांसफार्मर लाने ले जाने की आपने सब्सिडी दी है? इन्होंने एक भी किसान को सब्सिडी नहीं दी है। माननीय सभापति महोदय, इनके जे.ईएन. और ए.ईएन. को मैंने वहां पर कहा कि यह सब्सिडी दी जाती है तो वह आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सब्सिडी दी जाती है? तो यही पता नहीं है तो इसका मतलब अभी सरकार से लिखकर ही नहीं गया। वैसे तो यह कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, प्लीज ऐसा नहीं करेंगे, अन्याय नहीं होना चाहिए मेरे साथ। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब आप बोलो ही नहीं तो, आप तो उलझ रहे हो। (व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): यह लोग क्यों बोलते हैं बीच में?

**श्री सभापति**: आप मेरे को, आसन को सम्बोधित करो। आप अपना वक्तव्य दो, बस।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): यह चूहे की तरह उछल रहे हैं न, इनको तो एक-एक करना पड़ेगा।

**श्री सभापति**: आप चूहे-बिल्ली को छोड़ दो और अपनी बात करो।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): ए.ईएन., जे.ईएन. को निर्देशित करें कि किसान के बिल में से 700 रुपये वह काटे जब भी वह ट्रांसफार्मर लेने के लिए आए तो वह उसको बिल में से उसको दें, सब्सिडी दें और अभी तक किसानों को पुराना खाद दिया गया था, समय पर खाद नहीं मिलता है। अगर किसानों का भला ही करना चाहते हो, बहस नहीं करना चाहते तो किसान के बच्चों को शिक्षा में, आई.टी.आई. कालेज में, इंजीनियरिंग में, बी.टेक, एम.टेक. में जो बच्चे प्री क्लीयर करके जाते हैं, उन्हें वहां पर जो फीस होती है, वह कालेज की माफ की जाए और किसानों के बच्चे की कालेज में फीस नहीं ली जाए और एग्रीकल्चर सब्जैक्ट अनिवार्य करके सभी जगह पर खोला जाए और संसाधनों का जो किसान कर्ज लेता है, उसे भी माफ करने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब आप अपना वक्तव्य जारी रखो न, आप उनको क्यों देखते हो?

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): जो सुबह कस्टोडियन भूमि का चल रहा था, माननीय सभापति महोदय, हर तहसील में कस्टोडियन भूमि है और उनकी खातेदारी बदलने के लिए ....(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजिए प्लीज। कोई अंकन नहीं हो।

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): 000

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): कोई प्रावधान, जब वहां पर धरना चल रहा था, मंत्रीजी ने कहा था और नहीं कहा था, जो भी कुछ है, जो भी वित्तीय अधिकारियों ने यह बैठकर यह नीति बनाई कि 25 परसेंट, 50 परसेंट, साढ़े बारह परसेंट, लेकिन यह एक ऐसी विडंबना है कि जो किसान पीढ़ी दर पीढ़ी उस जगह पर रह रहा है, उसे वह जमीन विरासत में मिली है,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

खुद की है तो यह सदन कानून बनाने के लिए है माननीय सभापति महोदय, तो इसमें राहत दी जाए। दस परसेंट ही प्रत्येक किसान के लिए लागू करके और हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर यह कैम्प लगाये जाएं जिससे कि किसान को फायदा हो सके।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप?

**श्री सभापति**: इतनी जल्दी आपको लगती है, घड़ी तो बार-बार घूम रही है।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): यह मेरा डिस्टर्ब कर देते हैं न इसलिए। किसानों को जब यह, मेरा मतलब इतना-सा है माननीय सभापति महोदय, कि जब किसानों की कोई भी नीति बने तो वह आफिस में बैठकर नहीं बने। वह गांव को, घर और खेत को ध्यान में रखकर किसान की नीति बनानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रासायनिक खाद को जो बहुत अधिक प्रयोग में लिया जा रहा है, यह बाहर से जो खेती करने वाले आते हैं, जो सब्जी उगाने का काम करते हैं, उस सब्जी की लैब में जांच करवानी चाहिए। अगर वह उचित हो तो ही उसे बेचने की परमिशन मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कई बार सब्जी का मूल्य कम होता है तो सब्जी का समर्थन मूल्य भी होना चाहिए जिससे सब्जी किसानों को फेंकनी नहीं पड़े, यह मेरा आपसे अनुरोध है। जंगली पशुओं से, किसानों की जो वन क्षेत्र से लगते हुए हमारे गांव हैं, जंगली पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। बालावास, सबलपुरा, बहराम का बास, रामपुर, हाजीपुर, खरखड़ी, बामनवास, काकड़, मुंडावरा, विजयपुरा, लेकड़ी, होलावास ऐसी पंचायतें हैं जो वन क्षेत्र से लगती हैं। अगर किसान वहां सो गया तो सुबह तक उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। क्यों नहीं नरेगा से तार फेंसिंग करवाई जाए या कोई बाउंड्री वहां पर करवायी जाए? माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि .... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें प्लीज।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): बस, थोड़ी-सी देर। पशुपालन पर तो बोल दूं, दो मिनट, साहब।

**श्री सभापति**: हो गया, पशुपालन का तो आ गया। समय बहुत कम है। अभी बहुत टाइम लग जाएगा।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): पशुपालन का नहीं हुआ साहब। पशुपालन में टीकाकरण का अभियान चलाया जाना चाहिए जिससे कि जो पशु एक किसान के लिए बहुत महंगा होता है, डेढ़ से दो लाख रुपये तक की एक भैंस आती है और उसके मरने पर मुआवजा बिलकुल न के बराबर दिया जाता है तो क्यों नहीं पहले ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में टीकाकरण करवाया जाना चाहिए। सभी गौशालाओं में भी टीकाकरण होना चाहिए।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): जैसे जल स्वावलंबन के लिए मदद ली थी जनता से तो क्यों नहीं सरकार जनता को मदद दे अब गौ-शालाओं के लिए ....(व्यवधान)

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): जिससे पशुओं का, गायों का पालन-पोषण हो सके। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की यह आकड़ों की सरकार है, जो आंकड़ों में काम करती है, आंकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं करती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना यह है, मैं दो लाइन कहूं कि-

"इन्हें अपनी शक्ति पर इतना गुरूर है, एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्लियां बन जाती हैं लेकिन यह ध्यान रहे कि एक तिल्ली जब जलती है तो हजारों पेड़ों को भी जला कर राख कर देती है।"

धन्यवाद।

**श्री सभापति**: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नन्दकिशोर महरिया। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्या श्रीमती सोनादेवी।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आज की डिमांड संख्या-37, 39 एवं 36 पर बोलने का मौका दिया, थैंक्यू, सर।

पिछले चार साल से मांग ही तो कर रही हूं, आज भी मांग कर रही हूं। जो किसान को कर्ज मुक्त कर न सके, वह किसान की मांगें क्या जाने, जो किसान की फसल की कीमत दे न सके, वह किसान का दर्द क्या जाने?

मैं मांग करती हूं कृषि पर कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के खेत

(श्रीमती सोना देवी)

की डिग्गी, एक खेत के साथ दूसरे खेत की डिग्गी पर भी अनुदान दिया जाए। यह मैंने पहले भी मांग की थी, आज भी करती हूं।

जिला श्रीगंगानगर में बीज निगम कार्यालय की स्थापना करने की मैं मांग करती हूं।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में मृदा व भू-जल जांच केन्द्र खोलने की मैं मांग करती हूं।

गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मैं मांग करती हूं।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के किसानों को कृषि यंत्रों की अनुदान राशि बढ़ाने और अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मैं मांग करती हूं।

पंजाब की तर्ज पर किसान को फ्री विद्युत कनेक्शन, थ्री फेज कनेक्शन दिये जाएं, फ्री विद्युत कनेक्शन के साथ उनकी जो बिजली है थ्री फेज की, उनके बिल हैं, वह भी फ्री किये जाएं। 2010 से जो कृषि कनेक्शन की फाइलें, जो 2010 के बाद आठ साल की, 2018 तक की पैंडिंग पड़ी हैं। मैं मांग करती हूं कि वह भी जल्द सुविधा, कृषि कनेक्शन करवाये जाएं, यह भी मैं मांग करती हूं।

29 पीएच से रायसिंहनगर तक दो किलोमीटर की सड़क की मांग करती हूं क्योंकि वहां से किसान ही आते हैं।

इसके साथ ही मैं बेसहारा पशुओं व नील गाय से किसानों को स्थायी निजात दिलाने की मैं मांग करती हूं।

इसके साथ ही पशुपालन की मांग संख्या-39 पर डिमाण्ड करती हूं कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के जो 12 जीबी, 15 जीबी, 7 जीबी, 10 सरकारी, 74 जीबी एण्ड 3 एपीडी में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की मैं मांग करती हूं।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत समेजा कोठी में पशु चिकित्सालय का भवन जो टूटा हुआ है, खण्डहर है, उसके सुदृढ़ीकरण की मैं मांग करती हूं।

रायसिंहनगर व विजयनगर के समस्त ग्राम पंचायतों के सीमावर्ती एरिये में पशु चिकित्सा के स्थायी समाधान की मैं मांग करती हूं। विधान सभा

(श्रीमती सोनादेवी)

क्षेत्र रायसिंहनगर, पंचायत समिति रायसिंहनगर है, ढाई एफडी के गांव के अन्दर पशु चिकित्सालय भवन खोलने की मैं डिमाण्ड करती हूं।

सभापति महोदय, सहकारिता की मांग किसान की है। पिछले साढ़े चार साल से मैं भी मांग कर रही हूं कि किसान को समर्थन मूल्य पर सरसों की जो सरकारी खरीद होनी चाहिए थी, 2017 में सरकार ने एक भी दाना, सरकारी खरीद केन्द्र नहीं खोला, न ही एक भी दाने की खरीद की। मैं मांग करती हूं कि 2018 में आने वाली मार्च की फसल सरसों की जो है, वह रायसिंहनगर के किसान या पूरे प्रदेश के किसानों की सरसों, जौ और चने की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग करती हूं।

प्रदेश में 50 हजार रुपये माफ करने की लघु, सीमान्त पर आपकी जो बात स्टाप हो गयी, मैं इस पर भी मांग करती हूं कि जिस किसान के दादा या उसके फादर के नाम भूमि, जमाबन्दी है, जमीन बोल रही है, उसने भी सहकारिता पर कर्जा ले रखा है। उनके बेटों, पोतों के भी 50-50 हजार रुपये माफ किया जाएं। किसान किस बात की माफी मांगता है मैं मांग करती हूं इस सदन के माध्यम से कि किसान को कर्ज मुक्त किया जाए। किसान को सम्पूर्ण कर्ज मुक्ति चाहिए। इस सदन के माध्यम से मैं यह मांग करती हूं कि किसान को किसी भी बात की माफी नहीं चाहिए। किसान ने कर्जा लेकर पूरी दुनिया का पेट पाला है, न कि किसान ने अपने पर्सनल जीवन के लिए कर्जा उठाया है। मैं यह मांग करती हूं कि किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, न कि किसान को माफ किया जाए। किसान को साढ़े चार साल बाद कर मुक्त करने की जो बात आपने कही है, साढ़े चार साल बाद आपको कर मुक्त करने की बात याद आयी है क्या? यह तो आपकी चुनावी घोषणा है, आपके बजट की। मैं मांग करती हूं कि साढ़े चार साल पहले का जो कर है, चाहे वे सिंचाई वाले किसान हैं, चाहे वह रबी की फसल है या खरीफ की फसल से जो कर जमा कराया है इन साढ़े चार सालों में, वह भी माफ किया जाए।

सहकारिता में रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के किसानों की सोसायटी बैंक के काश्तकारों को, माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक जिले में, अलाउ किया था कि आप ऐसे प्राथमिक काश्तकारों को दस-दस हजार रुपये, जिन्होंने कभी खाता नहीं खुलवाया, उनको बिना ब्याज ऋण देंगे। मैं वह लिस्ट जानना चाहती हूं कि वह लिस्ट कहां हैं? कौनसे काश्तकार को आपने दस-दस हजार

(श्रीमती सोना देवी)

रुपये माफ किये? मेरे रायसिंहनगर की आप लिस्ट बता दो। मैं जान जाऊंगी कि आपके एमडी, श्रीगंगानगर के घपले हैं या किसी प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं। मैं एमडी के नाम जानती नहीं हूं। वह कौन हैं, क्या हैं? कार्यवाही होनी चाहिए। यह भी मैं मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के किसानों के देय ऋण राशि की सीमा बढ़ाने और बिना ब्याज के अल्पकालीन ऋण दिये जाने की भी मैं मांग करती हूं।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के तरतार शहर में सहकारिता भवन खोले जाने की मैं मांग करती हूं।

मंत्री महोदय, विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में भूमि विकास बैंक से जिन किसानों ने ऋण ले रखा है, उनकी ब्याज में जो छूट पिछले वर्ष में दी जा रही थी, वह छूट किसानों को इस वर्ष बजट में दिये जाने की मैं मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय को, अगर आप दीपक हैं, तो उस दीपक की तरह बनिये जो गरीब की झोंपड़ी में वैसी ही रोशनी देता है, जो एक शहंशाह के महल में रोशनी देते हैं। दीपक का हवाला दिया था इसलिए मैं मांग करती हूं कि उस दीपक की तरह आप भी बनिये। लघु और सीमांत पर आप स्टाप मत होइए। सभी को एक बराबर कर्ज मुक्त कीजिए। मैं यह मांग करती हूं। वैसे तो मैं यह कहना जरूर चाहूंगी कि साढ़े चार वर्ष से मैंने यही सुना है, आपने क्या किया, आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया? मैं इस सदन के माध्यम से दावे के साथ कहती हूं कि आपकी और आपकी एक ही बात है। एक देवरानी है तो एक जेठानी है। किंगी आनी, और को जाणी, अब तो सरकार गिरे ही आणी। ऐसी नीति आप दोनों की है। मैं मांग करती हूं कि ऐसी नीति नहीं हो। यह बार-बार आसमान में उड़ रहे हैं कि हमने यह किया, वह किया।

"मत उड़ इतना आसमान में,
ऐ मत उड़ो इतना आसमानों में,
क्योंकि आसमानों में सीढ़ियां नहीं होतीं
और मौत के दफ्तरों में कभी छुट्टियां नहीं होतीं।"

मैं आपको यह बताना चाहूंगी।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नवीनजी पिलानिया।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि और सहकारिता पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत लम्बी बात रखी है क्योंकि ये दोनों ही विषय बहुत गम्भीर हैं। किसान से जुड़ा हुआ और कर्ज माफी से जुड़ा हुआ है। मेरी पार्टी की तरफ से मैं अकेला एक व्यक्ति बोल रहा हूं। कृपा करके मुझे पर्याप्त समय दें, यह विनती करता हूं।

**श्री सभापति**: देखिए, समय तो सबके लिए समान है।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): सबके लिए समान कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी का अलग समय है, मेरी पार्टी का अलग समय है। मेरे चार विधायक हैं। चार विधायकों में से एक विधायक बोल रहा है। आज जो हालात हैं किसान का खेत सूखा है, उसका पेट भूखा है, उसका बेटा बेरोजगार है, उसके परिवार को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, उसकी पगरखी में कारियां लगी हुई हैं, उसकी जमीनें हैण्ड पड़ी हैं और उसका सिर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। यह हालात हैं सभापति महोदय। इसलिए मुझे पर्याप्त समय चाहिएगा कि मैं किसान की बात रख सकूं। आज जिस तरीके से किसान रो रहा है और आत्महत्या कर रहा है। इस कृषि विभाग और सहकारिता विभाग का जरा मुझे एमआरआई स्कैन करना जरूरी हो जाएगा वरना यहां तो वाहवाही की बात हो रही है। मैं सीधा उस बात पर आता हूं।

इस साल में जो बजट प्रावधान किया है कृषि विभाग के लिए। वह 6744 करोड़ का है और इसमें भी 02 हजार करोड़ कर्ज माफी का आंकड़ा जुड़ा हुआ है। उसे घटा देते हैं तो यह 4744 करोड़ ही रह जाता है। पिछले साल का मध्य प्रदेश का जो बजट था उसमें 33564 करोड़ का कृषि का बजट था। हमारा पड़ौस का राज्य है और हम इस साल का बजट कर रहे हैं 6744 करोड़ रुपये का तो किसान के हालात कैसे सही हो सकते हैं? उन्होंने 19 प्रतिशत एग्रीकल्चर के लिए बजट रखा है और हमारे यहां 06 प्रतिशत है। यानी एक तिहाई है और अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी इनकी सरकार थी। जब पिछले साल इनकी सरकार थी, बादल गवर्नमेंट में जो आंकड़ा है 6383 करोड़ से बढ़ाकर कृषि का आंकड़ा 10580 करोड़ पर पहुंचाया। 66 Percent was the increase in agriculture sector in Punjab. इसी से समझ में आता है कि

(श्री नवीन पिलानिया)

हमारे यहां परेशानी क्या है। यह बहुत चौंकाने वाली बात है। मैं जरा आपको पढ़कर बताऊं इस टेबल में। ईयरवाइज रिवाइज्ड प्लान, जो 2016-17 का था कृषि के लिए, वह 5044 करोड़ का था और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जब किसान रो रहा है तो उसको घटाकर इस 2017-18 में रिवाइज्ड में घटाया, 4428 करोड़ किया। यानी पिछले साल से 616 करोड़ कम खर्च। कृषि मंत्री महोदय, यह हालात हैं।

मैं इस बात पर आता हूं। प्रधान मंत्री, केन्द्र सरकार की स्कीमों का उल्लेख करके बताता हूं। प्रधान मंत्री कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे और 2022 तक वह सपना देखेगा। जो आत्महत्या कर रहा है वो 2022 तक इन्तजार करेगा? तो उन योजनाओं का क्या हाल है? उन योजनाओं का यह हाल है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि मंत्री महोदय, उसमें 520 करोड़ का प्रावधान था, जो आप खर्च कर पाये हैं 520 करोड़ में से 167 करोड़, यानी 353 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाये। केवल 32 प्रतिशत खर्च हुआ है। इसी तरीके से जरा राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन की बात कर लें। 60 करोड़ का प्रावधान था, आपने 15 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें 330 करोड़ का प्रावधान था इस साल का और खर्च हुआ है, माननीय कृषि मंत्री महोदय, इससे ज्यादा अफसोस नहीं हो सकता, साहब, 17 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यह बात कर रहे हैं हम प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएमकेएसवाई की। 330 करोड़ का प्रावधान और आप खर्च कर रहे हैं 17 करोड़ रुपये, केवल 5 प्रतिशत खर्च किया है।

हां, मदन जी, हंसने की बात तो है ही ये, इसमें क्या बात है। यह तो मजाक बना दिया, किसानों का मजाक बना रखा है।

जरा उद्यानिकी की बात कर लें, उद्यानिकी की बात करते हैं।

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): ये फिगर कहां से लाये हो?

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): इनकी किताबों में दर्ज है, पिछला जो फिगर बोला है वो 55 नम्बर पन्ने पर है, उससे पहले जो बोला था वो 54 नम्बर पन्ने पर है। (व्यवधान)

(श्री नवीन पिलानिया)

मैं आपसे फालतू की जिरह नहीं करना चाहता, आप मेरा वक्त जाया नहीं करें। मैं उतना ही वक्त फालतू लूंगा। (व्यवधान) दिसम्बर माह तक के हैं, श्रीमान् जी।

उद्यानिकी की बात करता हूं। 388 करोड़ का बजट था, 141 करोड़ ...(व्यवधान) अब इनके परेशानी होनी चालू हो गयी।

**श्री सभापति**: आप उनको क्यों देखते हो, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले जो आंकड़ा बताया था वो प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का बताया था।

**श्री सभापति**: प्लीज।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): अब मैं एक आंकड़ा और बता रहा हूं। यह उद्यानिकी में है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई का, 140 करोड़ का प्रावधान था, माननीय मंत्री महोदय, इसमें भी आप 17 करोड़ के आंकड़े पर ही अटक गये। यह हालात हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात कर लें, 98 करोड़ में ...

नहीं, सभापति महोदय, यह अन्याय मैं नहीं सहन करूंगा। आप किसानों के ऊपर मेरे को नहीं रोक सकते। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): साहब, यह बात बिलकुल गलत है। व्यवधान)

98 करोड़ में से केवल 15 करोड़ रुपये खर्च कर पाये हो, ओनली 15 परसेंट और जरा मैं आपको होर्टिकल्चर का दर्पण दिखा दूं। मैं आपको जरा होर्टिकल्चर का दर्पण दिखाता हूं। जो अभी बताया था 140 में से 17 करोड़ और इसमें भौतिक लक्ष्य बताता हूं, जरा देखिये। बूंद-बूंद सिंचाई, जिसे ड्रिप इर्रिगेशन बोलते हैं, अधिक अन्तराल वाली, 2014-15 में ये 11,500 हैक्टेयर में विकसित की। 2015-16 में ये घटकर 6000 हैक्टेयर पर आ गयी और 2016-17 में यह घटकर 3378 हैक्टेयर पर आ गयी और इस साल का अचम्भा देखियेगा, 2017-18 में 1713 हैक्टेयर पर आ गयी है। मजाक नहीं है क्या? यह हो क्या रहा है?

एक मिनट। जरा फव्वारा सिंचाई यंत्र का तो सुन लीजिए। फव्वारा

(श्री नवीन पिलानिया)

सिंचाई यंत्र की स्थापना पिछले साल 32,463 थी और इस साल 32,463 के एवज में 8152 है। माननीय सभापति महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है ये कृषि विभाग के जो अधिकारी और लोग बाग हैं, ये प्रधान मंत्री जो कहते हैं उस बात को, जुमले को ये सही साबित करने में लगे हुए हैं क्योंकि उनका तो यह कहना है कि 'सबका साथ और सबका विकास' हो जायेगा।

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): समाप्त कैसे कर सकते हैं, मैं कर्ज तक तो पहुंचा ही नहीं।

**श्री सभापति**: कैसे कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा यहां।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): मैं कृषि विभाग से ही नहीं निकल पाया हूं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, साहब, यह नहीं होगा। ये अन्याय नहीं हो सकता। एक मिनट। अभी तो कृषि विभाग के दुनिया भर के कागज हैं। सहकारिता मंत्री बैठे हुए हैं। इस दफे सदन में तो केवल कर्ज माफी की बात हुई है। जरा ध्यान से देखिये। (व्यवधान)

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): मैं कम बोली थी, मेरा समय दे दीजिए।

**श्री सभापति**: आप विराजें। ये आपका विषय नहीं है।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय सभापति महोदय, कर्ज माफी से पहले मैं सदन को एक बात अवगत कराना चाहता हूं।

जो ब्याजमुक्त फसली ऋण है उसमें क्या दशा हुई है जब से यह सरकार में आये हैं। मंत्री महोदय, 2014-15 में 16,017 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण आपने बांटे, 2015-16 में वो घट गये 576 करोड़ और वो पहुंच गये 15,441, फिर 2016-17 में वो और घट गये, उसमें 1,900 करोड़ और घट गये और 2016-17 में आप पहुंच गये 13,540 करोड़ पर और इस साल अभी तक आप पहुंचे हैं 11,747 करोड़ पर। 2014-15 से 2017-18 में आपने 4270 करोड़ रुपये के कम फसली ऋण बांटे हैं। ये तो हालत है फसली ऋण की।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आना चाहता हूं जो कर्ज माफी की बात थी।

**एक माननीय सदस्य**: बस हो गया।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): घबराते क्यों हो? अगर ठोस चीज की है तो सुनने का माद्दा रखिये ना। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कुल कृषकों की संख्या है, मंत्री महोदय, इस पर गौर फर्माएयेगा। राजस्थान में कुल कृषकों की संख्या जो है, वो 1,36,18,870 है। उसमें से 15 लाख 11 हजार लघु हैं, 25 हजार 11 सीमांत हैं, इनको जोड़ते हैं तो जो आपने कर्ज माफी की है वो होते हैं लघु और सीमांत 40 लाख 22 हजार किसान। (व्यवधान) साहब, मैं जो बोल रहा हूं आप बाद में वो करते रहियेगा।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): नहीं, समाप्त कैसे करेंगे ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं कर दूंगा समाप्त।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): नहीं, नहीं।

**श्री सभापति**: नो, नो।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): नहीं, नहीं। मैं कर्ज माफी पर बोलूंगा।

**श्री सभापति**: आपके कहने से थोड़ी होगा कोई समाप्त।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): मैं कर्ज माफी पर बोलूंगा।

**श्री सभापति**: एक मिनट का टाइम है, आप समाप्त करें तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): नहीं, नहीं। आप मुझे पांच मिनट दीजिए।

**श्री सभापति**: नो, नो, पांच मिनट नहीं मिलेगा।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): पांच मिनट बाद में मैं समाप्त कर दूंगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति**: मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): 1 करोड़ 36 लाख टोटल कृषक हैं, आपने कर्ज माफी की है 22 लाख किसानों की, जो लघु और सीमांत हैं वो भी 40 लाख 22 हजार हैं और जो अर्ध मध्यम और मध्यम हैं, टोटल मिलाकर 1 करोड़ 36 लाख किसानों में से जो आपने 22 लाख किसानों की कर्ज माफी की है, केवल 16 प्रतिशत टोटल कृषकों की कर्ज माफी की, आपने अभी जो घोषणा की है। केवल 16 प्रतिशत, इस कारण से किसान के साथ आपने धोखा

(श्री नवीन पिलानिया)

किया है, किसान को गुमराह किया है और किसान के साथ अन्याय किया है। इस कारण से वो सड़कों पर उद्वेलित होकर घूम रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और इसके साथ-साथ 34 लाख के केसीसी कार्डहोल्डर हैं 34 लाख, उनका जिक्र ही नहीं है इसके अन्दर। तो यह किस तरह की कर्ज माफी है?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): नहीं, माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): एक चीज।

**श्री सभापति**: हां, एक चीज कह दें बस।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): एक गलती है, इनके डाकूमेंट में एक गलती है। इनके डाकूमेंट में यह लिखा हुआ है, जो कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए बजट का प्रावधान है, उसमें दूसरे नंबर बिंदु पर लिखा है, इसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना की राशि 758 करोड़ शामिल है। मैं जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय तो गायब हो गए। मैं कह रहा हूं, मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू ही नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह विभाग कर क्या रहा है? This is not in existence.

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य नन्दकिशोर जी महरिया।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): नहीं, नहीं, माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: बोलिए आप। आप सुन नहीं रहे हैं, दूसरी बार आपका नाम पुकार रहा हूं। नन्दकिशोर जी महरिया, दूसरी बार पुकार रहा हूं।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): पिछले साल भी यह लिखा गया था...एक सैकण्ड, माननीय सभापति महोदय, यह अन्याय हो जाएगा, यह किसानों के साथ...

**श्री सभापति**: नन्दकिशोर जी महरिया, तीसरी बार पुकार रहा हूं।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): यह किसानों का गला घोंटने की बात होगी। यह किसानों का गला घोंटने की बात होगी।

**श्री सभापति**: नन्दकिशोर जी।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): महरिया साहब, एक मिनट। पहले जब

(श्री नवीन पिलानिया)

आपने यहां नाम पुकारा था, तब महरिया साहब यहां मौजूद नहीं थे। मेरी बात मुझे कन्क्लूड करने दीजिए। एक बिंदु पर कन्क्लूड करने दीजिएगा मुझे।

**श्री सभापति**: करिए, करिए, जल्दी।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): एक विज्ञापन निकला, बजट के ऊपर सूचना एवं जन संपर्क विभाग से। इसमें जो दिया हुआ है, वह गलत है, भ्रमित करने वाला है। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं...एक मिनट। यह सही होना चाहिए। इसमें दिया है, सौर ऊर्जा पंपों पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में दिए जाने वाले अनुदान...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निवेदन यह कर रहा हूं, कई अध्यक्षीय व्यवस्थाएं इस प्रकरण में दी गई हैं कि किसी भी समाचार पत्र को उद्धृत करके समाचार पत्र के आधार पर कोई भी मामला सदन में नहीं उठाया जा सकता।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): यह सरकार का एड है, सरकार का एड है। सरकार एड जारी कर रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति**: यह अंकित नहीं होगा। श्री नन्दकिशोर जी महरिया। मैं नाम दूसरा पुकार रहा हूं। श्री नन्दकिशोर जी महरिया, दूसरी बार...

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): मांग संख्या...

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): 000

**श्री सभापति**: अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): 000

**श्री सभापति**: श्री नन्दकिशोर जी महरिया।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): मांग संख्या-36, 37 और 39 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): 000

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): जब भी कृषि, पशुपालन की बात आती है, सर मैं पूरी कर दूं अपनी बात...

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): 000

**श्री सभापति**: बोलिए, बोलिए।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): जब भी कृषि, पशुपालन की बात

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

आती है तो किसान तथा उसकी आय की बात होना आवश्यक है। किसानों की आय व विभिन्न क्षेत्रों के बीच दूसरे लोगों की आय में तुलना करना बड़ा आवश्यक है। विशेषज्ञों ने जब तुलना की 1970 से 2015 तक की तो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। 1970 में गेहूं का खरीद मूल्य 76 रुपए प्रति क्विंटल था, 2015 में 1450, 19 फीसदी वृद्धि। इसी अवधि में केन्द्रीय कर्मचारियों का औसत वेतन, महंगाई भत्ता 110 से 120 गुना बढ़ा, शिक्षकों का 280 से 320 गुना, यूनिवर्सिटी शिक्षकों का 150 से 170 गुना और कारपोरेट सैक्टर के मध्य 350 से 1000 गुना वृद्धि हुई। मजे की बात यह है कि राज्य सरकार में भी महंगाई भत्ते में 10 सालों में 137 फीसदी वृद्धि की गई। किसानों को उत्पादन लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देने की बातें हुईं, लेकिन बिल्कुल खोखली रहीं। अचम्भे की बात तो तब हुई, जब 2018-19 के केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्रीजी ने यह कहा कि हम रबी की फसल पर 50 प्रतिशत मुनाफा दे चुके, जबकि हालात ये हैं कि पूरे देश में 6 प्रतिशत भी समर्थन मूल्य पर फसलें नहीं खरीदी गईं और 50 परसेंट मुनाफे की बात तो बहुत दूर की है, अपना जो समर्थन मूल्य है, उसको भी एफसीआई खुद कह रहा है 2015-16 में कि गेहूं की उत्पादन लागत ही 2408 रुपए है। उसके हिसाब से डेढ़ गुना तो 3600 पर पहुंचता है, जबकि 6 प्रतिशत भी यहां खरीद नहीं पाए तो इस तरह की घोषणाएं, इस तरह की बातें होना ठीक नहीं है। किसान अपने बजट में बहुत आस लगाए बैठा था। कर्ज माफी हुई, लेकिन वह इतनी आंशिक हुई है कि हमारे सारे कामर्शियल बैंकों के जो किसान हैं, जिन्होंने वहां से केसीसी बनवाया है, वह सब छूट गए, उनका कोई दोष नहीं है और सहकारी बैकों में भी भूमि विकास बैंक के जो हमारे 90 हजार लघु और सीमांत किसान हैं, 725 करोड़ के करीब लोन हैं, वे छूट गए। सहकारी बैंक के केसीसी वाले भी छूट गए और सोसायटीज के जो हैं, उसमें भी मध्यम, बड़े सारे किसान छूट गए। सिर्फ लघु और सीमांत किसान सोसायटी के लिए यह प्रतिशत बहुत कम है। यह जो किसानों में भेदभाव हुआ है और उनको बांटा गया है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। इसको मैं अब फिर मांग करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण किसानों की कर्जा माफी की जाए, क्योंकि अभी जैसाकि मंत्रीजी बताते हैं, 68 लाख जोत अपने प्रदेश में है, 8 हजार करोड़ रुपए की जो बात है, यह तो मात्र 11764 रुपए का एवरेज आएगा प्रति किसान, जबकि संसद में अपनी राजस्थान की जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसमें 70500 रुपए 40 लाख

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

परिवारों पर कर्ज बताया गया है, तो 58 हजार तो फिर घाटे में रह गया। एमएसपी पर खरीद का स्थायी तंत्र विकसित करने की बातें हुई थीं, संकल्प पत्र में भी हुई थीं। आज तक उसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है और संकल्प पत्र के पैरा नंबर 6 पर यह भी कहा गया था कि बोनस की राशि उपज के अनुसार किसानों के खाते में जाएगी। एक रुपया भी बोनस का आज तक किसानों के खाते में नहीं गया है।

इसके अलावा सिंचाई की बातें कृषि से जुड़ी हुई हैं। अभी जो अपना बजट आया, उसमें सिंचाई की काफी बातें हुईं और इतनी बातें हुईं कि जितना बजट दिया गया, उससे 1100 गुना घोषणाएं हो गईं। सिंचाई का प्रबंध जरूर करना पड़ेगा। अपने यहां जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, हमारे शेखावाटी क्षेत्र में जिस तरह की फसलें रेगिस्तानी क्षेत्र में बोई जा रही हैं और उनमें पानी की जो खपत तथा दोहन है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वगैरह को टाइट करने की जरूरत है कि किस एरिए में कौन-सी फसल बोई जाए।

आज एमजेएसए की हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे शेखावाटी क्षेत्र में 42 प्रतिशत अधिक कुए सूख गए पिछले साल से, तो यह होता रहेगा, जब तक दोहन अधिक होता रहेगा। इसको रोकना चाहिए। सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। इसके लिए कम से कम 20 फीसदी कृषि विकास दर की जरूरत है और यह दर है 2.01 फीसदी। अब यह आय कैसे डबल होगी, कहीं ऐसा न हो कि आत्महत्याएं डबल हो जाएं।

प्रधान मंत्रीजी ने खुद 5 दिसम्बर को मन की बात में कहा कि मृदा जांच से 4 गुना तक गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि राजस्थान में 77 लाख सोइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवा दिए बता रहे हैं, यहां उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है? किसान कल्याण योजना में सहकारिता मंत्रीजी, 20 लाख तक का ऋण दिया जाता था। एक अफसर ने आदेश निकाला और 10 लाख कर दिया। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, सबकी समझ से परे है।

आवारा पशुओं की जो स्थिति है, पूरे प्रदेश में आज न किसान, न राहगीर, न व्यापारी, न शहर में रहने वाला कोई आराम से रह पा रहा है और

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

किसान 2-3 महीने अपनी फसल की पूरी रखवाली करता है और एक दिन में वे चट कर जाते हैं। इसके लिए किसी तरह का प्रावधान अब तक सामने नहीं आया है और बाकी जो पशु हैं हमारे, 4 साल, 5 साल पहले 24 रुपए किलो दूध होता था और आज 18-19 रुपए किलो बिक रहा है, उससे किसान को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो खल 500 रुपए में मिल रही थी, वो आज 1100 में ही मिल रही है।

किसान जो चीज बेचता है, क्या सिर्फ उसी के भाव कम होने हैं? आज स्कूल की फीस जो है पिछले 15 साल में 300 गुना बढ़ गई। मेडिकल पर खर्चे 400 गुना बढ़ गए और किसान के हालात वही हैं। किसान सब कुछ थोक में बेचता है, खुदरा में खरीदता है और नुकसान पर नुकसान उसे हुआ जा रहा है। फसल बीमा योजना में किस तरह से प्राइवेट कंपनियों ने, 11 कंपनियों ने 14 हजार करोड़ रुपए कमाए हैं। किसान को कुछ नहीं मिला। हमारे क्षेत्र में फसल बीमा भी सिर्फ गेहूं का कर रहे हैं। लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर क्षेत्र जो है, बाकी फसलों का कर ही नहीं रहे। बोले, यह 500 हैक्टेयर में नहीं बोई, 3000 हैक्टेयर में नहीं बोई तो यह किसान का काम थोड़े ही है कि वह 500 हैक्टेयर में अकेला बो दे। आज कोई एक आदमी मेडिकल इन्श्योरेंस कराता है या कोई एक व्यक्ति मोटर साइकिल का इन्श्योरेंस कराता है तो उससे यह थोड़ी पूछा जाता है कि जिले में कितनी मोटर साइकिल हैं, तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें सारी फसलों को शामिल करना चाहिए और अगर यह योजना अच्छी है तो इसको स्वैच्छिक करना चाहिए ना। कमीशनखोरी के चक्कर में इसको अनिवार्य कर रखा है।

अभी फसलों को, कई उत्पादों को हमारे समर्थन मूल्य में शामिल करने की बात हो रही थी और बार-बार पूछा गया तो यही जवाब आया कि केन्द्र को चिट्ठी लिखी गई है। जब संविधान की सातवीं अनुसूची में साफ लिखा है कि कृषि राज्य का विषय है तो हमें कौन मना कर रहा है उनको शामिल करने से? हम किसी भी फसल को चाहें तो हमारे स्टेट में समर्थन मूल्य की फसलों में शामिल कर सकते हैं, ऐसा संविधान ने हमें अधिकार दिया है। केरल आपकी कमेटी गई थी और केरल में रबड़ को केरल स्टेट ने समर्थन मूल्य में शामिल कर रखा है, उनको कोई मना करने वाला नहीं है।

अभी जो बजट में घोषणाएं हुई उनमें कई बड़ी घोषणाएं हैं। जल हौज निर्माण पर 90 हजार तक का अनुदान दिया गया है...

**श्री सभापति**: कन्क्लूड करें माननीय सदस्य।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): लेकिन यह जो अनुदान है, सभापति महोदय, मात्र 5 करोड़ का है यानी कि सिर्फ 600 किसानों को मिलेगा।

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): 600 किसानों को मिलेगा, मतलब एक विधान सभा क्षेत्र में तीन किसानों को अनुदान मिलेगा। यही हालत हमारे शेडनेट और ग्रीन हाउस के मामले में है। 320 किसानों को पूरे प्रदेश में अनुदान मिल पायेगा जो कि प्रति विधान सभा क्षेत्र डेढ़ भी नहीं होता है। वो शेडनेट और ग्रीन हाउस है उसमें सीमांत किसान को 70 प्रतिशत किया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि वो इतना महंगा मिल रहा है जब हम उन वेंडर्स के थ्रू जाते हैं तो वो 6 लाख रुपया सीमांत किसान तो नहीं दे पायेगा।

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): एक मिनट। लास्ट में मैं दो ही बातें कहना चाहूंगा कि हमारे यहां अगर हम वाकई किसान का भला चाहते हैं तो नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरम्भ करने हेतु राजस्थान कृषि मण्डी अधिनियम, 1963 के नियम 64 (3) में संशोधन किया जाए और यह घोषणा की जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई उपज नहीं बेचेगा।

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): यह जो कांग्रेस-बीजेपी का हमारे एक युवा, बायतू वाले साथी बोल रहे थे, वो 41-42 साल के होंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा कि 41 साल में एक साल राष्ट्रपति शासन के अलावा 20 साल बीजेपी रही है और 20 साल कांग्रेस रही है इसलिए इस बहस में नहीं पड़कर प्रदेश के विकास की बातें की जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री प्रभूलाल जी सैनी, कृषि मंत्री, प्रत्युत्तर देंगे।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): आपको थोड़े ही बोलना है? गुरुजी अपन तो रोज ही बोलते हैं।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। दो मिनट ही बोलूंगा मैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सीनियर मैम्बर हैं, दो मिनट दे दो। दो मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे अत्याचार मत करो माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज कृषि, पशुपालन मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 पर सदन में बहस चल रही है। आज कुल 17 सदस्यों ने, मैं तो समझता हूं कि पहली बार सभी माननीय सदस्यों ने किसानों की चिन्ता करते हुए सकारात्मक सुझाव दिये हैं। मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 पर 124 और मांग संख्या 39 पर 117, कुल 241 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के द्वारा विभाग का ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 24 घंटे में उनके लिखित उत्तर उनके स्वयं के पते पर भिजवाने की मैं कोशिश करूंगा। अभी आपको कितना सुना, अब थोड़ी हमारी भी सुनें।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से किसान, गांव और गरीब, सभी राजनीतिक दलों का एजेंडा होता है कि उनके हितों के बारे में जो-जो भी सरकारें होती हैं वो कल्याणकारी योजनाएं बनाकर किसान की बहबूदी और किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करती हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिनकी जैसी दृष्टि है उनको सारी सृष्टि वैसी की वैसी नजर आती है। यदि हम यह कोशिश करें कि नकारात्मक सोच से किसी भी चीज को देखना है तो नकारात्मक ही दिखती है और यदि हम सकारात्मक दृष्टि से सोचें, आधा गिलास भरा था या आधा खाली था, यह अपने-अपने विचारों पर निर्भर करता है। माननीय सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी, माननीय महरिया जी ने भी, खासतौर से आंकड़े बताने वाले आंकड़े पढ़कर चले गये उन्होंने भी, बजट के बारे में, खर्चे के बारे में अपने-अपने सुझाव दिये भी और जितना खर्चा हुआ उसका भी उल्लेख किया है। इससे पहले माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोक सभा हो चाहे विधान सभा हो, आज हम देखें कि 14 बार विधान सभा के चुनाव हुए, 14वीं विधान सभा चल रही है, 86 प्रतिशत के लगभग किसान परिवारों से लोग चुनाव जीतकर आते हैं। लोक सभा में भी आते हैं, विधान सभा में भी आते हैं लेकिन 200 में से जब चर्चा होती है तो मात्र 17 माननीय सदस्य इसमें भाग

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लेते हैं, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है और मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि किसानों से जुड़ा विषय जो है।

**(19.56 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नजर देख तो लो साहब। मैं कल ही किसानों के बारे में एक लेख को पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आज मीडिया से लेकर राजनेताओं ने किसान से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साध ली है। भारत भले ही गांवों में बसता है लेकिन इसके कर्णधार गांवों में नहीं बसते हैं। न गांव उनके मन में है और न उनके मन में बचा है। सत्ता की लगाम की अन्तिम छोर भले ही गांव में पड़ी हुई है लेकिन उसको कसने वाली मुट्ठियां किसान की नहीं, उद्योगपतियों और नेताओं की हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां आकर हम इस प्रकार के सुझाव देने का प्रयास भी करते हैं या सरकारों को, एक-दूसरे को ऊंचा दिखाने की बात भी करते हैं। किसान होने के नाते मेरी सभी से यह अपील करना है कि अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में तो कम से कम जाकर सरकारी जितनी योजनाएं ठीक चलाई जा रही हैं, इतनी बड़ी किताब में कमियां देखने का कोई काम करता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसमान में चील जितनी ऊंची उड़ती है उतनी कोयल भी उड़ती है लेकिन कोयल जब देखती है तो बाग़-बगीचे देखती है और चील जब उड़ती है तो चूहे देखती है कि मरा हुआ कहां मिलेगा। यह उसकी सोच पर डिपेंड करता है। इस किताब में बहुत सारी चीजें थीं।

जिस प्रकार बजट के बारे में कहा गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपडेट करना चाहूंगा 25 फरवरी, 2018 तक का। एग्रीकल्चर स्टेट प्लान में 77.80 प्रतिशत राशि अब तक खर्च हुआ है। यह जो किताब है, इसमें थोड़े दिन पुराने आंकड़े इनके पास में हैं। RACP (Rajasthan Agricultural Competitiveness Project) में 43.81 प्रतिशत खर्च हुआ है। मिशन एण्ड सैण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम में 45.51 प्रतिशत जिसमें NAMSA भी है, MNOOP भी है, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना भी है। यदि हम इस योजना के अन्तर्गत देखें तो 45.51 परसेंट अब तक खर्चा हुआ है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 63 परसेंट हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि होर्टिकल्चर की बात करें तो होर्टिकल्चर स्टेट प्लान में 77.66 प्रतिशत, होटिकल्चर मिशन एण्ड सैण्ट्रल

(श्री प्रभू लाल सैनी)

स्पोन्सर्ड स्कीम 41.87 और यदि हम टोटल होर्टिकल्चर में देखें तो 53.53 परसेंट का अब तक खर्चा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारी सारी योजनाएं जो हैं, इन सारी योजनाओं में आनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं और इन योजनाओं के माध्यम से अनुदान के साथ-साथ किसान का शेयर भी जमा होता है। शेयर जब किसान समय पर जमा नहीं करा पाता तो इसके कारण से विलम्ब होता है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अधिक से अधिक बजट मार्च तक खर्च हो, उनका भुगतान हो, पैण्डिंग कितनी लाइबिलिटीज हैं उनको हम लोग देखेंगे और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसकी तरफ भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा आबंटित बजट समय पर खर्च हो।

**(20.00 बजे)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अभी कई माननीय सदस्यों ने, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने खेजड़ी के बारे में, सांगरी के बारे में, कैर के बारे में सुझाव दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार लघु वन उपज मण्डी की स्थापना उदयपुर में हम लोगों ने की है और जितनी भी ऐसी वन उपज हैं, उन सारी वन उपज का रेगुलेटिंग मार्केट के रूप में, वहां पर इसका केन्द्र बना रखा है और हम लोग अब एक कोशिश करेंगे कि लगभग जिन मण्डियों के अन्तर्गत धारा-2 में जो माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस में शामिल नहीं है, उसको भी जोड़ने की कार्यवाही हम करेंगे। अब सभी मण्डियों में भी औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे और वनौषधियां वगैरह बिके, ऐसी व्यवस्था का मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा और मैं यह कहना चाहूंगा कि समय की आवश्यकता तथा किसान के लिए खेजड़ी की उपयोगिता को देखते हुए खेजड़ी के संवर्द्धन के लिए अनुसंधान तथा तकनीक हस्तान्तरण के लिए प्राथमिकता पर प्रयास करने की मैं घोषणा करता हूं और इस हेतु बीकानेर, जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के पर्याप्त मात्रा में प्लांटिंग मैटेरियल की उपलब्धता, कीट नियंत्रण तथा सांगरी के मूल्य संवर्द्धन तथा प्रसंस्करण पर रिजल्ट ओरियंटेड अनुसंधान करते हुए तकनीक के प्रचार-प्रसार पर भी कार्य किया जायेगा। इसके लिए केन्द्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान और काजरी से भी सहयोग

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आज पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, विश्व में यदि हम देखें, न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो कैर-सांगरी का इतना बड़ा प्रचलन बढ़ा है और मैं समझता हूं, यदि इस खेती की शुरूआत और अधिक आगे बढ़ाकर करेंगे तो हमारे किसान की आमदनी दुगुनी हो सकेगी। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और भीण्डर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने मुझे सुझाव दिया। वेटेरिनरी कालेज, लवाणिया, उदयपुर, इनके 41 छात्र ऐसे थे, 2013 में इनका एडमिशन हुआ था लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2010 में वीसीआई, वेटेरिनरी कौंसिल आफ इण्डिया के रेगुलेशन के आधार पर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने के कारण मान्यता नहीं दी गई और यह कहा गया कि जब यह मान्यता पूरी हो जायेगी तो इसको हम रेगुलर कर देंगे। ये जो सूची है, वीसीआई की प्रथम सूची में ये शामिल नहीं होने के कारण से उनका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2015-16, 2016-17, 2017-18 में वीसीआई ने इस वेटेरिनरी महाविद्यालय को अनुमति दे दी है और 2013 और 2014 के बीच में जिन्होंने अध्ययन हेतु प्रवेश लिया था, ऐसे 41 के लगभग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जल्दी ही उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। अस्थाई रूप से करके उनको आगे शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति हम देंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

एक और मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोगारामजी, हमारे लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने खरीफ 2016 की फसल बीमा का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि हमारे किसानों को 51.54 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम नहीं मिला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचना देना चाहूंगा कि 26,010 किसानों ने 43,278.85 हैक्टेयर में बीमा करवाया था और क्रोप कटिंग के जो परिणाम राजस्व बोर्ड से आये, उनके आधार पर सभी किसानों की गणना करके 16.22 करोड़ रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दिये गये हैं। यह आपके माध्यम से मैं सूचना देना चाहूंगा।

गौण मण्डी, लक्ष्मणगढ़ के बारे में आया था। उसमें भी 1,16,74,873 रुपये का जोकि पंचायत समिति का पैसा बनता था, उसको जमा तो हमने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

करा दिया लेकिन माननीय सदस्य, मैं आज कहता हूं कि जल्दी ही हम लोग डीपीआर बनाकर उस पर भी कार्यवाही करेंगे। निश्चित रूप से कार्यवाही हम लोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें तो प्रश्नों के आधार पर माननीय सदस्यों ने, और ने भी उठाई है। मैं अपनी बातों के दौरान आपसे निवेदन करना चाहूंगा लेकिन आज मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा, 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी हो। अच्छी बात है, सोच अच्छी है...

**श्री उपाध्यक्ष**: वह कैसे करोगे?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): मैं अभी आ रहा हूं। सोच अच्छी है।

**श्री उपाध्यक्ष**: पहले आप यह बतायें, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गणना वर्तमान में कैसे कर रहे हैं? जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं तो उसकी गणना हम कैसे करते हैं? केलकुलेशन कैसे आता है? (व्यवधान) उसमें अभी तो एफ.एल. भी है एक।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मूल्य लागत आयोग, भारत सरकार, पूरे देश में तीन कंडीशन के आधार पर ऐसी क्रोप जिसका कंजम्पशन व्यापक क्षेत्र पर पूरे देश में किया जाता हो। नम्बर दो, ऐसी फसलें जिनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा हो और तीसरा, न्यूट्रिशन वैल्यू वाली क्रोप्स। इन तीनों चीजों को ही एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कृषि मूल्य लागत आयोग द्वारा की जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने कहा कि इसकी गणना कैसे की जाती है। मैं इसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पर किसी भी चीज का मूल्य निर्धारण के लिए, सभी माननीय सदस्य इस प्रकार आपके माध्यम से भी और वैसे भी कहते हैं कि किसान को डेढ़ गुना पैसा मिलना चाहिए। मैं आपको सदन में विश्वास दिलाना चाहूंगा किसान होने के नाते, हमने जो गणना की है, वह गणना का एक फैक्टर है और इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डेढ़ गुना के अब की बार प्रस्ताव भेजे हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने चिंता करते हुए कृषि विश्वविद्यालय, एमपीयूटी, उदयपुर को डाइरेक्शन दिये थे और भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के द्वारा गणना की एक मापदण्ड होती है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उन मापदण्डों के माध्यम से मैं आपको और सदन को जानकारी देना चाहूंगा। लागत ए-1, सबसे पहले लागत ए-1 पर हम समीक्षा करेंगे और उसमें किराये से मानव श्रमिक, आपकी खेती करने के लिए किराये से कितने मानव श्रमिक आये, पहला नम्बर वन। किराये के पशु श्रमिक कितने आपने लिये, यानी कि बैल या किसी प्रकार के पशु लिये, उसका पैसा। स्वयं के पशु श्रमिक, यानी खुद के बैल कितने काम में लिये, उसका पैसा। स्वयं की मशीनरी, श्रमिक, मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर वगैरह जैसे और भी कोई बुवाई के यंत्र, उसका पैसा जोड़ते हैं। बीज की कीमत, कीटनाशक की कीमत, खाद की कीमत, उर्वरक की कीमत, उपकरण एवं भवन का मूल्य ह्रास यदि आपका उपकरण है, जैसे इंजन है, ट्रैक्टर चलता है, उसका भी वैल्यूएशन जोड़ते हैं। इर्रिगेशन का क्या चार्ज आया, वह भी जोड़ते हैं। भू-राजस्व कर एवं अन्य प्रकार के कोई टैक्सेज हैं, उनकी भी उसमें गणना की जाती है और स्थाई पूंजी का ब्याज, यदि किसी भी काश्तकार ने स्थाई पूंजी लगाकर अपनी खेती की है, उसका भी ब्याज होता है और चौदहवां बिन्दु है विविध खर्चा यदि एडिशनल कोई खर्चा होता है तो ये ए-1, स्वयं की भूमि पर यदि कोई किसान खेती करता है, इन मापदण्डों के आधार पर मैं उसका बताऊंगा कि कितना कैसे होता है। यह इनको जोड़ते हुए करते हैं।

यदि हम ए-2 पर जाते हैं तो ए-2 में ये 14 बिन्दुओं के साथ जमीन का किराया भी देने का उसमें प्रावधान होते हैं। ए-1 प्लस स्थाई पूंजी पर ब्याज, बी-1, ये दोनों जुड़कर उसका केलकुलेशन किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो आती है एक हैक्टेयर की, जिस प्रकार का वैल्यूएशन पूरे देश का अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग भौगोलिक परिस्थिति होती हैं। यह मैं मानता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में अलग हैं। राजस्थान में अब तक 70 सालों में 52 साल तक हम लोग देखें तो प्राकृतिक आपदाओं को झेलने का, उनको किसान बेचारा झेलता रहा है। हमारा 61 परसेंट ऐसा क्षेत्र है, भू-भाग है, 342 लाख हैक्टेयर में से 61 परसेंट ऐसा है जहां पर एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र यानी सूखा और अर्द्ध शुष्क क्षेत्र है तो हमारी कोस्ट आफ कल्टीवेशन में और अन्य राज्यों की कोस्ट आफ कल्टीवेशन में निश्चित रूप से वेरिएशन आएगा लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने जिस प्रकार की कोशिश करके अभी एमएसपी का निर्धारण करने के लिए भेजा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे बाजरा है, एक हैक्टेयर में सारे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

खर्चों को जोड़ने पर 1,188 रुपये आता है तो हम लोगों ने उसको 50 परसेंट बढ़ाकर 1,780 रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया है और इसी प्रकार मक्का के बारे में है। 1,558 रुपये आता था, हमने 2,335 रुपये भिजवाये हैं। ऐसे सारे जिन्स हैं, हम लोगों ने यहां से करके भिजवाये हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर स्टेट का आने के बाद ऐसे राज्य, जहां पर यह बहुतायत से ये फसलें होती हैं, उन फसलों को एक बार रिव्यू करके कमेटी होती है, उस आयोग के अन्तर्गत यह एमएसपी निर्धारित की जाती है तो मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने हमेशा कोशिश की है कि राजस्थान के किसान को उसकी आमदनी का पैसा मिले और इसको हम लोग ...(व्यवधान) नहीं आप डिस्टर्ब करोगे तो 2 घन्टे लगेंगे।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): मोठ ग्वार का भाव भी आपने भेजा क्या एम.एस.पी. में, जिसकी मांग बहुत अर्से से है और सारे राजस्थान में है। मोठ, ग्वार का भाव।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जरा-सा एडिशन करना चाहूंगा। एक तो किराये की बात इन्होंने कही, लेकिन आपने भी कई बार किराया पर दिया, मैंने भी दिया, औरों ने भी दिया है। एक बटा तीन पर तो वैसे ही मिलता है, एक बटा तीन तो वैसे ही हो जाता है किराया भूमि का, एक रिस्क फैक्टर भी नहीं जोड़ा इसमें। एक बच्चा और बूढ़ा जो चिड़िया उड़ाता है उसका भी नहीं जोड़ा इन्होंने। इस कारण ऐसा भी जोड़ा जाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: He will come to it, give him some time. He is telling you exactly how he will come to that.

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरुजी वाला, चिड़िया वाला जुड़वा दो बस।

**श्री उपाध्यक्ष**: वो आ जाएगा। जब वे फैमिली लैबर का लाएंगे, चिड़िया उड़ाने वाला, उसमें अपने आप आ जाएगा।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने जिन जिंसों का उल्लेख किया है, वे समर्थन मूल्य में शामिल नहीं है, इसलिए नहीं है कि उसका होल कंजम्पशन नहीं है सभी राज्यों में। यानी,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

राजस्थान में 81 परसेंट प्रोडक्शन ग्वार का और 13 लाख हैक्टेयर के लगभग हम मोठ का उत्पादन अकेले राजस्थान में करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी क्रोप में फूड सिक्योरिटी के हिसाब से, उसको सम्मिलित नहीं किया गया और जैसा कि हमारे सुराज संकल्प के अन्तर्गत भी ये घोषणाएं हम लोगों ने की थीं कि हमारी ऐसी बहुत सारी क्रोप्स हैं, जिनमें मेहन्दी भी थी, चौला भी, ग्वार भी था। ये सारी क्रोप्स थीं। कई बार हम लोगों ने लिखा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि कंजम्पशन इसका पूरे देश में एक-सा नहीं होता, इसलिए अभी इसकी अनुमति हमको नहीं मिली है, लेकिन हमारा प्रयास अभी भी चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम यह कोशिश करेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की अनुमति मिलने के पश्चात् ही, इसमें आगे बढ़ने की कार्यवाही हम लोग कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम राजस्थान के परिदृश्य को देखते हैं, राजस्थान के परिदृश्य में पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में जियोमैटिक चैंजेज हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो किसान की आमदनी 2022 तक दुगुनी हो, दूसरी चुनौती माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, वह एक दु:खद संकेत है, जो किसी सरकार के बस में नहीं है, यह एक ईश्वरीय कृत्य है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से ऐसे जिले जहां पर बारिश नहीं होती थी। वैस्टर्न राजस्थान की हम बात करें, यदि हम ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, जिसमें भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, करौली एरिया है। 33 प्रतिशत के लगभग बारिश डेफिसिट रही और मैं वैस्टर्न राजस्थान की बात कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 84 प्रतिशत बारिश वहां ज्यादा हुई है। जहां कभी बारिश नहीं होती, तो यह एक ईश्वरीय कृत्य है लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है यदि एक डिग्री टैम्प्रेचर भी बढ़ेगा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 प्रतिशत पानी की और अधिक आवश्यकता हमको पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लाइमेट चेंज के क्या कारण हैं इनके बारे में भी आपकी आज्ञा हो तो मैं सदन को बता दूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी-फारेस्टेशन, इसका एक मूल कारण है कि हमारे वनों की कटाई हो रही है। दूसरा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण के कारण से भी हमारी, जो गैसेज हैं, कार्बनिक गैसेज हैं, उनका

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उत्सर्जन हो रहा है। तीसरा, यदि हम बात करें बर्निंग आफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल डीजल, पैट्रोल आदि जितने पूरे देश में जल रहे हैं, उनके कारण से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष**: Fossil fuels.

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): चौथा, इमीटैशन आफ द क्लोरो एण्ड फ्लोरो कार्बन्स, इन गैसों का उत्सर्जन जो हो रहा है, रेफ्रीजरेशन गैसें जो बढ़ रही हैं, पैराबैंगनी रेजेज जिस प्रकार ओजोन परत को छेद करके नीचे आ रही है, उनके आने के कारण से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव जीवन पर भी, फसलों पर भी, फोना एण्ड फ्लोरा यानी सभी पर इसका असर होगा। इसलिए अब हम पर इफैक्ट क्या होंगे, इसमें होगा ग्लोबल वार्मिंग यानी हमारा तापमान बढ़ रहा है, एक्स्ट्रीम फ्लक्चुएशन होगा, तापमान कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। ड्राट और फ्लड, कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़ होगी। तब इसके रिजल्ट क्या होंगे, डिक्रीज इन दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सबसे बड़ा खतरा यह होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी फसलों का उत्पादन गिरेगा। दूसरा, डिक्रीज इन द ह्यूमन हैल्थ, मानव जीवन के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। तीसरा, rising in the sea water level, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा। अब रेमेडी क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, पूरे देश में हम लोगों को पूरी चिन्ता है कि हम लोग यह कोशिश करते हैं कि afforestation का काम शुरू होना चाहिए, वृक्षारोपण का काम शुरू होना चाहिए, वृक्षारोपण का काम बढ़े। Climate resilient agriculture, ऐसी खेती कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन देने वाली, ऐसी किस्में वैज्ञानिक तैयार करें और आम किसान तक पहुंचाएं। रिडक्शन आफ द कार्बन लिमिट्स, गैस उत्सर्जन को हम कैसे रोकें और रिडक्शन आफ द पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को कैसे रोकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि हमारी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए, मैं ऐसी महान् हस्ती के बारे में, जो विपक्ष भी कहता है, सभी संगठन भी कहते हैं और पार्टीज भी कहती हैं, एम. एस. स्वामीनाथन, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम. एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने 2005 में एक रिपोर्ट बनाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना

(श्री प्रभू लाल सैनी)

चाहूंगा। हिन्दुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है, जहां पर एम.एस. स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में राजस्थान में 2005 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। 2005 में जब टास्क फोर्स बनी, उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 45 नेशनल लेवल के कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्धारक, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञ और अधिकारियों को हमने सम्मिलित किया। इसके अलावा हमने 6 Thematic Groups बनाये और राजस्थान के पूरे कृषि परिदृश्य को छह भागों में बांटने का काम हमारे विभाग ने किया। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग को भी, जिन्होंने एक विजन लेकर कोशिश की। सबसे पहले हमारा था लैंड एण्ड सोइल हैल्थ एन्हेंसमेंट, जमीन के बारे में, देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने जैसा कि 15 फरवरी, 2015 का वो दिन याद है, देश की पहली सरकार है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने चिन्ता की इस बात की कि मृदा का स्वास्थ्य दिनों-दिन बिगड़ता जा रहा है और मृदा का स्वास्थ्य जब बिगड़ता जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका होने वाला उत्पादन भी दूषित पैदा हो रहा है। इसकी चिन्ता करते हुए पहला सोइल हैल्थ एन्हेंसमेंट किया हम लोग ने। दूसरा वाटर मैनेजमेंट, तीसरा टैक्नोलोजी एण्ड इनपुट मैनेजमेंट, चौथा वैल्यू एडिशन एण्ड एग्रो प्रोसेसिंग इन फार्मर्स मार्केटिंग, पांचवां क्रेडिट एण्ड इंश्योरेन्स और छठा एनिमल हसबैन्डरी और फाडर, इन छह सैक्टर में पूरे राजस्थान को विभाजित करके अलग-अलग वैज्ञानिकों के साथ बैठकर, हम लोगों को उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में हम लोगों ने काम करने का आगे प्रयास किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले भी चिन्ता व्यक्त की, आज भी चिन्ता की। हमारे वरिष्ठ सदस्य भी हैं, विद्वान भी हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार हम सोइल हैल्थ के बारे में भी समझ लें। राजस्थान के हमारे 10 एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन हैं, अलग-अलग क्लाइमेट जोन में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलग-अलग प्रकार की सोइल है और अलग-अलग प्रकार की सोइल होने से लैण्ड केयर एण्ड सोइल हैल्थ एन्हेंसमेंट का, जो हम लोगों ने काम किया है, अब आपने कहा 75 लाख सोइल हैल्थ कार्ड, अब आपके आंकड़े थे, आज वे बढ़कर 77.11 लाख किसानों को वितरित, हमने लोगों को कर दिये हैं और हम लोगों ने जो सैम्पल लिये, आपने सही कहा, हम लोगों ने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सैम्पल लिए 25.88 लाख, इतने नमूने हमने राजस्थान से एकत्रित किये। पहला साल हमारा, दो साल में एक बार लेना होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं आपको ढाई हैक्टेयर में, जो सिंचित भूमि है, उसका एक नमूना होता है, चाहे 4 फार्मर हो, चाहे लैंड आनर 10 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, 10 हैक्टेयर ऐसी भूमि होती है जो असिंचित है जिसमें 4 किसान हो, एक किसान हो, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए, इन 25.88 लाख नमूने जो हम लोगों ने लिये हैं, उनमें किसानों का वैरियेशन, सबको यदि हम जोड़ते हैं लघु, सीमान्त को, छोटे-छोटे किसान को, अब तक 77.11 लाख किसान कार्ड हमने लोगों को बांट दिये हैं और द्वितीय चरण का, जहां हमारा काम हुआ है माननीय उपाध्यक्ष महोदय 9.23 लाख साइल हैल्थ कार्ड, अब तक हम सैकण्ड चरण के लिए वितरित कर चुके हैं।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता यह है कि सोइल हैल्थ की जांच क्यों किया जाना चाहिए? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आश्चर्यजनक चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। नमूनों में पीएच मान, इलेक्ट्रिक कंडेक्टिविटी और आर्गेनिक कार्बन्स, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज आदि तत्वों की जांच की गयी तो कमी पायी गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमी इतनी पायी गयी कि जो हमारे आर्गेनिक कार्बन्स हैं, राज्य में अस्सी प्रतिशत से अधिक भूमियों में ये चार प्रतिशत होना चाहिए था वह 2 से 3 प्रतिशत मिले हैं, जबकि 4 से 5 प्रतिशत होना चाहिए था यानी कि पचास प्रतिशत आर्गेनिक कार्बन्स की कमी हमारी जमीनों में आ गयी है। सल्फर की बात करें तो 39 प्रतिशत भूमियों में कमी है। जिंक में 49 प्रतिशत भूमियों में कमी है। आयरन में 55 प्रतिशत है। कॉपर में 5 प्रतिशत और 10 में मैग्नीज की कमी पायी गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैकेज आफ प्रेक्टिस के आधार पर जो हमारे सोइल हैल्थ कार्ड हम लोगों ने दिये हैं, उनमें हम लोगों ने पूरा अंकन किया है और कहा है कि आपके खसरा नंबर इतने में आपकी जमीन में सोइल हैल्थ के बाद जो-जो कमियां हैं उनका अंकन किया है और उसकी रिकमंडेशन भी हम लोगों ने दी है कि अब आपको इसके उपचार के लिए क्या करना

(श्री प्रभू लाल सैनी)

चाहिए, ताकि गुणवत्तायुक्त अनाज, दलहन और तिलहन के साथ-साथ में सब्जियों का उत्पादन हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिट्टी की जांच में काम आने वाले जो हमारे उपकरण हैं, देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर लेटेस्ट टैक्नोलोजी के पांच प्रकार के उपकरण लगाकर हमारी 101 सोइल हैल्थ टैस्टिंग लेबोरेट्रीज पूरे राजस्थान में हैं जहां पर हम लोग उनकी टैस्टिंग करते हैं उनमें पीएच मीटर है, ईसी मीटर है, विजिबल स्पेक्टो फोटो मीटर है, प्लेम्प फोटो मीटर है, डबल एस है और आईसीपी है। ये चार प्रकार के हैं। आईसीपी लेटेस्ट टैक्नोलोजी आयी है जिसमें सभी प्रकार के एक दिन में आठ हजार के लगभग टैस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंस की जो भी कमियां हैं, वो इसके माध्यम से जांच करने की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि अब डेफीशिएंसी आ गयी।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): अभी बाद में बोल लेना। सबका सुन कर जवाब दूंगा एक-एक चीज का। आंकड़ों के अधिकारी जी, आप थोड़ा सुन तो लो।

**श्री उपाध्यक्ष**: Let him complete.

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): प्लीज। मैं एक-एक चीज का जवाब दूंगा आपको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमारे जो डेफीशिएंसी आ गयी, इस डेफीशिएंसी के आने के कारण से मानव स्वास्थ्य पर क्या कमी आ जाएगी, नुकसान क्या हो जाएगा, चिन्ता का विषय यह है। आहार में तत्वों की कमी आ जाएगी, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज और बोरोन, वो जब उसका आहार भोजन करेगा दलहन से, तिलहन से या पल्सेज सब्जियों से तो उसके डेफीशिएंसी हो जाएगी। डेफीशिएंसी आने के कारण से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको चकित करने वाला मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेटाबोलिक रिएक्शंस उसमें हो जाएंगे। इनमें मेटाबोलिक डायबिटीज भी है, कैंसर भी है, जिससे जितने भी मेटाबोलिक एक्शन और एंजाइम्स की क्रियाशीलता बाधित हो जाती है। हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं, हमारे मेटाबोलिक्स होते हैं, वो इनसे इफेक्ट होंगे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

और जब इनका होगा तो शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी और जब ग्रोथ रुक जाएगी तो व्याधिग्रस्त हो जाएगा।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूं, कोई चिकित्सक भी नहीं हूं लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जहां हमारी प्रोबलम्स आयी हैं वो फैक्टर कैंसर का कारण बनते हैं। कैंसर कैसे बनेगा, कैंसर बनने के लिए म्यूटाजेंस सैल्स होती है और कार्सिनोजेनिक, ये दो प्रकार की हैं और दोनों कैंसर को उत्पन्न करती हैं। यदि हमारा मेटाबोलिक डिसआर्डर होता है या हमारे शरीर में कोई न कोई कारण होता है। मैं समझता हूं कि अब हमको यह देखना पड़ेगा। यह हमारी खेती का कारण बनना पड़ेगा कि ऐसी कौनसी फसलें हैं जो हमारे कैंसर को रोके, डायबिटिक को रोके, हार्ट को रोके, किडनी प्राब्लम्स को रोके, अस्थमा को रोके, प्रोस्टेट कैंसर को रोके, ओवरीज कैंसर को रोके, इंटेस्टाइन कैंसर को रोके ये सारी चीजें मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मैं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने एक विजन लेकर, हम लोगों ने कोशिश की कि बहुत जल्दी हम राजस्थान में ग्लोबल मेडीएग्रोटेक करायेंगे। इसमें विश्व स्तर के सारे डाक्टर जो हमारे न्यूरोलोजी से जुड़े हुए हैं, कार्डियोलोजी से जुड़े हुए हैं, नेफ्रोलोजी से जुड़े हैं, एंडोक्रायोनोलोजी से जुड़े हैं और मोटापा जो आता है, ओबेसिटी से वो जुड़े हुए हैं और ओंकोलोजी से जुड़े हुए हैं, कैंसर से जुड़े हुए हैं, इन सारे चिकित्सकों का फार्मास्युटिकल, लोगों को हम लोग लायेंगे और हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि राजस्थान में जो हमारी पैदा होने वाली क्रोप्स हैं, उनके माध्यम से हम कैसे किसान की आमदनी के साथ-साथ में राजस्थान के स्वास्थ्य की चिन्ता करें। ऐसी चिन्ता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देश में पहली बार की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा, राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी के इजराइल भ्रमण के दौरान एक लाख पौधे जैतून के हम लोग लेकर आये हैं और लेने के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक हजार हैक्टेयर तक किसान के खेत में पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने आलिव की रिफाइनरी तो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में लगायी लेकिन दुर्भाग्य रहा राजस्थान का कि

(श्री प्रभू लाल सैनी)

दो वर्षों में लगातार ओलावृष्टि, अतिवृष्टि होने से हमारे फ्लावरिंग स्टेज पर काफी जोर की, फरवरी से लेकर 10 मार्च तक ओलावृष्टि, यदि बारिश होती है, चूंकि अभी फ्लावरिंग स्टेज चल रही है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन सौ टन के लगभग प्रोडक्शन राजस्थान में अबकी बार होगी, 300 टन। आप आश्चर्य करेंगे, हम आज विश्व में कंपीट कर रहे हैं। आज स्पेन के साथ में हम लोग कंपीट कर रहे हैं। राजस्थान ग्रीन आलिव राज आयल जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लांच किया है, आज पूरे विश्व में उस तेल की डिमाण्ड है। हमारी 'ए' क्लास क्वालिटी है। दो नंबर पर स्पेन है, एक नंबर हमारा है।

यहीं हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कोशिश करके ओलिव ग्रीन टी, जैतून के पत्तों की ग्रीन टी बनाने का काम भी शुरू किया। हमारी मंशा स्पष्ट थी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे किसान की आमदनी बढ़े। ज्वार, मक्का, बाजरा से हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी। हमारी आमदनी बढ़ेगी डाइवर्सिफिकेशन आफ क्रोप्स, यह हमको करनी पड़ेगी। फसलों का विविधीकरण करना पड़ेगा। कैश क्रोप की ओर किसान को डाइवर्ट करना पड़ेगा। हमने यह विचार किया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 1/3 जो भाग है उसके अन्तर्गत हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करें। 1/3 हिस्सा जो बनता है उसमें होर्टिकल्चर क्रोप्स करें, बाग़-बगीचे लगायें और 1/3 एनीमल हस्बेंडरी, पोल्ट्री और डकरी तीनों का काम हम लोग करें, ताकि ओलावृष्टि भी हो जाती है तो भी इन चीजों के माध्यम से इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो विजन लेकर हम लोग आये हैं, उस इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी प्रकार की खेती एग्रीकल्चर भी है, होर्टीकल्चर भी है, फ्लोरीकल्चर भी है, टिश्युकल्चर भी है, ओडेरीकल्चर भी है, एरोमेटिक भी है, ये सारी क्रोप्स हम लोगों ने राजस्थान में करने का प्रयास किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ग्लोबल एग्रोटेक मीट हुआ, उसमें एक फर्म ने एमओयू किया है ग्रीन टी का और ग्रीन टी बनाने के बारे में फेयर लैब है जो कि फूड एंड एनेलिसिस रिसर्च लैबोरेट्री है सबसे बड़ी हिन्दुस्तान की, उसमें जांच हुई और पचास ग्राम पॉली पैक करके जांच के लिए भिजवाये और जांच में जो आया वो (1) हाइड्रोक्सी टाइरोसोल आया, जो विश्व का सबसे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और 292.92 एमजी उसमें ल्यूटेलिन प्राप्त हुई। (2) एंटीऑक्सीडेंट 312.51 एमजी जिसमें मिला। (3) कैफेक एसिड 30.91 मिला और एपीजिनन ये चारों एंटीऑक्सीडेंट 10-15 बीमारियों की रोकथाम के किंग हैं, राजा हैं और इनके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की। जैसा कि हाइड्रोक्सी टाइरोसोल के बारे में मैंने कहा, सबसे पहली उसकी टैस्ट रिपोर्ट अभी हमें 10.11.17 को मिली है और उस हाइड्रोक्सी टाइरोसोल के लिए कहा गया कि एंटीऑक्सीडेंट हाइली है, एंटी कैंसर है, एंटी कार्डियक वेस्कुलर है। स्ट्रोंगेस्ट स्केवेंजर और एंटीइनफ्लेमेट्री है। यह सूजन को कम करेगा, कैंसर को रोकेगा, आपके कार्डियोलोजी का काम भी करेगा। ये इस एंटीऑक्सीडेंट में पाया गया है। ल्यूटेलिन के बारे में मैं निवेदन करूं, यह एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रोंगेस्ट है। यह स्ट्रोगेंस्ट है। कैंसर थेरेपी में प्रिवेंट का काम करेगा। एंटी ब्लड-प्रेशर का काम करेगा। एंटीइनफ्लेमेट्री भी है और इम्युनिटी इंक्रीज करेगा यानी व्यक्ति की कमजोरी ठीक करेगा और स्किन एंड हेयर प्रोटेक्ट, सनशाइन को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोस्टेट कैंसर और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर दोनों कैंसर की रामबाण औषधि के रूप में इसका प्रयोग होगा। ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है।

जहां तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैफिक एसिड का सवाल है, एंटी ऑक्सीडेंट पावरफुल, प्रिवेंट मैच्योर ऐजिंग, उम्र को भी बढ़ने नहीं देगा। एंटी कैंसर और कार्डियक प्राब्लम्स आदि तत्व इसमें पाये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि (4) एपीजिनिन के बारे में सबसे ज्यादा हमको जो लाभ मिलेगा, उसके अंतर्गत कार्डियक डिजीज, एंटी स्ट्रेस, स्ट्रेस में रहने वाले लोगों के लिये भी यह चाय बहुत काम करेगी। एंटी इन्फ्लेमेट्री है, एंटी कैंसर, प्रिवेंट्स कैंसर, एलिमिनेट्स कैंसर, वैरायटी आफ कैंसर, लोक्ट्स कैंसर प्रोस्टेट, ब्लड कैंसर, कैंसर इन्टेस्टाइन्स, कैंसर ओवेरिय, एंटी डिप्रेशन, VERY GOOD FLAVONOID, हैल्प योर स्किन, ब्लड शुगर, बोन हीलिंग, ये सारी चीजें, ...(व्यवधान) आपको यह समझ में नहीं आयेगी, ये कोई बाजरे की बात थोड़े ही है, आयेगी नहीं। आपको गर्व होगा, मैं आपको आगे बता रहा हूं, आपको गर्व होगा, मैं इसलिए बता रहा हूं यह चीज। जो भी मुझे डाइरेक्शन दिया इसलिए मैं बता रहा हूं नहीं तो मैं कोशिश भी क्यों करता ...

**श्री उपाध्यक्ष**: एग्रीकल्चर में मेडिसिनल प्लांट भी एग्रीकल्चर

(श्री उपाध्यक्ष)

एक्टिविटी है। बेसिकली अगर कोई फार्मास्युटिकल में जाता है तो सिर्फ केमिकल कंपोजिशन नहीं है, कहीं कहीं न मेडिसिनल प्लांट से ही जाता है। योर आयुर्वेद इज नथिंग बट मेडिसिनल प्लांट। आप यह बताइए कि इस प्रकार का रिसर्च अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर और भी कहीं हुआ है या हमने पहली बार इसका नवाचार किया है?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब सदन के साथी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों को गर्व होना चाहिये कि इजरायल के प्रधान मंत्री बैजामिन नेतन्याहू जी जब भारत आये और भारत आने के बाद हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ जी कोविंद साहब के राष्ट्रपति भवन में जब उनको चाय पिलाने की बात आई, राजस्थान से हम लोगों ने ओलिव ग्रीन टी भेजी और उन्होंने कहा कि भारत में सीखने को बहुत कुछ है लेकिन राजस्थान से चाय बनाना मैं सीखूंगा। यह पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के न्यूजपेपर्स में जारी हुआ। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी उपलब्धियां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओलिव हनी भी हम बना रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट आफ केमेस्ट्री एवं केमिकल टैक्नोलोजी जो प्रयास होगा कि हम लोगो ने इस कोस्मेटिक बनाने के लिये उसका पल्प निकालकर विद्यासागर यूनिवर्सिटी वैस्ट बंगाल को जांच के लिये भेजा था। उन्होंने अनुसंधान कर कहा कि इसमें ट्राइटोपोलाइटस एसिड 6 ग्राम मिला है, इससे कैंसर की दवा बनाइये। केमिकल टैक्नोलोजी यूनिवर्सिटी वैस्ट बंगाल है, उनकी जांच रिपोर्ट भी अभी हाल ही में हमें मिली है। ग्लोबल मेडी एग्रोटेक बुलाकर हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम आगे बढाये और किसान के खेत में जितना भी ज़ैतून का पत्ता होगा, अभी 51 रुपये का एमओयू हमारा हो गया है, 51 रुपये पर हम लोग उसको खरीद लेंगे। मैं समझता हूं धीरे धीरे वह टाइम दूर नहीं है, वर्ल्ड में इसकी इतनी डिमांड आ गई अब 100 रुपये किलो तक इसके पत्ते बिकेंगे, बाजरा यदि 12 रुपये में बिकेगा तो पत्ते 100 रुपये में बिकेंगे और एक ओलिव प्लांट की जो लाइफ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओलिव प्लांट सबसे पहले ईसा मसीह के द्वारा लाया गया था, उसके बाद यूएनओ ने उसको अपना निशान बनाया, नेपोलियन ने जितने भी युद्ध लड़े उसको अपने सर पर बांधकर उसको पवित्र माना, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना है। अमरीका का जो क्वाइन है, उसमें

(श्री प्रभू लाल सैनी)

भी 13 जैतून की पत्तियां और 13 फल लगाये हैं। पूरे ओलिव में वर्ल्ड लेवल पर स्पेन, ब्राजील, मोरक्को, इटली और इजरायल, यह कंट्रीज थे लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि राजस्थान की क्लाइमेट में, जो हमारा वैस्टर्न राजस्थान है, बीकानेर और आस-पास का एरिया है, पानी का ओप्टिमम यूज कैसे कम हो और ऐसी क्रोप को इंट्रोड्यूस करके हमें गर्व है, आज पूरा देश हम लोगों से डिमांड कर रहा है। 12 राज्यों को अब तक हम प्लांट दे चुके हैं। अभी हाल ही में नेपाल भी हमसे 17 हजार पौधे लेकर गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं आपको यह भी आग्रह करना चाहूंगा, यूनाइटेड किंग्डम की कम्पनी द्वारा यहां की ओलिव ग्रीन टी को लेकर एमओयू किया है और आठ कंटेनर दो महीने में उनको देना है। राजस्थान से उनका यह एमओयू हुआ था। चाहे नीदरलैंड हो, चाहे दुबई हो, चाहे सिंगापुर हो, और देश में भी अब तक ढाई लाख से ज्यादा पैकेट पूरे देश में विक्रय कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान ओलिव स्टेट बनेगा। यह पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है और किसान की आमदनी बढ़ाने का इससे बढ़िया जरिया और नहीं हो सकता। (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक-एक पैकेट सभी माननीय सदस्यों को भी दे दें तो ठीक रहेगा।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): ठीक है, ठीक है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप पैकेट चाय का मांग रहे हैं या ओलिव का मांग रहे हैं?

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): यह जो ओलिव आयल की चाय बनेगी, उसके लिये। पूरे संसार में भेज रहे हैं तो कम से कम सदन में तो मिलनी चाहिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय की यह खास बात है कि यह एक बात को एक बार में कह ही नहीं सकते।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरे से आपको क्या तकलीफ है, समझ में नहीं आया। आपके नीचे तो स्प्रिंग लग रही है, उठे बिना रह नहीं सकते। अच्छा आप बोल नहीं सकते, केवल नाम आना चाहिये कि कल उन्होंने उछल-उछल कर यह कहा।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई ज्यादा लंबा भाषण नहीं है। मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं। ऐसी चीजें जो इंट्रोड्यूस की हैं और जिसका इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान का, माननीय मुख्य मंत्रीजी का नाम भी हुआ है, काम भी हुआ है, किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, यह निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी क्रोप, मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है फूड सिक्योरिटी के साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी राजस्थान के लोगों को मिले। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने साउथ अमरीका का पेरू, सबसे ज्यादा पेरू में पैदा होने वाला किनोआ QUINOA, यह चिनोपोडियम वैराइटी का एक ऐसा ग्रेन है, ऐसा अनाज है जो बाजरे की तरह का होता है लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर बात करें, 1 लाख रुपये क्विंटल के लगभग यह बाजार में मिलता है। राजस्थान बहुत सौभाग्यशाली है, 30 हजार क्विंटल राजस्थान में किसानों ने गत वर्ष पैदा किया है। इस वर्ष भी हमने किसानों को 50 हजार मिनी किट दिये हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग इसकी मार्केटिंग करेंगे और किनोआ की खेती, मैं समझता हूं किसान की आमदनी दोगुनी करने का काम करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा यूएनओ का जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, उसने 2013 को किनोआ वर्ष घोषित किया है। हम लोगों ने कोशिश करके, हमारे अधिकारियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। नासा में अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वह भी यही ग्रेन खाते हैं। इसके अलावा उनको किसी चीज का नाश्ता नहीं दिया जाता क्योंकि न्यूट्रिशियन वैल्यू इसमें काफी है। अभी इसकी खेती साउथ अमरीका, पेरू, इकाडोरा, आस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, इंग्लैंड और अब राजस्थान, अब राजस्थान भी इसमें जुड़ गया। हम लोगों ने इसकी खेती भी शुरू कर दी है, 70 परसेंट पोषक तत्व है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में 500 रुपये से 1000 रुपये किलो की...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कह रहा हूं विदेशों में घूम लिये, अब यहां राजस्थान में धरातल पर आ जाओ।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): किसान के लिये लेकर आया हूं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डोटासरा जी किसान भी हैं, साथी भी हैं

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लेकिन इनमें कुछ लोग किसान तो हैं, हम तो हलधारी किसान हैं, वह छाताधारी किसान हैं। वह छाता लगाकर रहते हैं, किसान तो हैं, उनकी जमीन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो आप जानते हो अमरीका की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। उसने कहा है कि डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर रोग, श्वसन रोग और बीपी के लिये सबसे बढ़िया यह है, कोई व्यक्ति अगर 35 ग्राम के लगभग रोज इसको ले ले, चाहे वह खिचड़ी, दलिया, बिरयानी या बिस्किट के रूप में ले, बच्चों को खिलायेगा सिलिअक डिजीज से उसको मुक्ति मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिलिअक ऐसी बीमारी है गेहूं में जो ग्लूटीन मिलता है और ग्लूटीन के माध्यम से बच्चों में होने वाली यह बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। धीरे-धीरे 5-10 साल में बच्चा बिलकुल कमजोर हो जाता है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। हम लोगों ने अब यह तलाश कर लिया है। कई चिकित्सकों को हमने कहा भी है, बताया भी है, उन्होंने इसको शुरू भी कर दिया। अब किनोआ के खाने से सिलिअक डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। पौष्टिकता में किनोआ कार्बोहाइड्रेड है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है। दूध से चार गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन है, पालक से दोगुना आयरन है, बादाम से चार गुना फोलिक एसिड है और मक्का से 16 गुना ज्यादा कैल्शियम है, केले से सात गुना मैग्नीशियम है और ब्राउन राइस से चार गुना डाइट्रीफाइबर इसमें मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है हम लोगों ने एमओयू किया, हम लोगों ने प्रोडक्शन के साथ-साथ उसके प्रिक्योरमेंट की भी व्यवस्था की है। उदयपुर में ग्लोबल एग्रोटेक मीट आयोजन हुआ। उसमें हमारा एक कंपनी के साथ एमओयू हो गया है। जो भी प्रोडक्शन होगा उसके लिये निश्चित रूप से बाजार की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कोशिश की है, ड्रेगन फ्रूट की खेती भी शुरू की है। ड्रेगन फ्रूट के बारे में तो मैं समझता हूं कि बहुत लोग समझेंगे नहीं, लेकिन स्किन के लिये, हैयर के लिये, हैल्थ के लिये यह सबसे अच्छी चीज है। यह साउथ अमेरिका का ओरिजनल फ्रूट है। इस फ्रूट की खेती भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। इसमें 27 प्रकार के अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जो कि मानव स्वास्थ्य को मिलते हैं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा कि ड्रेगन फ्रूट की खेती। एक नई चीज जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते। हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ही नहीं, हमारे सब किसान जानते हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ, अमेरिका में इसका रिसर्च हुआ और सिकोरियम एंटीबस वैरायटी का एक ऐसा पौधा है, जिसे हम राजस्थान में कांसनी बोलते हैं। उस कांसनी को हम अभी गायों और भैसों को खिलाते हैं, ताकि वह दूध ज्यादा दे दे, उसकी हड्डियां मजबूत हो जायें। इस चिकोरी की खेती के बारे में आप सुनेंगे, उत्तरी भारत में, बलूचिस्तान, एशिया, यूरोप में उगायी जाती है और राजस्थान में 30 हजार हैक्टेयर में यह पैदा हो रही है। लेकिन हमको पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है? 12 एम.एल. तक भी यदि इसके पत्तों का जूस लीवर की बीमारी वाले लोग पीते हैं तो लीवर बिल्कुल ठीक होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम है। नेफ्रोलोजी वाली जो बीमारी है, गुर्दा रोग, उनका भी है। खास तौर से डाइबिटीज की रामबाण औषधि होगी। इसलिए हम लोग इसकी खेती को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और 300 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाला ड्रमस्टिक, जो कि हमारे राजस्थान में खूब पैदा हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कोशिश कर रहे हैं Diversification of crops करके दुगुनी आमदनी कैसे हो? किसान को वैल्यू एडिशन करके पैसा कैसे मिलेगा? इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है एवं राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रमोशन पालिसी, 2016-17 लागू की है। इन सारी चीजों में से कोई भी फार्मर या किसान अपने खेत पर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना चाहेगा तो 20 लाख रुपये तक का अनुदान हम लोग उसको देंगे। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, विपणन की व्यवस्था होगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और कृषि में जितने भी लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय कृषि का होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सोइल हैल्थ के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जो मैंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के जरिये बताया। अब मैं वाटर मैनेजमेंट की बात करना चाहता हूं। वाटर मैनेजमेंट का जहां तक सवाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह देखें कि पानी 1.16 परसेंट मात्र है। सरफेस वाटर एक परसेंट ग्राउंड वाटर, लेकिन जो जियोमेटिक चेंजेज हो रहे हैं,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

इनमें अगर हम देखें तो। अभी डा. रामप्रताप जी बैठे हुए हैं। अभी हम देखें 2014 से लेकर अब तक 82.37 लाख हैक्टेयर हमारा सिंचित होने लगा है। अभी हम लोगों ने चाहे जल स्वावलंबन, मुख्य मंत्रीजी का विजन हो या फिर क्लाइमेट चेंजेज के कारण रहे होंगे, क्योंकि 2013 में 76.88 लाख हेक्टेयर की थी। हमारा अभी 6 लाख हैक्टेयर सिंचित का इजाफा हुआ है और हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं जैसे डिग्गी पर अनुदान बढ़ाने का काम हुआ है। फार्म पोंड, जल हौज पर बढ़ाने का काम हुआ है। ड्रिप इर्रिगेशन का काम हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की बचत हमारी प्राथमिकता है और प्राथमिकता के कारण से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम चार वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो फार्म पौंड में, पिछले पांच वर्षों में 14430 फार्म पौंड बने हैं। अभी चार वर्षों में 18688 हम लोगों ने बनाये हैं। जल हौज 3492 थे, हम लोग 4458 बनाये। डिग्गी 13441 थी, वह 13325 हुई। इनके वक्त में पाइप लाइन जहां 39200 किलोमीटर थी, उसको बढ़ाकर 39614 किलोमीटर बढ़ाने का काम भी सरकार ने अभी किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनका जो तीसरा कन्सैप्ट था। जैविक खेती की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज इनसैक्टिसाइड, पैस्टिसाइड का इतना अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे विश्व को चिंता है कि हमको जैविक खेती करनी चाहिए और आर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान में जो प्रधान मंत्री परंपरागत खेती योजना चल रही है, उसके अन्तर्गत 1150 ऐसे ब्लाक्स हैं, प्रत्येक जगह पर 50-50 हैक्टेयर में हमने खेती शुरू कर दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक राजस्थान में 65 हजार हेक्टेयर में जैविक खेती की शुरूआत हो चुकी है और हम लोग यह कोशिश करेंगे कि हम ऐसे सभी लोगों को, यानी 57500 हैक्टेयर जैविक खेती की गतिविधियां भी परंपरागत खेती योजना के अन्तर्गत हम लोग चला रहे हैं। इसी क्रम में मेरा आपसे यह भी अनुरोध होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो GRAM का जिक्र भी हुआ। हमारा जो ग्लोबल एग्रोटेक मीट हुआ, हमारा एक ही प्रयास था कि राजस्थान के किसान को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर का सम्मान कैसे मिले? उसकी इज्जत कैसे बने? इनोवेशन टेक्नोलोजी, डाइवर्सिफिकेशन आफ क्रोप्स, वेल्यू

(श्री प्रभू लाल सैनी)

एडेड क्रोप्स, कैसे वह देखेगा? लाइव प्रदर्शन होगा। चौपाल पर चर्चा करेगा। किसान वहां आये हैं, इसको हमने राजनीति से दूर किया है। मैं जो भी बोल रहा हूं, वह पार्टीबाजी से ऊपर उठकर है। मैं बात इसलिये कर रहा हूं, क्योंकि आज सदन में दिन भर जो चर्चा हुई है, वह भी पार्टीबाजी से उठकर हुई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आलोचना हम भले ही कर लें, लेकिन वास्तव में इसका जितना फायदा हुआ, आज 36 लाख स्क्वायर मीटर के ग्रीन हाउस के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो गये हैं, जबकि हमारा लक्ष्य 10 लाख का ही था। इसी प्रकार सभी योजनाओं में हमारे लक्ष्य बढ़े हैं और जहां एमओयूज हुए हैं, उन एमओयूज के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है और खास तौर से सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यह हमारा पहला तीन जगह का कार्यक्रम था। जयपुर में जब हुआ, नीदरलैंड, कजाकिस्तान, PAPUA NEW GUINEA , नाइजीरिया और जापान। इन पांच कंट्रीज ने पहली बार इतने बड़े एग्रीकल्चर के एक्सपो में आकर राजस्थान की कृषि को सीखने और उनके नवाचार को शेयर किया। दूसरे, कोटा में अमेरिका, रूस, स्पेन, म्यांमार और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उदयपुर में ब्राजील, पेरू, जमर्नी, वियतनाम, अर्जेंटीना, रूस और स्पेन। स्पेन और अर्जेंटीना इसलिए आये कि आलिव का प्रोडक्शन राजस्थान में हो रहा है। किनोआ का प्रोडक्शन राजस्थान में हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां पर सूखा है। आज राजस्थान के किसान को हम जिस प्रकार से कहते हैं कि किसान बेचारा है, किसान मर गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को कहना चाहूंगा कि हमारा किसान अन्नदाता है, वह कभी बेचारा नहीं हो सकता है। रेगिस्तान में विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी देखें कि थार, अनार के रूप में। सांचौर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य विराजमान हैं, क्या किसान मेहनत करके थार में अनार पैदा कर सकता है? क्या पिंड खजूर की खेती वैस्टर्न राजस्थान में जैसलमेर के सगरा भोजका में हो सकती है, बीकानेर में हो सकती है, जोधपुर में हो सकती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चैंज है, सरकार और मुख्य मंत्रीजी का एक विजन है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, लेकिन किसान की आमदनी को दुगना करने का भी काम करेंगे। हमारे जितने भी एमओयूज हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 70 हजार किसानों ने हमारे जयपुर में भाग लिया, 38

(श्री प्रभू लाल सैनी)

एमओयू हुए और इसी प्रकार कोटा में भी 73 हजार किसानों ने भाग लिया और GRAM, Udaipur में 50 हजार किसानों ने भाग लिया है। इस प्रकार कुल 78 एमओयूज हुए हैं। इन 78 में से अब 15 एमओयूज कमप्लीट हो चुके हैं और बाकी अंडर प्रोसेस हैं। मैं समझता हूं कि यदि हमारे 60-70 परसेंट एमओयूज भी धरातल पर आयेंगे तो निश्चित रूप से हमारे फार्मर्स को उसके उत्पादन की कीमत भी मिल सकेगी। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। थोड़ा-सा और है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने आपदा के बारे में चिंता की है। निश्चित रूप से आपदा विभाग के माननीय मंत्रीजी इसको देखते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपदा प्रबंधन का काम देश के प्रधान मंत्रीजी ने पहली बार, हम लोगों ने कोशिश की, 50 परसेंट से घटाकर 33 परसेंट तक खराबे को कवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने किया है।

यही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खराबे का आकलन तो अलग हुआ, इसके अलावा जो आदान-अनुदान मिलता है। जहां साढ़े चार हजार आदान अनुदान मिलता था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने साढ़े पन्द्रह हजार किया। जहां 8 हजार मिलता था, उसको 12 हजार किया। जहां 12 हजार मिलता था, उसको 18 हजार किया। मकानों के बारे में भी आपने देखा होगा, ढाई-ढाई, तीन-तीन हजार रुपये मिला करते थे, आज 95 हजार रुपये ऐसे मकानों के लिए, जो क्षतिग्रस्त हुए थे, उनके लिए भी दिये हैं। कोई हमारे एनीमल की मृत्यु हुई है, उसके लिए 16 हजार रुपये देने का काम किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वैल्फेयर के क्षेत्र में चाहे वह फसल बीमा हो, चाहे आपदा राहत हो या कृषक साथी योजना हो, या किसान कलेवा हो या अन्य प्रकार की योजनाएं चाहे कोआपरेटिव में बीमा करने का सवाल हो, हम लोगों ने कोशिश करके राजस्थान के किसान का सम्मान बढ़ाने का काम और यह तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में वास्तव में किसान मौसम के आधार प्रकृति के आधार पर तकलीफ में जरूर रहता है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ आज कह रहा हूं कि 12 प्रकार की ऐसी क्रोप्स हैं, देश में नंबर एक पर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

राजस्थान का स्थान है। आज भी मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब चाहे वे कितने सुविधा सम्पन्न हों या वहां पानी की व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन राजस्थान में ग्वार के बारे में, बाजरे के बारे में, ईसबगोल के बारे में, मेहन्दी के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान अग्रणी प्रदेश है। जीरे के बारे में, धनिये पर हम सैकण्ड स्थान पर हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि सूखे धरातल पर भी इस मानसून की बेरुखी के बाद भी आज हमारा किसान मेहनत करके आगे बढ़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना 2010 तक, जब आपकी सरकार थी, उस वक्त मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी। उसमें बहुत सारी कमियां थीं, क्योंकि मौसम के मापदंडों में कई जगह अचानक फ्लक्चुएशन होता था, कहीं माइनस होता था तो प्रधान मंत्रीजी ने पूरे देश की आलओवर स्टडी करने के बाद यह तय किया कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हमको लेकर आनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 से लेकर 2013 तक पिछली सरकार के वक्त में 4 करोड़ 41 लाख किसानों का बीमा हुआ और हमारे 462.7 लाख यानी 21 लाख किसान ज्यादा जुड़े और बीमित राशि भी 10 परसेंट आगे बढ़ी।

जहां तक क्लेम का सवाल था तो 965 करोड़ रुपये का प्रीमियम आपके वक्त किसान का लिया गया। हमारे वक्त में जो किसान का प्रीमियम हुआ, वह निश्चित रूप से बढ़ा। इसलिए बढ़ा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ा। जब हमारा क्षेत्रफल 21 लाख हैक्टेयर अधिक एरिया बढ़ता है, तो उनका प्रीमियम भी हुआ लेकिन कृषक प्रीमियम के साथ में अगर हम देखें कुल-मिलाकर 1 करोड़ 60 लाख लोगों को बीमा का लाभ आपके वक्त में मिला है। हमारे वक्त में 2 करोड़ 32 लाख, 1 करोड़ 60 लाख इनका था, 2 करोड़ 32 लाख इस बीमा योजना के अन्तर्गत दिया यानी कि 1680 करोड़ रुपये बीमा क्लेम का किसान को मिला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्रोप कटिंग...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री फसल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बीमा योजना में कंपनियों को कितना दिया गया और किसान को कितना भुगतान किया गया, वह आंकड़ा भी बताने का कष्ट करें?

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): आपके टाइम में 10 रुपए के 8 रुपए लगते थे। हमारे डेढ़ रुपया लगता है। यह अंतर है।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): हमारे पास अर्थशास्त्रियों का घाटा नहीं है। एक से एक अर्थशास्त्री हमारे पास हैं।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनम्रता-पूर्वक आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। इनके वक्त में जो फसल बीमा था, वह मौसम आधारित था। 14 परसेंट से लेकर 30 परसेंट तक प्रीमियम लेते थे फार्मर से। जब से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, डेढ़ परसेंट तो हम लोग रबी में ले रहे हैं और 2 परसेट खरीफ में ले रहे हैं। बाकी सारा पैसा भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। किसान से हम लोग नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता है किसान को चाहे कितना भी प्रीमियम का पैसा देना पड़े, राज्य सरकार और भारत सरकार देगी। किसान को तो हम लोगों ने कोशिश करके इसमें दिलाने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। उस कंपनी के द्वारा 6 जिले और 20 तहसील हो गई। उन 6 जिलों में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, जालौर, उदयपुर और सिरोही थे। इन 6 जिलों में क्राप कटिंग को दूषित मानते हुए उन्होंने मना कर दिया कि हम इसका बीमा का पैसा नहीं देंगे। यह सरकार की कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस भारत सरकार की कंपनी है। पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हम सब ने मिलकर भारत सरकार को लिखा यदि कंपनी ने 45 दिन में भुगतान नहीं किया तो ब्लैकलिस्टेड भी करेंगे और वसूली की कार्यवाही भी करेंगे। उसकी अपील हुई। अपील होने के बाद में मुझे कहते हुए खुशी है 331 करोड़ रुपये आज किसानों के खातों में उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिए। इसलिए कंपनियों को हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, भले ही हम राजनीति की बात कर लें। बीमा कंपनी कभी भी किसी के लाभ के लिए काम नहीं करती। हम लोगों ने सबने एलआईसी करवा रखी है। अब हम कहें कि हम लोग प्रत्येक साल किश्त देते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। होगा तो तभी ना जब कुछ डेमेज

(श्री प्रभू लाल सैनी)

होगा। जब डेमेज हुआ ही नहीं है तो कैसे मिलने वाला है? इसलिए बीमा का अर्थ यही होता है कि रिस्क कवर करें। यदि ऐसा होता है, प्राकृतिक आपदा होती है, नुकसान होता है तो रिस्क कवर करेंगे। मुझे एक आंकड़ा बताते हुए बहुत खुशी है कि 600 करोड़ के लगभग तो अकेले जोधपुर को ही मिला है तीन साल में। अकेले को 600 करोड़ के लगभग मिला है। तीन जिले ऐसे हैं जिनको 275 करोड़ मिले हैं। डोटासरा जी की नाड़ हिल रही है, मैं समझ रहा हूं। फिर भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करेंगे जो भी कमी-खामी है, हम भारत सरकार को सतत प्रयास में हमारी तरफ से सुझाव भेजते हैं। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ किसान। उसकी बहबूदी के लिए यह बीमा कंपनियां काम करें। उसको लाभ कैसे मिले? इसकी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसको खा गए।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): नहीं, मैं दे रहा हूं आपको।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): जवाब के योग्य प्रश्न नहीं था।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री उपाध्यक्ष**: आपका नहीं है। जो बगैर इजाजत बोला उसका माइक है।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): आवाज तो आ ही जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस अवसर पर अमरीकन एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैनरी ए. वासेल के शब्दों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि "Agriculture is not only raising crops and rearing animals, but it is the process of the applying technical and the scientific knowledge to transform and make it profitable and the sustainable businesses." यानी कृषि केवल मात्र फसलों के उत्पादन और पशुपालन का नाम नहीं है बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रकिया है जिसमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग से कृषि को लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को एग्रीकल्चर कहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने यह बताने का छोटा-सा प्रयास किया है। हमारा मकसद इस कोटेशन को और एम.एस. स्वामीनाथन का जो विजन था, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने अपने काम को आगे बढ़ाया है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में भी आपने कहा था कि हमारा कम हो गया, ज्यादा हो गया। आंकड़े थे आपके। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा 2013-14 के बजट को हम देखते हैं तो 1225.48 करोड़ कृषि में था और उद्यान विभाग में 141.50 करोड़ था। कुल योग 1366.98 करोड़ था। कृषि संबंधित सभी को मिलाकर 2287 था और अगर हम 2017-18 की बात करें तो सब मिलाकर 4483.82 करोड़ था। इस साल जो बजट हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया, वह सभी कृषि संबंधित क्षेत्रों को जोड़ते हुए, यदि हम कृषि की बात करें तो 2582.70 करोड़, होर्टिकल्चर की बात करें तो 422.60 करोड़, इनका योग मिलाकर देखें तो 3005 करोड़ रुपये और संबंधित क्षेत्र को देखें तो 6744.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बजट में बढ़ोत्तरी वर्ष 2013-14 से देखें तो तीन गुना वृद्धि हुई है। भले ही वह किसी भी उपयोग में अलग-अलग काम के लिए उसका खर्च किया जाता होगा लेकिन हमारी मंशा स्पष्ट है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि किसान को कैसे राहत पहुंचाएं। आपने कहा कि फिर क्या हुआ, आपने बजट तो कर दिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा, अन्न नहीं बढ़ा। मैं निवेदन करूंगा आपसे, हम लोगों ने उन्नत किस्म के बीज दिए, पानी का प्रबंधन किया, उन्नत तकनीक इनको दी। इसके फलस्वरूप आप यह देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, हमारा एरिया भी बढ़ा।

यदि हम बात करें तो वर्ष 2015-16 में 162.97 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन हमारा अनाज का था, वह 2016-17 में आकर 196.87 लाख मैट्रिक टन हो गया यानी 20.9 प्रतिशत की वृद्धि अनाज में हुई। यदि हम बात करते हैं दलहन की तो दलहन के क्षेत्र में भी हमारा जो एरिया था, 38.67 लाख हैक्टेयर था और वर्ष 2016-7 में वह एरिया बढ़कर 57.45 हैक्टेयर हो गया। उत्पादन का जहां सवाल है, 19 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हमारा दलहन का हुआ और इस साल का 2016-17 में प्रोडक्शन 34.17 लाख हुआ। इसी प्रकार उत्पादकता की बात करते हैं कि पर-हैक्टेयर में कितना किलो पैदा हुआ? अनाज की बात करते हैं तो जहां 1781 किलो था, वह बढ़कर 2076 किलो हो गया। इसी प्रकार जहां 525 दलहन में था, वह बढ़कर 595 हो गया। तिलहनी फसलों की यदि बात करें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वह 1140 किलो पर-हैक्टेयर थी, वह बढ़कर 1354 लाख हैक्टेयर हमारी तिलहनी फसलों का

(श्री प्रभू लाल सैनी)

प्रोडक्शन हुआ है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि फसल होना या नहीं होना यह प्रकृति की देन है। किसी सरकार के बस का काम नहीं होता लेकिन सरकार का प्रयास होता है और ईश्वर का कृत्य होता है। प्रकृति ने हमारा साथ दिया है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और इसी प्रकार हम बात करें तो मसाला के क्षेत्र में 12 परसेंट वृद्धि हुई है, फलों के क्षेत्र में 33 परसेंट वृद्धि हुई है और वेजिटेबल के क्षेत्र में 12 परसेंट के लगभग हमारी ग्रोथ हुई है, जो आंकड़ों में आपने देखा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कई लोगों ने कहा, घोषणाएं पूरी नहीं हुईं। सुराज संकल्प में हमारे मैनिफेस्टो 2013 में था, उसमें कृषि विभाग की लगभग 18 घोषणाएं थीं, उनमें से 12 पूरी हो चुकी हैं, 4 प्रगति पर हैं, 2 अभी सम्भव नहीं हो पा रही है। सुराज संकल्प यात्रा में एक घोषणा थी, एक अभी चल रही है पूरी नहीं हुई। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो धीरे-धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन घोषणाओं को समय पर पूरा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट घोषणाओं की मैं बात करूं तो 34 घोषणाएं कुल हुई थीं। 34 में से 25 पूर्ण कर चुके हैं, 9 हमारी प्रगति पर हैं और सीएम अनाउंसमेंट की बात करें तो 10 घोषणाओं में से 6 पूर्ण हो चुकी हैं, 3 प्रगति पर हैं, 1 बाकी है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा तीन ऐसी घोषणाएं जो हम पूरी नहीं कर पाए। नंबर एक, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं जो आप सबका विषय था एमएसपी में ऐसी फसलें जो सम्मिलित नहीं थीं, उनको जोड़ने के बारे में उसमें था। हमारे प्रयास के बावजूद भी भारत सरकार से अनुमति नहीं मिलने से हम उसको नहीं जोड़ पाए हैं। ग्वार गम फैक्ट्री, गंगानगर में लगाने की घोषणा हुई थी।

**(21.00)**

चूंकि सरकारी क्षेत्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सैक्टर में अगर कोई भी इस प्रकार की फैक्ट्री लगाएगा तो रिप्स (RIPS) का भी हम उसको लाभ देंगे और हमारी प्रोसेसिंग का भी देंगे। हम लोग प्रयासरत हैं। यह भी अभी पूरी नहीं हो पाई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से जहां रोजड़े का सवाल था, कई लोगों ने तारबंदी की बात भी की है। राजस्थान पहला राज्य है नेशनल मिशन आयल सीड एंड आयल पाम, जो भारत सरकार की योजना थी, उसमें

(श्री प्रभू लाल सैनी)

84 करोड़ रुपये हमें मिले थे। 84 करोड़ में हम लोगों ने फसल सुरक्षा के नाम पर 10 परसेंट के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे थे, कि तारबंदी या जालीबंदी करके हमारे किसानों की तिलहनी फसलें हैं, उनका हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसकी अनुमति हमें मिली थी। इस साल हमारा आठ-सवा आठ करोड़ के लगभग तारबंदी के प्रस्ताव हम लोगों ने मांगे थे, ज्यादा प्रस्ताव आ गए डिस्पोजल मार्च के पहले हम सबका कर देंगे। हमारा यह प्रयास होगा आगामी सत्र में पंचायती राज के साथ मिलकर, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने इसको डवटेल करने के प्रयास भारत सरकार से करेंगे। मैटेरियल के रूप में यदि हमारा एमएनओओपी का पैसा है उसको जोड़ देंगे। नरेगा से आने वाला पैसा जोड़ेगे तो मैं समझता हूं कि इस घोषणा को निश्चित रूप से पूरा करने के हम लोग प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की मेहनत और विभाग के प्रयास की परिस्थितियों के बावजूद, अंत में मेरा आपसे निवेदन होगा कि राजस्थान 2022 तक डबलिंग फार्मिंग कैसे हो, इन्कम कैसे बढ़े, इसका प्रयास करके हम लोगों ने इसको चार भागों में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में डिवाइड किया है। सबसे पहला इंटीग्रेटेड हमने जोड़ा है उसमें एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर, एनीमल हजबेंडरी, डेयरी और फिशरीज, इसको हम लोगों ने एक सैक्टर बनाया है। दूसरा है Improve the seeds and micronutrients, irrigation management and farm mechanization, Custom Hiring Centers और तीसरा क्रोप इंश्योरेंस है, वैल्यू एडिशन है, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग है और बी कीपिंग मधुमक्खी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौथा, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने वाला है इरिगेशन वाला है, आर्गेनिक फार्मिंग है। इन चार सैक्टर में बनाकर हम लोगों ने, आगामी हमारा सत्र होगा, हम पूरी कोशिश करके हमारे किसान को कैसे खड़ा कर सकते हैं उसके लिए करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणाएं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब से हम सरकार में आए, 2018-19 के दौरान जो भर्तियां करेंगे, उन भर्तियों में कृषि विभाग के माध्यम से 2636 पदों की भर्तियां हम लोग करेंगे। कृषि विपणन के माध्यम से 625 की करेंगे। कृषि विपणन बोर्ड में 130 की करेंगे। राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से 29 की करेंगे। राजस्थान राज्य भण्डारण निगम में 30 करेंगे। राजस्थान बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था

(श्री प्रभू लाल सैनी)

की 15 करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में 900 चिकित्सकों की भर्ती करेंगे। कुल मिलाकर 2900, इसके साथ 2200 के लगभग हमारे पशुधन सहायक हैं। कुल मिलाकर 6469 पदों की भर्ती की प्रक्रिया दिसम्बर के पहले-पहले हम लोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग की तरफ से घोषणा करना चाहूंगा। मैं वर्ष 2018-19 में 750 कस्टमर हाई सेंटर स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इन सेंटर्स के माध्यम से लघु, सीमांत, अन्य श्रेणी के कृषकों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का उन्नत कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने से न केवल कृषि आदान लागत में कमी होगी बल्कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी स्वरोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे।

यह भी घोषणा करता हूं कि 2018-19 में 7 लाख मिनीकिट्स बीज किसानों को नि:शुल्क वितरण किए जाएंगे। 2018-19 में 3 लाख 50 हजार कृषकों के खेत पर विभिन्न फ़सलों के फुल पैकेज प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे।

राज्य में जैविक खेती की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इसे बढ़ावा देने हेतु 2018 में 3 लाख किसानों के खेतों पर 3 लाख एकड़ क्षेत्र में 6 हजार नये क्लस्टर परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत निर्माण कराए जाने की घोषणा करता हूं। योजना प्रावधान के अनुसार किसानों को तीन वर्षों तक शत-प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2018-19 हेतु डिग्गी निर्माण पर अधिकतम अनुदान सीमा 2 लाख से 3 लाख माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई है। फार्म पौण्ड निर्माण पर लागत के 50 प्रतिशत अनुदान को बढाकर 60 प्रतिशत किया गया है। जल हौज निर्माण पर अधिकतम अनुदान पहले 75 हजार था, उसको बढ़ाकर 90 हजार रुपये किया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार 2018-19 में डिग्गी फार्म पौण्ड, जल हौज कार्यक्रमों पर क्रमश: 5 हजार, 4500 और 1500 कृषकों को बढ़े हुए अनुदान के साथ हम लोग लाभान्वित करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2018 में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना के अन्तर्गत 312.71 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अन्तर्गत फसल प्रदर्शन, फल और सब्जियों के प्रदर्शन, डिग्गी निर्माण, सोलर पम्प, ग्रीन

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हाउस स्थापना, बकरा-बकरी वितरण, कुट्टी मशीन, पशु चिकित्सा शिविर, मोबाइल वैन, अजोला प्रदर्शन, ग्रामीण तकनीक केन्द्र, ग्रामीण हाट निर्माण, फार्म पौण्ड, कटूम्बर पौण्ड, वेस्ट वेयर, ग्रेनेज लाइन, उपचार, नहरों का सुदृढ़ीकरण और आधुनीकरण और पिजोमीटर की स्थापना, नलकूपों को वाटर मीटर लगाना इत्यादि गतिविधियां की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ देने के उद्देश्य से लगभग 10 किसानों की उत्पादक कम्पनियों का गठन हम लोगों ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के 17 जिलों में 17 सैक्टर बनाकर 815 करोड़ रुपये की यह योजना है। इसमें से इस वर्ष हम लोग 312 करोड़ रुपये खर्च करके दिसम्बर तक किसानों को लाभ देने का काम करेंगे।

राज्य में संचालित हो रही प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को पारदर्शी बनाने के लिए, फसल कटाई को डिजीटल करने के उद्देश्य से कृषि एवं राजस्व विभाग के कर्मियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जाएंगे। पटवारी और हमारे कृषि वालों को स्मार्ट फोन हम लोग देंगे ताकि वहां से उसको सूचना मिल सकेगी।

महिला सशक्तीकरण के लिए कृषि में महिलाओं के योगदान को देखते हुए 2018-19 में 11 हजार 920 प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। इस पर लगभग 357.60 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके अन्तर्गत 3 लाख 57 हजार 600 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। कृषि शिक्षा अध्ययन के लिए छात्राओं को कृषि विषय पर 10+2 सीनियर कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि एवं पीएचडी, कृषि अध्ययन करने वाली राजस्थान मुल्क की छात्राओं को सात लाख रुपये का प्रावधान करने की भी...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, पांच-सात और सो रहे हैं, जगा दो सबको। यहां अनाउंस करवा दो एक दफा कि सब जागते रहो, जागते रहो।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): कौन सो रहा है, सब जग रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किसान सेवा केन्द्रों का संचालन किया

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जाता है किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए बिजली, पानी कनेक्शन, फर्नीचर आदि के लिए 2018 में 700 किसान सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करके 3 करोड़ 50 लाख रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कृषि पोर्टल सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

सोइल हैल्थ कार्ड योजना में प्रदेश के 25.88 लाख मिट्टी नमूनों की जांच की गई है। जांच के अनुसार किसान सिफारिशों के आधार पर इनके गांववार, फसलवार, खाद उर्वरक सिफारिश प्राप्त सुविधा कृषि पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

उद्यान विभाग की तरफ से मैं कुछ और घोषणाएं करूंगा। माउण्ट आबू में नर्सरी को सेंटर आफ एक्सीलेंस फोर एग्रो टूरिज्म के रूप में विकसित करने हेतु 10 करोड़ रुपये की मैं घोषणा करता हूं।

मावली जिला उदयपुर औषधीय फसलों के उत्कृष्टता केन्द्र की राशि 10 करोड़ रुपये के लिए हिन्दुस्तान का पहला मेडिसिनल हर्बिकल्चर, सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाएंगे। उसमें मैं 10 करोड़ रुपये की घोषणा करता हूं।

मलारना डूंगर, सवाईमाधोपुर, गणेशपुरा, दौसा, पुष्कर में नई नर्सरी स्थापित करने के लिए मैं 10 करोड़ रुपये की घोषणा करता हूं।

राज्य में स्थापित तीन उत्कृष्टता केन्द्रों में यथा नान्ता कोटा, देवड़ावास एवं सगरा भोजका जैसलमेर को एग्रो टूरिज्म से जोड़ने की घोषणा करता हूं। इस हेतु डेढ़ करोड़ रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

2018-19 में 750 सोलर पम्प लगाने की भी घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 165 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। 2018-19 में 5 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नये फल बगीचों की स्थापना की जाएगी। सामुदायिक जल स्रोतों के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की भी घोषणा करता हूं।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के आयोजन के दौरान संरक्षित खेती के प्रदर्शन से कृषकों के बढ़े रूझान को देखते हुए 2018-19 में 13 लाख वर्गमीटर ग्रीन हाउस की शेडनैट हाउस की घोषणा करता हूं। इस पर 25 करोड रुपये का व्यय किया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में 2 हजार वर्गगज तक ग्रीन हाउस बनाने की अलग से जो घोषणा की गई है प्रत्येक को

(श्री प्रभु लाल सैनी)

दस लाख रुपये इसी सेवा के अन्तर्गत दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश में अब तक स्थापित किए जितने भी ग्रीन हाउस हैं, जो कि अपने पिछली सरकारों से और अब तक जो हुए हैं, यदि उनमें कोई भी फल-सब्जी फूल और यदि उनके बहुत महंगे आने वाले बीजों के पौधारोपण की सामग्री को क्रय करेगा, खाद बीज वगैरह लाएगा, ऐसी लागत का 50 प्रतिशत जो 12.50 लाख रुपये तक का हो सकेगा, उन सभी ग्रीन हाउस के लोगों को जिन्होंने पिछले दस वर्ष में ग्रीन हाउस स्थापित किए हैं, उनको देने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि 12.50 लाख रुपये उनको अतिरिक्त मिल सकेगा ताकि वह अपना ग्रीन हाउस का दुबारा संरक्षण संवर्द्धन कर सकेगा।

शीत श्रृंखलाओं के विकास हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आपरेशन ग्रीन के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 20 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करता हूं। 5000 मैट्रिक टन तक कोल्ड स्टोरेज के लिए 1.40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे टमाटर, आलू, प्याज की फसलों के भाव में आने वाले उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

पान उत्पादन करने वाले कृषकों को बेरेज निर्माण हेतु 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस पर एक करोड़ रुपये के प्रावधान की व्यवस्था करता हूं।

हाइड्रोफोनिक्स तकनीक, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में अभी बिना जमीन के खेती की जाती है, वह खेती साउथ आस्ट्रेलिया की तकनीक से, हम लोग बस्सी सेंटर में इसकी स्थापना करेंगे।

संरक्षित खेती में निमेटोड, वायरस जनित बीमारी, सफेद मक्खी, तनाछेदक आदि कीट एवं बीमारियों के निदान हेतु कार्य योजना बनाकर विदेशी सलाहकारों के साथ एक कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा।

मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी 40 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपये तक अनुदान देने की घोषणा करता हूं।

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी 5 हजार कालोनी बाक्स स्थापित करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन के क्षेत्र में, मैं और कुछ घोषणा करना चाहूंगा। पशुपालन के क्षेत्र में।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा के बारे में नहीं बोला। उनियारा और चिमनपुरा के कालेजों को फैकल्टी के कालेज बना दें, तो आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, कृषि शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया आपने।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी है कि हम लोगों ने विश्व की टैक्नोलोजी, हमारी थारपरकर जो गाय है, उस गाय में हम लोगों ने पहली सरकार के वक्त में और आप के वक्त में भी ब्रीड कंफर्मेशन सेण्टर बनाये थे और उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में भी हमारी सरकार ने प्रयास किये थे। लेकिन अभी एन.डी.डी.बी. के साथ जो हमारा एम.ओ.यू. हुआ, पहली बार तीन हमारे ऐसी बछड़ियां पैदा हुईं, दो बछड़ियां और एक बछड़ा, जो एम्ब्रियो ट्रांसफर से हुए हैं। यह तकनीक अब राजस्थान में आ जाने से हमारे दूध की वृद्धि होगी और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा। एक बार कोई भी अगर ओवलिएशन, जो उसके अण्डे होते हैं, एक बार गाय के प्रेग्नेंट होने पर 10 गाय तक को भी उसमें प्रेग्नेंट करके उसकी लाइफ को कम किया जायेगा, ताकि अच्छी नस्ल के, यहां पर कोई भी गौवंश की अच्छी पैदावार हो सकेगी।

प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये 2955 नवीन पशु चिकित्सालय उप केन्द्र तथा 1000 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। साथ ही आगामी वर्ष में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशु चिकित्सा इकाई स्थापित कर दी जायेगी। इसमें प्रदेश में 445 पशु चिकित्सा अधिकारी एवं 1864 पशुधन सहायकों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

जैसा कि मैंने अभी घोषणा की है, उसमें 900 पशु चिकित्सा अधिकारी और 2077 पशुधन सहायकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जो 2018 में हम लोग पूर्ण कर लेंगे।

1000 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र एवं 100 पशु चिकित्सालय, कुल 1100 में डेढ़ सौ करोड़ रुपये व्यय करके सभी के भवन निर्माण कराने की भी मैं घोषणा करता हूं।

प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिये भी प्रदेश की सिरोही नस्ल की बकरियों में 41.48 करोड़ रुपये व्यय करके नस्ल आंशिक सुधार कार्यक्रम संधारित किये जायेंगे।

प्रदेश में भेड़ पालन को बढ़ावा दिये जाने के लिये भी जिला झुंझुनूं,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

चूरू, नागौर, सीकर में चोकला तथा अवर्गीय नस्ल की भेड़ों के लिये 5.28 करोड़ रुपये का व्यय कर आनुवांशिक सुधार कार्य लिये जाएंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूं।

प्रदेश में कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिये जाने के लिये 9 करोड़ रुपये व्यय करके सीकर, अजमेर, चित्तौड़ एवं राजसमंद जिलों में कुक्कुट विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करता हूं।

पशुपालन विभाग के राजकीय फार्मों, यथा फतेहपुर, (सीकर), नागौर; कुम्हेर, (भरतपुर) तथा रामसर (अजमेर) पर हरे चारे के उत्पादन के लिये भी 37.66 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की भी मैं घोषणा करता हूं।

प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान कार्य क्षेत्र बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए 3 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से जिला दुग्ध संघों के माध्यम से 350 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना किये जाने की घोषणा करता हूं।

प्रदेश के समस्त दुधारू गौवंश एवं भैंस वंश के ईयर टैग लगवाने के लिये पशुओं का रिकार्ड सोफ्टवेयर में आनलाइन करवाने हेतु दुधारु पशुओं के नकुल स्वास्थ्य कार्ड के वितरण का कार्य रुपये 11 करोड़ 59 लाख की लागत से किये जाने की भी मैं घोषणा करता हूं।

प्रदेश के देशी गौवंशीय नस्ल बहुल जिलों में देशी गौवंशीय नस्लों साहीवाल, राठी कांकरेज के संवर्धन विकास के लिये भी 14 करोड़ रुपये की एक योजना प्रारम्भ किये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

जिला टोंक में भी 25 लाख रुपये की लागत से मोतीपालन प्रदर्शन इकाई की स्थापना करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में वास्तु दृष्टि से यदि हम देंगे तो रंगीन मछलियों व एक्वा कल्चर का काफी फैशन हुआ है। आज आप माल्स में जाएं, आफिसेज में जाएं, होने लगा है। बंध बीसलपुर निर्माणाधीन रंगीन मछली एक्वेरियम गैलेरी प्रजनन यूनिट के कार्य पर रुपये 211.15 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाये जाने हेतु 2018 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 128.82 लाख रुपये और व्यय किये जाएंगे, जिससे कि राज्य में आधुनिक रंगीन मछली एक्वेरियम गैलेरी तथा प्रजनन यूनिट में रंगीन मछलियों के पालन को बढ़ाया जा सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊंट पर आ रहा हूं।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से, सोयला मिर्च मण्डी के लिये भी कुछ कह देते। निवाई को भूल ही गये क्या।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): वह कल ही कर दी थी न आपकी।

**श्री हीरालाल** (निवाई): डम्प पड़ी है करोड़ों की मण्डी।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से सम्बन्धित दो घोषणाएं मैं करूंगा। राज्य में वर्षापोषित क्षेत्र में दलहनी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता वृद्धि के महत्व को देखते हुए, डिग्गी जिला टोंक में शुष्क क्षेत्र दलहन अनुसंधान उप केन्द्र स्थापित करने की घोषणा करता हूं।

राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में निमेटोलोजी, एग्रो मिटेरियोलोजी एवं सीड टैक्नोलोजी विषयों पर एम.एससी. एवं पी.एचडी. स्तर का शिक्षण प्रारम्भ किये जाने की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी घोषणाएं हुई हैं लेकिन मेरा आपसे अंत में इतना निवेदन करना है कि एक घोषणा तो हमारी रह गई। मैं अभी टेबल कर दूंगा। हमारी मार्केटिंग बोर्ड की कुछ घोषणाएं थीं, सड़कें बनाने की थीं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): कृषि उपज मण्डियों के चुनाव।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति लेकर कर दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: सहकारिता मंत्री महोदय।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस टाइम पर आपने बोल दिया था, जब मंत्रीजी पूरा कर लें, तब।

मैं दो ही बिंदु पर बात करना चाह रहा था। एक, जो आपने आदेश फरमाया था कि एम.एस.पी. की लागत की जानकारी, उसमें ए-2 लागत क्या है? एफ.एल. क्या है और सी-2 लागत क्या है? इसके बारे में बता दें।

एक और विषय था माननीय, ज़ैतून को लेकर इतनी प्रसन्नता हुई मुझे कि जैतून में इतने गुण हैं, होली प्लाण्ट है और उसकी इतनी क्वालिटीज हैं? लेकिन मैं एक थाट पर अचम्भा करता हूं कि जैतून का जो लक्ष्य था वह 1080 हैक्टेयर का था इस साल का, जिसमें 132 हैक्टेयर ही हो पाया है।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय, Ok. Now that's a matter of record. आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे। मंत्री महोदय, Just two minutes.

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन से जुड़ी कुछ घोषणाएं जो रह गई थीं, मैं निवेदन करूंगा। कृषि उपज मण्डी क्षेत्रों में किसानों की सुविधा एवं कृषि जिंसों के परिवहन को सुगम बनाने के लिये मण्डी निधि से 24 प्रतिशत राशि से 300 किलोमीटर किसान पथ बनाने के लिये 100 करोड़ रुपये की मैं घोषणा करता हूं।

मण्डी प्रांगणों में आधारभूत सुविधा ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिये, सुविधाओं के लिये मण्डी प्रांगणों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये के बजट की भी मैं घोषणा करता हूं।

राज्य कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुज्ञापत्र धारी, गैर अनुज्ञापत्र धारी, फुटकर दुकानदार, भूखण्ड आबंटी, कृषक कोटे से भूखण्ड आबंटियों एवं अन्य के विरुद्ध, दिनांक 30.12.2016 तक की देय बकाया राशि के लिये ब्याज माफी योजना दिनांक 30.08.2017 तक लागू की गई थी, जिसको बढ़ाकर 31.10.2017, उसके पश्चात् 31.12.2017 नियत की गई थी। चूंकि सम्पूर्ण राशि जमा न होने के कारण शेष रहे अनुज्ञापत्र धारी, किसान और गैर अनुज्ञापत्र धारियों के लिये 31.12.2016 तक की बकाया देय राशि, 30.04.2018 तक जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा करता हूं।

भरतपुर सम्भाग मुख्यालय पर कृषि विपणन का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

बीस गौण मण्डियों को मुख्य मण्डी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। किसान के खेत बाजार जोड़ने वाली अवधारणा को फलीभूत करते हुए किसानों को त्वरित विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं निम्नलिखित गौण मण्डियों के स्थान पर मुख्य मण्डी स्थापित करने की घोषणा करता हूं। गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, बहरोड़ जिला अलवर, भुसावर वैर, जिला भरतपुर, कुम्हेर जिला भरतपुर, पूंगल रोड, जिला बीकानेर, चौहटन, जिला बाड़मेर, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर, गोविन्दगढ़ जिला अलवर, ओसियां, मथानिया, सोजत सिटी, पाली, नाहरगढ़ जिला बारां, पिड़ावा जिला झालावाड़, डग जिला झालावाड़, मनोहरकाथाना, जायल, जिला नागौर, अरनोद जिला प्रतापगढ़, किशनगढ़ बास जिला अलवर, तिजारा जिला अलवर, हनुमानगढ़ टाऊन, जिला

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हनुमानगढ़ और सांगोद जिला कोटा। ये बीस मण्डियां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 40 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक की इनकी इन्कम थी, उन मापदण्डों के आधार को ध्यान में रखते हुए ये 'डी' क्लास की मण्डियों के रुपयों की घोषणा करता हूं।

साथ ही 22 गौण मण्डियों की स्थापना करने की भी मैं घोषणा करता हूं क्योंकि माननीय प्रधान मंत्रीजी का विजन, नया एक माडल एक्ट आ रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि विपणन की सुविधाएं नजदीक-नजदीक हों तो किसानों को उसका लाभ मिलेगा। इसलिये मुख्य मंत्रीजी की अनुमति के पश्चात् मैं 22 गौण मण्डियां स्थापित करने की घोषणा करता हूं, जिनमें किसानों को निकट दूरी पर फसल विक्रय किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्न स्थानों पर गौण मण्डियां स्थापित करने की घोषणा करता हूं। चान्धण कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर; बोरुन्दा कृषि उपज मण्डी समिति, पीपाड़ सिटी; देसूरी कृषि उपज मण्डी समिति, रानी स्टेशन; झझू कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर; राववाला कृषि उपज मण्डी समिति, बज्जू; सुल्ताना कृषि उपज मण्डी समिति, चिड़ावा; हलेना कृषि उपज मण्डी समिति, नदबई; चनाना कृषि उपज मण्डी समिति, चिड़ावा; बालाजी कृषि उपज मण्डी समिति, गुढ़ागौड़जी; बैसरोली कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामन सिटी।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): लक्ष्मणगढ़ कीजिये ना।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): लक्ष्मणगढ़ का आ रहा है।

बधेरा कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़; सिगडौला कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर, खण्डेला कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीमाधोपुर; बोहड़ा कृषि उपज मण्डी समिति, बड़ी सादड़ी। पीपलखूंट कृषि उपज मण्डी, प्रतापगढ़, कुआं, कृषि उपज मण्डी डूंगरगढ़, चितरी कृषि उपज मण्डी समिति डूंगरपुर, बाड़ी, कृषि उपज मण्डी समिति-निम्बाहेड़ा, हिंगोनिया, कृषि उपज मण्डी समिति-किशनगढ़बास, सावर कृषि उपज मण्डी समिति केकड़ी, भिवाड़ी कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल और गढ़ी कृषि उपज मण्डी समिति- बांसवाड़ा।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन मण्डियों का सुदृढ़ीकरण, जो हमारे यार्ड बने हुए हैं, उनका सुदृढ़ीकरण करने की भी मैं घोषणा करता हूं, जिसमें लक्ष्मणगढ़ और निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने जहां जिसके बारे में कहा है, उन दोनों मण्डियों में हमारी गौण मण्डियां

(श्री प्रभू लाल सैनी)

स्थापित हैं लेकिन उनका इम्प्रूवमेंट, स्ट्रक्चर बढ़ाकर हम कोशिश करेंगे कि वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं और निवेदन करूंगा कि संभाग स्तर पर फल-सब्जी मण्डियों की महिला मजदूरों के लिए पालना गृह व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। अतः राज्य की फल सब्जी मण्डियों में कार्यरत महिला मजदूरों के शिशुओं की सुविधा को संभाग स्तर पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर एवं कोटा की मण्डी समितियों के छोटे बच्चे के पालना गृह प्रारम्भ करने हेतु दो करोड़ रुपये के बजट का भी मैं प्रावधान करता हूं।

'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत 10 फल-सब्जी मण्डियों के स्वच्छता अभियान को सुनिश्चित करने, कचरे के ठोस निस्तारण के लिए अवशिष्ट कचरा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने हेतु राशि दो करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करता हूं।

राज्य की 80 कृषि उपज मण्डी समितियों में किसान, व्यापारी व मजदूरों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए भी जल शुद्धिकरण संयंत्र आर.ओ. स्थापित करने के लिए भी पांच करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करता हूं।

मण्डियों में कृषकों, मजदूरों के लिए कृषि जिंसों के विक्रय के स्थल पर आस-पास बैठने की व्यवस्था के लिए भी पांच करोड़ रुपये, कुर्सियों की व छाया की व्यवस्था की घोषणा करता हूं।

ई-विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए 112 मण्डियों में आवश्यक संसाधन हेतु 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की घोषणा करता हूं।

कृषक को उनकी जिंसों का उचित मूल्य दिलाने एवं किसानों द्वारा लाई गयी कृषि जिंसों की गुणवत्ता के आधार पर बिक्री सुनिश्चित करने के लिए 75 मण्डियों में गुणवत्तापरक असेसिंग लैब लगाने की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की भी घोषणा करता हूं और कृषकों को बाजार भाव की नवीनतम जानकारी देने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करने की भी घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: सहकारिता मंत्री महोदय।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-36-सहकारिता, मांग संख्या-39- पशुपालन पर चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने बहुत ही उत्साह एवं गम्भीरता के साथ बहस में भाग लिया। अच्छे सुझाव तो दिये ही और कमियों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया है, जिसके लिए मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं।

माननीय सदस्यों के 100 से ज्यादा कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके जवाब प्रेषित कर दिये गये हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, पूरी सकारात्मकता के साथ में प्रयास किया जाएगा कि उनका कुछ न कुछ स्थाई निस्तारण हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दीपक को भी आंधियों का डर नहीं होता।'

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आज इतने बड़े जोरदार फार्म में हो।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): यह सम्बोधित हुआ है, उससे आप समझ जाओ कि आज गाड़ी कितनी तेज है।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पहला राज्य है जहां पर गौपालन विभाग पृथक् से गठित है और पहली बार गौ-वंश के संरक्षण और संवर्धन के निधि नियम, 2016 का गठन किया गया है। आज प्रदेश में 8 लाख 59 हजार गौ-वंश हैं जो गौ-शालाओं में निवास करते हैं और उनमें से 7 लाख 60 हजार गौ-वंश को अनुदान का लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत सरकार के समय अगर हम देखें तो केवल 801 गौ-शालाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जा रही थी, जिसे हमने और बढ़ाकर वर्तमान में 1553 गौ-शालाओं को सहायता दी जा रही है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार जहां पर गौ-शालाओं की वृद्धि हुई है, उन्हीं के साथ में 2 लाख 47 हजार गौ-वंश भी अतिरिक्त उन गौ-शालाओं में आवासित हुआ है।

वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में 1160 गौ-शालाओं को 132 करोड़ 68 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। इसी तरह से वर्ष 2017-18 में 183 करोड़ रुपये का अभी अनुदान दिया जाएगा और अगर हम दोनों वर्षों को

(श्री अजय सिंह)

देखें तो 316 करोड़ से अधिक का अनुदान वर्ष 2017-18 तक दे दिया जाएगा।

बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी-अच्छी घोषणाएं की हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली घोषणा की है कि गौ-शालाओं को चारा, पानी और पशु आहार के लिए तीन माह की जो सहायता मिल रही थी उसको बढ़ाकर छह माह किया जाएगा और इस तरीके से वर्ष 2018-19 में लगभग 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता गौ-शालाओं को दी जाएगी और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अगर पूरे कार्यकाल को हम देखें तो 700 करोड़ रुपयों से अधिक की गौ-शालाओं को सहायता दी जाएगी और अगर हम गत सरकार को देखें तो गत सरकार ने केवल 84 करोड़ की सहायता गौ-शालाओं को दी थी और जिसको निश्चित रूप से हमने आगे बढ़ाया है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं या कार्यक्रम पिछली सरकार के समय थे, उसको सहकारिता और गौ-पालन विभाग ने हिमालय की ऊंचाईयां दी हैं...

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मंत्रीजी, यह आंकड़ा वापस बताना।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): और उसको हमने आगे बढ़ाया है और अगर हम पूरा देखें आपदा प्रबंधन का और राजकीय बजट से जो भी अनुदान दिया गया है, गौ-शालाओं को वह पूरे कार्यकाल को, पांच वर्ष का अगर देखा जाएगा अभी तक का तो एक हजार करोड़ से ज्यादा का अनुदान गौ-शालाओं को अबकी बार मिलेगा। हमारे समय में और अगर गत सरकार को हम देखें तो 319 करोड़ का अनुदान ही होता है, आपदा को और बजट मिलाकर के।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से निराश्रित गौ-वंश, नंदी की देखभाल के लिए भी प्रत्येक जिले में एक नंदी गौ-शाला को गौ-संरक्षण और संवर्धन निधि से 50 लाख रुपयों के अनुदान का प्रावधान पहली बार किया गया है। इससे निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी।

इसी तरह से पंजीकृत गौ-शालाओं में आधारभूत संरचना और विकास के लिए भी 50 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इससे जो कमजोर गौ-शालाएं होंगी, वहां पर गौ-आवास शैड, पानी का टांका, चारा भण्डार गृह आदि का निर्माण करवाया जा सकेगा।

(श्री अजय सिंह)

इसके अलावा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और घोषणा की है कि गौ-शालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 25 गौ-शालाओं में बायो गैस प्लांट लगाने के लिए गौपालन विभाग की तरफ से अधिकतम 40 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा जो निश्चित रूप से गौ-शालाओं को विशेष मदद पहुंचाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन अपने 21 जिला दुग्ध संघों के माध्यम से एक नया आयाम स्थापित करते हुए इस वर्ष माह जनवरी, 2018 तक औसतन 27 लाख 10 हजार किलोग्राम प्रति दिन दूध एकत्रित कर औसतन 20 लाख 21 हजार लीटर प्रति दिन स्थानीय बाजार में विक्रय कर रहा है जो गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 10 प्रतिशत व 6 प्रतिशत अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद की डेयरी को-आपरेटिव पर बिजनस रिपोर्ट माह अक्टूबर, 2017 के अनुसार राष्ट्र के प्रमुख दुग्ध संघों में जयपुर दुग्ध संघ द्वारा दिया जा रहा गाय का दूध और मिश्रित दूध की दर क्रमश: 30 रुपये 60 पैसे किलो एवं 35 रुपये 10 पैसे प्रति किलो ग्राम है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भैंस के दूध की दर वर्तमान में जयपुर डेयरी द्वारा 39 रुपये 17 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है, जो कि पूरे देश में गुजरात के बाद में द्वितीय स्थान पर है।

अजमेर जिला दुग्ध संघ द्वारा संयंत्र के विस्तारीकरण हेतु एन.डी.सी. से 252 करोड़ 66 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करवा दिया गया है। इसी प्रकार जयपुर दुग्ध संघ द्वारा आर.के.वाई. योजना के अन्तर्गत 175 करोड़ रुपये का 50 प्रतिशत अनुदान पर ऋण स्वीकृत करवाकर डेयरी का विस्तारीकरण किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम गत सरकार से कुछ तुलना भी करें चार महीने की, वर्ष 2008 से दिसम्बर तक के 49 महीनों की तो इसमें भी हम पाएंगे चाहे वह दूध संकलन में हो, पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दुग्ध भुगतान में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, स्थानीय दुग्ध बिक्री में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, घी बिक्री में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पशु आहार बिक्री में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

(श्री अजय सिंह)

इसी प्रकार से पंजीकृत दुग्ध समितियों में भी 15 प्रतिशत तथा सदस्यों की जो सदस्यता है, उसमें 241 प्रतिशत एवं महिला सदस्यों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के प्रति और दुग्ध उत्पादकों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। आपके समय से एक योजना चल रही थी 'सरस रक्षा कवच योजना' उसमें दुर्घटना होने पर दुग्ध उत्पादकों को केवल एक लाख रुपये का बीमा लाभ मिल रहा था, उसको आते ही हमने पांच लाख रुपये का बीमा लाभ कर दिया, जो अब उसको मिल रहा है और इसमें भी जो इसका प्रीमियम आ रहा है, वह सामान्य व्यक्ति के लिये 40 रुपये 50 पैसे और एस.सी., एस.टी. व महिलाओं के लिये केवल 20 रुपये 45 पैसे उससे लिये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग का हमारा सवा चार सालों का जो भी कार्य हुआ है, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा हमारा कार्यकाल रहा है और मैं इसके लिये कहना चाहूंगा कि हम शुरू से ही अच्छे लक्ष्य लेकर, बड़े लक्ष्य लेकर चले और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि अधिकांश लक्ष्यों को हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको प्राप्त भी किया है। मैं इसके लिये कहना चाहूंगा कि -

"खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा
अभी और उड़ान बाकी है,
जमीं नहीं है मंजिल मेरी
अभी तो पूरा आसमां बाकी है।"

निश्चित रूप से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा हो, लेकिन आज यह बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति एक-दूसरे के लिये हो। एक सबके लिये, सब एक के लिये और हमारा भी यही प्रयास है और सहकारिता विभाग भी इस प्रयास को लेकर चल रहा है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, जैसी उड़ान उप-चुनावों में भरी, वैसी ही भरोगे?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): वह तो दिसम्बर में बता देंगे आपको।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय सचेतक महोदय के लिये मैं कहना चाहूंगा, अभी आपके कई सदस्य और भी बोल रहे थे कि-

"लहरों की तो फितरत होती है शोर मचाने की,

लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देख लेता है।"

आप इसकी चिंता मत करो, हम सब वही साथ ही रहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में अभी 29 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं और जो हमारी बैंक हैं, उन बैंकों का मुख्य कार्य है कृषि के लिये किसानों को ऋण देना और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बहुत आवश्यक होता है कि आज के तकनीक के हिसाब से हमारी बैंकें भी नई तकनीक अपनाएं। हमने आते ही हमारी सभी सी.सी.बी. की जो ब्रांचेज हैं, 493 शाखाएं हैं, उन सबकी हमने कोर बैंकिंग प्रणाली स्थापित की, उन सबको हमने आनलाइन किया और आज हमारी सभी बैंकें आनलाइन हैं तथा सहकारी बैंकों में व्यवसायिक एवं निजी बैंकों की तरह एनीव्हेयर बैंकिंग, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी., एस.एम.एस. अलर्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्टेटमेंट और अकाउंट बाई ई-मेल, एटीएम और माइक्रो एटीएम और रूपे कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत सरकार के बजट में यह घोषणा थी 2012-13 के बजट में, कि हमारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। आपके पूरे कार्यकाल में आप इसको स्थापित नहीं कर सके, लेकिन हमने आपकी इस बात को आगे बढ़ाया और किसानों के हित में इस पूरी कोर बैंकिंग प्रणाली को हमारी शाखाओं में हमने स्थापित किया।

सहकारी बैंकों के द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ की जाएंगी, जिससे मोबाइल आधारित आई एम पी एस, यू पी आई, भीम मोबाइल वैलेट आदि अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ हो सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीर्ष सहकारी बैंक को मोबाइल बैंकिंग हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इसके लिये मैं वर्ष 2018-19 में दो करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा 21 सितम्बर को लक्ष्मणराव ईनामदार जन्म शताब्दी समारोह पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। इसे पुरस्कारस्वरूप 15 लाख रुपये का चैक

(श्री अजय सिंह)

तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। यह राजस्थान के लिये निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय 'जिन्दगी कब अच्छी होती है, जिन्दगी कब बेहतर होती है, जिन्दगी तब अच्छी होती है, जिन्दगी तब बेहतर होती है, जब हम खुश होते हैं' लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, जिन्दगी बेहतरीन हो जाती है, जब हमारे कारण से हजारों लाखों लोग खुश हो जाते हैं और निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हमारी यही स्पष्ट मंशा रही है कि हमारी योजनाओं के कारण से, हमारे अच्छे कार्यक्रमों के कारण से लोगों को लाभ हो और अभी वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर्ज माफी की जो घोषणा की है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिये। बजट पारित होने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उसका अक्षरश: पालन किया जायेगा और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 20 लाख से अधिक किसानों को इससे लाभ होगा।

प्रतिपक्ष के नेताओं ने अभी बार-बार कर्ज माफी पर अंगुलियां उठायी हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हमने पूरा प्रयास किया कि आप भी हमारे साथ में आओ, क्योंकि यह किसानों की बात है, किसानों की आवाज उठानी है, लेकिन आप फिर भी हमारे साथ में नहीं आये। इसके लिये मैं आपको कहना चाहूंगा-

"आपने चाहा नहीं, वर्ना हालात बदल सकते थे,
आपकी आंखों के आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे,
मगर आप तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह
अगर कुछ दूर निकलते तो दरिया बन सकते थे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह पत्र पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो हमने माननीय हमारे सचेतक महोदय गोविन्द सिंहजी डोटासरा और श्री अमराराम जी, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा, जिनको कि प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सदस्य सचिव हैं इस कमेटी के, उन्होंने लिखा था। महोदय, राजस्थान में कृषि ऋण माफी हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष माननीय जल संसाधन मंत्री डा. रामप्रताप के साथ हुई वार्ता के क्रम में लेख है कि केरल राज्य में किसानों के ऋण माफी हेतु प्रतिपादित तंत्र के अध्ययन हेतु

(श्री अजय सिंह)

गठित दल दिनांक 15.11.2017 को हवाई मार्ग द्वारा केरल के लिये प्रस्थान कर रहा है। आपकी टिकट व अन्य व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जा रही हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस अध्ययन दल के साथ केरल यात्रा पर पधारकर कृषकों की ऋण माफी योजना के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में अपना योगदान दें।

इसी के साथ एक पत्र और लिखा गया है - जैसाकि आपको विदित है केरल राज्य द्वारा प्रतिपादित कृषकों की ऋण माफी की योजना तथा उसके सम्पादन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु राजस्थान के एक प्रतिनिधिमण्डल को केरल जाना था, जिसमें आप भी सम्मिलित थे, परन्तु आप इस प्रतिनिधिमण्डल के साथ केरल नहीं जा सके। उक्त प्रतिनिधिमण्डल केरल ऋण माफी योजना के अध्ययन के लिये केरल गया तथा अध्ययन हेतु संग्रहित दस्तावेजों का अध्ययन किया जा रहा है। उक्त दस्तावेजों की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशानुसार आपसे निवेदन है कि आप कृषक ऋण माफी के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति को केरल की योजना के संबंध में अपनी टिप्पणी 7 दिवस में प्रस्तुत करने का श्रम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है ... (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय को स्वयं ही क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, इनको बोलने दो। अच्छा बोल रहे हैं, और कुछ लोग देखने-सुनने भी आये हैं।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों से, कि जब हम किसान की बात करते हैं तो हमें पार्टी से ऊपर उठकर कुछ बात करनी चाहिये। हमें बार-बार जो अभी कहा कि आपने यह नहीं किया, हमने यह नहीं किया। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहता हूं कि आपकी जो योजनाएं मैदान में थीं, उनको हिमालय-सी ऊंचाई हमने दी। हमने कभी उनको बंद नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट में राजस्थान राज्य कृषक ऋण आयोग के गठन की घोषणा की गयी। यह आयोग एक स्थायी संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा किसान इस आयोग के

(श्री अजय सिंह)

सामने अपना पक्ष रखकर मैरिट के आधार पर राहत प्रदान कर सकेंगे। आयोग के गठन के लिये माननीय गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय कमेटी का गठन किया गया है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगा कि इस कमेटी के 10 सदस्य हैं। माननीय गृह मंत्रीजी हैं, माननीय कृषि मंत्रीजी हैं, माननीय जल संसाधन मंत्रीजी हैं, माननीय सहकारिता मंत्रीजी हैं, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग हैं, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं, सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं। प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग इसके सदस्य सचिव हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य बार-बार इसके बारे में संशय पैदा कर रहे हैं कि सहकारी बैंकों के अलावा क्या उनको शामिल किया जाएगा? किन किसानों को शामिल किया जायेगा? क्या लघु और सीमान्त किसानों से ऊपर भी किया जाएगा? इसके बारे में मैं बता दूं कि वह इसके बारे में जो विचार करेगी, उन बिन्दुओं में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। किन श्रेणी के किसानों को इसके दायरे में लाया जाना है। किसानों को किस सीमा तक और किस प्रकार से राहत दी जानी है। अगर गैर सरकारी, गैर सहकारी बैंक या अन्य बैंकों को आयोग के दायरे में शामिल किया जाना है तो उसकी शर्तें क्या होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा और पात्रताधारक किसानों को निश्चित रूप से तुरन्त राहत मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्याजमुक्त फसली ऋण देने में राजस्थान अभी सबसे आगे है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हम 61544 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याजमुक्त फसली ऋण दे चुके हैं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा था और कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि यह नहीं किया है। आपने कहा कि यह हमने शुरू की थी। निश्चित रूप से आपने शुरू की थी लेकिन आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा किसान था या चुनाव था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2008 में...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपकी कर्ज माफी की जो बात है, यह चुनावी मंशा है? वह बता दो। क्या आपने आखिरी बजट में नहीं किया? आप भी पहले बजट में कर सकते थे।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): यह मंशा स्पष्ट है कि किसानों के लिए की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार 2008 में बनी। 2008-09 में कितना ब्याज मुक्त ऋण किसानों को दिया? शून्य। 2009-10 में कितना दिया? शून्य। 2010-11 में कितना दिया? शून्य। 2011-12 में कितना दिया? शून्य।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह ऋण बांटना चालू किया चुनाव से एक साल पहले 2013 में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सदस्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं और हमें किसान की प्राथमिकता को सर्वोच्च रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पूरे पांच वर्षों में 25 हजार करोड़ से कम का फसली ऋण वितरण किया है जबकि देखा जाए तो आपने 24875 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण बांटा था। हमने उसको बढ़ाकर 61544 करोड़ कर दिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और हमारा प्रयास है कि इसको हमारे कार्यकाल में 75 हजार करोड़ तक हम बांट देंगे।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये। वह अभी बता रहे थे कि इतना बांटा। मैं बता दूं कि इस वर्ष का लक्ष्य 15 हजार करोड़ रुपये फसली ऋण बांटने का रखा गया था जिसमें से 13 हजार 381 करोड़ 77 लाख रुपये का ऋण हम 22 लाख 82 हजार 734 किसानों को बांट चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में एक छोटी-सी घटना बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में पूना से आगे एक मन्दिर है। एक ट्रस्ट द्वारा वह मंदिर संचालित होता है। ट्रस्ट के संचालक मण्डल ने यह निर्णय किया कि इसमें से कुछ पैसा हम बचाकर रखेंगे और हम हमारे किसानों को बिना ब्याज के देंगे। किसानों ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया और उसको मीडिया ने पूरे भारत में, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बहुत सराहा। उसके बाद जब उनका वापस सर्वे हुआ, जब किसानों से उनकी रायशुमारी की गयी तो उन्होंने कहा कि बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह पैसा हमें बिना ब्याज के मिल रहा है इसलिए किसान कभी भी कर्ज से नहीं दबेगा। हम भी तो वही कर रहे हैं।

अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह आप कंसोलिडेटेड फण्ड से नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि हमने आपकी योजना को बन्द नहीं किया। हमने उसको आगे बढ़ाया। हमने लड़-झगड़ कर नाबार्ड से, जो कभी 40 परसेंट, कभी 45 परसेंट, वह उसको फ्लक्चुएट करता है री-फाइनेंस को। फिर भी हमने प्रयास करके, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उसको चालू

(श्री अजय सिंह)

रखा है और हमने री-फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास किया। आप आज दूसरी सरकार को तो देखो। आज पंजाब सरकार दे रही है क्या? हरियाणा सरकार दे रही है क्या? हमारे आसपास के जो भी राज्य हैं, कोई भी बिना ब्याज के फसली ऋण अपने किसानों को नहीं बांट रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बातें तो हम बार-बार करते हैं लेकिन जब हम सत्ता में रहते हैं तब हम उस बात को भूल जाते हैं। कई ऐसे जन प्रतिनिधि हैं, कई ऐसे जिम्मेदार पद पर रहे हैं। बाहर निकलकर, जब वे सत्ता में नहीं हैं तब वह कहते हैं कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार आयी थी, मैं जिक्र कर रहा हूं हमारे भूमि विकास बैंकों के बारे में, हमारे सीसीबी की जो जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, पहली बार राजस्थान सरकार ने देश की आजादी के बाद अगर ब्याज दर को घटाया है तो वह वसुन्धरा राजेजी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घटाया है। आपकी सरकार के समय भूमि विकास बैंक में आपने किसानों से ब्याज लिया 14.10 प्रतिशत। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हमसे ज्यादा राज किया है। (व्यवधान) डोटासराजी, मैं तो बोला ही नहीं, आप खड़े हुए तब। आप मेरे को पूरा सुन लो, फिर बता देना। अगर किसान कोई ट्रैक्टर खरीदने गया, कोई कृषि यंत्र खरीदने गये या अपनी जमीन का समतलीकरण कराने गया तो उसने आपकी सरकार के समय लिया 14.10 प्रतिशत पर। आप ज्यादा समय सत्ता में थे। हमारे समय भी नहीं हुआ। हमें भी करना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई व्यवसायी कार खरीदने गया तो उससे ब्याज दर ली गयी 10 प्रतिशत। इससे ज्यादा किसानों के लिए कोई अहित हो नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने आते ही इसको सुधारा और हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2014-15 में इसमें पांच प्रतिशत का हमें अनुदान दिया। अनुदान के बाद हम इसे एकदम नीचे लेकर आये और अभी हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि अब हम साढ़े पांच प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ऊपर, चाहे कम संख्या में ही सही, चौथे स्तम्भ के सदस्य भी बैठे हैं। अगर ब्याज दर को हम देखें, आपने देखा होगा कि बार-बार रिजर्व बैंक के कहने के बाद में भी जो देश और प्रदेश की बैंक हैं,

(श्री अजय सिंह)

वह अपनी ब्याज दर को कम नहीं कर पातीं। अगर हम इसकी गणना करें और अगर कोई छोटा-सा ब्याज दर कम हो जाता है, कोई भी बैंक कम कर लेती है तो मीडिया में उसका कितना प्रचार-प्रसार किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमसे पहले कोई दस लाख का ऋण भूमि विकास बैंक से लेता तो उसको प्रथम बार ब्याज देना पड़ता, एक लाख इकतालीस हजार रुपये। यदि आपके समय, अन्तिम समय में किसी ने लिया, हमने उसको कम कर दिया है। अगर आज हमसे दस लाख का ऋण लेता है तो उसके ऊपर ब्याज आता है केवल 55 हजार रुपये। 86 हजार रुपये का फायदा उसको हुआ है। (व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपके समय बोला ही नहीं। बाहर बता देना मुझको।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, एक मिनट। बहुत जोरदार बात है। मुझे पता है, आज आपका फ्लो बना हुआ है, लेकिन एक बात सुनिये। आप ब्याज कम कर रहे हो, क्या राज्य सरकार अनुदान दे रही है?

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): हां, दे रही है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): कहां दे रही है? कितना दे रही है?

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय को बताना चाहूंगा। इसमें राज्य सरकार पांच प्रतिशत का अनुदान दे रही है बाकी हमने प्रयास करके इसको और नीचे किया है। अगर सरल भाषा में मैं कहूं तो 45.80 पैसा, 46 पैसे से भी कम हम हमारे किसान को यह दे रहे हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है।

इसके अलावा हमारे जिले की जो केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, उसमें भी हमने दो प्रतिशत ब्याज दर को कम किया है। हमारी एक योजना सहकार किसान कल्याण योजना। उसको भी हमने किसानों के लिए दिया है। माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि इसकी राशि को बढ़ाया जाए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी मंशा यह है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हों, इसलिए इस राशि को दस लाख रुपये रखा है। अगर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होगी तो इसको बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले सभी किसानों को पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा, सहकारिता विभाग द्वारा एक

(श्री अजय सिंह)

सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई, पहली बार। इसके लिए, फिर मैं कहना चाहूंगा:-

"जरूरी नहीं कि सजदे हो हर वक्त और उसमें खुदा का नाम आये,
जिन्दगी तो खुद एक इबादत है, बस शर्त यह है कि यह किसी के काम आये।"

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसा लग रहा है जैसे 'कवि राजा खेती करे, हल से रांके एक, बीज जमीन में गाड़ दे ऊपर माटी रेत', ऐसा कर रहे हैं हमारे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधि के नाते कई बार हम किसान की बातें तो बार-बार उठाते हैं...

**श्री उपाध्यक्ष**: यह जो व्यक्तिगत टिप्पणियां की गयी हैं न, ये अंकित नहीं होंगी।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन से बाहर बार-बार किसान की बात करते हैं, हम किसान की दुर्घटना की बात करते हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जन प्रतिनिधि होने के नाते हम भी अपने क्षेत्रों में इस तरह की जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के साथ, अन्य लोगों के साथ में तो वहां जाते हैं और जाने के बाद में कई बार हमारे सामने ऐसे दर्दनाक मन्जर आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब एक विधवा बहन हम से यह आग्रह करती है कि आप विधायक हो, आप मंत्री हो, आप इसकी मदद करो। मेरे पांच साल का बच्चा है, मुझे कहीं से मदद दिलाओ लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कुछ नहीं कर पाते, ज्यादा से ज्यादा उस गांव का सरपंच है जिसको कि आगे फिर चुनाव लड़ना है या विधायक हैं, 11 हजार रुपये दे देते हैं, दो बोरी गेहूं रखा देते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। विधायक रहते हुए मैंने इसको बहुत करीबी से देखा है और ज्यों ही सरकार बनीं तब मैंने देखा कि गत सरकार, यानी कि कांग्रेस सरकार के समय की योजना थी दुर्घटना बीमा योजना। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सही हो, अगर हमने कुछ नहीं किया है, अगर हम कहीं गलती पर हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपने भी अगर कुछ नहीं किया तो उसको स्वीकार करना चाहिए

(श्री अजय सिंह)

आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने 50 वर्ष राज किया और बीमा का जो लाभ मिलता था वो मिलता था 50 हजार रुपये। आप 50 हजार से 51 हजार नहीं कर सके, इससे ज्यादा किसान की हम क्या मदद कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले दिन से ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा। मुझे वो हादसा याद है कि टोंक के अन्दर एक हादसा हुआ था कि जब बस जा रही थी और बिजली के करंट से कुछ लोगों की मृत्यु हो गयी थी। हमने प्रयास किया, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कुछ प्रयास करो और प्रयास करके हमने उस राशि को बढ़ाया, तीन लाख किया। उसके बाद में पांच लाख किया और वर्तमान में छह लाख रुपये का लाभ हमें मिल रहा है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हम जो छह लाख का लाभ दे रहे हैं वो हम केवल साढ़े 27 रुपये के अन्दर दे रहे हैं। 55 रुपये इसकी किश्त आ रही है और हम किसान से केवल साढ़े 27 रुपये ले रहे हैं, बाकी साढ़े 27 रुपये हमारे बैंक जमा करा रहे हैं।

मैंने अभी जिक्र किया था कि हमारी अपेक्स बैंक को जो इनाम माननीय प्रधान मंत्रीजी के द्वारा मिला है उसमें एक सबसे बड़ा कारण यह था। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला बैंक है जो कि बीमा करवा रहा है और अपने किसानों को लोन देने के साथ-साथ बीमा भी करवा रहा है और उनके हित में राशि भी जमा करा रहा है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि 2014-15 में अभी तक 16 करोड़ 48 लाख रुपये का प्रीमियम किसानों के द्वारा जमा कराया गया है इस योजना के तहत और अभी तक हम किसानों को 29 करोड़ 70 लाख रुपये का क्लेम दे चुके हैं जबकि अभी हमारे पास में कई प्रकरण पेंडिंग हैं।

**एक माननीय सदस्य**: 10 लाख कर दो।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी है कि एक अप्रैल से 10 लाख, मैं आज सदन में इसकी पुष्टि करता हूं कि एक अप्रैल से यदि किसी भी किसान की इस तरह से दुर्घटना में मृत्यु होती है और जिसने हमसे ऋण लिया है उसको 10 लाख का बीमा क्लेम, 10 लाख का बीमा कवर मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको हमने ब्याजमुक्त फसली ऋण से जोड़ दिया। हमने बहुत अच्छा यह प्रयास किया है। आपके समय में कभी भी पांच-छह लाख से ज्यादा का बीमा किसान नहीं करा सका, वो इसलिए नहीं

(श्री अजय सिंह)

करा सका कि आपने गत सरकार के समय हमेशा यह प्रयास किया कि किसान अपने आप बीमा करायेगा। हम उसको इस परिधि में लेकर आ गये हैं कि इस वर्ष लगभग 25 लाख किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण दिया जायेगा और हमने यह कर लिया है कि यह बैंक की ड्यूटी है, जो बैंक के अधिकारी हैं, हमसे चाहे कोई 500 रुपये का ऋण भी लेगा तो भी उसका बीमा होगा और उसको भी यह 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमने सभी को ले लिया है, सड़क दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, रेल दुर्घटना, पानी में डूबने, ऊंचाई से गिरने, कीटनाशक वगैरह सब। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कृषि मण्डी से कृषक साथी योजना के तहत जो भी आपको राशि मिलती है, यह इसके अतिरिक्त है। यह बीमा राशि है, वो आप अलग से से लेने का क्लेम करें और यह आप उससे अलग ले सकते हैं। किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

अभी बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि हमारे को नहीं मिल रहा। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो कम था तो लोग भी इसके लिए ज्यादा क्लेम नहीं करते थे। अब हमने इसको 10 लाख कर दिया है तो निश्चित रूप से जब यह दुर्घटनाएं होती हैं तो इसको क्लेम करने वाले भी ज्यादा होते हैं और उसके लिए हमारा जो एम.ओ.यू. इन्श्योरेंस कम्पनी के साथ में होता है और उसमें भी कुछ शर्तें होती हैं। उसके लिए एक शर्त यह आवश्यक है कि इसमें एफ.आई.आर. लाज होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि तुरन्त इसकी एफ.आई.आर. लॉज करायें और यदि कोई जहरीला जानवर काटता है या मधुमक्खी, कोई सांप या कोई दूसरा भी, तो उसके लिए तो अगर आप डाक्टर की रिपोर्ट ले लें पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तो उससे ही वो मिल जाता है। इसके लिए अभी हम एम.ओ.यू. कर रहे हैं। अभी हम नई कम्पनी से करेंगे, हम अभी टैण्डर निकाल रहे हैं और मेरा अब की बार यह प्रयास है कि उसके अन्दर हिन्दी के अन्दर भी हम कुछ बिंदुओं को लेकर एक-एक किसान तक वह पहुंचाएं कि उसको कितने समय में दस्तावेज देना है, क्या-क्या दस्तावेज देना है। मैं इतना कह सकता हूं कि इस तरह की जो योजना है पूरे देश में अगर कहीं है तो वो सिर्फ राजस्थान में है। पांच लाख से ज्यादा का दुर्घटना बीमा कोई भी राज्य अभी नहीं करा रहा है। निश्चित रूप से इसका फायदा होगा।

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने यह महसूस किया है कि कई व्यक्ति हमसे ऋण लेते हैं, चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे दूसरी बैंक हो, मान लो एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर के लिए ऋण लिया और ट्रैक्टर खरीद लिया और चार माह बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी तो यह बड़ी समस्या हो जाती है कि उसके बाद में कुड़की निकलती है। एक समस्या, तनाव-सा रहता है तो उसका निस्तारण करने के लिए हम 'सहकार जीवन सुरक्षा बीमा' लेकर आये हैं जिसमें हमने 10 लाख का सभी का बीमा कराना कम्पल्सरी किया है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक का जो हमारा, सरकार का कार्यकाल है उसमें 46,797 किसानों को बीमा लाभ मिल चुका। बहुत बड़ा इसका फिगर है। इसमें जो बीमा की राशि किसानों ने जमा करायी थी वो 210 करोड़ 48 लाख रुपये का प्रीमियम किसानों ने जमा कराया था और उनको जो लाभ मिला है, वो 261 करोड़ 48 लाख रुपये का क्लेम किसानों को मिला है जबकि अभी कई पैंडिंग भी हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छी फायदे की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजफैड अर्थात् राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है और यह संस्था केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वाणिज्यिक आधार पर कृषि उपज की खरीद करता है। किसानों को उचित मूल्यों पर उन्नत व प्रामाणिक खाद-बीज की आपूर्ति करना, पशु आहार फैक्टरी के माध्यम से पशु आहार का उत्पादन एवं विक्रय करना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रही है और मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि जब गत समय में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी थीं तो सबसे पहले उन्होंने ही वर्ष 2007 में किसानों के लिए अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था अपने बजट में की ताकि किसानों को सही समय पर खाद मिल सके। इस वर्ष भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1 लाख 75 हजार मैट्रिक टन यूरिया और 50 हजार मैट्रिक टन डी.ए.पी. के अग्रिम भण्डारण के निर्देश दिये हैं जो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गत सरकार के समय पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया था लेकिन हमारे पांच वर्षों में कहीं भी यूरिया और डी.ए.पी. की

(श्री अजय सिंह)

खाद की कमी नहीं आयी है, किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य के बारे में माननीय सदस्यों ने बार-बार कहा। यह बड़ा संवेदनशील विषय है और निश्चित रूप से प्रधान मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी सभी चिंतित हैं इसके बारे में कि समर्थन मूल्य किसान को मिलना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि आपके समय में समर्थन मूल्य पर जो भी खरीद हुई है, हमने और प्रयास करके उसको और आगे बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार वर्षों में समर्थन मूल्य एवं पी.एस.एफ. योजना के तहत किसानों से हमने 21 लाख 10 हजार मैट्रिक टन जिंसों की खरीद की है, जिसकी कीमत होती है 6504 करोड़ रुपये, जो कि निश्चित रूप से एक रिकार्ड है और अगर गत सरकार का हम देखें तो आपने पांच वर्षों में केवल 1180 करोड़ रुपये की फसल उस समय खरीदी थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही सरसों के 173 खरीद केन्द्र शुरू करेंगे और चने के 113 खरीद केन्द्र हम शुरू करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जिन भी माननीय सदस्य की तरफ से हमें अगर कोई भी सुझाव या कोई भी इस तरह की मिलेगी डिमांड, मांग कि वहां खरीद केन्द्र खोला जाना चाहिए तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पूरे सकारात्मक विचार कर निश्चित रूप से वहां पर केन्द्र स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे।

**(22.00 बजे)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां और पंचायत समिति क्षेत्र में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति 6497 हैं और क्रय-विक्रय सहकारी समितियां 270 हैं। मैं घोषणा करता हूं कि एक तो भदेसर चित्तौड़ में नई केवीएसएस का शीघ्र गठन किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि किसानों को आधुनिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3 वर्षों में 6365 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2018-19 में 22.28 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की बात अपने कट-मोशन में कही है। मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं कि इसके लिए मंत्रिमण्डल आज्ञा के द्वारा मापदण्ड निर्धारित हैं। आप उन मापदण्डों को पूर्ण करवा लें, उनकी शर्तों को पूर्ण करवा लें। निश्चित रूप से जहां भी आप कहेंगे, वहां पर पैक्स और लैम्प्स तुरन्त गठित कर दिए जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति और केवीएसएस को और मजबूत करने के लिए, अभी हमारे कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि रोजगारोन्मुखी सहकारिता को बनाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह घोषणा करता हूं कि कानफैड के माध्यम से सहकार संघ व्यापार नीति के तहत केवीएसएस और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चरणबद्ध तरीके से मार्केट डवलप कराकर जो हमारे सदस्य हैं, उनके बच्चों के माध्यम से उनको बिजनस पार्टनर बनाया जाएगा। बिजनस में उनको भागीदार बनाने के लिए हम यह कार्य हाथ में लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे केवीएसएस हो, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समितियां हों, उनका अच्छी तरह से किसानों को लाभ मिले, इसके लिए यह जरूरी है कि भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जाए। हमने अभी तक चार वर्षों में 1 हजार 277 गोदामों का निर्माण कराया है, जो कि एक रिकार्ड है। मैं वर्ष 2018-19 में 10 क्रय-विक्रय सहकारी समिति में 250 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण की घोषणा करता हूं। इसके लिए प्रति समिति 25 लाख रुपए के हिसाब से कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। मैं वर्ष 2018-19 में 100 नवगठित पैक्स/लैम्प्स में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम एवं कार्यालय भवन के निर्माण की घोषणा करता हूं। इसके लिए प्रति समिति 12 लाख रुपए के हिसाब से कुल 12 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो गत वर्षों की तुलना में प्रति समिति 2 लाख रुपए अधिक हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कहीं भी गोदाम की उनकी कोई भी आवश्यकता है तो जमीन का पट्टा आप दे दें तो निश्चित रूप से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रयास किया जाएगा कि चरणबद्ध तरीके से आपके गोदामों का भी जल्दी से जल्दी निर्माण चालू हो।

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समग्र सहकारी विकास योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में 301.31 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वर्तमान में 12 जिलों में यह परियोजना चालू है, जिसमें 343.87 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध 221.88 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2018-19 में 5 अन्य जिलों सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, टोंक एवं झालावाड़ में भी परियोजना का द्वितीय चरण चालू किया जाएगा। राज्य के 3 जिलों सीकर, जालौर एवं बांसवाड़ा में जारी समग्र परियोजना के तहत 13.45 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पिनफैड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पिनफैड की सभी इकाइयां- गुलाबपुरा, गंगापुर एवं हनुमानगढ़ को 22 जुलाई, 2017 को विधिक रूप से बंद कर दिया गया और इसके अन्दर 2270 कर्मचारी जो थे, उनमें से 1156 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और इनको राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार भुगतान भी किया जा चुका है। इसके अलावा जो शेष कर्मचारी हैं, उनको आर्थिक संबल देने के लिए योग्यताधारी 630 श्रमिकों को अंतरिम व्यवस्था के तहत रिवर्स डेपुटेशन पर शिक्षा विभाग में पांचवीं से कम शिक्षित 28 श्रमिकों को पंचायती राज विभाग में और 40 अन्य श्रमिकों को शिक्षा विभाग में रिवर्स डेपुटेशन के प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, सहकारी संस्थाओं में हमारे 282 रिक्त पदों के विरुद्ध प्रथमत: प्रतिनियुक्ति के बाद समायोजन के लिए भी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा 9 अगस्त, 2017 को निर्देश जारी कर दिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य में राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों का गठन कर इनसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा गया है। अभी तक 158 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां पंजीकृत कर इनसे 36 हजार 340 सहायता समूह तथा 4 लाख 74 हजार महिलाओं को जोड़ा गया है। धौलपुर जिले में इन समितियों द्वारा कस्टम हायरिंग सैंटर, डिपार्टमेंटल स्टोर, डेयरी प्लांट, मछली पालन एवं पशुपालन आदि कार्य कर महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण किया जा रहा है। आगामी वर्ष में ऐसी 100 का आर्थिक सशक्तीकरण किया जाएगा। आगामी

(श्री अजय सिंह)

वर्ष में ऐसी 100 और महिला समितियों का गठन कर इनसे 20 हजार स्वयं सहायता समूह एवं लगभग ढाई लाख महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। ऐसी समितियों को 200 करोड़ रुपए का ऋण उचित ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अन्य घोषणाएं भी कर रहा हूं। राज्य सरकार द्वारा राज्य की सहकारी संस्थाओं में कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने एवं रिक्त पदों की तत्काल भर्ती करने हेतु राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा एपेक्स बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों, कानफैड तथा आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों में एक हजार से अधिक पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी। सभी प्रकार की भर्तियों में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है।

जयपुर स्थित नेहरू सहकार भवन की मरम्मत एवं रिनोवेशन कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा।

इसी के साथ करौली में नए सहकार भवन के निर्माण तथा विभिन्न जिलों में स्थित सहकार भवनों की मरम्मत एवं रिनोवेशन का कार्य ढाई करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा।

अभी माननीय सचेतक महोदय ने व्यवस्थापकों की बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत सरकार के समय व्यवस्थापक बार-बार आपसे अपनी शर्तों के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन आपने उनकी शर्तों को नहीं माना। हमने उनकी एक मुख्य शर्त जो उनकी सैलेरी से संबंधित थी, उसे मान लिया है और मैं व्यवस्थापकों की बकाया स्क्रीनिंग कार्यवाही कराए जाने की घोषणा करता हूं। 30 अप्रैल तक सभी तरह की स्क्रीनिंग व्यवस्थापकों की करवा ली जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, कई व्यवस्थापक ऐसे हैं, जिन्होंने वर्तमान में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन उस समय नहीं की थी। मैं उन्हें भी स्क्रीनिंग में शामिल करने की घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सहकारिता विभाग ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है और यह अच्छा काम इसीलिए हुआ है कि यह शायद मैंने नहीं, हम सबने मिलकर काम किया है और जब हम सब मिलकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता की गारंटी भी बहुत बढ़ जाती है, काम भी अच्छा होता है और जीवन का फलसफा भी यही है-

(श्री अजय सिंह)

"अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या न करे।

सूर्योदय तब भी होता है, जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं।"

मैं मेरे विभाग के पूरे परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर कार्य करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में जब मैं मेरे सहकारिता विभाग का मूल्यांकन करता हूं तो मुझे चंद लाइनें याद आती हैं और ये चंद लाइनें मेरी सरकार के लिए भी उचित प्रतीत होती हैं। मुझे विश्वास है कि सभी इसको बहुत शांति से सुनेंगे।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की,

आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है,

अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे,

बस जिसकी जितनी जरूरत थी, उसने उतना ही पहचाना मुझे।

बस उतना ही पहचाना मुझे।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, यह किसने लिखकर दिया आपको? यह किसने लिखकर दिया, इतना बता दो बस, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): लिखकर नहीं दिया, इनकी खुद की उपज है यह, मंत्रीजी की खुद की उपज है।

**श्री कैलाश वर्मा** (संसदीय सचिव): डोटासरा जी, लिखने वाले आपके पास में ही बैठे हैं।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि गलतियों से सीखते हुए, सबको साथ लेते हुए, सबकी सुनते हुए सहकारिता विभाग माननीय मुख्य मंत्री महोदया के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ कि हमें राजस्थान की जनता देख रही है तथा साथ ही हमें पिता परमेश्वर भी देख रहे हैं। जय जय सहकार! जय जय राजस्थान!

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मंत्रीजी, आज तो कमाल ही कर दिया आपने।

**श्री अजय सिंह** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-39 व 39 पारित की जाए।

## मांग संख्या 37 का पारण

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 - कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाल व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,98,89,61,000/- (अट्ठाइस अरब अठानवे करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,39,00,69,000/- (ग्यारह अरब उनतालीस करोड़ उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या 36 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 - सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,78,03,28,000/- (चौदह अरब अठहत्तर करोड़ तीन लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 22.12 बजे मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

# सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## उपखण्ड अधिकारी चौमूं के कार्यालय में खाद्य सुरक्षा योजना की लम्बित अपीलें

**266. श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं, जिनको खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता पूरी करने के उपरान्त भी शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की कुल आबादी का 69/53 प्रतिशत शामिल करना निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो उक्त मानदण्ड से भी ज्यादा पात्र लोग पंचायत/तहसील में निवास करते हैं, तो उनको सूची में शामिल करने की क्या प्रक्रिया होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2015 से 2017 तक उपखण्ड अधिकारी को चौमूं तहसील में कितनी अपील ग्रामीण क्षेत्रों से व कितनी नगरपालिका क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? प्राप्त अपीलों में से कितनी अपीलें स्वीकार हुईं व कितनी खारिज की गईं तथा कितनी अपीलों पर अभी तक भी निर्णय शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना-पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा संबंधित जिले के जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

आदेश दिनांक 29.09.2017 द्वारा अपीलीय प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, जिसके अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित "खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र" के साथ अपीलार्थी समावेशन

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

पात्रता के वांछित दस्तावेज संलग्न कर अपील प्रस्तुत कर सकता है। खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र व्यक्ति अपीलीय प्रक्रिया के तहत अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करवा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

आदेश दिनांक 05.11.2015, 02.08.2017 एवं 29.09.2017 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित मापदण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने के लिए अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना-पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्र होने पर अपीलार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(3) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वर्ष 2015 से 2017 तक उपखण्ड कार्यालय, चौमूं में प्राप्त अपीलों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| **क्षेत्र** | **प्राप्त कुल अपील** | **स्वीकृत अपीलें** | **खारीज अपीलें** | **शेष अपीलें** |
|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण | 5098 | 169 | 372 | 4557 |
| नगरपालिका | 5285 | 32 | 0 | 5253 |
| **कुल** | **10383** | **201** | **372** | **9810** |

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सिवाना में ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना

**267. श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विद्युत तंत्र को सुचारु रूप से

(श्री हमीर सिंह भायल)

चलाने हेतु नये ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में कहां-कहां नये ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के करेली नाडी भाटा, जेठन्तरी एवं रामपुरा में 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन व काठाडी या सैला में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सहायक अभियंता कार्यालय पादरू के भवन निर्माण एवं 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन खण्डप, देवड़ा, रोहिलनाडा, धन्ने की ढाणी, भुंका भगतसिंह एवं धारणा के भवन एवं चारदीवारी निर्माण की विभाग स्तर पर क्या कार्यवाही विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में निम्न 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं:-

1. 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, चौहटन।
2. 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, रामजी की गोल।
3. 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, बायतू।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में स्वीकृत 33/11 के.वी. सब स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। इनका निर्माण अग्रिम वर्षों में आवश्यकतानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के करेली नाड़ी भाटा में 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र के प्रस्ताव की तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है। जेठन्तरी एवं रामपुरा में 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाये गये हैं।

132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन काठाड़ी या सैला के प्रस्तावों की तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर स्वीकृति हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत सहायक अभियंता

(ऊर्जा मंत्री)

कार्यालय, पादरू के भवन निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से बजरी खनन पर आंशिक रोक होने के कारण कार्य बंद है। बजरी खनन का कार्य सामान्य होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

खंडप, देवड़ा एवं भुंका भगतसिंह उपकेन्द्र के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन हैं। भूमि आबंटित होते ही चारदीवारी व भवन निर्माण कार्य कराया जाएगा। 33/11 के.वी. रोहिलानाडा, धारणा एवं धन्ने की ढाणी उपकेन्द्र के भवन व चारदीवारी निर्माण हेतु निविदा आमन्त्रित की जा चुकी है। शीघ्र ही कार्यादेश जारी कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पाली जिले के किसानों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान

**268. श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की तहसील रोहट में वर्ष 2012 में खरीफ की फसल खराबे में कृषि आदान अनुदान की किस-किस काश्तकारों को कितनी-कितनी राशि वर्तमान में दी जानी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुदान की उक्त राशि अभी तक नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित कृषि आदान अनुदान की राशि प्रभावित काश्तकारों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) खरीफ फसल 2012 (सम्वत् 2069) में फसल खराबे से प्रभावित पात्र सभी कृषकों को वर्ष 2012 (सम्वत् 2069) में प्रचलित एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार निर्धारित दरों पर कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 17.07.2013 को संशोधित दरों से भुगतान किये जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके संबंध में भारत सरकार द्वारा सी.ए.जी. को प्रदत्त मार्गदर्शन दिनांक 01.11.2017 के आलोक में वर्ष 2012 के प्रभावित काश्तकारों को आदान अनुदान की संशोधित दरों के अनुसार अन्तर राशि देय नहीं है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 1 के आलोक में किसी भी पात्र कृषक को कृषि आदान अनुदान दिया जाना शेष नहीं है।

## फलौदी में गरीबी शमन परियोजना के तहत कराये गये कार्य

**269. श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गरीबी शमन परियोजना कब से किन-किन ब्लाकों में संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना के माध्यम से किन-किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में उक्त परियोजना के तहत अब तक किये गये कार्यों एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान सरकार द्वारा आईफैड के सहयोग से जोधपुर सम्भाग के 6 जिलों में प्रत्येक जिले के 1 निर्धनतम ब्लाक में पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना (एमपावर) का संचालन दिनांक 11.12.2008 से किया जा रहा है। राजीविका के तहत संचालित दो विकास खण्ड क्रमशः बालेसर दिनांक 01.06.2016 से तथा पिण्डवाड़ा दिनांक 03.06.2016 से आजीविका संवर्द्धन का कार्य हेतु सम्मिलित किये गये। परियोजना संचालन का ब्लाक वार विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं | ब्लाक का नाम | जिला |
|---|---|---|
| 1 | बाप | जोधपुर |
| 2 | बायतू | बाडमेर |
| 3 | सांकड़ा | जैसलमेर |
| 4 | सांचोर | जालौर |
| 5 | बाली | पाली |
| 6 | आबूरोड | सिरोही |
| 7 | बालेसर | जोधपुर |
| 8 | पिण्डवाड़ा | सिरोही |

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) उक्त परियोजना के अन्तर्गत संबंधित ब्लक में बीपीएल परिवार के स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, फैडरेशन, गोट क्लस्टर, डेयरी कलस्टर, बागवानी क्लस्टर, खरीफ मिशन, गोट शैड निर्माण, कैटल शैड निर्माण आदि कार्यों का सम्पादन परियोजना अवधि दिसम्बर-2017 तक किया गया। वर्तमान में परियोजना में गठित फैडरेशन के माध्यम से गठित संस्थाओं का राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद को हस्तान्तरण कर दिया गया है। अन्य गतिविधियों एवं परिसम्पतियों का हस्तान्तरण जून-2018 तक राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद को करने की कार्यवाही जारी है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में एमपावर परियोजना ब्लाक बाप में संचालित की जा रही है, जिसके अब तक किये गये कार्यों एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में पशु चिकित्सा केन्द्रों का क्रमोन्नयन

**270. डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये तथा कितने पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पशु चिकित्सालय की कोई इकाई क्रियाशील नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त अवधि में कितने नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये तथा किन-किन पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया? चिकित्सा केन्द्रवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1

(पशुपालन मंत्री)

जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक खोले गये एवं क्रमोन्नत किये गये पशु चिकित्सा केन्द्रों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में पशु चिकित्सा केन्द्र विहीन ग्राम पंचायतों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2017-18 अनुसार आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रदेश की समस्त संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक खोले गये एवं क्रमोन्नत किये गये पशु चिकित्सा केन्द्रों का केन्द्रवार व ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## भादरा में खेल स्टेडियम बनाने की योजना

**271. श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में खेल स्टेडियम नहीं होने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु भादरा में शीघ्र खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में युवा मामले एवं खेल विभाग के स्वामित्व का कोई स्टेडियम बना हुआ नहीं है। स्थानीय स्कूल में स्टेडियम बना हुआ है, जिसे खिलाड़ियों द्वारा उपयोग में लिया जाता है।

राज्य में आधारभूत खेल संरचनाओं के निर्माण एवं विकास हेतु समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015 चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सम्भाग, जिला, तहसील/पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत यथोचित

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) राज्य में आधारभूत खेल संरचनाओं के निर्माण एवं विकास हेतु समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015 चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सम्भाग, जिला, तहसील/पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत यथोचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकतानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

## रिसर्जेंट राजस्थान के तहत उद्योगपतियों द्वारा किये गए एम.ओ.यू.

**272. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो किन-किन उद्योगपतियों के कौन-कौनसे एवं कितनी-कितनी राशि के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एम.ओ.यू. में से कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे एम.ओ.यू. के तहत कार्य प्रारम्भ हो गये या पूर्ण हो गये तथा कौन-कौनसे एम.ओ.यू. के तहत कार्य प्रारम्भ होने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 2015 में रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 का आयोजन किया गया था जिसके तहत अब तक विभिन्न सैक्टर्स में हस्ताक्षरित किये गये 470 एमओयू का विवरण अनुसंलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त एमओयूस में से क्रियान्वित परियोजनाओं की सूची अनुसंलग्नक-2 पर उपलब्ध है।

क्रियान्वयन के प्रकियाधीन परियोजनाओं की सूची अनुसंलग्नक-3 पर उपलब्ध है।

जिन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ होना शेष है, उनकी सूची

(उद्योग मंत्री)

अनुसंलग्नक-4 पर उपलब्ध है जिसमें स्वीकृति अपेक्षित, स्वीकृति सम्भव नहीं, प्रवर्तक के पास लम्बित आदि परियोजनाएं सम्मिलित हैं, परन्तु न्यायिक प्रकरणों से प्रभावित तथा निरस्त (ड्राफ्ट) परियेाजनाएं सम्मिलित नहीं हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के बंगाली परिवारों को खातेदारी अधिकार

**273. श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में निवास करने वाले बंगाली परिवारों को 10-10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था? यदि हां, तो किन-किन परिवारों को कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को आबंटित की गई भूमि पर लगातार एक-दो वर्ष कृषि करने पर उन्हें खातेदारी का अधिकार प्रदान कर दिया गया है? यदि हां, तो बंगाली परिवारों को 15-20 वर्ष कृषि करने के बाद भी खातेदारी के अधिकारों से वंचित रखने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सामान्य कृषकों की तरह बंगाली परिवारों को भी आबंटित की गई भूमि का खातेदारी का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। बारां जिले के किशनगंज तहसील क्षेत्र में कुल 394 परिवारों तथा शाहबाद तहसील क्षेत्र में 187 बंगाली परिवारों को पुनर्वास विभाग द्वारा 10-10 बीघा भूमि का आबंटन किया गया था, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) किशनगंज तहसील में कुल 394 आवंटियों में से 318 को खातेदारी दी जा चुकी हैं शेष 76 आबंटियों को नागरिकता प्रमाण-पत्र के अभाव में खातेदारी नहीं दी गयी है।

शाहबाद तहसील में कुल 187 आबंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं।

(राज्य मंत्री, राजस्व)

(3) जी, हां। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 के नियम 18 अनुसार आबंटन शर्त पूर्ण होने पर तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान हैं।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## खाद्य सुरक्षा गारन्टी अधिनियम के तहत पात्रता सूची में जोड़े गए नाम

**274. श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा सूची में वर्तमान में प्रदेश के कितने व्यक्ति सूचीबद्ध हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2018 तक खाद्य सुरक्षा गारन्टी अधिनियम के तहत पात्र लोगों की सूची से कितने लोगों के नाम हटाये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हटाये गये नामों में से कुछ नाम गलत हटाए गए हैं? यदि हां, तो उक्त हटाये गये नामों में से कितने नामों को वापस खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में उक्त अवधि में कितने लोगों द्वारा सक्षम अधिकारी को पात्रता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन/अपील की गयी तथा उनमें से कितने आवेदन स्वीकार किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) खाद्य सुरक्षा सूची में स्थिति जनवरी, 2018 के अनुसार सूचीबद्ध व्यक्तियों का विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2018 तक खाद्य सुरक्षा गारन्टी अधिनियम के तहत पात्र लोगों की सूची से वांछित दस्तावेजों के अभाव में निष्कासित किये गये अपात्र व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा सूचियों में से किसी भी पात्र लाभार्थी के नाम नहीं हटाये गये हैं। चयनित लाभार्थियों के सत्यापन कार्यक्रम के दौरान

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

लाभार्थियों के पास प्रमाणित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण खाद्य सुरक्षा की सूचियों से निष्कासित किया गया है।

(4) प्रदेश में जनवरी, 2018 तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जुड़वाने के लिए 856239 आवेदन प्राप्त हुए उनमें से 489182 आवेदन स्वीकार किये गये। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## प्रदेश में पी.पी.पी. मोड पर संचालित विद्युत उत्पादन संयंत्र

**294. श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में विद्युत का उत्पादन कहां-कहां पर किस-किस माध्यम से हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने विद्युत उत्पादन संयत्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत आते हैं व कितने संयत्र पी.पी.पी. मोड पर संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत आने वाले संयंत्रों में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत की गणना किस प्रकार की जाती है व इनमें किन-किन मदों को शामिल किया जाता है? गत 3 वर्षों में संयंत्र वार प्रति यूनिट उत्पादन लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्तमान में राज्य में विद्युत उत्पादन का स्थान एवं उत्पादन माध्यमों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत आने वाले उत्पादन संयंत्रों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। इनमें से कोई भी उत्पादन संयंत्र पी.पी.पी. मोड पर संचालित नहीं किये जा रहे हैं।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत आने वाले संयंत्रों में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत की गणना का प्रकार एवं गणना हेतु शामिल किए जाने वाले मदों का एवं विगत 3 वर्षों में संयंत्रवार प्रति यूनिट उत्पादन लागत का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बड़ी सादड़ी व डूंगला न्यायालयों में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों का निर्माण

**295. श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में स्थापित न्यायालय बड़ी

(श्री गोतम कुमार)

सादडी़ एवं डूंगला में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार न्यायालय बड़ी सादडी़ एवं डूंगला में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) किसी स्थान पर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण फारकास्ट एस्टीमेट सहित प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को प्राप्त होने पर, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही किया जा सकता है।

वर्तमान में बड़ी सादड़ी न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर नहीं बने हुए हैं। न्यायालय परिसर, बड़ीसादडी में अधिवक्ताओं के 10 चैम्बर्स निर्माण हेतु प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ द्वारा यह सूचित किया गया है कि भूमि चिन्हित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि चिन्हित होने के पश्चात् बजट की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

डूंगला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण नहीं हुआ है और न ही प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

(2) बड़ी सादड़ी एवं डूंगला में अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण हेतु फारकास्ट एस्टीमेट सहित प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को प्राप्त होने पर, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर बड़ी सादड़ी एवं डूंगला में अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

## तारानगर में जी.एस.एस. के बन्द कार्य को पुनः चालू कराने की योजना

296. **श्री जयनारायण पूनियां** (तारानगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तारानगर के गांव लुणास एवं

(श्री जयनारायण पूनियां)

रैयाटुण्डा में पूर्व में स्वीकृत 33 के.वी. जी.एस.एस. के निर्माण का कार्यादेश जारी कर चालू करने के पश्चात् बन्द कर दिया गया है? क्या सरकार उक्त अधूरे पड़े कार्य को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। विधान सभा क्षेत्र तारानगर के गांव लुणास एवं रैयाटुण्डा में पूर्व में 33/11 के सब स्टेशन निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था। तदनुसार सब स्टेशन निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। रूट के अनुसार लुणास सब स्टेशन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात रैयाटुण्डा सबस्टेशन का कार्य पूर्ण होना था परन्तु लुणास सब स्टेशन हेतु 33 के.वी. लाइन का कार्य पूर्ण होने के पहले ही लाइन मेटीरियल चोरी हो जाने के कारण कार्य रोकना पड़ा, जिसकी एफ.आई.आर सम्बन्धित थाने में दर्ज करवाई जा चुकी है। उक्त एफ.आई.आर. के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस थाने द्वारा एफ.आर लगा दी गई है। एफ.आई.आर व एफ.आर की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है। शेष कार्य हेतु एल.ओ.आई. (Letter of Intent) जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जो कि शीघ्र पूर्ण करवा दिया जाएगा।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राज्य को विदेशी सहायता से प्राप्त राशि

**297. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार को गत 4 वर्षो में विदेशी सहायता के रूप में किस-किस योजना में, किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राप्त विदेशी सहायता में से कई मदों में अब तक शत प्रतिशत धनराशि व्यय नहीं की गई है? यदि हां, तो किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि किस कारण व्यय नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त शेष राशि को व्यय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनान्तर्गत विदेशी संस्थाओं से प्राप्त ऋण एवं अनुदान का प्रयोजन सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में पहले राज्य सरकार की ओर से राज्य आयोजना से राशि व्यय की जाती है। उसके पश्चात् ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार राशि पुनर्भरण के रूप में प्राप्त होती है।

केवल आर.यू.आई.डी.पी. के तृतीय चरण के प्रोग्राम लोन के अन्तर्गत करवाये जा रहे आधारभूत संरचना के कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में 125 मिलियन यूएस डालर (रु. 829.92 करोड) की राशि माह दिसम्बर, 2015 में अग्रिम प्राप्त हुई है जिसमें से रु. 59.10 करोड़ राशि व्यय की जा चुकी है। शेष राशि परियोजना के ऋण अनुबन्धानुसार दिसम्बर, 2019 तक व्यय की जानी है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन-राज्य सहभागिता कार्यक्रम में गत चार वर्षों में रु. 172.55 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी जिसे शत प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

(3) आर.यू.आई.डी.पी. के तृतीय चरण के प्रोग्राम लोन के अन्तर्गत करवाये जा रहे आधारभूत संरचना के कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में 125 मिलियन यूएस डालर (रु. 829.92 करोड) की राशि माह दिसम्बर, 2015 में अग्रिम प्राप्त हुई है जिसमें से रु. 59.10 करोड़ राशि व्यय की जा चुकी है। शेष राशि परियोजना के ऋण अनुबन्धानुसार दिसम्बर, 2019 तक व्यय की जानी है। विदेशी सहायता प्राप्त अन्य परियोजनाओं में पहले राज्य सरकार की ओर से राज्य आयोजना से राशि व्यय की जाती है उसके पश्चात् ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार राशि पुनर्भरण के रूप में प्राप्त होती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जायल में दीनदयाल योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

**298. डा. मंजू बाघमार** (जायल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजनान्तर्गत कितने परिवारों के द्वारा आवेदन किये गये तथा उनमें से

(डा. मंजू बाघमार)

कितने आवेदकों को वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2017 तक कनेक्शन जारी किये गये? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा उसमें से कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत सभी आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये गये? यदि हां, तो कितने आवेदकों को व क्यों तथा अब कब तक शेष आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2017 की अवधि में जारी बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कनेक्शनों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उक्त योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क तथा ए.पी.एल. परिवारों को नियमानुसार निर्धारित शुल्क लेकर विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं।

(2) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान) के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1.72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 1.20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है तथा 0.52 करोड़ रुपये की राशि शेष है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के (द्वितीय चरण) के तहत 9.54 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी तथा उसमें से 0.63 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है तथा 8.91 करोड रुपये की राशि शेष है।

(3) जी नहीं। उक्त योजनान्तर्गत आवेदकों को जारी किये गये विद्युत कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान) में शेष कनेक्शनों को दिनांक 31.03.2018 तक तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (द्वितीय चरण) में सम्मिलित शेष कनेक्शनों को दिनांक 30.09.2018 तक जारी किया जाना प्रस्तावित है।

**परिशिष्ट-अ**

**अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर**

**विधान सभा क्षेत्र जायल में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वीं योजना) के तहत जारी किये गये कनेक्शनों का विवरण**

| पंचायत समिति | योजना में सम्मिलित कनेक्शन | | जारी कनेक्शन | | शेष कनेक्शन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ए.पी.एल. | बी.पी.एल. | ए.पी.एल. | बी.पी.एल. | ए.पी.एल. | बी.पी.एल. |
| जायल | 623 | 608 | 609 | 459 | 14 | 149 |
| नागौर | 189 | 30 | 171 | 21 | 18 | 9 |
| **कुल** | **812** | **638** | **780** | **480** | **32** | **158** |

**विधान सभा क्षेत्र जायल में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जयोति योजना के तहत जारी किये गये कनेक्शनों का विवरण**

| पंचायत समिति | योजना में सम्मिलित कनेक्शन | | जारी कनेक्शन | | शेष कनेक्शन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ए.पी.एल. | बी.पी.एल. | ए.पी.एल. | बी.पी.एल. | ए.पी.एल. | बी.पी.एल. |
| जायल | 792 | 70 | 200 | 20 | 592 | 50 |
| नागौर | 32 | 9 | 0 | 0 | 32 | 9 |
| **कुल** | **824** | **79** | **200** | **20** | **624** | **59** |

ह.

अधीक्षण अभियंता (योजना)

## बर (पाली) पुलिस चौकी में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

**299. श्रीमती अनीता** (नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले के पुलिस थाना रायपुर के अधीन पुलिस चौकी बर के किस-किस पद पर, कितने समय से कौन-कौन पदस्थापित हैं? कर्मचारियों के नाम व बैल्ट नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में उक्त चौकी में पदस्थापित कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी

(श्रीमती अनीता)

द्वारा की गई व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चौकी पर पदस्थापित कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भी लगातार 5 वर्षों से उसी चौकी में पदस्थापित होने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पाली जिले के पुलिस थाना रायपुर के अधीन पुलिस चौकी बर में वर्तमान में पदस्थापित कुल 06 अधिकारी/मुलाजिमान का विवरण इस प्रकार है-

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | पदस्थापन दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री धोलाराम | उप निरीक्षक | 26.08.2016 |
| 2. | श्री खेमाराम | कानि. 1026 | 21.12.2014 |
| 3. | श्री रामपाल स्वामी | कानि. 1499 | 30.07.2016 |
| 4. | श्री दिनेश चौधरी | कानि. 515 | 10.10.2016 |
| 5. | श्री रामवतार | कानि. 575 | 10.10.2016 |
| 6. | श्री बाबू खां | कानि. 1161 | 02.10.2017 |

(2) जी हां। गत तीन वर्षों में पुलिस चौकी बर में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त कुल 04 शिकायतों में से 03 की जांच वृत्ताधिकारी वृत्त जैतारण से एवं 01 की जांच पुलिस थाना रायपुर से करवाई गई। जांच में चारों शिकायतें झूठी पाई जाने से किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में कोई भी पुलिसकर्मी लगातार 05 वर्ष से पुलिस चौकी बर में पदस्थापित नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## फुलेरा में नई पुलिस चौकी की स्थापना

**300. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में कितने पुलिस थाने व पुलिस चौकियां कहां-कहां पर स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में निम्न पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियां स्वीकृत हैं-

| क्र.सं. | पुलिस थानों के नाम | पुलिस चौकियों के नाम | |
|---|---|---|---|
| 1 | नरैना | शाली | कस्बा नरैना |
| 2 | सांभर | धानमण्डी | |
| 3 | फुलेरा | - | |
| 4 | जोबनेर | बन्धे के बालाजी | |
| 5 | रेनवाल | बधाल | |

(2) क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर विधानसभा क्षेत्र फुलेरा में नई पुलिस चौकी खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

## प्रदेश की जेलों में प्रहरियों के रिक्त पद

**301. श्री रमेश** (सपोटरा): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी जेलें संचालित हैं एवं उक्त जेलों में वर्तमान में कितने कैदी हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की जेलों में कुल कितने प्रहरी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कुल कितने कैदियों पर एक प्रहरी कार्यरत है? क्या यह निर्धारित मानदंडों के अनुसार सही है? यदि नहीं, तो गत चार वर्षों में सरकार द्वारा नवीन प्रहरियों की भर्ती हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में वर्तमान में 09 केन्द्रीय कारागृह, 01 उच्च सुरक्षा कारागार, 02 जिला कारागार "ए श्रेणी", 24 जिला कारागार "बी श्रेणी", 60 उप कारागार, 02 महिला बंदी सुधारगृह एवं 01 बाल बंदी सुधारगृह तथा 29 बंदी खुला शिविर संचालित हैं। इनमें दिनांक 31.01.2018 को निरुद्ध बंदियों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश की जेलों में वर्तमान में कुल 1325 प्रहरी कार्यरत हैं तथा 1582 पद रिक्त चल रहे हैं।

(3) प्रदेश की जेलों में दिनांक 31.01.2018 को 19277 बंदी निरुद्ध थे तथा 1325 प्रहरी कार्यरत हैं जिसके आधार पर (14.55) 15 कैदियों पर एक प्रहरी कार्यरत है। प्रहरियों के स्वीकृत पद कैदियों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित मानदण्ड 1:8 का है। विभाग में प्रहरियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विगत चार वर्षों के दौरान वर्ष 2013 में 656 प्रहरी पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाकर भर्ती की कार्यवाही वर्ष 2014 व 2015 में सम्पन्न हुई। वर्ष 2015 में 925 प्रहरी पद हेतु दिनांक 29.10.2015 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। वर्तमान में भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बेगूं में आपदा सहायता राशि का वितरण

**302. श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तीन पंचायत समितियों में अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के नुकसान की भरपाई हेतु 1 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2018 तक कुल कितनी राशि दी गई? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

1 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2018 तक विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तीन पंचायत समितियों में अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के नुकसान पर एसडीआरएफ मापदण्ड अनुसार सहायता हेतु कुल राशि 53.23 करोड़ रु. आबंटित किये गये हैं, जिनका विस्तृत (व्यय) विवरण परिशिष्ट-"अ", "ब", "स", "द" एवं "ई" संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बांदीकुई में ग्रामीण विकास की स्वीकृत योजनाएं

**303. श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत 4 वर्षों में विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं कब-कब कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गईं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं की देखरेख की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत 4 वर्षों में योजनावार/कार्यवार/ग्राम पंचायतवार स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। संबंधित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा मोनिटरिंग की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पाली जिले की ग्राम पंचायतों के राजस्व गांवों की असमानता दूर करने की योजना

**304. श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके राजस्व गांव अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र, पंचायत समिति क्षेत्र व पुलिस थाना क्षेत्र में आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसी ग्राम पंचायतों के राजस्व गांवों की असमानता दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पाली जिले मे ऐसी 46 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके राजस्व गांव अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/पुलिस थाना क्षेत्र में आते हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई बजट घोषणा अनुसार राज्य में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को सहसीमान्त

(पंचायती राज मंत्री)

क्षेत्राधिकार कर प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठन/सृजन किये जाने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसका अभिलेख/रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## प्रदेश में जल स्वावलम्बन योजना में कराये गये कार्य

**305. श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा क्या-क्या प्रावधान किस-किस मद में किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं? क्या उक्त कार्य स्थाई प्रवृति के हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान में योजना प्रारम्भ से 31 दिसम्बर, 2017 तक सरकार द्वारा कितने बजट का प्रावधान किया गया है?

(4) उक्त अभियान के तहत विभिन्न संस्थाओं व उद्योगों से कुल कितना सहयोग किस-किस जिले में प्राप्त हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही राज्य मद की राशि में से मदवार प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:-

| **क्र.सं.** | **मद** | **प्रतिशत** |
|---|---|---|
| 1 | आई.ईसी. गतिविधियां | 2.50 |
| 2 | प्रशिक्षण | 0.50 |
| 3 | सीएसआर कान्क्लेव/कारपोरिट जगत/गैर सरकारी संस्थाओं आदि हेतु कार्यशालाएं | 0.70 |
| 4 | धार्मिक, सामाजिक ट्रस्टों आदि हेतु कार्यशालाएं | 0.30 |
| 5 | प्रशासनिक मद | 1.00 |
| 6 | कार्य | 95.00 |
| | **कुल** | **100.00** |

(पंचायती राज मंत्री)

(2) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में जलग्रहण क्षेत्र उपचार/ नाला उपचार आदि कार्य योजना में करवाये जाते हैं।

मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्य स्थायी एवं अस्थायी दोनो प्रवृति के है।

अभियान अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में आरम्भ होने से वर्तमान तक राज्य सरकार की ओर से 1461.84 करोड़ रुपये (BE) का बजट प्रावधान किया गया है जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **बजट मद** | **राशि (रु. करोड़ों में)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | निर्बन्ध राशि (पंचायती राज विभाग के माध्यम से) | 370.00 |
| 2 | 2016-17 | एमजेएसए<br>एमजेएसए सेस | 440.00<br>150.92 |
| 3 | 2017-18 | एमजेएसए<br>एमजेएसए सेस | 350.00<br>150.92 |
| | | **कुल** | **1461.84** |

(4) मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में विभिन्न संस्थाओं, उद्योगों इत्यादि के सहयोग से राज्य में कुल राशि 8313.43 लाख रुपये की प्राप्त हुई है।

जिलेवार प्राप्त सहयोग राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सोजत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास

**306. श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकानों में निवास करने वाले परिवारों को आवास का लाभ दिया

(श्रीमती संजना आगरी)

गया है? यदि हां, तो प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में सोजत विधान सभा में कुल कितने आवास आबंटित हुए व कितने निर्माणाधीन हैं? ग्रामवार, नामवार, चरणवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई लाभार्थी परिवारों के आवास का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो किन-किन का? क्या सरकार वंचित परिवारों को भुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में भी कई परिवार प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वंचित परिवारों को भी योजना में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकानों में निवास करने वाले परिवारों को आवास का लाभ दिया गया। सोजत विधान सभा क्षेत्र में प्रथम चरण में 2164, द्वितीय चरण में 326 एवं तृतीय चरण में 13, कुल 2503 आवास स्वीकृत हुए। ग्रामवार, नामवार, वर्षवार सूची परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में 23 लाभार्थियों को भुगतान नहीं हुआ है। कारण सहित बकाया भुगतान की सूची परिशिष्ट-स (1) एवं परिशिष्ट-स (2) पर संलग्न है। पीएफएमएस प्रणाली से भुगतान करने में तकनीकी कारणों से 09 प्रकरण फाल सक्सेज में जिनके ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार स्तर से शीघ्र समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं। 01 प्रकरण में खाता PFMS से सत्यापित उपरान्त प्रथम किश्त की राशि जारी की जायेगी एवं वर्ष 2018-19 के 13 प्रकरणों में भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार जारी की जाएगी।

(3) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11060/16/2017-RH(M&T) दिनांक 24.01.2018 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 09.02.2018 द्वारा जिलों को नाम जोड़ने की प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कराकर वंचित पात्र परिवारों की तैयार की गई सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय,

(ग्रामीण विकास मंत्री)

भारत सरकार को अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित की जानी है। विभागीय पत्र दिनांक 09.02.2018 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में दलहन उत्पादकता वृद्धि के उपाय

**307. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा त्वरित दाल उत्पादन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं दलहन उत्पादकता वृद्धि के उपाय किये जाते हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? निर्देशिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने कृषकों को वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 में जनवरी, 2018 तक लाभान्वित किया गया तथा कितनी मात्रा में मिनीकिट एवं कीटनाशक किस-किस फर्म से क्रय किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं दलहन उत्पादकता वृद्धि के उपाय किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का वर्ष 2007-08 से लगातार क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। गतिविधिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भारत सरकार के द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की निर्देशिका की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 में जनवरी, 2018 तक लाभान्वित किये गये कृषकों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

विभाग द्वारा किसी भी फर्म से मिनीकिट क्रय नहीं किये जाते हैं। मिनीकिट का आबंटन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम, नेफैड, कृभको, आईएफएफडीसी, एचआईएल के माध्यम से किया जाता है तथा संबंधित

(कृषि मंत्री)

आपूर्ति संस्थाओं को भुगतान भारत सरकार के स्तर से किया जाता है। इसी प्रकार कीटनाशकों का क्रय भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म से नहीं किया जाता है। क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से कृषक द्वारा कीटनाशक प्राप्त करने पर नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान संबंधित संस्था को किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

**308. श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में उक्त योजनाओं के माध्यम से गत 4 वर्षों में कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कृषि के उपयोग में आने वाले कौन-कौनसे कृषि यंत्रों पर, कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में उक्त योजनाओं के माध्यम से कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा गत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्रवार लाभान्वित कृषकों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2017-18 में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा कृषि के उपयोग में आने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों पर माह जनवरी 2018 तक दी गई अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट-4 व 5 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**प्रश्न संख्या 309**

**(स्थगित)**

## मावली पंचायत समिति मुख्यालय पर खेल स्टेडियम का निर्माण

**310. श्री दलीचन्द डांगी** (मावली): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति क्षेत्र में ग्रामीण युवा खेल प्रतिभा खोजने एवं बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालय मावली पर खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। खेलों को बढावा दिये जाने हेतु खिलाडियों के लिये चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य में आधारभूत खेल संरचनाओं के निर्माण एवं विकास हेतु समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015 चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील/पंचायत समिति स्तर पर 200 मी. एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबाल, वॉलीबाल, खो-खो/कबड्डी, जिम्नेजियम, आफिस बिल्डिंग एवं सिटिंग स्टेप्स में से At Least Six Playfield के मैदान बजट उपलब्धता के आधार पर नियत प्राथमिकतानुसार बनाये जाने का प्रावधान है। खेल मैदान हेतु न्यूनतम 8 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

(3) जी नहीं। वर्तमान में पंचायत समिति मावली मुख्यालय पर खेल स्टेडियम बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में वन भूमि आबंटन के मानदण्ड

**311. श्री रामपाल** (बारां-अटरू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वन क्षेत्र की भूमि को निजी खातेदारों को आबंटित करने के क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामपाल)

(2) गत दो वर्षों में बारां जिले में कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां पर किस-किस निजी खातेदार को आबंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वन्यक्षेत्र की भूमि को निजी खातेदारों को आबंटित करने के कोई भी नियम एवं मानदण्ड नहीं हैं, अपितु वनक्षेत्र में किसी भी गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान अनुरूप दी जाती है तथा यह अनुमति प्राप्त होने के उपरांत भी प्रत्यावर्तित वन भूमि का स्वामित्व वन विभाग का ही रहता है।

(2) गत दो वर्षों में बारां जिले में वन क्षेत्र की कोई भूमि निजी खातेदार को आवंटित नहीं की गई है।

## प्रदेश में हाथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने की योजना

**312. डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में हाथकरघा व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आसान ऋण सुविधा, सब्सिडी व करों में राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पूर्व में स्वीकृत व कार्यरत हाथकरघा व कुटीर उद्योगों को कच्चे माल के विक्रय पर करों में दी जा रही राहत को यथावत रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

## प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की नीति

**313. श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की कोई नीति बनी हुई है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश भंसाली)

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले में संचालित उद्योगों में स्थानीय युवाओं की अनदेखी कर बाहर के श्रमिकों को कार्य पर लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में संचालित उद्योगों में स्थानीय युवाओं के हित में कोई विशेष योजना/नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। परन्तु प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट 2018-2019 के भाषण अनुसार राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके लिए Employment subsidy की प्रत्येक श्रेणी में 5000 रुपये की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

इसी क्रम में most backward Area तथा backward Areas में स्थापित उद्योगों में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने पर अनुदान की वर्तमान श्रेणीवार सीमा 40,000 रुपये तथा 35,000 रुपये को बढ़ाकर क्रमश: 45,000 रुपये व 40,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जोधपुर जिले में संचालित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को कार्य पर लिये जाने के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है।

(3) उक्त जिले तथा समस्त प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट 2018-2019 के भाषण अनुसार राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके लिए Employment subsidy की प्रत्येक श्रेणी में 5000 रुपये की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

इसी क्रम में most backward Area तथा backward Areas में स्थापित उद्योगों में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने पर अनुदान की वर्तमान श्रेणीवार सीमा 40,000 रुपये तथा 35,000 रुपये को बढ़ाकर क्रमश: 45,000 रुपये व 40,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

## कोटा में मिनी सचिवालय की स्थापना

**314. श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कोटा शहर में स्थित आई.एल. फैक्ट्री के बंद होने के बाद झालावाड़ रोड स्थित इसके खाली पड़े परिसर में मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आई.एल. फैक्ट्री कब बन्द हुई? वर्तमान में इसके परिसर में कितनी भूमि व भवन उपलब्ध हैं तथा वर्तमान में उक्त भूमि किसके स्वामित्व में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। जिला मुख्यालयों में प्रथम फेज में मिनी सचिवालय निर्माण हेतु 12 जिलों का चयन किया गया है जिसमें कोटा जिला सम्मिलित नहीं है। अत: द्वितीय चरण में मिनी सचिवालय निर्माण हेतु जिलों का चयन किये जाने के समय कोटा जिले में मिनी सचिवालय भवन की आवश्यकता के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

(2) जिला कलक्टर, कोटा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 18.04.2017 को आईएल फैक्ट्री में उत्पादन प्रक्रिया बन्द हो गई थी।

आईएल फैक्ट्री परिसर में 53.5 एकड भूमि प्लांट में एवं टाउनशिप में 128.5 एकड़, कुल 182.00 एकड़ भूमि है।

प्लांट में निर्मित एरिया 52513 वर्गमीटर एवं शेष खाली एरिया 164001 वर्गमीटर है तथा टाउनशिप में निर्मित एरिया 42720 वर्गमीटर एवं खाली भूमि 477319 वर्गमीटर है।

प्लांट में 18 भवन निर्मित हैं जबकि टाउनशिप में 722 भवन रिहायशी एवं 22 भवन अन्य गतिविधियों के लिये निर्मित हैं।

उक्त भूमि आईएल फैक्ट्री कोटा के स्वामित्व में है।

## खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र परिवारों का पुनः सर्वे

**315. श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अपात्र परिवारों को भी 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं वितरित करने के कारण पात्र

(श्री गिर्राज सिंह)

परिवारों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पुन: सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार प्रति माह एवं अन्य चयनित पात्र लाभार्थियों को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नियमानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित परिवारों का पुन: सर्वे करवाने की कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन हेतु अपीलीय प्रक्रिया लागू है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 05.11.2015, 02.08.2017 एवं 29.09.2017 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## प्रदेश में रसद अधिकारियों द्वारा अनियमितता करने पर कार्यवाही

**316. श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2014 के प्रारम्भ में कितने परिवार (यूनिट) खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे थे तथा वर्तमान में कितने परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि यदि एक बालिग युवक अपने पिता के परिवार से अलग होकर अपना स्वयं का नया राशन कार्ड बना लेता है, तो उसे खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2014 के बाद कितने प्रवर्तन निरीक्षक, डी.एस.ओ. और रसद विभाग के अन्य अधिकारी खाद्य सुरक्षा में घोटाले में पकड़े गए, निलम्बित हुए या एसीबी द्वारा उनके विरुद्ध जांच में दोषी पाये गए? क्या सरकार उक्त

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2014 (स्थिति दिनांक 01.01.2014) में लाभान्वित व्यक्तियों की जिलेवार संख्या तथा वर्तमान (स्थिति दिनांक 18.02.2018) में चयनित लाभार्थियों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र दिनांक 02.02.2015 के अनुसार पृथक राशनकार्डधारी को (विभक्तिकरण व्यवस्था अन्तर्गत) निर्धारित अपीलीय प्रक्रिया से खाद्य सुरक्षा सूची में समावेशन हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने पर निर्धारित पात्रतानुसार खाद्यान्न देय होगा। परिपत्र दिनांक 02.02.2015 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा संबंधित जिले के जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

आदेश दिनांक 29.09.2017 द्वारा अपीलीय प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, जिसके अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित "खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र" के साथ अपीलार्थी समावेशन पात्रता के वांछित दस्तावेज संलग्न कर अपील प्रस्तुत कर सकता है। खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र व्यक्ति अपीलीय प्रक्रिया के तहत अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करवा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। आदेश दिनांक 05.11.2015, 02.08.2017 एवं 29.09.2017 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2014 के बाद आदिनांक तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

विभाग के जिला रसद अधिकारियों/प्रवर्तन अधिकारियों/प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना एवं राशन सामग्री वितरण में हुई अनियमितताओं के पर्यवेक्षण में की गई लापरवाही के क्रम में 07 जिला रसद अधिकारियों, 06 प्रवर्तन अधिकारियों एवं 07 प्रवर्तन निरीक्षकों को निलम्बित किया गया। 06 जिला रसद अधिकारियों, 06 प्रवर्तन अधिकारियों एवं 08 प्रवर्तन निरीक्षकों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत तथा 07 जिला रसद अधिकारियों, 01 प्रवर्तन अधिकारी 07 प्रवर्तन निरीक्षकों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त में से 02 जिला रसद अधिकारियों, 01 प्रवर्तन अधिकारी एवं 01 प्रवर्तन निरीक्षक के खिलाफ ए.सी.बी. में प्रकरण विचाराधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बाटड़ानाउ (लक्ष्मणगढ़) ग्राम पंचायत में आम रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही

317. **श्री झाबर सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत बाटड़ानाउ में किन-किन खसरा नम्बर में आम रास्ता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायत के पूर्वीबास से ग्रिड स्टेशन (राजूसिंह भंवर सिंह शेखावत) की ढाणी से होकर एनएच-65 तक जाने वाला रास्ता किन-किन खसरा नम्बर से होकर गुजरता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त आम रास्ता वर्तमान में चालू है? यदि हां, तो राजस्व पैमाइश व अन्य रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में नहीं दर्शाया गया है? यदि हां, तो अब कब तक दर्शा दिया जाएगा?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत बाटड़ानाउ लक्ष्मणगढ़ हलका पटवारी एवं तहसीलदार ने उक्त आम रास्ते का मौका मुआयना किया था? यदि हां, तो कब तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त रास्ते को नक्शे में दर्शाने के लिए

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

सरपंच ग्राम पंचायत बाटड़ानाउ एवं उक्त रास्ते में आने वाले खसरा मालिकों द्वारा भी लिखित में सहमति देने के उपरान्त भी अब तक उक्त रास्ते को उक्त खसरों में नहीं दर्शाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ की ग्राम पंचायत बाटडानाउ में जिन खसरा नम्बरान में आम रास्ता अवस्थित है, का ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र. सं. | राजस्व ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बाटडानाउ | 55 | 1.23 | गै.मु. रास्ता |
| | | 60 | 0.16 | गै.मु. रास्ता |
| | | 72 | 0.07 | गै.मु. रास्ता |
| | | 88 | 0.02 | गै.मु. रास्ता |
| | | 89 | 0.05 | गै.मु. रास्ता |
| | | 258 | 0.05 | गै.मु. सडक |
| | | 262 | 0.08 | गै.मु. सडक |
| | | 266 | 0.04 | गै.मु. रास्ता |
| | | 354 | 0.10 | गै.मु. रास्ता |
| | | 428 | 0.20 | गै.मु. रास्ता |
| 2 | कन्दलाऊ | 21 | 0.62 | गै.मु. रास्ता |
| | | 66 | 0.07 | गै.मु. रास्ता |
| | | 98 | 0.01 | गै.मु. रास्ता |
| | | 109 | 0.04 | गै.मु. रास्ता |
| | | 162 | 0.91 | गै.मु. रास्ता |
| | | 163 | 0.16 | गै.मु. रास्ता |
| | | 189 | 0.18 | गै.मु. रास्ता |
| | | 230 | 0.20 | गै.मु. सडक |
| | | 276 | 0.08 | गै.मु. सडक |
| | | 279 | 0.14 | गै.मु. रास्ता |
| | | 301 | 0.04 | गै.मु. रास्ता |

(राज्य मंत्री, राजस्व)

| क्र. सं. | राजस्व ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| | | 341 | 0.51 | गै.मु. रास्ता |
| | | 346 | 0.15 | गै.मु. रास्ता |
| | | 368 | 0.20 | गै.मु. रास्ता |
| | | 369 | 0.49 | गै.मु. रास्ता |
| 3 | भाऊजी की ढाणी | 22 | 0.08 | गै.मु. रास्ता |
| | | 23 | 0.05 | गै.मु. रास्ता |
| | | 296 | 0.02 | गै.मु. सडक |
| | | 297 | 0.25 | गै.मु. सडक |
| 4 | शेखीवास | 168 | 0.05 | गै.मु. रास्ता |

(2) ग्राम पंचायत बाटडानाउ के पूर्वीवास से ग्रिड स्टेशन (राजूसिंह भंवरसिंह शेखावत) की ढाणी से होकर एनएच-65 तक जाने वाला रास्ता पूर्वी बास से प्रारम्भ होकर ग्राम बाटडानाउ के ख.नं. 60 गै.मु. रास्ते से होते हुए ख.नं. 59 के लगते रास्ते से होकर खसरा नम्बर 58, 53, 52, 48, 47, 42, 29, 30 व 14 में से होते हुए एन.एच-65 तक जा रहा है। एन.एच.-65 खसरा नम्बर 14 के उपरान्त खसरा नम्बर 13 से होकर गुजर रहा है। ग्रिड स्टेशन खसरा नम्बर 13 में अवस्थित है।

(3) जी हां। राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नं. 14, 29, 30, 42, 47, 48, 52, 53 व 58 वर्तमान में खातेदारी में दर्ज है।

नक्शे की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। खसरा नम्बर 48 व 53 का राजस्व वाद सं. 61/2016 उनवान अनिल बाटड बनाम मदनसिंह आदि में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का दिनांक 27.04.16 से स्थगनादेश है, जो वर्तमान तक प्रभावी है तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.03.18 नियत है।

खातेदारी के शेष खसरा नम्बर 14, 29, 30, 42, 47, 52 व 58 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये गये हैं जो प्रक्रियाधीन है।

(5) जी हां। पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.02.2018 को मौका देखा गया है।

(राज्य मंत्री, राजस्व)

(6) जी नही। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अलावा शेष खातेदारी खसरा नम्बरों में रास्ता दर्ज करने की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## करौली तहसील के राजस्व अधिकारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण

**318. श्री दर्शन सिंह** (करौली): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) करौली तहसील में वर्तमान में कौन-कौन पटवारी, गिरदावर व लिपिक/रीडर कब-कब से पदस्थापित हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में पटवारी, गिरदावर व लिपिक/रीडरों के अधिकतम एक ही स्थान पर पदस्थापन/अधिकतम ठहराव के नियम बने हुए हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार अधिकतम ठहराव हेतु नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार करौली तहसील में लंबी अवधि से पदस्थापित पटवारियों, गिरदावरों, लिपिक व रीडरों का करौली जिले से बाहर स्थानांतरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) करौली तहसील में पटवारी, गिरदावर एवं लिपिक के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 28.06.90 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु सामान्य नीति निर्धारित की गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकता एवं विशेष कारणों के आधार पर स्थानान्तरण किये जाते हैं।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## दूदू में पटवारियों के रिक्त पद

**319. श्री प्रेम चन्द बैरवा** (दूदू): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील मौजमाबाद, दूदू एवं फागी में पटवारियों के आधे से भी अधिक पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? तहसीलवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों में नए एवं पुराने राजस्व नक्शों में काफी अंतर है? यदि हां, तो क्यों? इसके समाधान हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सर्वे कराकर राजस्व नक्शों को दुरुस्त कराने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। तहसील मौजमाबाद में कुल स्वीकृत 33 पदों में से 07, दूदू में 30 में से 09 पद एवं तहसील फागी में 52 पदों में से 14 पद ही रिक्त हैं। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील मौजमाबाद, दूदू एवं फागी में राजस्व नक्शों में अन्तर से संबंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) वर्तमान में डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत हाई रेज्यूलेशन सेटेलाइट इमेजरी के आधार पर अत्यधिक शुद्धतायुक्त नक्शों के निर्माण का कार्य प्रगतिरत है।

**परिशिष्ट 'अ'**

**कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर**

www.jaipur.rajasthan.gov.in

**परिशिष्ट-अ**

| क्र.सं. | तहसील मौजमाबाद | तहसील दूदू | तहसील फागी |
|---|---|---|---|
| 1 | धमाणा | मोरडा | हीरापुरा |
| 2 | लोरडी | ममाणा | समेलिया |
| 3 | बिहारीपुरा | सिरोहीकला | नैनस्या |
| 4 | सांवरदा | केरिया बुजुर्ग | मण्डावरा |
| 5 | मौजमाबाद बी | धांधोली | घटियाली |

| क्र.सं. | तहसील मौजमाबाद | तहसील दूदू | तहसील फागी |
|---|---|---|---|
| 6 | मौजमाबाद सी | गहलोता | फागी उत्तर |
| 7 | डोगरा | नानण | फागी पश्चिम |
| 8 | | गैजी | चौरू उत्तर |
| 9 | | लापोडिया | मण्डोर |
| 10 | | | कांसेल |
| 11 | | | बासड़ीजोगियान |
| 12 | | | केरिया |
| 13 | | | हथेली |
| 14 | | | मेन्दवास |

**जिला कलक्टर**

**जयपुर**

# परिशिष्ट 1

## नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

### प्रदेश में जोगी/मुस्लिम समाज को श्मशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि का आबंटन

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्रदेश में जोगी समाज/मुस्लिम समाज के लोगों के लिए श्मसान/कब्रिस्तान बनाने हेतु जमीन उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में प्रस्ताय प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि प्रदेश में जोगी समाज/मुस्लिम समाज में किसी की मृत्यु हो जाने पर शव को मिट्टी में दफनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। लेकिन धीरे-धीरे आज बढती आबादी के साथ ही जमीनों पर अतिक्रमण होने से जोगी समाज/मुस्लिम समाज के लोगों को शवों को दफनाने हेतु जमीन नहीं मिल पा रही है एवं उनको गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से पुरजोर शब्दों में मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जोगी समाज/मुस्लिम समाज के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में जोगी समाज/मुस्लिम समाज के लोगों को श्मशान/ कब्रिस्तान बनाने हेतु सरकारी स्तर पर जमीन आबंटित की जाए।

**जगदीश नारायण**

(जमवारामगढ़)

### रामगढ़ (अलवर) के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकीय सुविधा में वृद्धि

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में किसी डिस्पेंसरी या पी.एच.सी. या सी.एच.सी. में लेडी डाक्टर नहीं है। कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही सभी रैफरल सी.एच.सी. हास्पिटल में स्वीकृत पदों पर डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इसी के कम में पी.एच.सी. अलावड़ा, पी.एच.सी. बाम्बोली एवं पाटा में डॉक्टर एवं लेडी डाक्टर भी उपलब्ध नहीं है। कृपया लगाने का कष्ट करें। इसी क्रम में 5 सी.एच.सी. में मात्र तीन 108 एम्बुलेंस ही उपलब्ध हैं। पांचों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही क्षेत्र में कार्यरत एम्बुलेंस खराब हैं उनको भी बदलने का कष्ट करें।

1. सी.एच.सी. - रामगढ़ (रैफरल)

2. सी.एच.सी. - गोविंदगढ़ (रैफरल)

3 सी.एच.सी.- बड़ौदा में (रैफरल)

4. सी.एच.सी. मुबारिकपुर

5 सी.एच.सी. - नौगांवा

सादर,

**ज्ञानदेव आहूजा**

(रामगढ़)

## किशनगंज के लोक उत्सवों का पर्यटन मानचित्र में सम्मिलन

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रहने वाली आदिवासियों की सदियों पुरानी परम्परा लोगों को चकित करने वाली है। होली के समय यहां होने वाला फूल डोल लोक उत्सव हर किसी के मन को लुभाता है। यह होली के दिन शाम से शुरु होकर दो-तीन दिन तक चलता है। होली दहन के बाद कस्बे के चारभुजा मन्दिर पर भजन संध्या का भव्य कार्यक्रम होता है। धुलंडी को स्वाग निकाले जाते हैं। कस्बे के चतुर्भुज नाथ मन्दिर से निकलने वाले स्वांग धार्मिक कथानकों पर आधारित होते हैं। इनमें गिद्ध. रावण, हनुमान कंकाली, बाली, सुग्रीव, अभिमन्यु व साधुओं की जमात प्रमुख हैं। लोकोत्सव के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भी इनका प्रदर्शन होता रहा है। लोगों के मनोरंजन के लिए कलाकार, ढोला मारू, गाड़िया लुहार, इत्र फरोश. सेठ-सेठानी, फकीर और कव्वाल का स्वांग करते हैं।

**फूल डोल लोक उत्सव की शुरुआत**- यहां के निवासी अयोध्या प्रसाद सक्सेना ने निःसन्तान होने के अभिशाप से मुक्त होने के लिए सन् 1886 में अपने आंगन की तुलसी को पुत्री मानकर उसका विवाह कस्बे के मुख्य मंदिर में स्थित भगवान चतुर्भुजनाथ की प्रतिमा से करवाया था। उस समय हजारों

लोगों ने शिरकत की थी। उस समय परम्परा थी कि विवाह के बाद दूल्हा अपने इष्ट मित्रों के साथ ससुराल में होली खेलने जाता था। ग्रामीणों ने अगले वर्ष इस परम्परा का निर्वहन किया। तभी से यह परम्परा चली आ रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से किये जाने वाले इस लोकोत्सव को देखने लगभग एक लाख लोग एकत्रित होते हैं।

**पर्यटन से जोड़ने की मांग-** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कस्बे व स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप माननीया मुख्य मंत्री महोदया एवं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि विविधता से परिपूर्ण इस लोकोत्सव को बून्दी की तीज व कोटा के दशहरे की तरह पर्यटन विभाग के कलैण्डर में शामिल करें एवं सरकार के द्वारा कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

सादर।

**ललित कुमार**

(किशनगंज)

## पीलीबंगा में घग्घर नदी पर पुल का निर्माण

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत अमरपुरा व गांव लुढाणा के बीच से घग्घर नदी बहती है। जिस पर पुल नहीं होने के कारण लुढाणा गांव के ग्रामवासियों को पंचायत मुख्यालय अमरपुरा जाने के लिए लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

बरसात के मौसम में घग्घर नदी में पानी आ जाने के कारण आम-जन की परेशानी होती है।

अत: श्रीमान जी पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमरपुरा एवं गांव लुढाणा के बीच में बहती घग्घर नदी पर पुल का निर्माण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।

**द्रोपती मेघवाल**

(पीलीबंगा)

## गलियाकोट (बांसवाड़ा) पंचायत समिति के कार्यक्षेत्र का पुन: निर्धारण

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि आज आपने मुझे सदन में मेरे

क्षेत्र की जनता की भावनाओं को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की गलियाकोट पंचायत समिति की 16 ग्राम पंचायतें सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सीमलवाड़ा में आती है जिस कारण इन ग्राम की जनता को विभाग की समस्या को लेकर आये दिन सीमलवाड़ा जाना पड़ता है जो कि यहां से 35 किमी. दूर है। यातायात के साधन भी इस रोड पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी भी पंचायत समिति की साधारण सभा में नहीं आते हैं। जन प्रतिनिधि भी इस मामले को कई बार जिला परिषद में भी रख चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि गलियाकोट पंचायत समिति की 16 ग्राम पंचायतें सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सीमलवाड़ा में आती हैं। उनका कार्य क्षेत्र बदलकर सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सागवाड़ा कर दिया जाये ताकि इन 16 ग्राम पंचायतों की जनता को राहत पहुंचे और विकास के कार्य समय पर आमजन की भावनाओं के अनुरूप हों।

**अनिता कटारा**

(सांगवाड़ा)

## सांचौर के विद्यालयों के एकीकरण से परेशानी

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के एकीकरण के नाम पर प्राथमिक पाठशालाओं को सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों में तब्दील कर दिया। विधान सभा क्षेत्र सांचौर में पंचायत समिति चितलवाना में स्थित राजस्व गांव वरणवा की हायर सैकण्डरी स्कूल 3 किमी. दूरी पर है। वरणवा गांव की प्राथमिक पाठशाला वरणवा गांव में आई थी जिसमें छोटे बच्चे अध्ययन कर रहे थे परन्तु गांव की प्रा. स्कूल को गांव से दूर 3 किमी. हायर सैकण्डरी स्कूल में मर्ज करने से गांव के बच्चे 3 किमी. दूर पढ़ने नहीं जा सकते हैं। ऐसे में गांव के बच्चे बिना पढ़े घर ही बैठे हैं क्योंकि रास्ते में घनी झाड़ियां हैं तथा बच्चे अकेले नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में स्कूल व गांव की दूरी की जांच करवाई जाकर राजनीतिक कारणों से स्कूल को चालू किया जाए तथा नियम विरुद्ध स्कूल बंद

करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ऐसे अतिमहत्व विषय को सदन में उठाना चाहता हूं।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

धन्यवाद।

**सुखराम विश्नोई**

(सांचौर)

## नागौर शहर में सीवरेज कार्यों की गति बढ़ाना

नागौर जिला मुख्यालय पर अमृत मिशन योजना के तहत 135 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है। इस राशि में करीब 60 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन बिछाने के लिए खर्च किये जाने की योजना तैयार की गयी है। इस योजना के तहत शहर के प्रमुख मार्गों व गली मौहल्लों में 78 किमी की सीवरेज लाइन बिछाने तथा 8 हजार से अधिक प्रोपर्टी कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं। नागौर में पिछले 8 वर्षों से सीवरेज का काम आर.यू.आई.डी.पी. माध्यम से चल रहा है। मगर वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ हैं। और आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से अब तक जो कार्य हुए हैं वह गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं। नागौर शहर के नागरिकों द्वारा इस संबंध में लगातार शिकायतें की जा रही हैं। जिला प्रशासन को भी धीमी गति से चल रहे सीवरेज कार्य के बारे में अवगत करवाया गया मगर ठोस कार्यवाही नहीं हुई। सीवरेज का कार्य अब तक 6 सालों में भी गति नहीं पकड़ पाया। इस कारण नागौर मुख्यालय पर गंदगी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अभी तक नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिला है। नागौर शहर के बालवा रोड पर कचरे के निस्तारण के लिए विकसित किये जा रहे ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ आम जन को नहीं मिल रहा हैं। राज्य सरकार ने अमृत मिशन योजना के तहत 60 करोड़ की राशि स्वीकृत तो कर दी है मगर आर.यू.आई.डी. पी. की तर्ज पर सीवरेज लाइन बिछाने की यह गति रही तो आम जन को लाभ मिलना मुश्किल है। राज्य इस योजना की सफल क्रियान्विति के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, इस बारे में विस्तार से अवगत करवाया जाएं।

सादर।

**हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा**

(नागौर)

## टोंक के सआदत चिकित्सालय में शय्याओं में बढ़ोतरी

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोंक में जिला मुख्यालय पर स्थित सआदत चिकित्सालय जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। सआदत चिकित्सालय एवं न्यू एम.एच. टोंक में माह जनवरी, 17 से दिसम्बर, 2017 तक ओपीडी मरीजों की संख्या 500614 एवं आई.पी.डी. मरीजों की संख्या 43941 से अधिक है तथा मातृ एव शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, संचालित होने से तथा ट्रोमा, बर्न, एफबीएनसी, एमटीसी, आईसीयू वार्ड होने के कारण मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मरीजों को सही समय पर सुलभ चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, इसके लिए जन हित में अति-आवश्यक है कि उक्त चिकित्सालय को 200 बैड से बढ़ाकर 300 बैड में क्रमोन्नत किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन चाहूंगा कि प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय चिकित्सालय बून्दी, सवाईमाधोपुर तथा कोटपूतली में आउटडोर एवं इन्डोर मरीजों की संख्या सआदत चिकित्सालय टोंक से कम होने के बाद भी वहां पर 300 बैड की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। उक्त अस्पतालों की तरह ही बढ़ी हुई मरीजों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए टोंक के सआदत चिकित्सालय को भी सरकार 200 बैड से बढ़ाकर 300 बैड में क्रमोन्नत कर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं।

धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

**अजीत सिंह**

(टोंक)

## किशनगढ़ (अजमेर) के श्रम निरीक्षक कार्यालय का क्रमोन्नयन

निवेदन है कि किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में आये दिन श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य वाद, उनके मूलभूत अधिकारों के हनन के निराकरण एवं सरकारी श्रम कल्याण की योजनाओं को लागू कराने हेतु श्रम विभाग का श्रम निरीक्षक अधिकारी कार्यालय गत 40 से भी अधिक वर्षों से यहां पर 2 श्रम निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं लेकिन वर्तमान

में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की महत्वपूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत आवेदनों के पंजीयन, नवीनीकरण, आकस्मिक दुर्घटना पर सहायता राशि के लिए आवेदन, उनकी स्वीकृति, सहायता राशि का वितरण आदि का कार्य अजमेर स्थित संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है जिससे स्थानीय श्रमिकों एवं मजदूरों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करते हुए अजमेर-किशनगढ़ के बीच कार्यालयों में भटकना पड़ रहा है।

मान्यवर, गत 8-10 वर्षों में प्रदेश में श्रम कल्याण की विभिन्न जन कल्याणकारी सहायता योजनाओं का संचालन बढ़ा है। पूर्व में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या भी बहुत कम थी. लेकिन आज पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है। जिस कारण आज उक्त श्रम विभाग में कार्यालय कार्यभार भी बढ़ा, वहीं कार्य क्षेत्र शहर दर शहर एवं ग्राम दर ग्राम विस्तारित हुआ है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि किशनगढ़ के तीव्र औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए यहां की औद्योगिक आवश्यकताओं एवं श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में यहां स्थित श्रम निरीक्षक कार्यालय को क्रमोन्नत कर सहायक श्रम आयुक्त का नवीन कार्यालय स्थापित करते हुए समुचित स्टाफ की सक्षम विभागीय स्वीकृति जारी कर अनुगृहीत कराएं।

**भागीरथ चौधरी**

(किशनगढ़)

## सूरसागर में सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों का निर्माण

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में टूटी सड़कों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। बरसों से टूटी सड़कों के कारण आम जन को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम जन के हित में विषय की गम्भीरता को मुख्य मंत्री महोदया ने ध्यान में रखते हुए बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़क की घोषणा भी की है। मेरी मांग है कि:-

1. मुख्य चौपासनी रोड पर शिक्षक कॉलोनी और निराली ढाणी के बीच का बरसों से टूटे पड़े हिस्से को खोदकर सी.सी. निर्माण किया जाए।
2. आखलिया चौराहा के पास मुख्य चौपासनी रोड़ पर माताजी

मंदिर से कमला नेहरू नगर हुडको क्वाटर्स तक, कमला नेहरू नगर द्वितीय सैक्टर एका, चौ.हा. बोर्ड पहला पुलिया से सोमानी कॉलेज एवं फिर श्मशान क्षेत्र तक सड़क का निर्माण।

3. गायत्री नगर, रामदेव नगर, मारवाड़ नगर आदि जोधपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट प्लान से बसी कालोनिया में सड़क निर्माण किया जाए।
4. चांदणा भाखर की मुख्य देवी रोड का निर्माण किया जाए।
5. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में विभिन्न मुख्य सड़कों को सैक्टर से जोड़ने वाली लिंक सड़कों का निर्माण किया जाए।
6. सिवांची गेट से प्रताप नगर सड़क का सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाकर सड़क चौड़ाई तक निर्माण किया जाए।

सादर।

**सूर्यकान्ता व्यास**

(सूरसागर)

## पीपलू उपखण्ड कार्यालय (टोंक) का पंचायत समिति मुख्यालय में क्रमोन्नयन

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में पीपलू को पंचायत समिति नहीं बनाये जाने से आम जनता में व्याप्त असंतोष के सबंध में माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पीपलू में दिनांक 19.07.1996 से तहसील तथा दिनांक 27.05.2002 से उपखण्ड मुख्यालय स्थापित है। पीपलू में 25 याम पंचायतें हैं, जो पंचायत समिति टोंक के अधीन आती वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पीपलू की जनसंख्या 1,17,639 तथा तहसील टोंक ग्रामीण की 1,20,274 अर्थात् कुल जनसंख्या 2,37,913 है। पंचायत समिति, टोंक में 50 ग्राम पंचायत होने के कारण भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा पंचायत समिति क्षेत्र है जो विकास की दृषि से उपेक्षित एवं पिछड़ा हुआ है। तहसील पीपलू के गांवों की टोंक से दूरी 50 से 65 किलोमीटर पड़ती है, जिसके कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है।

पीपलू मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी, तहसील, उपकोष, सहायक अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी/पीएचईडी), सीआई पुलिस, बिजली, सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र, भूमि विकास एवं सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, बैंक आफ बड़ौदा आदि सरकारी कार्यालय सहित निजी महाविद्यालय एवं विद्यालय स्थित हैं। आम जनता को पंचायत समिति से संबंधित कामों के लिए टोंक जाना पड़ता है, जो असुविधाजनक है।

पीपलू को तहसील बनाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा भी पत्र परीक्षण एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भिजवाया गया था, किन्तु अभी तक उस पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है। अत: मैं इस प्रस्ताव के माध्यम माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पीपलू को पंचायत समिति नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक पीपलू को पंचायत समिति बना दिया जाएगा।

सादर।

**हीरालाल**

(निवाई)

## शेखावाटी क्षेत्र में सूदखोरों पर प्रभावी नियंत्रण

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि पूरे शेखावाटी क्षेत्र में सूदखोरों का जाल फैला हुआ है। सूदखोरी में लिप्त व्यक्ति भोली-भाली जनता को अपने मायाजल में जकड़ कर उनका शोषण करने में लिप्त हैं। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से सूदखारों के हौंसले बुलंद हैं।

मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शहर के लोग आकर भी सूदखोरी का धंधा कर रहे हैं। एक व्यक्ति नरेन्द्र सागवान (हरियाणा) से सीकर आकर सूदखोरी के धंधे में लिप्त है। वह महीने में पन्द्रह दिन सीकर रहता है और लोगों से खाली चैक लेकर, सूदखोरी के जाल में फंसाता है, फिर चैंकों को अलग-अलग नामों से भरकर हरियाणा की बैंकों में लगाकर न्यायालय में केस दायर करता है जिससे गरीब जनता का छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है। इस व्यक्ति के खिलाफ उद्योग नगर, सीकर पुलिस थाना में दो एफआईआर भी दर्ज कराई गई परन्तु एक मुकदमा संख्या 77/2017 की जांच

होकर न्यायालय में चालान तो पेश कर दिया गया लेकिन उससे आठ लाख रुपये का चैक बरामद नहीं किया गया।

इसी प्रकार मुकदमा संख्या 360/2017 भी इसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हुआ परन्तु जांच की धीमी गति के चलते अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुले घूम रहे हैं। उसने आठ लाख का चैक दिनांक 27.3.2017 झजझर (हरियाणा) की बैंक में किसी मोहन सिंह के नाम से जमा करा दिया और उसके अनादृत होने पर केस दायर कर भोले लोगों को फंसा रहा है। ऐसे लोगों से आम जन को बचाएं।

**खेमाराम**

(सुजानगढ़)

# परिशिष्ट 2

## मांग संख्या 37 – कृषि पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी कि:-

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में लघु सीमांत किसानों को सिंगल फेज विद्युत एवं सोलर कनेक्शन हेतु 3 एच.पी. व 5 एच.पी. के कनेक्शन देने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. प्रदेश के आवारा पशु एवं रोजड़ों से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी अनुदान की गाइड लाइन में संशोधन कर किसानों को लाभान्वित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत चामू मुख्यालय पर गौण कृषि मण्डी यार्ड एवं समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में किसान सेवा केन्द्र एवं भू-अभिलेख सूचना केन्द्र से वंचित ग्राम पंचायतों में केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड मुख्यालय बालेसर में नवीन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी):

6. जोधपुर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी से अलग गठित हुई, बासनी कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर के संचालन हेतु मनोनीत बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र लूणी के काश्तकारों के गांवों से मण्डी तक अपनी उपज को बेचने हेतु आने-जाने के लिए मण्डी समिति द्वारा सड़कों के निर्माण व रख-रखाव के संबंध में चर्चा के लिए।

8. विधान सभा क्षेत्र लूणी के परिक्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों में भण्डारण केन्द्र खोलने, काश्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं सहायक कृषि (विस्तार) का कार्यालय उपखण्ड मुख्यालय लूणी में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय काश्तकार की मृत्यु या दुर्घटना होने पर उसके स्वयं या परिजनों द्वारा निर्धारित समयावधि में वाजिब कारणों से क्लेम प्रस्तुत नहीं करने पर तकनीकी आधार पर रिजेक्ट नहीं करने व मृत्यु पर मिलने वाली राशि 5 लाख करने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. कृषि उपज मण्डी समिति फल सब्जी पावटा जोधपुर को कृषि उपज मण्डी समिति (नवीन) भदवासियां (जोधपुर) में स्थानान्तरित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री जयराम जाटव** (अलवर ग्रामीण):

11. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण):

12. प्रदेश में रोजड़ों से किसानों की फसल की रक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री प्रताप लाल भील** (गोगुन्दा):

13. विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा में कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर):

14. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में किसानों को खाद समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुन्झुनूं):

15. प्रदेश में किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

16. राज्य में कृषि एवं किसानों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा):

17. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की कृषि उपज मण्डी रावतसर, गोलूवाला एवं पीलीबंगा के विभाग स्तर पर सड़कों के प्रकरण स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना):

18. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अनार की मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी के आस-पास लूणी नदी में से लीज पर आधारित कुओं को किसानों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. समदड़ी मुख्यालय पर कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के संबंध में चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गये मूंग के भुगतान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की 69 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़):

23. प्रदेश में किसानों को नये कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर):

24. सांचौर व चितलवाना में कमाण्ड क्षेत्र होने से उन्नत बीज के लिए कृषि विभाग द्वारा बाजरा, गेहूं, अरण्डी, रायड़ा का हाइब्रीड बीज तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री ललित कुमार** (किशनगंज):

25. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर दिये जाने वाले अनुदान के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर):

26. सहायक निदेशक कृषि विस्तार सलूम्बर में बड़ा बीज गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा अनाज बीज के मिनी किट वितरण बायो मैट्रिक मशीन द्वारा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रत्येक पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लार पर छोटा बीज भण्डार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में यूरिया व डी ए पी रखने के लिये गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खेत तलाई पर किसानों को अनुदान राशि 90% देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़):

31. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आवारा पशु एवं रोजड़ों से फसलों को बचाने के लिए किसानों को तारबंदी के लिए अधिक अनुदान दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी):

32. उपखण्ड मुख्यालय फलौदी में उप निदेशक कृषि कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर):

33. बाड़मेर जिले में कई गांवों में अभी तक कृषि अनुदान की राशि किसानों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. कृषि मण्डी बाड़मेर में आये दिन हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सम्पर्क सड़क पिण्डियों का तला से बालेरा तक कृषि मण्डी सड़क के तहत स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी):

36. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाड़ी कृषि उपज मण्डी को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू):

37. विधान सभा क्षेत्र बायतू में किसानों की फसलों का भण्डारण करने के लिए भण्डार गृहों का निर्माण के लिए अनुदान राशि मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में किसानों को कृषि कुओं की खुदाई में अनुदान दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र बायतू में असिंचित क्षेत्र में लघु एवं सीमांत कृषकों का दायरा 10 हैक्टेयर एवं 5 हैक्टेयर तक की जमीन के किसानों को शामिल करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी):

40. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाड़ी कृषि उपज मण्डी में गोदाम खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**डा. मंजू बाघमार** (जायल):

41. राजस्थान में मध्यप्रदेश की तर्ज पर 'भांवावर भुगतान योजना' लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर):

42. प्रदेश में किसानों का कर्ज माफी में 50 हजार का लाभ सहकारी बैंक के साथ अन्य सभी बैंकों के कर्जदार किसानों को भी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा):

43. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नवीन अफीम के पट्टे अधिक से अधिक दिलवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में छीपाबड़ौद में विशेष लहसुन मण्डी के लिए और जमीन आबंटन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद):

45. सांगोद कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कृषि अधिकारी (परीक्षण), कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. कोटा जिले में स्वीकृत नवीन कृषि महाविद्यालय का मुख्यालय उप उपखण्ड दीगोद करते हुए कृषि अनुसंधान केन्द्र की भूमि पर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. किसानों के लिए कृषि यांत्रिकी पोर्टेबल बीज ग्रेडिंग मशीन को अनुदान में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर):

48. प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर एवं पानी को बचाने के लिये कम पानी में अधिक पैदावार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने एवं सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. गंगापुर सिटी क्षेत्र की 'अ' श्रेणी उपज मण्डी में किसानों की सुविधा के लिए किसान भवन के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम):

50. प्रदेश में किसानों को नरेगा के अन्तर्गत तारबन्दी हेतु देय अनुदान राशि बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र भीम में सभी कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर):

52. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में किसानों की खेत की डिग्गी पर एक खेत के साथ दूसरे खेत की डिग्गी पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. जिला श्रीगंगानगर में बीज निगम कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में मृदा एवं भू-जल जांच केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

55. श्रीगंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के किसानों के कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि बढ़ाने और अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर):

57. विधान सभा क्षेत्र आमेर में समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. प्रदेश में बिगड़ती किसानों की हालात के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी):

59. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कृषि विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कृषि सेवा केन्द्र से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि सेवा केन्द्र के भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी):

61. प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से

आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक/कृषि ग्राम सेवक की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कृषि उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में निर्माणाधीन तकली मध्यम सिंचाई परियोजना में डूब क्षेत्र के किसानों को 10-10 बीघा कृषि भूमि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में किसानों को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार तक के कर्ज माफी की घोषणा में सभी किसानों को सम्मिलित कर लाभ प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर):

66. विधान सभा क्षेत्र आहौर के सियाणा ग्राम पंचायत के कृषि मण्डी हेतु आरक्षित जमीन में कृषि मण्डी या भण्डारण केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

**डा. प्रेम चन्द बैरवा** (दूदू):

67. विधान सभा क्षेत्र दूदू में कृषि विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिए।

68. कृषि विभाग द्वारा कृषि संयंत्रों एवं योजनाओं के तहत विभिन्न कम्पनियों को किये जा रहे विभागीय भुगतानों के स्थान पर उक्त योजना में देय राशि को सीधे कृषकों के खाते में हस्तान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर):

69. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के बडोदा गांव उलाना रामगढ, चान्दण, फतेहगढ़, काहला अमर सागर में वेयर हाउस को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के गांव एवं MLA आदर्श ग्राम पंचायत में को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में चर्चा के लिए।

72. जैसलमर जिले में मुख्यालय चान्दण, फतेहगढ़, मोहनगढ़, राजमथाई पोकरण, जैसलमेर शहर PTM रामगढ़ में समर्थन मूल्य खरीद सरसों, चना, जीरा, ईसबगोल के साथ सभी तरह के अनाज की भी सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर एवं जिला जैसलमेर में किसान कर्जा माफी की सीमा लघु एवं 25 बीघा जमीन मानकर कर्जा माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती शिमला बावरी** (अनूपगढ़):

74. प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्र व उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. प्रदेश में किसानों को कृषि कनेक्शन नि:शुल्क या रियायती दर पर देने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. प्रदेश में किसानों को खाद एवं डीजल पर पर्याप्त अनुदान राशि देने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कृषि फार्म रोजड़ी में जैतून व खजूर लगाने के संबंध में व्यापक सर्वे कर संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर):

78. विभाग द्वारा विभिन्न कृषि उपकरणों, ग्रीन हाउसों, उद्यानिकी योजनाओं के तहत विभिन्न कम्पनियों को किये जा रहे विभागीय भुगतानों के स्थान पर देय अनुदान राशियों को कृषकों के खाते में सीधे हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में खेतों की मेड़बन्दी, फार्म पोण्ड, पोली हाउस के लक्ष्यों में बढ़ोतरी कराई जाकर अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभान्वित कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर):

80. बारानी किसानों के सभी वर्गों के खेतों में दो लाख रुपये की राशि से नई योजना बनाकर पचास हजार लीटर के जल भण्डारण की स्थायी व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

81. राज्य सरकार द्वारा अभी तक शत प्रतिशत खेतों की मिट्टी के नमूने न लिए जाने व जिनके नमूने ले लिए गए हैं, उनकी लेबोरेट्री टैस्ट के नतीजों से किसानों को सूचित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर) :

82. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फसल बीमा में सभी फसलों को शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. प्रदेश में फसल बीमा को सही ढ़ंग से लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में किसानों को समय पर खाद, बीज व अन्य चीजें उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. प्रदेश में किसानों को सिंचाई के अलावा पूरी बिजली देने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. प्रदेश के सभी किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत):

87. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के नहरी क्षेत्र के किसानों को कृषि कार्य हेतु अनुदान राशि देने के संबंध में चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में किसानों को मिनी किट, बीज व यूरिया उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. बीकानेर जिले में स्वीकृत "बीज विद्यायन केन्द्र" खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में कृषि विभाग का भवन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का निष्पक्ष व जरूरतमंद को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री हीरालाल** (निवाई):

92. विधान सभा क्षेत्र निवाई में कृषि मण्डी की ओर से बनाई जाने वाली सड़कों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश में किसानों का कृषि कार्य करते समय जहरीले कीड़े के काटने, आकाशीय बिजली गिरने, बिजली से चिपकने, अन्य प्रकार से हुई दुर्घटना पर दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र निवाई में सहायक निदेशक कृषि का कार्यालय खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में आशुलिपिक पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को शीघ्रलिपि परीक्षा में बुलाये जाने हेतु नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में अंग्रेजी आशुलिपिक पदनाम के स्थान पर आशुलिपिक पदनाम कर भर्ती नियम राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अजीत सिंह** (टोंक):

97. राज्य में काश्तकारों की वर्तमान दी गई पाइप लाइन हेतु राशि 300 मीटर या 15,000/- रुपये के स्थान पर 500 मीटर या अधिकतम 25,000/- रुपये किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. राज्य में काश्तकारों को पाली हाउस व ग्रीन हाउस योजना में आवेदन करते ही अनुदान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर वरीयता समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. टोंक जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक क्लस्टर स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. टोंक जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. टोंक जिला मुख्यालय पर कृषि विपणन केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री रामपाल** (बारां-अटरू):

102. विधान सभा क्षेत्र बारां अटरू उप खण्ड मुख्यालय पर कृषि अधिकारी का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण):

103. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा मे रिक्त पदों की भर्ती करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. प्रदेश में किसानों को फसलों की तारबन्दी के लिये मिलने वाले अनुदान के जिलेवार लक्ष्य कम होने से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर):

105. प्रदेश में किसानों को ऋण में रियायत 12.5 बीघा जमीन की सीमा को समाप्त कर सभी सामान्य किसानों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. प्रदेश में किसानों का 5 साल से अधिक समय से बकाया ऋण को समाप्त कर किसानों को राहत प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री दलीचन्द डांगी** (मावली):

107. विधान सभा क्षेत्र मावली में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र मावली में स्वीकृत कृषि प्रसार अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने, वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि सेवा केन्द्र खोलना एवं कृषि पर्यवेक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र मावली में किसान सेवा केन्द्र से वंचित पंचायतों के भवन के निर्माण कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र मावली में सरकार द्वारा बीज वितरण के मिनी किट प्रत्येक परिवार को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र मावली के काश्तकारों के गांवों से मण्डी तक अपनी उपज को बेचने हेतु आने-जाने के लिये मण्डी द्वारा सड़कों के निर्माण, रख-रखाव के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर):

112. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर):

113. श्रीगंगानगर में डिग्गियों के निर्माण हेतु अनुदान राशि बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. श्रीगंगानगर में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

115. श्रीगंगानगर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

116. श्रीगंगानगर में अन्य जिलों की तरह 3HP के स्थान पर 5HP के सोलर सिस्टम की मंजूरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. श्रीगंगानगर RIICO में किन्नू वेक्सिंग प्लान्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री अर्जुनलाल** (बिलाड़ा):

118. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लागू करने पर प्रीमियम राशि जमा करवाने के बाद फसल नुकसान होने के बाद भी किसानों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा में KVK को स्थापित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित कृषि उपज मण्डी में सौंफ मण्डी घोषित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा शहर में स्थित कृषि अनुसंधान की भूमि पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में किसानों को जंगली जानवरों एवं नील गाय से होने वाले फसलों के नुकसान को रोकने हेतु कांटेदार तारबंदी पर लगी क्षेत्रफल सीमा को बढ़ाकर लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री गोरधन** (धोद):

123. विधान सभा क्षेत्र धोद में नगरपालिका लोसल में मण्डी यार्ड को कृषि मण्डी घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र धोद में रसीदपुरा प्याज मण्डी को अतिशीघ्र चालू करवाने एवं उसका क्षेत्राधिकार सीकर मण्डी के अधीन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

# परिशिष्ट 3

## मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर):

1. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के नवानिया पशुपालन महाविद्यालय में ऑडिटोरियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़):

2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पंजीकृत गौशालाओं को समय पर अनुदान, सुविधाएं देने एवं पशु चिकित्सा केन्द्रों पर दवाइयों व चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भवन विहीन पशु चिकित्सा व उप केन्द्रों में नवीन भवन की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भेड़ पालकों को "अविका कवच योजना" के तहत लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन पशु उप केन्द्र खोलने, पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी):

7. विधान सभा क्षेत्र लूणी में कार्यरत भवन विहीन पशु उप केन्द्रों, पशु चिकित्सालयों व औषधालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र लूणी के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय झंवर एवं कैरू में पशुचल इकाई की स्थापना एवं पशु औषधालय सर व चौखा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने व आवश्यक दवाइयां उपकरण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र लूणी के पशु चिकित्सालय पाल, दुन्दाड़ा व धवा को प्रथम श्रेणी में, पशु उपकेन्द्र गुड़ा विश्नोईयान्, सालावास, लूणावास खारा, बोरानाड़ा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने व आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम लूणावास कलां, बड़ला नगर, मु. कुम्हारिया नाडा, घंटियाला, सांगरिया, शुभदण्ड, कड़वड़ एवं मणाई में नवीन पशु उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जयराम जाटव** (अलवर ग्रामीण):

11. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राजकीय पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र पलखड़ी, अलवर को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की ग्राम पंचायत हाजीपुर में पशु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती राजकुमारी** (हिण्डौन):

13. हिण्डौन शहर में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर):

14. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के हर पंचायत हैड क्वार्टर पर पशु उपकेन्द्र खोलने की घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री प्रताप लाल भील** (गोगुन्दा):

15. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पशुधन सहायक, पशु चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में स्वीकृत पशु उप केन्द्रों के भवनों के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर):

17. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की जिन ग्राम पंचायतों में पशु उपकेन्द्र नहीं है, वहां पर पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बड़े गांवों में पशुओं की संख्या को देखते हुये पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा):

19. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में वंचित रही ग्राम पंचायतों में पशु उपकेन्द्र स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना):

20. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु उपकेन्द्र से वंचित ग्राम पंचायत में नवीन पशु उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पशु उपकेन्द्र जेठन्तरी को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. प्रदेश में पशु चिकित्सा में पहले की भांति मोबाइल यूनिट संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के "ए" श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर):

24. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के ग्राम केरिया, हेमागुडा, खेजड़ियाल/ अचलपुर में पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर):

25. विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर के प्रत्येक राजस्व गांव एवं पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के वंचित राजस्व गांवों व पंचायत मुख्यालय पर वर्षाकालीन समय में पशुओं की मौसमी बीमारियों के लिये नि:शुल्क इन्जेक्शन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर घास के भण्डार खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़):

28. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गौशाला खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी):

30. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के ग्राम पंचायत कानसिंह की सिड़ एवं सजनाणियों की ढाणी में पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू):

31. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में पशु चिकित्सा केन्द्रों से वंचित ग्राम पंचायतों में चिकित्सा केन्द्र/उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर):

32. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शहर में घूम रहे आवारा पशुओं के लिए गौशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पशुधन सहायकों की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

34. प्रदेश में पशुपालन में अग्रणी रेबारी समाज के शैक्षिक उत्थान के संबंध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में भवन रहित पशु उपकेन्द्रों पर भवन की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल):

36. जयसिंहपुरा खोर, जयपुर में पशु चिकित्सालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू):

37. विधान सभा क्षेत्र बायतू के पशु चिकित्सा केन्द्रों में विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. नर गौवंश की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के साथ देशी नस्ल की गायों पर शोध कर प्रजनन के दौरान अधिकाधिक संख्या में मादा गौवंश की वृद्धि करने संबंधी कार्य योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में गौ-धन को संरक्षण प्रदान करने के लिए गौ-पालकों के प्रति गौ-धन के हिसाब से मासिक अनुदान राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र बायतू की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु उपकेन्द्र की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री नरेन्द्र कुमार** (मण्ड़ावा):

41. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा की ग्राम पंचायतों में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के ग्राम पाटोदा में पशु उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी):

43. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**डा. मंजू बाघमार** (जायल):

44. विधान सभा क्षेत्र जायल में स्थित पशु चिकित्सालय रोब/झाडेली को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र जायल में नवीन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र छापड़ा/पिण्डिया/अड़बड़/श्यामसर, रोहिणा में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत):

46. सोजत तहसील के पशु उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र सोजत के पशु चिकित्सालय बगड़ी, नया गांव, सियाट को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायत मेव, शिवपुरा, भैसाणा, शयरा कला, सुरायता, गागुडा, चौपड़ा, बोयल में नये पशु उपकेन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर):

49. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर (अजमेर) के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा):

50. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नवीन पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू):

51. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा केन्द्र/उपकेन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद):

52. पशु चिकित्सालय घुलेट ब्लॉक सांगोद में भवन की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
53. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में वर्ष 2016-17 में स्वीकृत पशु उपकेन्द्रों के भवनों की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
54. पशु चिकित्सालय मोईकलां ब्लाक सांगोद को "अ" श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
55. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पशु चिकित्सालय एवं पशु उपकेन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
56. पशु चिकित्सालय बपावर ब्लाक सांगोद "अ" श्रेणी पशु चिकित्सालय में स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर):

57. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में डेयरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
58. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में संचालित भवन विहीन पशु उप केन्द्रों के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री मंगलराम** (कठूमर):

59. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पशु चिकित्सालय के अपूर्ण भवनों को पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम):

60. विधान सभा क्षेत्र भीम में चिकित्सकों एवं पशुधन सहायक के स्वीकृत पदों के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर):

61. जोधपुर के राजूवास पशु उपकेन्द्र पर संसाधन एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर) :

62. रायसिंहनगर व श्रीविजयनगर क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों एवं सीमावर्ती एरिया में पशु चिकित्सा की स्थायी व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 2½ FD में खाटा, सुखचैनपुरा, सरदारपुरा बिका में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में समस्त पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पर पशु चिकित्सक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम 12GB, 15GB, 7GB 10 सरकारी, 74GB एवं 30APD में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम पंचायत समेजा कोठी में पशु चिकित्सालय के भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर):

67. प्रदेश में पशुपालन एवं चिकित्सा की बिगड़ती हालत के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी):

68. प्रदेश में पशुपालकों हेतु ग्रामीण हाट बाजारों के माध्यम से पशु मेलों के आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में पशुपालकों को सस्ती दर पर भैंस, गाय, बकरी आदि की खरीद पर बैंक से ऋण स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में स्थित समस्त पशु चिकित्सालयों में आवश्यकता अनुसार स्टाफ की नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पशु चिकित्सालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. प्रदेश में स्वीकृत पशु चिकित्सा केन्द्र, उपकेन्द्र हेतु भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर):

73. विधान सभा क्षेत्र आहौर के संरकरणा, भोरड़ा, उम्मेदपुर एवं बागरा में पशु सब सेन्टर को पशु चिकित्सा केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**डा. प्रेम चन्द बैरवा** (दूदू):

74. विधान सभा क्षेत्र दूदू में संचालित भवन विहीन पशु उपकेन्द्रों के संबंध में चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र दूदू में पशु चिकित्सालय एवं पशु उपकेन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर):

76. जैसलमेर जिले के गांवों की गौशालाओं में गौवंश का संरक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. जैसलमेर जिले में पशु उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में स्वीकृत पशु चिकित्सालय भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में दुग्ध उत्पादकों को अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सा सहायक एवं चिकित्सक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती शिमला बावरी** (अनूपगढ़):

81. प्रदेश के किसानों को दुग्ध व्यवसाय हेतु प्रोत्साहन के लिए दुधारू पशु खरीदने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर अनुदान प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में पशुपालन विभाग में रिक्त पड़े सभी संवर्गों के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर):

83. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों, औषधालयों व सब सेन्टरों के भवनों के संबंध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विभागीय रिक्त पदों पर योग्य व्यक्तियों का पद स्थापन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर):

85. प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नए पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पशु चिकित्सालय एवं पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

88. प्रदेश में पशुओं में फैल रहे खुरपका रोग की रोकथाम के उपाय के संबंध में चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत):

90. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. कोलायत में राजकीय पशु चिकित्सालय के संबंध में चर्चा के लिये।

92. राज्य में "पशुधन नि:शुल्क दवा योजना" में स्वीकृत दवाइयों की कटौती करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के भेड़-पालकों व पशुपालकों को विभाग द्वारा नि:शुल्क मौसमी बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाये जाने से पशुपालकों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में स्वीकृत उप केन्द्रों व चिकित्सालयों के नवीन भवनों के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल** (निवाई):

95. विधान सभा क्षेत्र निवाई के गांव सुनारी, बहड़ में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र निवाई के गांव झिराना में पशु चिकित्सालय भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल** (निवाई):

97. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम पंचायत मुख्यालय रजवास में पशु चिकित्सालय हेतु नवीन भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री अजीत सिंह** (टोंक):

98. टोंक नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ते हुए पशु धन को मध्यनजर रखते हुए एक अतिरिक्त पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र टोंक में पंचायत मुख्यालय मोर काटिणान अलिणारी, इन्योकिणा एवं लाटवाकलां में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र टोंक में बीमार पशुओं एवं दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री दलीचन्द डांगी** (मावली):

101. विधान सभा क्षेत्र मावली में विभाग के स्वीकृत रिक्त पदों को भरने एवं नवीन खोले गये पशु उपकेन्द्रों पर पशुधन सहायक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र मावली में वंचित ग्राम पंचायतों में पशु उपकेन्द्र खोलने, पशु उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने एवं संचालित पशु उपकेन्द्र के भवन के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु खरीदने हेतु सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सा एम्बुलेन्स, पशु चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन, शल्य चिकित्सा उपकरण, पशुओं की बीमारियों की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र मावली के पशुपालकों को पशुओं के लिये पशु आहार खरीद पर अनुदान देने, डेयरी में दूध देने पर प्रति किलो दूध पर अनुदान 2 रुपये बढ़ाने एवं अनुदानित चारा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर):

106. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय वीरपुर (मेवाड़ा), महिपालपुरा, कवालियादरा, करोली, पंचायत समिति बीछीवाड़ा एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय बटकाफला, गोकुलपुरा, छैला खैरवाड़ा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर):

107. श्रीगंगानगर में भवन विहीन पशु उपकेन्द्रों को भवन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. गंगानगर के पशु चिकित्सालय गणेशगढ़ के भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के सभी पशु चिकित्सालया में पशु चिकित्सक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के ग्राम पंचायत मुख्यालय 21GG, 4Z, 18GG (गोविन्दपुरा) में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में पंजीकृत गौशालाओं में एल.एस.ए. की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री अर्जुनलाल** (बिलाड़ा):

112. पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जोधपुर के अधीनस्थ आने वाले दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को दुग्ध बिक्री पर 2/- रुपये प्रति लीटर अनुदान बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित पशु उपकेन्द्रों पर रिक्त पड़े पदों को शीघ्र नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत जैतीवास, दांतीवाड़ा एवं कालाउना में पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री गोरधन** (धोद):

115. विधान सभा क्षेत्र धोद में पुंराछोटी, कुण्डलपुर व अन्य ग्राम पंचायतों में जहां पशु उपकेन्द्र नहीं खुले वहां पशु उपकेन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर):

116. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील कोटड़ी की ग्राम पंचायत साखड़ा, आसोप, मंशा तथा जहाजपुर तहसील की पंचायत बरौदा, खैरूणा, गन्धेर, गाडोली, फलासिया में पशु चिकित्सालय खोले जाने एवं अमरगढ़ उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम जोजर, बीरधोल, छापडेल, कांटी में पशु सब सेन्टर खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

# परिशिष्ट 4

## मांग संख्या 36-सहकारिता पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर):

1. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के गोटीपा, बरोड़िया एवं चारगदिया में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़):

2. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन ऑनलाइन के बजाय आफलाइन करने के संबंध में चर्चा के लिए।
3. सुराज संकल्प घोषणा पत्र में सभी प्रकार की कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की परिधि में लाने की घोषणा की पालना के संबंध में चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़ (तहसील मुख्यालय) एवं सेखाला में नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी):

5. विधान सभा क्षेत्र लूणी में नवगठित ग्राम पंचायतों एवं वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र लूणी के लूणी तहसील मुख्यालय में नवीन क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों के निर्माण एवं सभी ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भण्डार खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम सेवा सहकारी समिति दुन्दाडा, पीपरली, डोली, लूणी, झंवर, धवा, सालावास, जाणोदेसर, खाराबेरा

पुरोहितान के भवनों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री जयराम जाटव** (अलवर ग्रामीण):

9. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम भजीट तहसील जिला अलवर में ग्राम सेवा सहकारी समिति बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण):

11. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सहकारिता में नये लैम्पस बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर):

12. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के प्रत्येक गांव में सहकारी सेवा समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं):

13. प्रदेश के किसानों के सम्पूर्ण कर्ज माफी के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना):

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सहकारी समितियों में फसल खरीफ 2016 का बीमा क्लेम किसानों को नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. प्रदेश में किसान कर्ज माफी से वंचित किसानों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में प्रस्तावित नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. प्रदेश में जी.एस.एस. पर कार्यरत व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों के वेतन निर्धारण एवं स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. प्रदेश में जी.एस.एस. के मार्फत मिलने वाले फसली ऋण में कटौती एवं नये किसानों की साख सीमा बनाने तथा स्वीकृत साख सीमा के आधार पर किसान को ऋण वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर):

19. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में प्रत्येक सोसायटी में एक स्थाई मैनेजर अनिवार्य रूप से लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर):

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रत्येक पंचायतों में लेम्पस खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के लेम्पस भवनों के संबंध में चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में गामड़ापाल, ईड़ाणा, बस्सी सामसोत, खैराड, ईटाली, बडावली, अदवास, सेमाल, श्यामपुरा, सल्लाड़ा, बड़गांव, चन्दौड़ा में लेम्पस खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रत्येक लेम्पस पर बीज एवं खाद भण्डार खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर तहसील सलूम्बर, सराडा, सेवारी एवं झल्लारा में खरीफ-रबी की फसल के लिए खाद उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़):

25. प्रदेश में सहकारी समितियों से किसानों को मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में सहकारी भूमि विकास बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये फसली ऋणों को माफ किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बंद पड़ी सहकारी समितियों को पुन: चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़):

28. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भदेसर मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू):

29. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की ग्राम सेवा सहकारी समिति सवाई माधोसिंहपुरा, राड़ोली व बड़ोदिया में भवन व गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के किसानों को साख सीमा के अनुसार बिना कटौती ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कृषक मित्र योजना (के.एम.वाई.) में डी.एल.सी. रेट के अनुपात में ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर):

32. बाड़मेर जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायतें कवास, भूरटिया, बांदरा का केसीसी लोन वितरण केन्द्र बायतू से हटाकर बाड़मेर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री प्रताप लाल भील** (गोगुन्दा):

34. विधान सभा गोगुन्दा में ग्राम पंचायत दादिया-मजावडी के नाम से नई सहकारी समिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत मोखल-पारिया में नई सहकारी समिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू):

36. बाड़मेर जिले में सहकारी सदस्यों के अनुपात में सहकारी ऋण की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. जैसलमेर जिले में नवगठित सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा किसानों को सहकारी ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर):

38. प्रदेश में बैंकों के कर्जदार किसानों को कर्ज माफी का फायदा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा):

39. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सहकारिता विभाग द्वारा अधिक से अधिक खाद बीज बंटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू):

40. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में रबी, खरीफ फसल की बुवाई से एक माह

पूर्व खाद-बीज रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद):

41. उपखण्ड मुख्यालय कनवास सांगोद दीगोद में उपभोक्ता के माध्यम से सहकारी सुपर मार्केट या उपभोक्ता भण्डार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
42. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के वेयर हाउस बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।
43. प्रदेश में सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
44. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर):

45. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों की फसलों के लिए मिट्टी परीक्षण फसल में लगने वाले कीड़ों एवं मौसम के अनुसार फसल बोने के लिए प्रशिक्षण एवं सेमीनार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
46. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
47. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।
48. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के भवनों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम):

49. विधान सभा क्षेत्र भीम में सहकारी बैंक खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर):

50. प्रदेश में 50,000 रुपये की सरकार द्वारा की जा रही ऋण माफी योजना में भूमि विकास बैंक के किसानों को भी जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में भूमि विकास बैंक से जिन किसानों ने ऋण ले रखा है, उनकी ब्याज में जो छूट पिछले वर्षो में दी जा रही थी, वो छूट किसानों को इस वर्ष के बजट में भी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम ततारसर में सहकारिता भवन के संबंध में चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सहकारी बैंकों को पर्याप्त अनुदान और सहायता राशि दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के किसानों को देय ऋण राशि की सीमा बढ़ाने और बिना ब्याज के अल्पकालीन ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर):

55. प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी):

56. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूगला उपखण्ड मुख्यालय पर भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला प्रतापगढ़-चित्तौड़गढ़ में गोदाम रहित समितियों के गोदाम स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए

58. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नवीन सहकारी समितियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पुराने गोदामों के भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में समर्थन मूल्य पर सरसों एवं गेहूं की खरीद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी):

61. प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषि कार्य में काम आने वाली सामग्री बीज, खाद, दवाइयां की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

62. प्रदेश के किसानों को सहकारी समिति द्वारा देय ऋण की सीमा डबल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने हेतु भण्डारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित सभी ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर):

65. विधान सभा क्षेत्र आहौर के सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर संविदा कर्मियों को प्राथमिकता देकर पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र आहौर (जालौर जिले) में 2016-17 के खराबे को लेकर किसानों को अनुदान वितरण समय पर नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**डा. प्रेम चन्द बैरवा** (दूदू):

67. विधान सभा क्षेत्र दूदू में ग्राम सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र दूदू में रबी, खरीफ फसल की बुवाई से एक माह पूर्व खाद-बीज, रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र दूदू में किसानों को दी जा रही अल्पकालीन ऋणों की राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर):

70. जी.एस.एस. गेन्दलिया, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तावित गोदाम निर्माण प्रकरणों में विभागीय स्वीकृति जारी कर निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

71. भीलवाड़ा जिले की विभिन्न को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा की जा रही गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं तथा निवेशकों व ऋणियों का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

72. प्रदेश में पेंशनरों को सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा ब्राण्डेड दवाइयों की खरीद में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर):

73. प्रदेश में किसानों को दी जा रही अल्पकालीन ऋणों की राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. राज्य सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी की नीति में सीमित किसानों की संख्या आने के कारण अर्ध मध्यम व मध्यम श्रेणी के किसानों तक कर्ज माफी का विस्तार किये जाने व आठ हजार करोड़ की कर्ज माफी को बारह हजार करोड़ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. किसानों को पर्याप्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पूंजी वृद्धि के लिए दो हजार करोड़ रुपये की राशि अंशदान देने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर):

76. प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद का स्थाई तंत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की सम्पूर्ण फसल को खरीद करने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में अन्य फसलों को शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. प्रदेश में किसानों को वर्ष में एक बार दोनों फसलों का एकमुश्त ऋण देने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. प्रदेश में किसानों को दिये जा रहे ऋण को रु. 20 लाख करने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री हीरालाल** (निवाई):

81. विधान सभा क्षेत्र निवाई में किसानों को दिये जाने वाले ऋण की राशि को बढ़ाने एवं ब्याज दर में कमी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अजीत सिंह** (टोंक):

82. टोंक जिला मुख्यालय पर किसानों की कृषि उपज को क्रय कर रखने हेतु 1000 (एक हजार) मैट्रिक टन का बड़ा गोदाम बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र टोंक में नवीन गोदाम निर्माण हेतु बजट आबंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत):

84. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नवीन गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. बजट घोषणा 2018-19 के तहत की गई ऋण माफी की घोषणा का लाभ बीकानेर जिले के किसानों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. राज्य में सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सहकारी ऋणी किसानों की साख सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. राज्य में किसानों को वर्ष 2018-19 में नवीन ऋण स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली):

89. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में दी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक बज्जू में ऋण पर्यवेक्षक (एल.एस.) के पद पर अयोग्य व नियम विरुद्ध कार्मिक को दिए गए कार्यभार (चार्ज) को तत्काल वापस लेने के संबंध में चर्चा के लिए।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण):

90. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. प्रदेश में किसानों को फसली ऋण मिलने में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री दलीचन्द डांगी** (मावली):

92. विधान सभा क्षेत्र मावली में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण वितरण में की गई अनियमितताओं की जांच करने एवं समितियों की नियमित ऑडिट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र मावली में नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ में वेयर हाउस को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र मावली में किसानों को सस्ती दर पर सहकारी समिति से ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र मावली में सहकारी समितियों द्वारा पूर्व ऋणी सदस्यों के अतिरिक्त नये सदस्यों के ऋण स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र मावली की सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियां स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री अर्जुनलाल** (बिलाड़ा):

97. प्रदेश में सहकारी एवं गैर सहकारी संस्थाओं से अल्पावधि ऋण काश्तकारों को दिये जाने पर उनकी कर्जमाफी सीमा 50,000/- तक करने के संबंध में चर्चा हेतु।

98. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के किसानों को जिन्होंने सहकारी एवं गैर सहकारी संस्थाओं से अल्पकालीन ऋण ले रखा है, उनकी कर्जमाफी 50,000/- तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के एल.एस.एस. बिलाड़ा, जी.एस.एस. बाला, जी.एस.एस. भावी, जी.एस.एस. खारिया मीठापुर में गोदाम निर्माण की स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री गोरधन** (धोद):

101. प्रदेश में किसानों को देय फसली ऋण की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. प्रदेश में किसान की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र को फसली ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. प्रदेश में भूमि विकास बैंक के पात्र ऋणी किसानों को ऋण मुक्ति योजना का लाभ देने के संबंध में चर्चा के लिए।

---